लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

Preservation Unit
On 14-10-92
Parliament Library

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

(खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 50, शुक्रवार, 4 मई, 1979/14 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 990 से 992 और 994 से 996	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 989, 993 और 997 से 1009	20—35
अतारांकित प्रश्न संख्या 9601 से 9628, 9630 से 9633, 9635 से 9639, 9641 से 9701 और 9703 से 9800	35—202
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	203
हिन्दुस्तान टाइम्स में लोक सभा की कतिपय कार्यवाही को गलत ढंग से प्रकाशित करना	203
सभा पटल पर रखे गये पत्र	203—206
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	206—214
गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से उस क्षेत्र में उत्पन्न असंतोष का समाचार	206
श्री सौगत राय	206, 207—209
श्री एच० एम० पटेल	206—207, 209
श्री कंवर लाल गुप्त	210—211
श्री एडुआर्डो फैलीरो	212—214
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	214
16वां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य	214—219
नियम 377 के अधीन मामले	219—223
(एक) फिल्म डिवीजन को स्वायतता प्रदान किये जाने संबंधी कार्यकारी ग्रुप में अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी की नियुक्ति	
श्री वसंत साठे	219—220

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) जिम्बाबवे में सरकार परिवर्तन के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया	
श्री हरि विष्णु कामत	220
श्री समरेन्द्र कुण्डु	220—221
(तीन) विल्लीपुरम में 1978 में सवर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों के बीच हुए झगड़ों की न्यायिक जांच	
श्री टी० बालकृष्णैया	221
(चार) कर्नाटक में भगवान गोमातेश्वर की प्रतिमा की स्थापना के 1000वें वर्ष का समारोह	
श्री निर्मल चन्द्र जैन	222
(पांच) टैक्नीशियनों के असहयोग के कारण इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब तथा उनका रद्द किया जाना	
श्री बी० राचैया	222—223
(छः) बंगलादेश को खाद्यान्नों की सप्लाई	
श्री ज्योतिर्मय बसु	223
विशेष न्यायालय विधेयक	223—236
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	223—232
श्री पी० शिव शंकर	232—235
श्री जगन्नाथ शर्मा	236
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 33वां प्रतिवेदन	236—239
विधेयक पुरःस्थापित	240—242
(1) कतिपय आर्थिक विधियों के अधीन न्यायिक कृत्य तथा शक्तियां विधेयक	
श्री मनोहर लाल	240
(2) गोवा, दमन और दीव राज्य विधेयक	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	240
(3) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (आदेश 5 का संशोधन)	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	240

विषय	पृष्ठ

(4) सरकारी सेवा (आयु सीमा) तथा बेरोजगारी भत्ता विधेयक

श्री राम विलास पासवान 241

(5) हिंसात्मक बन्ध मोर्चा, हड़ताल और तालाबन्दी निवारण विधेयक

प्रो० आर० के० अमीन 241

(6) यान-अपहरण निवारण विधेयक

श्री यादवेन्द्र दत्त 241

(7) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 109 तथा 110 का लोप)

श्री विनायक प्रसाद यादव 242

(8) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 341 का प्रतिस्थापन)

श्री राम विलास पासवान 242

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन)

श्री राम विलास पासवान 242

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 243—247
(धारा 2 और 5 का संशोधन)

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—
वाद-विवाद स्थगित

संविधान (संशोधन) विधेयक 247—272
(अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन)

श्री विनायक प्रसाद यादव

विचार करने का प्रस्ताव

श्री विनायक प्रसाद यादव 247—250

श्री के० लकप्पा 250—252

डा० रामजी सिंह 253—257

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर 257—259

चौधरी बलबीर सिंह 259—261

श्री राम विलास पासवान 261—265

श्री ओम प्रकाश त्यागी 265—268

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 268—270

श्री मही लाल 271—272

विषय	पृष्ठ
कम्पनी (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	
(धारा 275, 276 आदि का प्रतिस्थापन)	
श्री सौगत राय	272—273
आपात न्यायालय विधेयक—वापस लिया गया	
श्री राम जेठमलानी	273
आधे घण्टे की चर्चा	273—684
पारले ग्रुप की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन	273
श्री के० लकप्पा	273—276
श्री सतीश अग्रवाल	277—281, 283—284
श्री पी० राजगोपाल नायडू	281
श्री विनोदभाइ बी० शेठ	281
श्री मल्लिकार्जुन	281—282
कार्य मंत्रणा समिति	284
34वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

शुक्रवार, 4 मई, 1979/14 वैशाख, 1901 (शक)

(लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राज्य व्यापार निगम की नई निर्यात योजना

*990. **श्री निहार लास्कर :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की नई मंडियों में प्रवेश की योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या 1979-80 की नई निर्यात नीति के अनुसार पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ अधिक व्यापार विनिमय पर जोर दिया जायेगा जिसमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान गिरावट आयी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(1) राज्य व्यापार निगम की नई निर्यात नीति में निम्नोक्त शामिल हैं :—

—सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये ऐसे क्षेत्रों को चुनना जिनमें मुख्य रूप से प्रयास किया जाए ;

—बढ़े हुए सीधे व्यापार की ओर उत्तरोत्तर बढ़ने की योजना ;

—आन्तरिक अधिप्राप्ति और अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की दृष्टि से निगम द्वारा संचालित संगठन के कार्यात्मक ढांचे में परिवर्तन करना तथा मदों का पुनःवर्गीकरण करना ;

—राज्य व्यापार निगम के कार्यों को अधिक सफल तथा प्रभावी बनाने के लिये भारतीय तथा विदेशी शाखाओं को पुनः संगठित करना ;

—सार्थसंघ दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई तथा वित्तीय सहायता के विस्तार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातों का संवर्धन करना ;

—निर्यात विकास प्रयत्न में राज्य सरकार के संगठनों के साथ अच्छा समन्वयन सुनिश्चित करना ;

—नए कार्यकलापों के अनुकूल नीतियों तथा क्रियाविधियों का पुर्नानिरुपण करना ;

—निर्यात उत्पादन खास कर लघु उद्योग क्षेत्र के आधारों को मजबूत बनाने में सहायता देना ।

(2) पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये मुख्य नीति यह है कि उन देशों में एकाधिकार प्राप्त आयातक संगठनों की क्रय क्षमता के विपरीत भारतीय निर्यातकों को सौदा करने की पर्याप्त क्षमता प्रदान करना है । इस प्रयोजन के लिये राज्य व्यापार निगम ने आम तौर से विभिन्न उत्पादों के लिए सप्लायरों के सार्थसंघ आयोजित किये हैं । इस दृष्टिकोण से अस्वस्थ परस्पर प्रतियोगिता समाप्त होगी ।

चूंकि रुपया निधियों की कमी के कारण पिछले वर्ष इस क्षेत्र को किये गये निर्यातों में गिरावट आई है अतः राज्य व्यापार निगम और अधिक रुपया निधियां बनाने के लिये अधिक मदों के आयात करने और भारी मात्रा में आयात करने की योजना बना रहा है बशर्ते क्वालिटी तथा कीमत सन्तोषजनक हो ।

श्री निहार लास्कर : निस्सन्देह मंत्री महोदय ने राज्य व्यापार निगम की स्थिति को सुधारने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की लम्बी सूची दी है, परन्तु मंत्री महोदय यह अनुभव नहीं करते कि राज्य व्यापार निगम अच्छी किस्म के निर्यात योग्य माल को तथा उसे समय पर भेजने के लिये पूरी तरह विफल रहा है । मुझे पता नहीं है कि इस बारे में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है या नहीं और यदि कार्यवाही की है तो क्या ?

श्री आरिफ बेग : श्रीमान, यह सच नहीं है । जहां तक राज्य व्यापार निगम के कार्य का प्रश्न है, 1978 में राज्य व्यापार निगम का कुल व्यापार 1070 करोड़ रुपए का था । पिछले वर्ष निर्यात 557 करोड़ रुपए का था, जबकि इस वर्ष यह 608 करोड़ रुपए का हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वस्तुओं की किस्म का उल्लेख किया है । इस बारे में आपने क्या किया है ?

(व्यवधान)

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : उत्तर में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, और स्वभावतः किस्म का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है । यह प्रश्न केवल राज्य व्यापार निगम की ही नहीं अपितु पूरे देश के निर्यात व्यापारियों का है जोकि किसम पर बल देते रहे हैं । एक विधेयक तैयार किया गया है । उस पर विधि मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है तथा हम किस्म को सुधारने का यत्न करेंगे । इतना ही

नहीं । एक ओर तो हमने निर्यातकर्ताओं द्वारा स्वयं प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रथा शुरू की है तथा जिन मामलों में आयातकर्ता सन्तुष्ट हैं तथा कोई आपत्ति नहीं करते, हम अच्छी किस्म के माल के निर्यात की अनुमति देते हैं । उसके साथ ही बिना पूर्व सूचना के और आवधिक निरीक्षण भी किये जायेंगे । परन्तु जैसे ही पता चलेगा कि निर्यातकों ने अच्छा कार्य नहीं किया, तथा यदि माल बताई गई विशिष्टताओं तथा किस्मों के अनुसार नहीं होगा तो हम देखेंगे कि विधेयक में ही इस बारे में दंड की व्यवस्था की जाये । मुझे विश्वास है कि संसद् इसको पूरा समर्थन देगी । मैं माननीय सदस्त से सहमत हूं कि हमें माल की अच्छी किस्म पर बल देना चाहिए और जहां राज्य व्यापार निगम तथा मेरे मंत्रालय के किसी संगठन का संबंध होगा, हम समुचित कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात समय पर माल भेजने की है ।

श्री मोहन धारिया : जब मैंने किस्म तथा समय सूची का उल्लेख किया है तो मेरा अभिप्राय दोनों से है ।

श्री निहार लास्कर : एक और क्षेत्र है जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें कि हम विफल रहे हैं । यह बाजारों संबंधी जानकारी के बारे में है । हम देखते हैं कि इसके कारण भी करोड़ों रुपये की हानि हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया : हम अपने सभी दूतावासों तथा उच्चायुक्तों को बाजारों संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त विश्व में बहुत से अधिकारियों के विशिष्ट ग्रुप विदेशों में विपणन की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किये गये हैं तथा हम सभी देशों के साथ सीधा द्विपक्षीय समपर्क भी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । हम अपने शिष्टमंडल भेज रहे हैं और उन देशों के शिष्टमंडलों को बुला रहे हैं तथा अपनी वस्तुओं का प्रचार करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु इतना ही पर्ताप्त नहीं है ।

मैंने निर्णय लिया है कि श्री प्रकाश टंडन तथा उनका ग्रुप आठवें दशक के लिए विदेशी व्यापार की संभावनाओं पर विचार करेगा । प्रसिद्ध व्यक्तियों को इस ग्रुह के साथ संबद्ध किया जायेगा तथा मुझे विश्वास है कि उनके परामर्श तथा सिफारिशों के आधार पर सभी सम्भव प्रयत्न किये जा सकेंगे जिनमें विपणन जानकारी अध्ययन तथा उत्पादन के स्तर पर अधिक निर्यात के लिये अन्य सभी सुविधाएं दी जा सकेंगी ।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय की नोटिस में इस किस्म के केसेज़ भी आए हैं कि अब बाहर के मुल्कों वाले भी कई बार गड़बड़ करते हैं, आर्डर प्लेस कर देते हैं, माल पहुंच जाता है, फिर वह कहते हैं कि यह माल हमें नहीं लेना है, उसके बाद उनको कहते हैं कि इसको इतने भाव पर दें तो हम लेने को तैयार हैं । एक्सपोर्टर जो है उसका आलरेडी पैसा ब्लाक हो चुका है, माल वहां पहुंच चुका है और इधर बैंक वाले तंग करते हैं कि उनको पैसा दिया जाय । उनको बाज़ दफा इतने घाटे पर माल देना पड़ता है कि उनका सत्यानाश हो जाता है । सरकार इस किस्म के केसेज़ में उन एक्सपोर्टर्स को जिन का माल क्वालिटी के मुताबिक है और उनके आर्डर के मुताबिक है ...

अध्यक्ष महोदय : सवाल बहुत लम्बा हो गया।

चौधरी बलबीर सिंह : मैं इनकी नोटिस में केसेज़ ला सकता हूं · · ·

अध्यक्ष महोदय : मामला निर्यात का है और आप आयात की बात कर रहे हैं।

चौधरी बलबीर सिंह : यह एक्सपोर्ट का सवाल है और एक्सपोर्ट की क्वालिटी का सवाल है। हमारा सवाल है कि एक्सपोर्टर अगर ठीक क्वालिटी का माल भेजता है और उसे कोई रुकावट होती है तो सरकार क्या मदद करेगी ?

श्री मोहन धारिया : ऐसी भी कुछ शिकायतें जरूर आती हैं और इसीलिए एक तो जिस देश से यह काम होता है उसके साथ हम बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ई सी जी सी है, जो एक्सपोर्ट कारपोरेशन गारंटी करता है उसके माध्यम से हमने इंश्योरेंस का भी इंतजाम किया है और अगर कोई ऐसा माल भेजता है जिसके पैसे वहां से नहीं मिलते हैं तो ये पैसे उसको यहां से देने का इंतजाम करते हैं। इससे काफी सुविधा मिल गई है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : राज्य व्यापार निगम की सबसे बड़ी सम्पत्ति उसके मंत्री हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू के निर्यात व्यापार का एकाधिकार दिया जायेगा। कुछ अन्य देश इस स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी उनके धन का उपयोग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वरजीनिया तम्बाकू का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा। मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसे निर्यातक जो दोषी हैं, उन्हें पर्याप्त दण्ड दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे एक निर्यातक का मामला उनकी जानकारी में आया है जिसने करार का उल्लंघन करते हुए अच्छा माल नहीं भेजा। उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि उसे तो तम्बाकू बोर्ड में नियुक्त करके प्रोत्साहन दिया गया है। तब मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि शर्तों का उल्लंघन करने वालों, घटिया माल देने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहन धारिया : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, सभा को पता होगा कि तम्बाकू ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें एकाधिकार का उपयोग किया जा सके क्योंकि यह सारे विश्व में उपलब्ध है। यदि हम इसमें एकाधिकार का प्रयोग करते हैं, तो संभव है कि हमें कुछ ग्राहक खोने पड़ें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक मत है।

श्री मोहन धारिया : इन हालात में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे तम्बाकू उत्पादकों को लाभदायक मूल्य मिले। इस बारे माननीय सदस्य को तम्बाकू बोर्ड की याद होगी। हमने ऐसी प्रणाली अपनायी है जिसके अन्तर्गत देश की आवश्यकता तथा निर्यात की जरूरत से अधिक भूमि पर तम्बाकू का उत्पादन नहीं करने दिया जायेगा। हम उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हैं और माननीय सदस्य को पता है कि हमने बहुत से उपाय बरते हैं जिनमें बाजार में सीधा प्रवेश शामिल है। अन्य अनुपूरक प्रश्नों के बारे में स्थिति यह है कि शिकायतें मिली हैं परन्तु ये सर्वथा निर्मूल हैं। यदि मुझे माननीय सदस्य से कोई ठोस साक्ष्य मिल जाता तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकता कि उन्हें तम्बाकू बोर्ड में नहीं रखा जायेगा।

मोनेक्स-79 कार्यक्रम

*991. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोनेक्स-79 कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था और प्रयोग करने वाले देश का नाम क्या है ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मॉनसून प्रयोगों में भाग लेने के लिए इस समय कलकत्ता में कितने अमरीकी वैज्ञानिक हैं और कितने कृत्रिम उपग्रहों, जहाजों और विमानों की जांच तथा मौसम सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रयोग किया जा रहा है अथवा किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

(क) और (ग) मोनेक्स (मॉनसून एक्सपेरिमैंट)–79 "ग्लोबल वैदर एक्सपेरिमैंट" का एक क्षेत्रीय उपकार्यक्रम है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल आर्गेनाइजेशन) तथा अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन परिषद् (इंटर्नेशनल कोउसिल आफ़ साइंटेफिक यूनियंज़) के संयुक्त तत्वावधान मे क्रियान्वित किया जायेगा। इस प्रयोग का उद्देश्य 1 मई से 31 अगस्त, 1979 तक की अवधि में भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर के भूमध्यरेखा पर स्थित भागों के ऊपर मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़े एकत्रित करना है । इसका सबसे बड़ा उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी मॉनसून को, जोकि भारत के कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिक अच्छी तरह समझने के लिये किये जाने वाले अनुसंधान के लिए आंकड़ों का एक विश्वसनीय एवं व्यापक आधार प्राप्त करना है । इस प्रयोग के दौरान एकत्रित किये गये समुद्रवैज्ञानिकीय आंकड़े देश के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे ।

मोनेक्स–79 प्रयोग में मौसम-विज्ञान तथा समुद्र-विज्ञान संबंधी उपस्कर से सुसज्जित भारतीय नौसेना के तीन, तथा भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ, का एक समुद्री जहाज भाग लेगा। आकाश के लिए जाने वाले प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए "नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेन्सी ऑफ इंडिया" का एक विमान भी इस कार्यक्रम में भाग लेगा।

उपरोक्त के अलावा, आशा की जाती है कि संयुक्त राज्य अमरीका के तीन विमान और सोवियत रूस के चार समुद्री जहाज़ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को रिकार्ड करने का कार्य करेंगे।

मोनेक्स कार्यक्रम के दौरान अमरीकी जिओ-स्टेशनरी सैटेलाइट से, जो इस समय भूमध्यरेखा के अक्षांक्ष 60° ई० के ऊपर स्थिर है, बम्बई में मेघ-चित्र प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी ।

(ग) मोनेक्स प्रयोग परियोजना 1 मई, 1979 से प्रारंभ हो गयी है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग है, जिसमें प्रमुख रूप से भारत, अमरीका और सोवियत संघ भाग ले रहे हैं। मॉनसून प्रयोग परियोजना में भारत द्वारा भाग लेने के निर्णय का अनुमोदन सरकार द्वारा नवम्बर, 1976 में किया गया था।

(घ) इस समय मोनेक्स के संबंध में कोई भी अमरीकी वैज्ञानिक कलकत्ता में नहीं है। लगभग 25 जून से अगस्त, 1979 के प्रथम सप्ताह तक कलकत्ता में किये जाने वाले प्रयोगों में 50 से 100 के लगभग अमरीकी वैज्ञानिकों के भाग लेने की संभावना है (ठीक संख्या की अभी जानकारी नहीं है)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा को विदित है कि ये बातें कितनी खतरनाक हैं। मलेरिया के मच्छरों के संबंध में लोक लेखा समिति द्वारा 1973-74 में अध्ययन किया गया था तथा अमरीकी प्रति रक्षा विभाग ने भी जीव-विज्ञान सम्बन्धी, शाकनाशी और रासायनिक पहलुओं का भारत में अध्ययन किया है तथा इसका पूरी तरह देश से उन्मूलन कर दिया है और परियोजना समाप्त कर दी है। परन्तु 7 वर्ष की अवधि में उन्होंने शरारत की है। यह एक और उदाहरण है जिसमें अमरीका तथा भारत मुख्य रूप से सहयोगी रहे हैं। नौ कृत्रिम उपग्रह प्रति आधे घंटे बाद एक छोर से दूसरे छोर तक चित्र खींच रहे हैं। अमरीकी तथा रूसी जलपोत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर में अध्ययन करेंगे। लगभग 100 अमरीकी वैज्ञानिक कलकत्ता के 5 स्टार होटल में ठहरे हुऐ हैं, जो मौनसून संबंधी प्रयोगों में भाग लेने के लिए तैयार बैठे हैं या वे इस काम के लिये कलकत्ता आने वाले हैं। परियोजना में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के कुल 5000 वैज्ञानिक हैं तथा मौसम विज्ञान के अध्ययन के लिए उनके बहुत से वायुयान हैं। मुझे इस बारे में चिन्ता है। इस बारे में मेरे पास पर्याप्त सामग्री है परन्तु उसके लिये यह अवसर उपयुक्त नहीं है। चूंकि इसका सम्बन्ध अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर से है, अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में चीन समेत तटीय राज्यों जोकि इस परियोजना में भाग ले रहे हैं, से परामर्श किया गया है। यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा दिया जाये। यदि वे इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं? इस परियोजना पर कितना धन लगेगा तथा उसमें कितना व्यय भारत करेगा तथा इस पर अब तक कुल कितने रुपये खर्च हुए हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक चीन के भाग लेने का प्रश्न है, हमें प्रस्ताव मिला है कि चीन अपने विशेषज्ञ भेज रहा है। मोनेक्स कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे अपने तीन वैज्ञानिक भेज रहा है। न केवल चीन अपितु अन्य देशों का विचार भी अपने वैज्ञानिक भेजने का है। सरकार इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हम विभिन्न देशों में भेद नहीं बरतते परन्तु हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि भारत के हितों की हानि न होने पाये।

अध्यक्ष महोदय : अपने वक्तव्य में आपने बताया है कि मुख्य रूप से भाग लेने वाले देश भारत, अकरीका तथा रूस हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मुख्य भागीदार भारत, अमरीका और रूस हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर कुल कितना धन लगेगा, भारत का कितना भाग है तथा अब तक कितना व्यय किया गया है?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : व्यय का ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है। परन्तु मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस परियोजना में एक बात है कि समुद्री सतह के तापमान के अध्ययन से पनडुब्बियों आदि के होने के स्थान का पता लगाया जा सकता है, क्या उन्हें इसकी जानकारी है? क्या उन्होंने हमारे प्रति रक्षा गुप्तचर विभाग से परामर्श किया है? क्या उन्हें पता है कि अमरीकी सी० आई० ए० का एक वैज्ञानिक जिसका नाम ग्रोसमैन है निरन्तर भारत के मामले में हस्ताक्षेप करता रहा है तथा गुप्त भाषा में ब्यौरा एकत्र कर रहा है? क्या उन्हें इन तथ्यों की जानकारी है?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : पता नहीं माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से मिली है। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। जहां तक सुरक्षा का मामला है हम सभी सतर्कताएं बरत रहे हैं। न केवल नागर विमानन मंत्रालय अपितु विदेश तथा रक्षा मंत्रालय को भी ऐसा करने को कहा गया है। अन्य मंत्रालयों को भी इसकी सूचना दी जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे देश के हितों की किसी प्रकार भी अवहेलना नहीं होने दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पिछले 30 वर्षों से आश्वासन सुन रहा हूं। यह 200 करोड़ से 800 करोड़ रुपए हो गई है। मुझे इसका बहुत खेद है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इस बारे में श्वेत-पत्र प्रकाशित करके सभा पटल पर रखेंगे। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। इसका प्रभाव मंगलूर तट पर भी पड़ेगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त : अपने वक्तव्य में उन्होंने विमानों के उपयोग के बारे में बताया है। क्या वह सभा को बतायेंगे कि अमरीकी तथा रूसी लोग किस प्रकार के विमानों का उपयोग करेंगे? क्या अमरीकी अथवा रूसी विमान उत्तर प्रदेश और तिब्बत पर भूपाल, दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम के रास्ते से उड़ेंगे? यदि हां, तो वे किस प्रकार के विमानों का उपयोग करेंगे और किन अड्डों से?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उम्मीद है कि आपने वक्तव्य पढ़ लिया होगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या वह विदेशी विमानों पर भारतीय वैज्ञानिकों को नियुक्त करेंगे ताकि इन उड़ानों का दुरुपयोग न किया जा सके?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम इस बारे में कौन सी सतर्कताएं बरत रहे हैं।

(i) सभी उड़ान ट्रैकों की सूचना नागर विमानन अधिकारियों को दी जायेगी और प्रत्येक उड़ान की विधिवत अनुमति दी जायेगी। ये सभी विमान असैनिक हैं। ये नौ सेना के नहीं हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : एक असैनिक विमान का सैनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सभी अमरीकी विमानों की भारत आगमन के बाद रक्षा कर्मचारियों द्वारा जांच की जायेगी । प्रत्येक विमान में रक्षा मंत्रालय का एक सुरक्षा अधिकारी रहेगा । मौनसून के अध्ययन सम्बन्धी विवरण अधिकारियों की विदाई से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को सौंपे जायेंगे ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय का वक्तव्य काफी विस्तृत है । मुझे भय है कि सही वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई, तथा हाल ही में बताया गया था कि नन्दा देवी का चीन पर आण्विक उपायों के उपयोग के लिए उपभोग किया गया था तथा इस मामले की जानकारी निरन्तर मांगने के बाद ही दी गई । इसलिए मैं चाहता हूं कि मामले पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार किया जाये । श्री ज्योतिर्मय बसु ने मामला उठाया था । मेरा प्रश्न है 'मोनेक्स 79' कब छोड़ा गया था । मंत्री महोदय ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय—अमरीका रूस और भारत तथा कुछ अन्य देशों से संबद्ध है । आपने यह भी बताया कि 50--100 वैज्ञानिक, इसमें भाग लेंगे । क्या रूस से भी उतने ही वैज्ञानिक भाग लेने के लिए आयेंगे ? क्या अन्य देशों से भी वैज्ञानिक आयेंगे ? इसमें भाग लेने वाले भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ? क्या यह सच है कि लगभग 100 अमरीकी वैज्ञानिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संयुक्त भारत-अमरीकी उपयोग के तत्वावधान में या किसी और के तत्ववधान में आ रहे हैं ? हम जानना चाहते हैं कि इसमें अमरीका का संबंध इतना व्यापक और गहरा क्यों है ? क्या भारत सरकार उसे नाम के आधार पर ले रहा है अथवा उसका विस्तृत अध्ययन कर रही है ताकि देश की सुरक्षा को क्षति न पहुंचने पाये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यह विश्व मौसन विज्ञान संगठन द्वारा प्रायोजित विश्वव्यापी मौसम संबंधी प्रयोग है, जिसमें भारत अपने हितों के लिए भाग ले रहा है क्योंकि हमने बताया है कि मौसम सम्बन्धी विवरण से हमारे कृषि कार्यक्रमों तथा आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : बीच में अनुपूरक प्रश्न न लायें जायें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक अमरीका तथा अन्य देशों का प्रश्न है · · · **(व्यवधान)**

इस अभ्यास में भाग लेने के इच्छुक देशों ने अपनी पेशकश की । अमरीका ने 3 विमान तथा कुछ वैज्ञानिक भेजने का प्रस्ताव किया ।

अध्यक्ष महोदय : कितने वैज्ञानिक ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : वैज्ञानिकों की सही संख्या अभी ज्ञात नहीं है । यह लगभग 100 होगी । उसी प्रकार अन्य देशों ने जिनमें रूस, चीन सम्मिलित हैं, अपने वैज्ञानिक भेजने का प्रस्ताव किया है—

संयुक्त राज्य अमरीका	लगभग 100
रूस	3
अन्य देश	30
और चीन	लगभग 3

चीन ने भी प्रस्ताव भेज दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रस्ताव !

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यदि चीन भाग नहीं लेना चाहता तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। हम किसी देश के आने पर रोक नहीं लगा रहे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : भारतीय वैज्ञानिक कितने हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबतक सभा को ठीक जानकारी . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि वे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी सभा पटल पर रखें। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस मामले से सम्बद्ध सभी सम्बन्धित तथ्य सभा पटल पर रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 992।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसका सभा तथा राष्ट्र के व्यापक हितों पर कुप्रभाव पड़ता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि सभा के प्रमुख हितों का ध्यान रखा जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य सभा पटल पर रखें जिसमें पूरी जानकारी हो।

(व्यवधान)

मैं उनसे पूरा विवरण देने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखने को कह रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तक कौशिक : किन बातों पर ?

श्री के० लकप्पा : वक्तव्य देने अथवा उसे सभा पटल पर रखने का कोई प्रश्न नहीं है। हम अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : इसमें देश की सुरक्षा का मामला निहित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, एक-एक करके खड़े हों।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह एक सप्ताह बाद तैयार होकर आयें तथा हमें दुबारा प्रश्न पूछने का अवसर दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : क्या आप मुझे सभा में पूरी बात बताने देंगे ? मैं अभी बताने की स्थिति में हूं · · ·

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि आप प्रश्न को रोके रख सकते हैं, तो इसे 18 मई को · · ·

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : किन मामलों का विवरण आप चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब कहने का कोई महत्व नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि किस विवरण की कमी है। यदि कोई सदस्य अधिक विवरण चाहता है तो वह उन्हें पत्र लिख सकता है। मैं उनसे उस जानकारी को वक्तव्य में जोड़ने को कह सकता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : केवल दो प्रश्न पूछे गये हैं। एक श्री ज्योतिर्मय बसु का है जिन्होंने पूछा है कि विदेशी मुद्रा सहित कितनी राशि इसमें लगी है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें कितने भारतीय वैज्ञानिक हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इसमें कितनी राशि लगेगी इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितना धन ?

अध्यक्ष महोदय : आपने यह बताया है।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : इसका सम्बन्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से भी है। इसलिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए।

तम्बाकू का मूल्य निर्धारण

***992. श्री ईश्वर चौधरी** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष तम्बाकू का मूल्य कितना है ;

(ख) सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों को सहायता देने के उद्देश्य से तम्बाकू का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में भी उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1978 और 1979 (अप्रैल तक) के दौरान चुनिन्दा केन्द्रों पर तम्बाकू की थोक कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :–

कीमतें रु० में, प्रति क्विंटल

		1978		1979	
राज्य/केन्द्र	किस्म	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
आन्ध्र प्रदेश	वर्जीनिया फ्लू				
	क्योर्ड ग्रेड 1-5	650	970	750	1000
	2-5	400	850	500	750
	3-5	250	500	300	500
	5-5	250	425	250	450
आन्ध्र प्रदेश (वारंगल)	नाजविद	825	1200	600	880
महाराष्ट्र (नागपुर)	चि्वंग ब्लैक	1100	1125	1120	1130
कर्नाटक (मंगलौर)	सेन्डेड	1100	1450	900	1300
तमिलनाडु (इरोड)	च्विंग फर्स्ट सोर्ट	818	955	591	864
गुजरात (आनन्द)	बी० डी०–1	250	380	333	476
उत्तर प्रदेश (कानपुर)	काप्पला	900	995	615	995
पश्चिम बंगाल	मोतीहारी	780	900	870	940

(ख) कृषि मूल्य आयोग से उन न्यूनतम कीमतों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया था जिन पर विभिन्न ग्रेडों का वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड तम्बाकू सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के द्वारा सहायता कार्य आवश्यक होने की दशा में खरीदा जाना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग ने 1978-79 फसल के वी० एफ० सी० तम्बाकू की न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश की है।

(ग) तम्बाकू बोर्ड तथा सरकार ने तम्बाकू उपजकर्ताओं को समुचित कीमतें दिलाने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :–

(1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में 1979 फसल मौसम में से आन्ध्र प्रदेश से 10,000 मे० टन व बी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने के लिये

प्राधिकृत किया है। 1978 के दौरान भी सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आन्ध्र प्रदेश से 1978 के फसल मौसम में से 10,000 मे० टन वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने के लिए प्राधिकृत किया था।

(2) 1978 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन (नेफेड) को सरकारी खाते में 25,000 मे० टन तक गैर-वर्जीनिया तम्बाकू, विशेष रूप से बीड़ी का तम्बाकू, खरीदने के लिये प्राधिकृत किया था।

(3) तम्बाकू बोर्ड ने वर्जीनिया तम्बाकू उपजकर्ताओं को उनके तम्बाकू का समय पर भुगतान प्राप्त कराने में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में तम्बाकू पत्ता खरीद वाउचर योजना आरम्भ की है।

(4) तम्बाकू बोर्ड ने काली मिट्टी क्षेत्र के लिए 8 नये फार्म ग्रेड और हल्की मिट्टी क्षेत्र के लिये पौध स्थिति ग्रेडिंग शुरू की है। 1979 के दौरान राज्य व्यापार निगम उपजकर्ताओं से, इस प्रयोजन के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा स्थापित खरीद तथा ग्रेडिंग केन्द्रों से सीधे ही नये फार्म ग्रेडों में सरकारी खाते में कुल 10,000 मे० टन में से 5,000 मे० टन की खरीद कर रहा है।

(5) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 में पहले ही संशोधन कर दिया गया है जिससे तम्बाकू बोर्ड को वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए अपने निलामी मंचों की स्थापना करने तथा उसके द्वारा स्थापित किये गये तथा पंजीकृत किये गये प्लेट-फार्मों पर नीलामकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार मिल गया है।

(6) बीड़ी तथा अन्य प्रकार के तम्बाकू के वेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए और उसके विपणन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इन समस्याओं का गहराई के साथ अध्ययन करने और सभी प्रकार के तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करने तथा विपणन में सुधार लाने के लिये सरकार के विचारार्थ आवश्यक उपायों की सिफारिश करने हेतु जुलाई, 1978 में तम्बाकू सम्बन्धी निर्यात समूह नियुक्त किया है।

(7) 1977-78 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की भरमार थी और 1978-79 के दौरान इसकी पुनरावृत्ति न होने देने की दृष्टि से तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में एफ० पी० वी० तम्बाकू के अन्तर्गत एकड़ भूमि को सीमित करने के लिये तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की थी। तथापि, कुछ कानूनी जटिलताओं की वजह से उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जा सका।

श्री ईश्वर चौधरी : तम्बाकू बोर्ड और कृषि मूल्य आयोग दोनों में अभी तक मतैक्य नहीं हो सका है। तम्बाकू बोर्ड ने बराबर कृषि मूल्य आयोग से निवेदन किया है कि उत्पादकों को उचित मूल्य सभी क्षेत्रों में मिले इसके बारे में वह अपनी शिफारिश दे। काफी विस्तार से इस वक्तव्य में आंकड़े दिये गये हैं। अप्रैल 1979 तक के जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि तम्बाकू उपज-कर्ताओं को कीमत की कोई गारन्टी नहीं है और उनको वर्षों तक भी पैसा नहीं मिलता है। कृषि मूल्य आयोग और तम्बाकू बोर्ड दोनों में समन्वय हो और उपजकर्ताओं को उचित मूल्य मिले,

इसके लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ? पूरे वर्ष भर के लिए उनको उचित मूल्य मिलता रह सके, क्या इसकी आप गारंटी देने जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अभी तक तो एग्रिकलचरल प्राइसिस कमिशन को कभी भी नहीं कहा गया था कि तम्बाकू के लिए क्या स्पोर्ट प्राइस रहे इसकी सिफारिश वह करे । हमारे यहां के किसानों को कम से कम सपोर्ट प्राइस तो मिले, इस वास्ते हमने ही उनको कहा कि प्राइस क्या रहनी चाहिए यह वे हमको बताएं । उनकी रिपोर्ट आ गई है और उस पर गवर्नमैंट विचार कर रही है । उन्होंने जितना कहा है और जो आधार बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी परचेजिज़ चालू हैं । सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस साल आज तक जितना काम हुआ है उससे तम्बाकू के किसानों को कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है ।

श्री ईश्वर चौधरी : स्टेटमैंट में यह कहा गया है कि 1977-78 के दौरान आंध्र प्रदेश में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की भरमार थी और 1978-79 के दौरान इसकी पुनरावृत्ति न होने देने की दृष्टि से तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में एफ० सी० वी० तम्बाकू के अन्तर्गत एकड़ भूमि को सीमित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की थी । तथापि कुछ कानूनी जटिलताओं की वजह से उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जा सका है । बहुत पहले से यह स्थिति बनती आ रही है और कानूनी अड़चनें पैदा होती रही हैं । बेचारे उत्पादक की समझ में यह चीज़ नहीं आती है । उसको तो मजदूरी चाहिये । दुनिया जानती है कि तम्बाकू आज महंगी है लेकिन इतना होने पर भी उत्पादनकर्ता को उचित और पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है । कानूनी जो अड़चन है और कमिशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको ध्यान में रखते हुए कब तक आप इस अड़चन को समाप्त कर देंगे और पूरा तालमेल आयोग और तम्बाकू बोर्ड में बिठा देंगे ?

श्री मोहन धारिया : कोई खास अड़चन तो नहीं रही है । हमारे तम्बाकू के जो उत्पादक हैं उनको उचित कीमत मिले इसीलिए हमने एग्रिकलचरल प्राइसिस कमिशन से सिफारिशें देने को कहा और उन्होंने आधार बता कर क्या प्राइसिस रहनी चाहिये, यह हमें बताई । उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि वर्जीनिया तम्बाकू जो यहां पैदा होती थी वह लगभग 90,000 हजार टन पैदा होती थी । लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ कि उसकी पैदावार 1 लाख 20 हजार टन हो गई । तम्बाकू खाने वालों के लिए और बीड़ी सिग्रेट के इस्तेमाल में लाने के लिए और बाहर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस सब के लिए हमें 90 हजार से 1 लाख टन तक तम्बाकू की जरूरत होती है । उससे अगर ज्यादा पैदा होती है तो उससे नुक्सान किस का होता है ? नुक्सान गरीब किसान का होता है । इसलिए हमने तम्बाकू के उत्पादन पर कुछ पाबन्दी लगाई । ऐसा करते वक्त हमने यह भी ख्याल रखा कि पांच एकड़ से कम में तम्बाकू की पैदावार जो करते हैं उन पर पाबन्दी न लगे । लेकिन उससे ज्यादा जितनी भूमि में खेती होती थी आन दी बेसिस आफ ग्रेडेशन हमने उनको पैदावार कम करने के लिए कहा । ये जो उपाय किये ये किसान के खिलाफ नहीं थे बल्कि किसानों को उचित दाम देने के लिए ही हमने ऐसा किया था ।

श्री राम विलास पासवान : वक्तव्य में आंध्र प्रदेश की ही अधिक चर्चा की गई है । जिस कंस्टिट्युएंसी से मैं आता हूं वैशाली उस अकेले जिले में एक करोड़ से ज्यादा की ड्यूटी गवर्नमैंट को दी जाती है । तम्बाकू पैदा करने वाले किसानों के साथ बहुत धांधली वहां की जाती है । जो

लोग चैक करने के लिए जाते हैं इंस्पैक्टर वगैरह पहली चीज वे यह करते हैं कि पैसा न मिलने पर अच्छे तम्बाकू को खराब तम्बाकू का दर्जा दे देते हैं और पैसा मिल जाने पर खराब तम्बाकू को अच्छे तम्बाकू का दर्जा देते हैं। मैं सरकार से दो मांग करता हूं। पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि किसानों के प्रति जो इस प्रकार की धांधली सरकारी स्तर पर चल रही है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरे बिहार में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है, खासकर हमारे जिले में, तो क्या सरकार कोई रीजनल बोर्ड बिहार में भी स्थापित करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जो तम्बाकू बोर्ड बनाया गया था वह केवल वर्जीनिया तम्बाकू के लिए ही बनाया गया था। मैंने कोशिश की है कि तम्बाकू बोर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिये ही नहीं बल्कि सारे तम्बाकू, चाहे खाने का हो या बीड़ी का हो, सब के लिए तम्बाकू बोर्ड को पूरा अधिकार देने का विचार कर रहे हैं। वह बिल लेकर मैं सदन के सामने आऊंगा।

दूसरा सवाल इन्सपैक्टर्स के बारे में उठता है। हमारे किसानों को बहुत सालों से काफी कठिनाई हो रही थी। यह पहला साल है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने जिस वक्त यहां बजट रखा तो हमने यह साफ किया है कि हमारे किसानों की खेती पर इन्सपैक्टर्स कभी न जावें, क्यों कि अभी इस लैवल पर ड्यूटी रखी नहीं है। अभी ड्यूटी देनी पड़ती है सिगरेट मैन्यूफैक्चरर्स को सिगरेट बीड़ी तैयार करने के बाद। किसानों की ड्यूटी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह जितने टाइम चाहें तम्बाकू अपने पास रख सकते हैं। उनके लिये पहले बहुत कठिनाई होती थी, वह सब कठिनाई सुलझाने का काम हमने किया है। इसका एक असर यह हुआ है कि जहां पहले किसान को तम्बाकू के लिए एक रुपया मिलता था, अब उसे 4, 5 और 6 रुपये मिलता है। तो यह एक बहुत अच्छा काम किया है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि पिछली बार 1 लाख टन का उत्पादन बताया और यहां तम्बाकू की खपत 90 हजार टन रह गई। इसलिए उन्होंने कहा है कि तम्बाकू की अधिक खेती न हो। मैं उनसे दो बातें जानना चाहूंगा। एक तो काश्तकारों के हित में तम्बाकू को एक्सपोर्ट करने की नीति क्यों नहीं बनाई गई जिससे विदेशों को तम्बाकू एक्सपोर्ट हो और काश्तकारों को अधिक से अधिक दाम मिल सकें ?

दूसरा प्रश्न यह है कि मिडिलमैन काश्तकारों से तम्बाकू खरीदता है और मनमाने दाम पर तम्बाकू को सिगरेट मैन्यूफैक्चरर्स को बड़ा भारी प्रौफिट लेकर बेचता है। तो मिडिलमैन के प्रौफिट को कम करने के लिए सरकार से क्या उपाय किये हैं ?

श्री मोहन धारिया : एक्सपोर्ट के लिये कोई पाबन्दी नहीं है, ओपन जनरल लाइसेंस पर पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि चीन को भी हम तम्बाकू एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनियां में एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : फिर खेती पर पाबन्दी क्यों ?

श्री मोहन धारिया : इसलिये कि बहुत ज्यादा पैदा न हो जाए। यहां तम्बाकू सिर्फ बीड़ी-सिगरेट के लिये इस्तेमाल होती है यह और किसी दूसरे काम में नहीं आती। अगर ज्यादा तम्बाकू पैदा हो जाएगी, तो किसान मर जाएगा। यह किसानों के हित की ही बात है कि तम्बाकू का

उतना ही उत्पादन करें जितनी हमारे यहां खपत है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए भी जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा पैदा होती है तो इससे किसानों को नुक्सान हो जायेगा। यह किसानों के हित की ही बात है।

जहां तक मिडिलमैन का स्वाल है, इसके लिए हमने एस० टी० सी० को खरीद के लिए कहा है, मगर जो स्टेट मार्किटिंग फैडरेशन्स होती हैं, उनको भी कहा है कि वह भी मार्केट में आयें और जो पैसा वगैरा उनको जरूरत होगी उसे फाइनेन्स करने के लिए भी हम तैयार हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृषि मूल्य आयोग तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्यों में 200 रुपये प्रति क्विटंल का अन्तर क्यों है ?

(व्यवधान)

आयकर अधिकारी ग्रेड 'ख' को अग्रिम वेतन-वृद्धियां देना

*994. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत सारे आयकर अधिकारी ग्रेड 'ख' हैं जिन्हें गत 10 वर्षों से भी अधिक समय से पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अधिकारियों को उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर, गतिरोध की अवधि के दौरान, दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां न देने के क्या कारण हैं जिन पर यही वेतन मान प्राप्त करने वाले अनुभाग अधिकारियों को मंत्रालय में दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) समूह 'ख' के 293 अफसर ऐसे हैं, जिन्होंने इस ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जिन्हें अभी उच्चतर पदों पर तरक्की नहीं मिली है। जबकि उच्चतर अर्थात् समूह 'क' के आयकर-अधिकारी ग्रेड में नियुक्तियां सीधी भरती से तथा समूह 'ख' से पदोन्नति द्वारा 1 : 1 के अनुपात में की जाती हैं। पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या इतनी नहीं है कि समूह 'ख' के जिन अधिकारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन सब को पदोन्नत किया जा सके।

(ग) मंत्रालयों में अनुभाग अधिकारियों को दो पेशगी वेतन वृद्धियां वेतन-रोध के कारण मंजूर नहीं की जाती हैं। यह आवश्यक है कि जहां अधिकारी 1 जुलाई 1959 से पहले सहायक अथवा अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे, उन्हें 1 जुलाई 1959 से अनुभाग अधिकारियों के श्रेणी-1 की ग्रेड समाप्त कर देने के कारण हुई - हानि के मुआवजे के तौर पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां मंजूर की जाती हैं। ये आधार समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इन विवरणों को सभा पटल पर रख दें तो अच्छा रहेगा। सभी सदस्य उसे पढ़ लेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अनुभाग अधिकारियों के मामले में प्रथम ग्रेड के उन्मूलन के कारण हुई क्षतिपूर्ति के बदले वेतन-वृद्धियां दी जाती

हैं। अब यह बताया जाता है कि ग्रुप बी के आयकर अधिकारियों को यह वेतन-वृद्धियां नहीं दी जा सकतीं। कारण यह बताये गये हैं कि प्रथम ग्रेड में पर्याप्त रिक्तियां नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। चाहे ग्रेड 1 में पर्याप्त रिक्तियां न हों, चाहे ग्रेड 1 का उन्मूलन हो, परिणाम वही रहने के कारण क्या ग्रुप 'बी' में रुके रहने वाले आयकर अधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप उसी सिद्धांत पर दो वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं ?

श्री जूल्फिकार उल्लाह : इसे सुझाव माना जा सकता है जिस पर सरकार विचार कर सकती है। नियमानुसार हम इन अधिकारियों को वेतन-वृद्धियां नहीं दे सकते।

श्री जी० एम० बनातवाला : मंत्री महोदय द्वारा इसे सुझाव मानने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि नियमानुसार वेतन-वृद्धियां नहीं दी जा सकतीं। क्या मंत्री महोदय इस भेदभाव को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन करने का आश्वासन सभा को देंगे ? इसकी विशेष रूप से आवश्यकता इसलिए है कि ग्रुप बी के 293 अधिकारियों पर इसका कुप्रभाव पड़ा है। उनके मामले को छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि दोनों में समानता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव है कि इस नियम पर पुनर्विचार किया जाये।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : नियमों का संशोधन करते समय सरकार इन सुझावों पर ध्यान रखेगी।

डा० बिजय मंडल : आप अवरोध के कारणों को भली प्रकार जान सकते हैं। पदोन्नति के कोई माध्यम नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देते हुए उनके अवरोध के बदले कोई क्षतिपूर्ति देने के उपाय पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न।

निर्यात की जाने वाली मदों का वर्गीकरण

*995. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1979 के 'इकोनामिक टाइम्स' में "रांग एक्सपोर्ट आइटम क्लासिफिकेशन—बिग लौस टु एक्सपोर्टर" (निर्यात की जाने वाली मदों का गलत वर्गीकरण—निर्यातकों को भारी हानि) शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) एक सरकारी एजेन्सी द्वारा किया गया गलत वर्गीकरण उसी मद पर उत्पाद शुल्क लगाने वाली अन्य सरकारी एजेन्सी से विषम हो जाता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में से एक ने, जोकि निर्यात लाभों की मंजूरी से सम्बन्धित है, रैड आक्साइड मैटल प्राइमर के वर्गीकरण के

प्रश्न पर विचार किया। यह विनिश्चय किया गया कि यह मद निर्यात सहायता के योग्य नहीं है। बाद में रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद ने रंग रोगन मद के रूप में रैड आक्साइड प्राइमर के वर्गीकरण के लिए अभ्यावेदन किया। तब इस विषय पर मुख्यालय स्थित वर्गीकरण समिति द्वारा विचार किया गया जिसमें तकनीकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके उन मदों को वर्गीकृत करने के लिए विनिश्चय किया गया जोकि निर्यात लाभों को मंजूरी के प्रयोजन के लिए रंग रोगन की श्रेणी में आते हैं। इस विनिश्चय के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को 3 अप्रैल 1979 को बता दिया गया है।

(ग) रंग रोगन की मद के रूप में इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है। अतः इस प्रयोजनार्थ तथा निर्यात लाभों की मंजूरी के प्रयोजनार्थ स्वीकार किए गए वर्गीकरण के बीच कोई विरोध नहीं है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : निर्यात की वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए क्या सरकार ने कोई विशिष्ट मार्गदर्शन भेजे हैं ?

श्री मोहन धारिया : इस समय लाखों वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं। कई बार इस बारे में विचारणीय प्रश्न पैदा हो जाते हैं। इस मामले में भी प्रश्न पैदा हो गया था कि रैड आक्साइड को पेंट माना जाये अथवा नहीं। जे० सी० सी० आई० स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय समिति है तथा ये समितियां राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात आयुक्त के अधीन होती हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय समितियां इस मामले पर विचार करती हैं तथा पहले इसी क्षेत्र पर निर्णय लिया गया था कि यह पेंट नहीं है परन्तु बाद में मामले पर निर्यात संवर्धन परिषद में निर्णय किया गया कि इसे पेंट माना जा सकता है तथा इस पर उपलब्ध लाभ दिये जा सकेंगे। परन्तु मैं जानता हूं कि यह अर्थ लगाये जाने के कारण कुछ विलम्ब होगा तथा मैंने कल घोषणा की है कि इस बारे में भी समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए तथा यदि किसी मामले पर निर्णय की आवश्यकता हो तो निर्णय निर्धारित समय में लिया जा सके।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस मद के गलत वर्गीकरण से लघु उद्योग निर्यातकर्ताओं को भारी लाभ पहुंचा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी हानि की क्षतिपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री मोहन धारिया : मैं ठीक से नहीं बता सकता। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि हम इसका वर्गीकरण पेंट के रूप में करते हैं तो जो भी नकद सहायता देय होगी वह निर्यातकर्ताओं को दी जायेगी।

श्री के० लकप्पा : इस मद के मूल वर्गीकरण के कारण केन्द्र तथा राज्य के बीच विवाद खड़ा हो गया है। इन मदों पर जिन पर नकद सहायता मिलती है निर्यात संवर्धन परिषद कुछ निर्यातकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लेगी। कुछ मदें ऐसी हैं जिनका निर्यात कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उनका वर्गीकरण नहीं किया जायेगा। इस प्रकार इससे कुछ वर्गों के निर्यातकर्ताओं को लाभ पहुँचेगा। क्या आप इन मदों का वर्गीकरण करेंगे तथा इस बारे में मार्गदर्शन देंगे क्योंकि राज्य क्षेत्र में बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इसलिए क्या आप इस बारे में व्यापक मार्गदर्शन करेंगे ताकि केन्द्र तथा राज्यों में संघर्ष रोका जा सके ?

श्री मोहन धारिया : नीति पुस्तक में सभी मदों का उल्लेख किया गया है। परन्तु कई बार ऐसा होता है कि नई मदें भी तकनीकी तथा वैज्ञानिक उन्नति के कारण संबद्ध हो जाती हैं। कई क्षेत्रों में गलत अर्थ लगाये जाने की भी गुंजाइश रहती है। हम तो इन मामलों में केवल शीघ्रता ला सकते हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स में किरायों में वृद्धि

*996. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइन्स में किरायों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने विमान किरायों के ढांचे (फेयर स्ट्रक्चर) को तर्क-संगत रूप प्रदान करने के अलावा, विमान किरायों का संशोधन करके उनमें लगभग 15% की वृद्धि करने का एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कुछ दिन पूर्व एक लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि जहां तक एयर इण्डिया का प्रश्न है उसके भाड़े में 7% वृद्धि का प्रस्ताव है। मैं बताना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स ने 1976-77 में 20 करोड़ रुपये का लाभ कमाया तथा लाभ में वृद्धि होती जा रही है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि विमान भाड़ों में 30% वृद्धि का क्या आधार है तथा भाड़ों की संरचना में प्रास्तावित समायोजनों का ब्यौरा क्या है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: जहां तक भाड़ों में वृद्धि का प्रश्न है माननीय सदस्य जानते हैं कि इण्डियन एयरलाइंस के अनुसार उत्पाद शुल्क का कुल प्रभाव 3.5 करोड़ रुपए होगा। विमानों के पुर्जों के आयात पर लगे उत्पाद शुल्क का प्रभाव 8 करोड़ रुपए होगा। बजट से उत्पन्न कुछ अन्य व्ययों में वृद्धियों से 1.5 करोड़ का भार पड़ेगा। उत्पादन से संबद्ध बोनस के प्रस्ताव से जो कि सरकार के विचाराधीन है, 4.75 करोड़ रुपए व्यय होगा। लैंडिंग फी तथा बिजली के खर्चे में वृद्धि से 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। व्यय में कुल वृद्धि 26 करोड़ रुपए की होगी। विमान भाड़ों में 15% वृद्धि से इण्डियन एयरलाइंस को 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की आशा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : भाड़ों के ढ़ाचों में सभायोजन का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इस समय टर्बो विमानों तथा जेट विमानों के लिए अलग-अलग भाड़े हैं। इण्डियन एयरलाइन्स दूसरे टर्बो विमानों के स्थान पर जेट विमानों के उपयोग किये जाने का अधिकाधिक प्रयत्न करने से दोनों में अंतर समाप्त करने का हमारा प्रस्ताव है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: व्यय में वृद्धि 26 करोड़ रुपए है तथा लाभ भी लगभग उतना ही है। 1976 में लाभ 20 करोड़ रुपए था। हम मान सकते हैं कि लाभ लगभग उतना ही होगा। इण्डियन एयरलाइन्स इस समूचे अतिरिक्त व्यय को खपा क्यों नहीं पाती ? लाभ में वृद्धि होती रही है परन्तु विमानों में सेवा के स्तर में गिरावट आती जा रही है। एयरपोर्टों से कार्यालयों तथा

परिवहन की सुविधा समाप्त कर दी गई है। लोगों को टैक्सियों में जाना पड़ता है। विमानों की कमी है। क्या मंत्री महोदय विमानों की संख्या बढ़ा कर जनता को बेहतर सेवा प्रदान करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : सरकार का विचार विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए बजट अनुदानों पर निर्भर न रह कर आंतरिक संसाधनों पर निर्भर करने का है। अपने संसधानों में वृद्धि के अन्तर्गत ही भाड़ों में वृद्धि का भी प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसकी चिन्ता न करें। मेरे पास एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : दूसरे, यह केवल मात्र इण्डियन एयरलाइन्स का प्रस्ताव है। सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जहां तक व्यय में कमी लाने का प्रश्न है, माननीय सदस्यों के सभी सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री एस० आर० दामाणी : खेद का विषय है कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता गिर रही है। विमान 4-5 घंटे विलम्ब से चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शेष बातें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत ली जा सकती हैं।

श्री एस० आर० दामाणी : आपका व्ययों पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक ओर तो कार्य-कुशलता गिर रही है, सेवाओं का स्तर गिर गया है तथा दूसरी ओर आप भाड़ों में वृद्धि करने की बात सोच रहे हैं। आप कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा कर्मचारियों में अनुशासन लाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक अध्ययन दल की नियुक्ति कर रहा हूं। दूसरे, कार्यकुशलता बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। सभी सदस्य जानते हैं हमारे पास विमानों की कमी है। विमानों को कई क्षेत्रों में कार्य करना होता है। यदि प्रारम्भ में ही विलम्ब हो जाता है तो उसके परिणाम-स्वरूप और भी विलम्ब होते हैं। मैंने सभा को सूचित किया है कि दिन-प्रति-दिन की समस्याओं के बारे में एक समिति गठित की गई है जिसमें माननीय सदस्य भी हैं ताकि एयरपोर्टों की समस्याओं का अध्ययन तथा प्रतिदिन पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। सरकार एयरपोर्ट समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उस पर कार्यवाही करेगी।

डा० बलदेव प्रकाश : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि इण्डियन एयरलाइन्स की तरफ़ से कुछ किराया बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया है। पिछले सालों में जैसा कि बताया गया है कि इण्डियन एयरलाइन्स जो हैं, वे फ़ायदे में जा रही है घाटे के अन्दर नहीं जा रही हैं। बाकी कमियों को दूर करने की बजाए एयरलाइन्स से यह प्रस्ताव आया है कि किराया, भाड़ा और बढ़ाया जाए। मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इस पर सरकार ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है और अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव मात्र है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सदन को विश्वास दिलाएगें कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह सरकार इस साल कोई किराया, भाड़ा एयरलाइन्स का नहीं बढ़ाएगी ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यह आश्वासन तो सरकार नहीं दे सकती लेकिन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, यह मैं कह सकता हूं।

श्री ए० सुन्ना साहेब : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं क्या मंत्री महोदय विमान प्रयत्न करेंगे कि विमान के चलने से पूर्व उसके यांत्रिक दोषों को दूर किया जा सके। अभी परसों ही मुझे बुरा अनुभव हुआ है।

भाड़ों में वृद्धि से पूर्व मंत्री महोदय को ध्यान रखना चाहिए कि कार्यकुशलता बढ़े तथा विमानों के चलने से पूर्व यांत्रिक दोष दूर हो।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : उड़ान से पूर्व सभी विमानों की जांच की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुन्ना साहेब ने पूछा था कि यांत्रिक दोषों को यात्रियों के विमान में आने से पहले, क्यों नहीं दूर किया जाता, उनका प्रश्न यह नहीं था कि विमान के उड़ान भरने से पूर्व विमानों के दोष दूर किये जायें।

श्री ए० सुन्ना साहेब : 5000 फुट की ऊंचाई पर।

श्री वसन्त साठे : विमान चालक अप्रसन्न हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : हर एक उड़ान के पूर्व तथा बीच की उड़ानों में भी विमानों की जांच की जाती है। इस प्रकार की जांच के लिए स्थायी आदेश हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जांच न की गई हो परन्तु पूरी जांच के लिए आदेश विद्यमान हैं। विमान यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये सभी प्रयत्न किये जाते हैं।

श्री रघुबीर सिंह मछण्ड : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन्स इन्डियन एयरलाइन्स में हो रहे हैं, क्या यह सही है? दुनिया के दूसरे देशों के कम्पेरीज़न में इस में ब्रेकडाउन्स ज्यादा हो रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : तुलनात्मक विवरण इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। जिन परिस्थितियों के कारण कुछ विलम्ब होता है, उन को मैंने आपके सामने निवेदन किया है लेकिन सुधार का काम एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी कोशिश यह है कि यात्रा जो हो वह बहुत सेफ हो और इस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जीवन बीमा निगम का ग्रामीण व्यापार

***989. श्री के० टी० कौसलराम :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्रामीण व्यापार में पूर्व वर्षों की तुलना में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जीवन बीमा निगम के ग्रामीण व्यापार में हो रही इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) जीवन बीमा निगम के ग्रामीण कारबार को जो पिछले कुछ वर्षों से बीमाकृत राशि के रूप में धीरे-धीरे बढ़ रहा था मार्च, 1978 को समाप्त वर्ष में धक्का लगा जब 1976-77 के कारबार की तुलना में इसमें 14 प्रतिशत की कमी हो गई है ।

इस कमी का मुख्य कारण वर्ष 1977-78 में जीवन बीमा निगम के डवलपमेंट अधिकारियों द्वारा आन्दोलन किया जाना था । इन अधिकारियों ने यह आन्दोलन वर्ष 1976 में लागू की गई लागत मानक योजना के खिलाफ छेड़ा था । जीवन बीमा ने अब एक संशोधित योजना लागू कर दी है जिसमें 1976 की योजना की तुलना में काफी सुधार किए गए हैं और रियायतें दी गई हैं । निगम ने जो गांवों में अपना कारबार बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है, हाल में ग्रामीण, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए वित्तपोषित अभिकर्ता यानी "फाइनेंस्ड एजेंट" योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के संगठन को भी मजबूत बनाने का फैसला किया है । इस योजना के अन्तर्गत, इन्हीं क्षेत्रों के व्यक्तियों को चुना जायेगा और उन्हें जीवन बीमा के संबंध में आवश्यक आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा । संगठन संबंधी प्रबंध पूरे होते ही यह योजना लागू कर दी जाएगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ग्रामीण आयोजना ऋण सैल

*993. **श्री के० मालन्ना** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के बारे में बहु एजेन्सी दृष्टिकोण का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण आयोजना ऋण सेल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) (क) जी, हां ।

(ख) ग्रामीण आयोजन और ऋण कक्ष ने 1 जनवरी, 1979 से रिजर्व बैंक में काम करना आरम्भ कर दिया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला ऋण योजनाओं और ग्रामीण ऋण नीति विषयक काम को बेहतर समन्वय के लिए इस नये कक्ष को सौंप दिया गया है । यह कक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक नीति के निर्धारण और उसकी समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक में गठित विषय निर्धारण समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा ।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि

*997. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के

लिए मंजूर की गई सहायता में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1977-78 में 154.81 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और सरकारी क्षेत्र में उक्त मंजूरी में 15.35 करोड़ रुपये की कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने उक्त असन्तुलन समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) इन संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र के एककों को स्वीकृत की गई सहायता की गणना, उसी अवधि के दौरान संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं को दी गई सहायता की गणना के साथ की जानी है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं को अब अधिकाधिक मात्रा में प्रायोजित कर रही हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को 1977-78 के दौरान 317.99 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जबकि 1976-77 के दौरान यह राशि 220.30 करोड़ रुपये थी ; इस प्रकार से इस अवधि में 97.69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ग) इसमें कोई असंतुलन नहीं है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकतायें सामान्यतः सरकार द्वारा बजट के माध्यम से पूरी की जाती हैं और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थायें आमतौर से केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही के सरकारी क्षेत्र के छोटे और मध्यम अर्थक्षम एककों तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है।

राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और अन्य स्थानों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना

*998. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के रेगिस्तान में बीकानेर, जैसलमेर तथा अन्य स्थानों के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या राजस्थान के जोधपुर, बूंदी, अजमेर जैसे स्थानों तथा अन्य ऐतिहासिक स्थानों में पर्यटन का विकास करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : **(क), (ख) और (ग)** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राजस्थान की ओर पर्यटक यातायात के संवर्धन के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 7.24 लाख रुपये की लागत पर जैसलमेर में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया है।

(2) हल्दीघाटी की पर्यावरण संबंधी विशेषताओं को सुरक्षित रखने और वहां सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से हल्दीघाटी की एक महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार करने का कार्य पर्यटन विभाग ने चालू किया है।

(3) नवम्बर, 1978 में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत अम्बेर, जैसलमेर और मेवाड़ काम्पलैक्स (महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों) का विकास करने का सुझाव दिया। संसाधनों के उपलब्ध होने की शर्त पर और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, इनमें से दो केन्द्रों का चुनाव राज्य सरकार से परामर्श करके किया जायेगा।

(4) भारत पर्यटन विकास निगम ने जयपुर में होटल अशोक जयपुर को चालू किया है, जिसमें 44 कमरों के एक नये ब्लाक की वृद्धि करके उसका विस्तार किया जा रहा है।

(5) भारत पर्यटन विकास निगम भरतपुर पक्षी विहार स्थल में एक वन-गृह, उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल और जयपुर में एक परिवहन एकक का भी परिचालन करता है।

(6) धन-राशि की उपलब्धता और स्कीम की आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पर भारत पर्यटन विकास निगम की पंचवर्षीय योजना 1978-83 में जैसलमेर और बीकानेर में एक-एक यात्री-गृह के निर्माण का प्रस्ताव है।

(7) पर्यटकों की अधिक अच्छी प्रकार देख-रेख करने के लिए, जोधपुर एयरपोर्ट पर 23-4-1979 से एक नयी सिविल टर्मिनल बिल्डिंग चालू की गई है।

(8) पर्यटक साहित्य तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए राजस्थान में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(9) राज्य सरकार द्वारा आयोजित पुष्कर मेला और डैजर्ट फेस्टिवल का भी भारत तथा विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विदेशों में प्राप्त किये गये ठेके

*999. **श्री वसंत साठे** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 1978-79 में विदेशों में कुल कितने मूल्य के ठेके प्राप्त किये ;

(ख) ये ठेके गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये ठेकों की तुलना में कितने न्यूनाधिक हैं ; और

(ग) सामान सप्लाई करने, निर्माण कार्यों, विद्युतीकरण आदि के लिए ठेकों के अन्तर्गत गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) लगभग 109 सरकारी उद्यमों में से 85 के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट है कि इन उपक्रमों ने 1978-79 के दौरान विदेशों में लगभग 355 करोड़ रुपये मूल्य के ठेके प्राप्त किये हैं।

(ख) व्यापारिक एवं विपणन समूह, जहां निर्यात की मात्रा सरकार को समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार विनियमित की जाती है, के माध्यम से सरणीकृत निर्यात को छोड़कर, 1978-79 के दौरान प्राप्त ठेके पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ठेकों के बराबर ही हैं।

(ग) सरकारी उद्यमों द्वारा माल की सप्लाई, निर्माण कार्य, विद्युतीकरण आदि के ठेकों की संख्या बढ़ाने के लिए किये गए कुछ प्रमुख उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) समुद्रपारीय नई मण्डियों में पैठ करके आधारभूत बाजार में विविधता लाने का प्रयास,

(2) विदेशी बाजारों में जिन मदों की मांग है, उनका उत्पादन बढ़ाना,

(3) उत्पादों में विविधता लाना,

(4) निर्यात मूल्यों से अधिक लाभ कमाना,

(5) उत्पादों संबंधी प्रौद्योगिकी में यथावश्यक सुधार करना,

(6) निविदा प्रस्तावों की किस्म सुधारना, क्योंकि परामर्शदायी कार्य मुख्यतः तकनीकी सक्षमता तथा उपागम योजना के आधार पर सौंपे जाते हैं,

(7) परियोजनाओं को ठीक समय पर पूरे करने के अलावा कार्य-निष्पादन की उत्तमता की ओर विशेष ध्यान देना।

भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋणों का विनियमन

1000. श्री के० राममूर्ति : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिर्जव बैंक और कृषि पुनर्वित्तपोषण और विकास निगम ने भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋणों के विनियमन के नियमों में क्या परिवर्तन किये हैं ; और

(ख) क्या इन परिवर्तनों से छोटे किसानों और सीमान्त किसानों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के नियमन के मापदण्डों में किये गये परिवर्तनों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) नये मापदण्ड राज्य भूमि विकास बैंकों को जनवरी, 1979 को भेजे गये थे, इसलिए इन बैंकों के ऋण देने के कारोबार पर केवल भविष्य में प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

विवरण

भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों/अग्रिमों के नियमन के मापदण्डों के परिवर्तनों का विवरण

पहिले के मापदण्ड तथा जनवरी, 1979 में संशोधित मापदण्ड नीचे दिये गये हैं :—

पहिले के मापदण्ड		संशोधित मापदण्ड	
जून, 1978 के अंत की प्राथमिक/शाखा स्तर पर बकाया (प्रतिशत) की सीमा	पिछले वर्षों में जारी किये गये ऋणों के प्रतिशत के रूप में पात्र ऋण देने का कार्य-क्रम अथवा पिछले 3 वर्षों में जारी किये गये ऋणों की औसत, दोनों में से जो भी अधिक हो	सहकारिता वर्ष के अंत में पिछले वर्षों के बकाया के औसत के आधार पर प्राथमिक/शाखा स्तर पर बकाया की सीमा अथवा पिछले तीन वर्षों के बकाया (प्रतिशत) का औसत, दोनों में से जो भी कम हो।	पिछले वर्षों में जारी किये गये ऋणों के प्रतिशत के रूप में पात्र ऋण देने का कार्यक्रम अथवा पिछले 3 वर्षों में जारी किये गये की ऋणों औसत, दोनों में से जो भी अधिक हो
0—25	निर्बाध	0—25	निबधि
26—35	80	26—30	100
36—45	70	31—35	90
46—55	60	36—40	80
56—60	50	41—45	75
61—100	शून्य	46—50	70
		51—55	65
		56—100	शून्य

मापदण्डों में किये गये प्रमुख परिवर्तन नीचे दिये गये हैं :—

1. अब पात्र ऋण देने का कार्यक्रम कम बकाया के साथ जोड़ दिया गया है चाहे वह पिछले तीन वर्षों के बकाया अथवा पिछले वर्ष के बकाया के आधार पर हो। पहिले के मापदण्डों के अन्तर्गत पात्र ऋण देने का कार्यक्रम उससे पिछले वर्ष के अंत में निकली बकाया के साथ जोड़ा गया था।

2. पहिले के मापदण्डों के निर्बाध ऋण देने के 10 सूत्री खण्ड की बकाया सीमा को घटाकर 5 सूत्री खण्ड कर दिया गया है ; दूसरी ओर प्रतिशतता के अर्थ में पात्रता को बढ़ा दिया गया है।

3. मांग के 55 प्रतिशत से बकाया वाले ग्रौर लघु कृषक विकास ग्रभिकरण, सुखा वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम ग्रौर कमांड क्षेत्र विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों के ग्रंतर्गत ग्राने वाले क्षेत्रों में कारोबार करने वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाग्रों को ग्रब ग्रनुमति दे दी गई है कि वे इन कार्यक्रमों के ग्रंतर्गत निर्धारित छोटे किसानों का वित्तपोषण करने के प्रयोजन के लिए धन निकाल सकते हैं चाहे उनकी पात्रता की सीमा कुछ भी हो ।

उत्तरी बिहार में विमान यात्रा की सुविधा

***1001. श्री सुरेन्द्र झा "सुमन"** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार में विमान यात्रा की कोई सुविधा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ;

(ग) क्या सरकार दरभंगा के रक्षा हवाई ग्रड्डे को सप्ताह में दो या तीन बार ग्रसैनिक विमान सेवा के लिये खोलने पर विचार करने हेतु तैयार है ; ग्रौर

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ग्रौर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) ग्रौर (घ) इंडियन एयरलाइन्स की विमानों की तंगी के कारण उत्तर बिहार के स्थानों के लिए, जिनमें दरभंगा भी सम्मिलित है, विमान सेवाएं परिचालित करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं । तथापि, उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर घनी ग्राबादी वाले उन 50 केन्द्रों में से एक है जिनकी तीसरी वायु सेवाग्रों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है । समिति की सिफारिशें फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं ।

व्यापारिक घाटा

***1002. श्री सौगत राय** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान व्यापारिक घाटे की राशि के 2000 करोड़ रुपए तक पहुँच जाने की ग्राशंका है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इतना ग्रधिक घाटा होने के क्या कारण हैं ग्रौर इसे पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रारिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) पहले 11 महीनों के अनन्तिम ग्रांकड़ों के ग्राधार पर 1978-79 का व्यापार घाटा निम्नोक्त प्रकार है :—

	(करोड़ रु० में)
ग्रायात	6001.05
निर्यात, पुनर्निर्यात सहित	4938.28
व्यापार शेष	—1062.77

सरकार को 1979-80 के दौरान निर्यातों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि करने की आशा है। इसी समय 1979-80 के दौरान कई कारणों से आयातों में भी काफी वृद्धि होगी । हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में, पूंजीगत माल ऊर्जा तथा उर्वरक, अलौह धातुओं, इस्पात आदि जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों की बहुत सी मदों के अधिक आयात कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन और उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने तथा नए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अर्जित करने के लिए अपेक्षित होंगे । पैट्रोलियम संबंधी उत्पादों, अलौह धातुओं आदि की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि से बिल में बढ़ोतरी हो जाएगी। इन परिस्थितियों में 1979-80 का व्यापार घाटा 1978-79 के पहले 11 महीनों के विद्यमान व्यापार घाटे की अपेक्षा अधिक होने की सम्भावना है।

तथापि, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि वास्तव में कितना व्यापार घाटा रहेगा। सरकार बराबर यह प्रयास करती रही है कि निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों को सीमित करके व्यापार घाटे को कम करें। निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) निर्यात संगठनों की भूमिका

एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी०, एच०एच०ई०सी०, ई० सी०जी०सी०, टी०डी०ए० और टी० एफ० ए० जैसे निर्यात संगठनों की भूमिका की फिर से परिभाषा की गई है ताकि ये केवल कार्य अभिमुख ही नहीं बल्कि खास तौर से लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्रों के विकास के साधन के रूप में भी कार्य कर सकें । उन्हें आवश्यक अंतर्निविष्ट साधनों की उपलब्धि सुकर बनाने, आधार संबंधी जानकारी और विपणन सहायता प्रदान करने, जिसमें इन क्षेत्रों को ऋण संबंधी गारन्टी भी शामिल है, का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(2) निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों की भूमिका

निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों को भी सक्रिय किया जा रहा है ताकि वे निर्यातक समुदाय को सेवा प्रदान करने में अधिक गतिशील भूमिका निभा सकें। उनकी प्रतिक्रिया भी सरल की जा रही है जिससे उनके कार्य करने के ढंग में अधिक लोचशीलता आ जाए।

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात के कार्यालय की भूमिका में परिवर्तन

आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठन को फिर से नया रूप दिया जा रहा है और निर्यात क्षेत्र से उसे संवर्धनात्मक भूमिका दी जा रही है।

(4) कार्यदल

निम्नलिखित गतिशील निर्यात क्षेत्रों की समस्याओं की जांच करने के लिए कार्यदल गठित किए गए हैं :—

(1) चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद

(2) रत्न तथा आभूषण

(3) हस्तशिल्प की वस्तुएं

(4) इलैक्ट्रानिक्स

(5) परियोजना निर्यात

(6) फर्नीचर

(7) कृषि उत्पाद

(8) निर्यात सेवाएं, और

(9) लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात

लगभग सभी कार्यदलों की रिपोर्ट मिल गई है और इस मामले में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

(5) मूल्य वर्धित मदें

प्राथमिक शक्ल में मदों के निर्यात करने के बजाए इनको मूल्य वर्धित रूप में निर्यात करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे रोजगार वृद्धि होगी और साथ ही निर्यात आय भी बढ़ेगी।

(6) अन्तर्निर्दिष्ट साधनों की उपलब्धि

निर्यात उत्पादन आधार को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक अन्तर्निर्दिष्ट साधन उचित कीमत पर उपलब्ध हों। इसको कुछ समय के अन्दर स्थिर आयात निर्यात नीति अपनाकर सुनिश्चित करने का इरादा है।

(7) आयात नीति का उदार बनाया जाना

आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्धि सुकर बनाने के लिए आयात नीति उदार बनाई गई है। आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं भी काफी सरल बनाई गई हैं और कुछ मामलों में उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है ताकि आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन प्राप्त करने में कम समय लगे।

(8) प्रतिपूरक सहायता

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने निर्यातों को स्थायित्व प्रदान करने और प्रतियोगी क्षमता बनाए रखने की दृष्टि से तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनिन्दा मदों पर नकद प्रतिपूरक सहायता देने की नीति घोषित की गई है। नकद प्रतिपूरक सहायता निश्चित करने और मदों का चुनाव करने का सारा ढंग अलैकजैन्डर समिति द्वारा सिफारिश किए गए सामान्य सिद्धान्तों को देखते हुए फिर से तैयार किया गया है।

(9) निर्यात शुल्क की समाप्ति

विशेष उपाय के रूप में चाय व काली मिर्च पर से हाल ही में निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(10) उत्पाद आधार को मजबूत बनाना

औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में चुनिन्दा मदों के लिए उत्पाद आधार को मजबूत बना कर और उसका विस्तार करके निर्यात योग्य अविशेष सृजित किया जाएगा। निर्यात उत्पादन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां दूर की जा रही हैं। निर्यात अभिमुख एकक खासतौर से शतप्रतिशत निर्यात के लिए स्थापित की जाने वाले एककों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(11) दीर्घावधि उपाय

दीर्घावधि उपाय के रूप में योजना आयोग अगली वार्षिक/पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु चुनिन्दा निर्यात क्षेत्रों के लिए धन नियत करने की प्राथमिकताओं के बारे में विचार कर रहा है। कृषि क्षेत्र में निर्यात के लिए बागान फसलों (चाय, काफी, रबड़, इलायची) ताजे फलों और सब्जियों, प्याज, आलू, मसालों, नायगर सीड, तिलहनों, समुद्री उत्पाद आदि का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

(12) राज्य सरकारों का सहयोग

निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों के और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और उसे प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। वाणिज्य मंत्री ने जनवरी 1979 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्यातों के संवर्धन के संबंध में बातचीत की। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारें अपने-अपने निर्यात प्रयासों के साथ और अधिक सक्रिय रूप से सहयोजित कर रही हैं।

(13) विविधीकरण

निर्यात की देश वार सम्भाव्यता का अध्ययन आरम्भ किया गया है और बाजारों व साथ ही वस्तुओं के विविधीकरण पर बल दिया जा रहा है।

(14) विदेशों में कार्यालयों का सुव्यवस्थीकरण

निर्यात संवर्धन संगठनों और वस्तु बोर्डों के विदेश स्थित कार्यालयों को यथासम्भव एक छत के नीचे लाया जा रहा है ताकि उनके कामों में बेहतर तालमेल हो सके। न्यूयार्क और पेरिस में ऐसा किया भी जा चुका है।

(15) वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की भूमिका

विदेशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कार्यालयों को भी इस योग्य बनाया जा रहा है जिससे वह बाजार जानकारी, निर्यातकों की सहायता अनुवर्ती कार्यवाही की व्यवस्था करने और परिशोधन आदि से अधिक गतिशील भूमिका निभा सकें।

(16) विदेशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के काम करने के ढंग को विनियमित करने वाला मेनुअल भी पूरी तरह से संशोधित किया जा रहा है ताकि ये निर्यात प्रयास में अधिक बेहतर सक्रिय सहायता प्रदान कर सकें।

(17) क्वालिटी नियंत्रण

क्वालिटी नियंत्रण विनियमों तथा लदान पूर्व निरीक्षण प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण तथा नियमों का संशोधन किया जा रहा है ताकि :

(1) वस्तुओं में तकनीकी तथा हमारे निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं को कम बोझिल बनाया जा सके और उनमें लचीलापन लाया जा सके।

(2) क्वालिटी नियंत्रण आवश्यकताओं के परिवीक्षण तथा शिकायतों की जांच की प्रणाली अनुकूल बनाई जा सके।

(3) गलती करने वाले निर्यातकों को, जिन्होंने घटिया उत्पादों का निर्यात किया हो, निवारण दंड की व्यवस्था की जा सके।

(18) संयुक्त उद्यम

विदेशों से भारतीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करने वाले संशोधित मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। अब न केवल औद्योगिकी संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए बल्कि परामर्शी सेवा, व्यापारिक, थोक तथा खुदरा विपणन, खनिजों का पता लगाने तथा होटल, जलपान गृह आदि जैसे सेवा उद्यमों की स्थापना के लिए भी प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाएगा।

(19) परिवहन सम्बन्धी अवस्थापना

निर्यातक समुदाय को उपलब्ध परिवहन सम्बन्धी अवस्थापना को सुधारने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। उत्पादन स्थानों के पास के स्थानों पर एयर कार्गो कम्लैक्सेज स्थापित किए जा रहे हैं। इससे वर्तमान निकासी प्वाइंटों पर से कुछ दबाव भी कम होगा। समुद्री कार्गो के लिए प्रतिक्रिओं को सुकर बनाने, डिब्बा बन्दी लागू करने, जहाजों के चक्कर जल्दी जल्दी बढ़ाने और भाड़ा दर स्थिर तथा उचित रखने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिपर्स परिषदों को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि वे सौदा करने की अपनी क्षमताओं को सुधार सकें।

(20) संबंधित परिवहन की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन करने के लिए स्कोप शिपिंग, स्कोप ऐयर तथा स्कोप-रेल जैसी परामर्शी समितियां बनाकर संस्थागत मंच तैयार किए गए हैं।

(21) मुक्त व्यापार क्षेत्र

सांताक्रुज और कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्रों से संबंधित प्रक्रियाएं सरल कर दी गई हैं ताकि शीघ्रता से सभी प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा सके। मुक्त व्यापार क्षेत्रों में एककों के लिए पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस सूची पर रखा गया है। जिन समस्याओं और नीतिओं से इन मुक्त व्यापार क्षेत्रों की वृद्धि तथा विकास रुका, उन पर विचार करने के लिए समिति गठित की गई। प्राप्त अन्तरिम प्रतिवेदन पर पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(22) बहुपक्षीय मंचों में प्रयास

विकासशील देशों के लिए अच्छा व्यापार प्राप्त करने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे अंकटाड और गाट में हमारे प्रयास पूरी तरह से चलते रहे।

(23) द्विपक्षीय स्तरों पर प्रयास

द्विपक्षीय स्तर पर पारस्परिक लाभ के लिए दोनों दिशाओं में व्यापार बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी व्यवस्था अधिकारी तथा मंत्री दोनों स्तरों पर बैठकें करके की जा रही है। आयातों और निर्यातों दोनों के लिए देश वार नीति बनाई जा रही है।

वस्त्र निर्यात संबंधी नकद प्रोत्साहनों का बंद किया जाना

*1003. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1979 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित

इस समाचार की ओर गया है कि कमीज, ब्लाउज, लहंगा (स्कर्ट) और पायजामा-पतलून (ट्राउजर) जैसे लोकप्रिय वस्त्रों के सम्बन्ध में नव वर्ष के दिन घोषित नकद प्रोत्साहनों को बन्द कर दिये जाने से कुछ कानूनी समस्याएं पैदा हो गयी हैं क्योंकि अनेक निर्यातकों ने उन प्रोत्साहनों के आधार पर करार किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्णय की घोषणा से पूर्व न तो वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद् से परामर्श किया गया और न ही हथकरघा निर्यात सम्वर्धन परिषद् से ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान 4 जनवरी 1979 के बिजनैस स्टैन्डर्ड में प्रकाशिय समाचार की ओर दिलाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे निर्यातों की प्रतियोगी क्षमता बनाए रखने के लिए चुनी हुई मदों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता देने की नीति घोषित की गई है। नकद सहायता देने का उद्देश्य आयातित या स्वदेश में खरीदे गए अन्तर्निविष्ट साधनों पर अप्रत्यक्ष करों के रूप में निर्यातों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है। नकद प्रतिपूर्ति सहायता नए उत्पादों और नए बाजारों का पता लगाने के लिए दी जाती है। हां निर्यातकों का लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए कोई नकद प्रतिपूर्ति सहायता नहीं दी जाती।

2. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा दी गई जानकारी से यह मालूम हुआ है कि शर्टों, ब्लाउजों, स्कर्टों, ड्रैसों और ट्राउजरों जैसे लोकप्रिय परिधानों कोटों को उपयोग में लाने का रुख काफी सन्तोषजनक था और गतवर्ष के आंकड़ों की तुलना में इन लोकप्रिय किस्मों के संबंध में अनुमानित इकाई मूल्य प्राप्ति काफी अधिक थी। इसको देखते हुए कोटा देशों को इन मदों के आयात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता को जारी रखना 1. 1. 1979 से आवश्यक नहीं समझा गया। तथापि, गैर कोटा देशों को तथा लोकप्रिय किस्मों को छोड़ कर अन्य श्रेणियों के परिधानों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि गैर कोटा देशों को उपर्युक्त लोकप्रिय किस्मों के कोटा एवम् गैर कोटा देशों को लोकप्रिय किस्मों को छोड़ कर अन्य श्रेणियों के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता समाप्त न की जाए।

3. सूती वस्त्रों के संबंध में नकद प्रतिपूर्ति सहायता के जरिए सरकारी सहायता भारतीय सूती मिल संघ की निर्यात संवर्धन निधि में अंश दान करके दी जाती है। संघ सूती वस्त्रों की विभिन्न मदों के लिए नकद सहायता की दरों की घोषणा करता है। सूती हथकरघा वस्तुओं और सूती हथकरघा तैयार चीजों के संबंध में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा घोषणा भी की जाती है। वर्ष 1978-79 के लिए सूती वस्त्रों की विभिन्न मदों के लिए नकद सहायता की दरों की घोषणा करते समय भारतीय सूती मिल संघ ने अपने परिपत्र में स्पष्ट कर दिया था कि निर्यात सहायता उन शर्तों के पूरे करने पर दी जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर निर्धारित की जाए। इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया कि परिपत्र यह समझते हुए जारी किया जा रहा है कि संघ पर किसी प्रकार का कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं डाला जाएगा।

"इनडिफरेन्ट हैंडलिंग ग्राफ कारगो"

*1004. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदरा :**

श्री विजय कुमार एन० पाटिल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अप्रैल 1979 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "ए. ग्राईज़ इनडिफरेन्ट हैंडलिंग ग्राफ कारगो" (सामान उठाने-रखने ग्रादि में लापरवाही) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है; ग्रौर

(ख) इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क (Customs) द्वारा प्रचलित प्रक्रिया में 1-4-79 को प्रयोगात्मक ग्राधार पर ग्रचानक परिवर्तन कर देने के कारण कार्गो को हैंडल करने में कुछ गड़बड़ हुई थी। ग्रब समुचित प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है तथा इस समय इस संबंध में कोई देरियाँ ग्रनुभव नहीं की जा रही हैं।

कृषि उत्पादों के निर्यात के लिये दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत

* 1005. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में हाल में नई दिल्ली में भारत ग्रौर दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) दोनों देशों के बीच सरकारी-स्तर पर हाल में नई दिल्ली में कोई वार्ता नहीं हुई है। कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह ने 24 से 27 ग्रगस्त 1978 तक सियोल की यात्रा की। नई दिल्ली स्थित दक्षिण कोरिया के राजदूत ने भी ग्रक्तूबर, 1978 में नई दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के साथ ग्रनौपचारिक विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों में भारत से दक्षिण कोरिया को कृषिगत मदों के निर्यात की सम्भाव्यताएं शामिल थीं।

गंधक की कमी को दूर करने के लिए कार्यवाही

* 1006. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भी खान तथा धातु व्यापार निगम को गन्धक की सप्लाई बन्द कर दी है;

(ख) ग्रन्य कौन से देशों ने गन्धक की सप्लाई बन्द कर दी है ग्रथवा कम कर दी है; ग्रौर

(ग) इसका गंधक की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ा ग्रौर इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ख) कनाडा, ईरान, पोलैंड, रूस तथा कोरिया के लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य ने संविदात्मक दायित्वों के अनुसार भारत को माल की सप्लाई नहीं की है।

(ग) माल की सप्लाई में गिरावट की स्थिति पर काबू पाने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विभिन्न देशों से गन्धक की मौके पर पर्याप्त खरीद करने की व्यवस्था की है जिनके पोत लदान जून-जूलाई, 1979 तक होने हैं।

रसायन तथा उर्वरक, तकनीकी विकास महानिदेशालय और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधियों से युक्त एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना की गई है। यह समिति एककों के स्टाकों, उत्पादन तथा भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में गन्धक की मात्राएं आबंटित करती है।

सोने के जेवरात बनाने के लिये सोने का आयात

*** 1007. श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिये सोने के जेवरात बनाने हेतु सोने का आयात करने के बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिये सोने के जेवरात के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना को 17 अगस्त, 1978 को अन्तिम रूप दिया गया तथा घोषित किया गया था। यह योजना, जो इस समय चल रही है 1979-80 की आयात नीति के परिशिष्ट 28 में शामिल की गई है और वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 25-आई० टी० सी० (पी० एन०)/79 दिनांक 3 मई, 1979 को प्रकाशित की गई है। इसकी प्रतियां सभा-पटल पर रख दी गई हैं।

(ग) यह एक नई योजना है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। स्वर्ण आभुषणों के विनिर्माण और विपणन की व्यवस्था करने के लिए राज्य व्यापार निगम को भी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन्होंने कई संवर्धनात्मक उपाय आरम्भ किये हैं, जिनमें मई, 1979 के दूसरे सप्ताह में कुवैत में एक प्रदर्शनी आयोजित करना भी शामिल है। आयातक देशों से उत्तर मिलने के बाद उनके आधार पर उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे।

मद्रास हवाई अड्डे के कारण घाटा होना

***1008. श्री पी० त्यागराजन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने के बाद भी यह हवाई अड्डा घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो घाटे से बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। हानि मुख्यतः इस विमानक्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की कमी के कारण है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस हानि को कम करने के लिए स्थान-किरायों (rentals) आदि में वृद्धि करने जैसे उपायों के अलावा, विदेशी आपरेटरों को दिल्ली/बम्बई विमानक्षेत्रों के स्थान पर कलकत्ता/मद्रास विमानक्षेत्रों का प्रयोग करने के लिए कुछ रियायती प्रोत्साहन देकर और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को अपना मार्ग परिवर्तन करके कलकत्ता/मद्रास का रास्ता अपनाने के लिये प्रेरित करने के प्रश्न की जांच कर रहा है। यदि मद्रास विमानक्षेत्र पर यातायात बढ़ जाता है, तो हानि कुछ समय बाद कम/समाप्त हो जायेगी।

दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली एयरबस की मशीन में खराबी होना

* **1009. प्रो० समर गुह :**

श्री गंगा सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली किसी एयरबस में 24 मार्च, 1979 (सुबह की उड़ान में) को मशीन में खराबी पैदा हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या एयरबस को उड़ने की अनुमति देने से पूर्व इसकी पूरी जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो मशीन में खराबी होने के क्या कारण थे;

(ङ) क्या हाल के महीनों में आकाश में उड़ते हुए विमानों में उन्हीं मशीनी खराबियों का पता लगा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने विमानों को उड़ानों से पूर्व उड़ान क्षमता की बारीकी से जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। 24 मार्च 1979 की दिल्ली-कलकत्ता एयरबस उड़ान पर कोई यांत्रिक खराबी नहीं हुई थी। परन्तु 23 मार्च, 1979 की दिल्ली-कलकत्ता एयरबस उड़ान ने "प्रेशराइज़ेशन-यंत्र" के काम करना बंद कर देने के कारण दिल्ली से उड़ान भरने के 55 मिनट बाद वापस दिल्ली में ही एहतियाती अवतरण किया।

(ग) जी, हां। उड़ान भरने की अनुमति देने से पूर्व विमान की जांच की गई थी तथा एक प्रमाणिक रूप से योग्यता-प्राप्त विमान संधारण इंजीनियर ने उसे उड़ान के लिए "फिट" प्रमाणित किया था।

(घ) विमान के दिल्ली विमानक्षेत्र पर अवतरण करने के बाद यह पाया गया कि विमान के उदर भाग (belly portion) में स्थित आगे वाले एयरकंडिशनिंग कंपार्टमेंट का "एक्सेस डोर" (access door) गायब था। घटना की जांच से पता चला कि "एक्सेस पेनल" को संधारण संबंधी कार्य पूरा हो जाने के बाद उचित रूप से फिट करके कसा नहीं गया था और विमान संधारण इंजीनियर तथा उड़ान इंजीनियर को विमान को उड़ान की अनुमति प्रदान करने से पूर्व अपने

निरीक्षण के दौरान इसका पता नहीं लगा था। इसके परिणामस्वरूप "पेनल" उड़ान भरने के पश्चात् किसी समय बाहर निकल आया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सिलवन स्टार इनवैस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामलों की जांच

9601. **श्री प्रद्युम्न बल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिर्जव बैंक आफ इण्डिया के नान-बैंकिंग विभाग ने सिलवन स्टार इनवैस्टमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामलों की जांच की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच में कानून का उल्लंघन किये जाने का पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो कम्पनी के निदेशकों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ; और

(घ) क्या रिर्जव बैंक आफ इण्डिया द्वारा की गयी जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकार उल्लाह) : (क) और (ख) रिर्जव बैंक ने सिलवन स्टार इनवैस्टमैंट कम्पनी (प्रा) लिमिटेड के मामलों का हाल ही में निरीक्षण किया था जिसके दौरान यह पाया गया कि इस कम्पनी ने, जिसका मुख्य कारोबार परम्परागत चिटों का है, चिट फण्ड कारोबार से बाहर और रिर्जव बैंक द्वारा विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों को दिये गये निर्देशों में विहित मात्रा से अधिक राशि, जमा राशि (डिपाज़िट) के रूप में स्वीकार की थी।

(ग) क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कम्पनी के परिसमापन के आदेश दे दिये हैं इसलिए रिर्जव बैंक ने इस कम्पनी के निदेशकों या पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा भैंस खरीदने के लिये ऋण दिया जाना

9602. **श्री छीतु भाई गामित :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बेलोद (सूरत जिला, गुजरात) स्थित शाखा ने आदिवासियों की एक सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्थान को भैंस खरीदने के लिये ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण तथा किस तारीख को मंजूर किया गया तथा उसमें से कितनी राशि उक्त संस्था को किस तारीख को दी गयी ;

(ग) मंजूर की गयी पूरी राशि न देने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ; और

(घ) क्या सरकार बेलोद शाखा के मैनेजर के विरुद्ध उसकी नीति आदिवासी तथा हरिजन

विरोधि पाई जाने पर, कोई कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो उसका स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार अल्लाह) : (क) जी, हां। बैंक ने सीकर दुग्ध उत्पादक सोसाइटी के सदस्यों को व्यक्तिशः ऋण मंजूर किये थे।

(ख) यह योजना सोसाइटी के 34 सदस्यों को, प्रत्येक सदस्य को 2 हजार रुपये की दर से 68 हजार रुपये का ऋण देने के बारे में थी। यह सारी राशि इस बीच निम्नलिखित तारीखों को प्रदान कर दी गयी :—

प्रदान करने की तारीख	दी गयी राशि
25-10-1978	18,000
17-1-1979	44,000
29-1-1979	6,000
	68,000

राशि वितरण में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में देर की गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान पदाधिकारी की तैनाती के बाद से शाखा में ऋण प्रदान करने का कार्य धीमा नहीं हुआ है। वर्तमान पदाधिकारी के 4 महीने के कार्यकाल में 12 लाख रुपये की राशि के ऋण 445 ऋणकर्ताओं को दिये गये हैं, जिन में से 354 आदिवासी हैं।

पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्ज लिमिटेड, बम्बई द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क की अदायगी तथा उनकी ओर बकाया आयकर

9603. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, 6, फोर्बस स्ट्रीट, बम्बई द्वारा गत तीन वर्षों में कितना उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अदा किया गया और उनकी ओर बकाया उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की राशि क्या है ; और

(ख) इसकी स्थापना से अब तक इसमें वर्ष-वार कितनी पूंजी निवेश हुई और इसके साझीदारों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन अन्य उद्योगों तथा व्यवसायों में भी साझीदार हैं और प्रत्येक में कितनी पूंजी निवेशित है तथा उनकी ओर गत तीन वर्षों के सम्बन्ध में कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्ताओं/निर्यातकर्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्ष-वार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गये सीमा शुल्क के सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना

उपलब्ध नहीं है। जहां तक सीमा शुल्क की बकाया का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर इस शुल्क की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

31-12-1978 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की ओर आयकर की बाबत 8,77,000 रु० की रकम बकाया थी।

(ख) मैसर्स पदमजी पल्प पेपर मिल्स लिमिटेड, एक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत है। इसके पंजीकरण की तारीख 19-11-1964 है।

कम्पनी में लगायी गयी रकम जैसा कि इस कम्पनी की चुकता पूंजी से पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार, निम्नलिखित है:—

अवधि	चुकता पूंजी (लाख रुपयों में)
31-12-1965	24.70
31-12-1966	50.00
31-12-1967 से 31-12-74	130.00
31-12-1975 से 31-12-76	180.00

विकेन्द्रीकृत भारतीय उद्योग के माल का अमरीकी बाजारों में निर्बाध प्रवेश

9604. श्री युवराज : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हथकरधा, हस्तशिल्प के सामान का और इसी प्रकार के अन्य विकेन्द्रीकृत उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान का अमरीकी बाजारों में निर्बाध प्रवेश आवश्यक है ताकि लाखों भारतीयों को रोजगार प्राप्त हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो विकेन्दीकृत भारतीय उद्योग के ऐसे सामान के प्रवेश को कब तक निर्बाध बना दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) विकेन्द्रीकृत उद्योगों का सामाजिक व आर्थिक महत्व स्वीकार करते हुए और विशेष रूप से रोजगार के अवसर बनाने के सन्दर्भ में सरकार की यह नीति रही है कि उनकी निर्यात आमदनी का विस्तार व विविधीकरण करने पर बल दिया जाए। संयुक्त राज्य अमरीका व कनाडा के सम्बन्ध में कुछ वस्त्र मदों के सिवाय (जिसमें हथकरघा माल भी शामिल है) भारतीय हथकरधा माल व ऐसे अन्य विकेन्द्रीकृत उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के आयात पर अमरीकी बाजारों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसे माल के मुक्त प्रवेश की आवश्यकता के सम्बन्ध में हम बार-बार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में बल देते रहे हैं।

कम्पनियों, फर्मों और व्यक्तियों पर बकाया उत्पादन शुल्क

9605. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों, फर्मों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर उत्पादन शुल्क का भुगतान न करने के कारण 10 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है ;

(ख) उक्त धनराशि कब से बकाया है और सरकार ने इसकी वसूली के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ;

(ग) 31-12-1978 को कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(घ) उन दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन पर 25 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास और पददलितों के उत्थान के लिए भारतीय सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थान का योगदान

9606. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण विकास और पददलितों और पिछड़े व्यक्तियों के उत्थान के बारे में भारतीय सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थान का क्या सक्रिय योगदान रहा ; और

(ख) इस संस्थान पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) पिछले दो वर्षों में भारतीय सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थान ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जिला स्तर के अधिकारियों के लिए कृषि प्रशासन संबंधी कार्यक्रमों तथा अधिकारियों और विशिष्ट एजेंसियों के लिए ग्रामीण विकास के प्रबंध संबंधी कार्यक्रमों को चलाया है। इसने अपने विकास प्रशासन संबंधी पाठ्यक्रमों में ग्रामीण समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श के लिए काफी समय दिया है। संस्थान ने जन-जाति विकास की ओर भी अपना ध्यान दिया है और जनजाति प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृखलाएं आरम्भ की हैं। ग्रामीण दलितों के सामने आने वाली समस्याओं को प्रकाश में लाने के लिए कुछ अनुसंधान अध्ययनों को शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त हाल ही में संस्थान को भारत के छः जिलों में जिला आयोजन कक्षों की स्थापना करने के लिए एक परामर्श-एवं-अनुसंधान संबंधी कार्य दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ संघटट्न अध्ययन शुरू किए जा रहे हैं और जिला स्तर के अधिकारियों को अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस परियोजना के एक अंश के रूप में ग्रामीण दलितों की सहायता करने के लिए प्रशासकों में जागृति और कार्यकुशलता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया है।

सार्वजनिक प्रशासन में उच्च व्यवसायी कार्यक्रम में, जो कि नौ महीने की अवधि का है, भाग लेने वालों की स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए गावों में दो सप्ताह के लिए रुकना

होगा तथा ग्रामीण लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना होगा। कई एक भाग लेने वालों ने अपनी परियोजना रिपोर्टों के लिए ग्रामीण परिस्थितियों का अध्ययन किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति उप-सचिव और उससे ऊपर के स्तर के होते हैं। चूंकि संस्थान के रजत-जयन्ती समारोहों के एक अंश के रूप में ग्रामीण अध्ययनों के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है; इसलिए इस दिशा में अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न करना अब संभव होगा, जिसके लिए अनुदान की स्वीकृति ले ली गई है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान किया गया वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1974-75	37.17
1975-76	42.07
1976-77	55.93
1977-78	59.64
1978-79	59.91

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की मद्रास में बैठक

9607. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की एक बैठक हाल ही में मद्रास में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पदान शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष तथा कार्यकारी सदस्यों और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अन्य वरिष्ट अधिकारियों तथा दक्षिणी क्षेत्र के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं का एक सम्मेलन, 10 अप्रैल, 1979 को, मद्रास में हुआ था। वित्त राज्य मंत्री (उ०शु० और सीमा शुल्क) की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में, वर्ष 1979 के बजट प्रस्तावों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले अथवा उनसे संबंधित प्रशासनिक तथा कार्यविधिक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित विषयों की समीक्षा भी की गई :—

(I) दक्षिणी क्षेत्र में तस्करी-निवारक उपायों में प्रगति;

(II) दक्षिणी क्षेत्र में (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) अपवंचन-विरोधी प्रयासों में प्रगति;

(III) हवाई यात्रियों के लिए नई असबाब-निकासी-कार्यविधि का कार्यचालन ; और

(IV) जब्तशुदा माल का निपटान।

सम्मेलन में, दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक कार्य के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन में जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी उन पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

वीको लेबोरेटरीज, बम्बई से प्राप्त अभ्यावेदन

9608. श्री आर० के० महालगी : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** 23 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (3क) के अन्तर्गत विज्ञापन प्रचार और बिक्री संवर्धन पर कुल व्यय की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता की कटौती न करने के उपबन्धों से छुट के बारे में वीको लेबोरेटरीज़, बम्बई के सुझाव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) विक्को लेबोरेटरीज़, वम्बई द्वारा भूतपूर्व वित्त मंत्री को भेजे गये 22 मई 1978 के अभ्यावेदन में निहित सुझाव पर सरकार अभी भी विचार कर रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू को गोदाम में रखने की अवधि को पुनः स्थापित करने के बारे में जयसिंह पुर, महाराष्ट्र व्यापारी संघ द्वारा ज्ञापन

9609. श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तम्बाकू को गोदामों में रखने की अवधि को वर्ष 1976 के समान पुनः तीन वर्ष करने के बारे में जयसिंह पुर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र के व्यापारी संघ से दिनांक 13 फरवरी, 1979 को एक अभ्तावेदन प्राप्त हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा में 28 फरवरी, 1979 को धोषित किए गए बजट प्रस्तावों के अनुसार, अनिर्मित तम्बाकू पर 1 मार्च, 1979 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नियंत्रण हटा लिये जाने के कारण उक्त दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

वनस्पति घी तैयार करने में तेलों का प्रयोग

9610. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति घी के निर्माण में कितने प्रतिशत बिनौले के तेल का प्रयोग करने की अनुमति है और कब से है ;

(ख) वनस्पति के निर्माण में बिनौले के तेल के अलावा अन्य किस-किस प्रकार के कितने प्रतिशत तेलों के प्रयोग की अनुमति है ;

(ग) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के वनस्पति निर्माताओं ने मांग की है कि वनस्पति के निर्माण में बिनौले के तेल की अधिक प्रतिशतता का प्रयोग करने की अनुमति दी जाये, और यदि हां तो कब और कितने प्रतिशत के प्रयोग के लिए मांग की गई है ;

(घ) क्या उनकी मांग स्वीकार कर ली गई है और यदि हां तो कब और किस प्रकार से तथा कितने प्रतिशत के प्रयोग के लिए अनुमति दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस मांग को कब तथा किस प्रकार स्वीकार किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ङ) वनस्पति बनाने में बिनौले के तेल का उपयोग विभिन्न प्रतिशतताओं में करने की अनुमति वर्ष 1960 से दी गयी है। इससे पहले यह अनुमति 10 से 30 प्रतिशत के बीच थी।

आल इण्डिया काट्नसीड ब्रदर्स एसोसिएशन, जिसमें दूसरों के साथ-साथ कुछ सदस्य ऐसे भी हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र के वनस्पति उत्पादक हैं, से पहले वनस्पति तैयार करने में बिनौले के तेल के अधिक प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये समय-समय पर अभ्यावेदन मिले हैं। 2 सितम्बर, 1978 से यद्यपि वनस्पति बनाने में 15 प्रतिशत बिनौले के तेल का उपयोग करना अनिवार्य है, तथापि उत्पादक यदि चाहें तो वे 95 प्रतिशत तक बिनौले के तेल का उपयोग कर सकते हैं। 12 दिसम्बर, 1978 के सार्वजनिक आदेश के अनुसार वनस्पति बनाने में तेल मिश्रण का प्रतिशत नीचे दिया जा रहा है :—

वनस्पति तेल का नाम	उपयोग को सीमा (वनस्पति तेल उत्पाद के भार का प्रतिशत)
1. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किए गये आयातित वनस्पति तेल ; अथवा देसी बिनौले का तेल ; अथवा अप्रधान तेल जैसे नाइजर सीड तेल, देसी सोयाबीन का तेल, मकई (मक्का) का तेल, तरबूज का बीज का तेल, देसी सूरजमुखी तेल, महुआ का तेल और करड़ी के बीज का तेल।	80 प्रतिशत
2. बिनौले का तेल अथवा ऊपर मद एक में उल्लिखित अप्रधान तेल।	15 प्रतिशत
3. तरह तेल के रूप में परिष्कृत तिल का तेल	5 प्रतिशम
	100 प्रतिशत

यात्रियों की निकासी के लिये हवाई ग्रड्डों पर हरी चैनल प्रणाली का होना

9611. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों की सुगम निकासी के लिए हवाई ग्रड्डों पर स्थित हरी चैनल प्रणाली का हाल के दिनों में दुरुपयोग किया गया है ग्रौर तस्करों द्वारा खुले बाजार में वस्तुयें पहुंचा दी गई हैं, जिन्होंने विभाग की उदारता का दुरुपयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों का पता चला ; ग्रौर

(ग) ऐसे ग्रपराधियों को क्या विशेष कठोर दण्ड देने का प्रस्ताव है, जो जान बूझकर ग्रौर ग्रपनी इच्छा से सुविधा का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश ग्रग्रवाल) : (क), (ख) ग्रौर (ग) यद्यपि हरी चैनल से गुजरने वाले ऐसे ग्रनेक यात्री पकड़े गये हैं, जो निषिद्ध ग्रथवा शुल्क लगने योग्य माल ले जा रहे थे, परन्तु ग्राने वाले यात्रियों की कुल संख्या को देखते हुए, हरी चैनल वाली सुविधाग्रों का कोई ग्रधिक दुरुपयोग नहीं हुग्रा है। जनवरी से ग्रप्रैल 1979 तक की ग्रवधि के दौरान ऐसे 361 मामले पकड़े गये थे।

तस्करी की जानबूझ कर की गयी कोशिशों के मामलों में, निषिद्ध माल को जब्त करने के ग्रलावा, सम्बन्धित व्यक्तितों पर व्यक्तिगत दण्ड भी लगाये जाते हैं। उपयुक्त मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही भी शुरू की जाती है।

सोवियत संघ की बुनी हुई वस्तुग्रों का निर्यात

9612. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1979 को सोवियत संघ के साथ बनी हुई वस्तुग्रों के निर्यात के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ग्रौर इस करार के ग्रनुसार निर्यात की पिछली मात्रा से 40 प्रतिशत ग्रधिक निर्यात होने लगेगा ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष ग्रौर ग्रागामी वर्ष में कुल कितने रुपये की वस्तुग्रों का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रारिफ बेग) : (क) 1978 के दौरान ऊनी निटवीयर के लिये सोवियत संघ के क्रयादेशों का मूल्य लगभग 21 करोड़ रु० था। मार्च, 1979 में हस्ताक्षर की गयी संविदाग्रों का मूल्य लगभग 31 करोड़ रु० है।

(ख) 1978-79 के दौरान सोवियत संघ को निर्यात किये गये ऊनी निटवीयर्स का मूल्य ग्रस्थायी रूप से 23.20 करोड़ रु० रहा। 1979-80 के दौरान निर्यात में बढ़ौतरी की संभावना है लेकिन वास्तविक रुख का पता केवल बाद में ही लग पायेगा।

नई स्वर्ण-नीति लागू करना

9613. श्री अमरसिंह बी० राठवा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोने का मूल्य कम करने के लिए नई स्वर्ण-नीति लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सोने के मूल्य को सामान्य स्तर पर लाने के लिये जेवरात का निर्यात करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) स्वर्ण-नीति की सभी पहलुओं से समीक्षा करने तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । वर्तमान स्वर्ण-नीति में परिवर्तन, यदि कोई किये जाने होंगे तो वे समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद ही किये जायेंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

उड़ीसा राज्य में खोले गये ग्रामीण बैंक

9614. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में, जिलावार, अब तक कितने ग्रामीण बैंक खोले गये हैं ;

(ख) इन बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कुल कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं और अब तक कितने स्थानों को भरा गया है ;

(ग) ग्रामीण बैंक की जिलावार नई शाखाएं खोलने के बारे में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं ; और

(ङ) इन आरक्षित पदों को उन्हीं लोगों में से भरने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) उड़ीसा में अभी तक निम्नलिखित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं :—

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	व्याप्त जिले
1.	पुरी ग्राम्य बैंक	पुरी
2.	बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	बोलांगीर तथा संबलपुर
3.	कटक ग्राम्य बैंक	कटक
4.	कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	कोरापुट

(ख), (ग), (घ) और (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिये आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देश इन बैंकों को पालन करने के वास्ते भेज दिये गये हैं। की गई भरतियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों की संख्या तथा साथ ही साथ नई शाखायें खोलने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

गुजरात के नगरों में आयकर की वसूली

9615. श्री अहसान जाफरी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन तीन नगरों के नाम क्या हैं जहां से आयकर की सबसे अधिक वसूली होती है और वर्ष 1976-77 से 1978-79 के दौरान आयकर की कितनी वसूली की गई ;

(ख) कितने मामलों में रु० 5000 से अधिक की वसूली बकाया है और पार्टियों के नामों सहित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग) ऐसे कर-निर्धारितियों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें से प्रत्येक की ओर 5,000 रु० से अधिक की कर की रकमें बकाया हैं। उनके नाम और अन्य ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं तथा इस प्रकार की सूचना इकट्ठी करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। तथापि, जिन कर-निर्धारितियों में से प्रत्येक की ओर 31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक की कर की रकमें बकाया हैं उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

बजट के बाद अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

9616. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय बजट के बाद अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के रोच राज्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसका अध्ययन करने का है या नहीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी कीमतों में उसी हिसाब से घटबढ़ होती है जिसके अनुसार देश भर में होती है। इस प्रकार मार्च-अप्रैल 1979 में, फरवरी के महीने के मुकाबले में, चीनी की कीमतों में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य अनिवार्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अर्थात् जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है, जो वृद्धि हुई है वह कम ही रही है।

बिहार के धनबाद जिले में स्टेट बैंक की कार्यरत शाखाएं

9617. श्री ए० के० राय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला धनबाद में स्टेट बैंक की कार्यरत शाखाओं ने 1977-78 और 1978-79 के दौरान कितनी राशि का लेन-देन किया ;

(ख) इसी अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र को कितने ऋण दिये गये और कुल ऋणों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय को उन दुरुह परिस्थितियों तथा जटिल तकनीकियों का पता है जो विशेष रूप से धनबाद में अन्त्योदय योजना के संदर्भ में ग्रामीण ऋण में बैंकिंग व्यवस्था के बड़े पैमाने पर योगदान में रुकावटें पैदा कर रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो उस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) उपलब्ध आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :–

धनबाद जिले में भारतीय स्टेट बैंक की जमा राशियां तथा ऋण

निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार	जमा राशियां	ऋण
दिसम्बर, 1977	175.92	26.64
दिसम्बर, 1978	161.23	44.96

(ख) आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं तथा सदन के पटल पर रख दिये जायेगें ।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि धनबाद जिले में मुख्यत: कोयला की खाने हैं तथा कृषि ऋणों के लिए बहुत सीमित अवसर होते हैं । अलबत्ता, दिसम्बर, 1978 के अंत की स्थिति के अनुसार, इस जिले की तीन शाखाओं की बकाया राशि 4 लाख रुपये थी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा अन्य कारणों के लिए दिये जाने वाले बैंक ऋण के प्रसार में तेजी लाने के लिए, हाल ही में कई उपाय किये गये हैं । आवेदन पत्रों का सरलीकरण किया गया है ; ऋण आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए ऋण स्वीकृत करने की प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में काफी सुधार किया गया है ; बैंकों से कहा गया है कि सघन ग्रामीण विकास के लिए चुने गये ब्लाकों में अपने कृषि ऋण प्रदान करने के कार्य में तेजी लायें ; जिला ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है ; कृषि ऋण कर्त्ताओं को दिये गये बैंक ऋण की लागत को ब्याज की दरों में कटौती करके कम कर दिया गया है ; किसानों को छोटे किसानों की खिड़की (स्माल फारमर्स विन्डो) के माध्यम से, छोटे ऋण देने के लिए बैंकों को विशेष पुनर्वित्त सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं तथा बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी शाखाओं की जमीन का कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ही लगायें ।

धनबाद जिले में, अन्त्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में, भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि ब्लाक अधिकारियों द्वारा लाभ पाने वाले परिवारों के निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिये बैंकों ने अपने नियंत्रण अधिकारियों को भी अनुदेश जारी कर दिये हैं।

खाद्य तेलों का आयात बन्द करने का निर्णय

9618. श्री चमनभाई एच० शुक्ल :

डा० विजय मंडल :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बीच विदेशों से खाद्य तेलों का आयात बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में वनस्पति के मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वनस्पति के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तम्बाकू बोर्ड, राज्य व्यापार निगम और 'नाफेड' द्वारा विर्जीनिया तथा अन्य प्रकार की तम्बाकू की खरीद

9619. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू बोर्ड, राज्य व्यापार निगम तथा नाफेड ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्रत्येक राज्य से विर्जीनिया तथा अन्य प्रकार का तम्बाकू कितनी-कितनी मात्रा में और किस-किस दर पर खरीदा ; और

(ख) गुजरात से विर्जीनिया तथा अन्य प्रकार का तम्बाकू कितनी मात्रा में खरीदे जाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) राज्य व्यापार निगम ने अपने वाणिज्यिक लेखे में 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में क्रमशः 2,960 मे० टन और 3,975 मे० टन वर्जीनिया तम्बाकू खरीदा। राज्य व्यापार निगम ने सरकारी लेखे में भी 1978-79 के दौरान आन्ध्र प्रदेश से लगभग 9,679 मे० टन (1978 तथा 1979 की फसल) वर्जीनिया तम्बाकू खरीदा। राज्य व्यापार निगम ने जिन दरों पर तम्बाकू खरीदा वे अलग-अलग ग्रेडों के लिये अलग-अलग थीं।

राज्य व्यापार निगक द्वारा जिन कीमतों पर तम्बाकू खरीदा गया, वे नीचे दी गई हैं :

वर्ष	खरीद की किस्म	एगमार्क फार्म ग्रेड	कीमत श्रृंखला (रु० प्रति किग्रा०)
1977-78	वाणिज्यिक	एगमार्क	2.81 से 17.49
1978-79	वाणिज्यिक	एगमार्क	2.85 से 18.26
1978-79	सरकारी लेखा	एगमार्क	2.56 से 15.49

1977-78 के दौरान नेफेड ने तम्बाकू की कोई मात्रा नहीं खरीदी। 1978-79 में नेफेड ने सरकारी लेखे में गुजरात से 1,000 रु० प्रति मे० टन की दर से 5047 मे० टन बीड़ी तम्बाकू खरीदा।

1977-78 तथा 1978-79 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की कोई मात्रा नहीं खरीदी।

(ख) राज्य व्यापार निगम से अभी हाल में कहा गया है कि यदि उपजकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई कीमतें लाभकर कीमत स्तर से नीची हों तो वह गुजरात के बाजार में वर्जीनिया तम्बाकू खरीदने के लिये हस्तक्षेप करें।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से स्थानांतरित आशुलिपिकों के पदोन्नति के अवसर

9620. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से स्थानान्तरित आशुलिपिकों के मंत्रालयों में स्थापित विभागीकृत लेखा ढांचे में उनके केडर में पदोन्नति के क्या अवसर हैं ;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के आशुलिपिकों के समान समझा जाता है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आशुलिपिकों को सिविल लेखा महानियंत्रक कार्यालय में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं, जबकि वहां कर्मचारी और अधिकारी लेखा परीक्षा कार्यालय से हैं और वे केवल विभागीकृत लेखा संगठन से व्यवहार कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग से विभागीकृत लेखा कार्यालयों में स्थानांतरित आशुलिपिकों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') नियमावली, 1978 के नियम 5(5)(ख) के अनुसार विनियमित की जाती हैं। तथापि, पदोन्नति के लिए पात्र सभी आशुलिपिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आशुलिपिकों की एक संयुक्त वरीयता सूची रखी जाती है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय के आशुलिपिक जिन संवर्गों में आते हैं, वे केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') नियमावली से संबद्ध आशुलिपिकों के संवर्गों से अलग हैं। चूंकि दोनों प्रकार के आशुलिपिकों के सेवा-नियम एक-दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग से लेखा कार्यालयों में स्थानांतरित आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का सदस्य नहीं माना जा सकता है। तथापि, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'ग') नियमावली

के अंतर्गत ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में विभागीकृत लेखा कार्यालयों में भर्ती किए जाने वाले आशुलिपिक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल होंगे।

(ग) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के आशुलिपिकों के सभी पद व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक संवर्ग में शामिल हैं और इसलिए उन पदों को वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किए गए व्यक्तियों से ही भरा जाता है।

राज्य व्यापार निगम के प्रचार कार्यों पर खर्च

9621. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :

श्री एम० ए० हनान अलहाज :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम के प्रचार कार्यों पर वर्षवार हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त विज्ञापनों के लिये राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, भाषावार तथा राज्यवार किन-किन दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का उपयोग किया ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रचार नीति महानगरों में ही प्रचार के दृष्टिकोण की पोषक है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर किये गये व्यय को, जिसमें प्रदर्शनियों और मेलों पर हुए व्यय शामिल हैं, दर्शाने वाला विवरण निम्नोक्त प्रकार है :

	लाख रु० में
1976–77	18.84
1977–78	20.43
1978–79	24.07

उपरोक्त आंकड़ों में वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य विवरणिकाएं, मद सूचियां छपवाने और समाचारपत्रों में विज्ञापन देने पर हुए खर्च भी शामिल हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा विज्ञापन के लिये प्रयोग में लाये गये समाचारपत्रों के नाम ये हैं :

क्रमांक	समाचारपत्र	भाषा	केन्द्र
1	2	3	4
		1976-77	
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स	अंग्रेजी	दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इंडिया	अंग्रेजी	दिल्ली । बम्बई । अहमदाबाद ।

1	2	3	4
3.	हिन्दू	अंग्रेज़ी	मद्रास
4.	अमृत बाजार पत्रिका	अंग्रेज़ी	कलकत्ता । इलाहाबाद ।
5.	एकनामिक टाइम्स	अंग्रेजी	दिल्ली । बम्बई
6.	नेशनल हेरल्ड	अंग्रेज़ी	दिल्ली । लखनऊ
7.	दकन हेरल्ड	अंग्रेज़ी	बंगलौर
8.	दकन क्रोनिकल	अंग्रेज़ी	सिकन्दराबाद
9.	नवभारत टाइम्स	हिन्दी	दिल्ली
10.	मलयालम मनोरमा	मलयाली	कालीकट । कोट्टायम
11.	युगान्तर	बंगाली	कलकत्ता
12.	अलजामियत	उर्दू	दिल्ली
13.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	दिल्ली
14.	पैट्रियोट	अंग्रेज़ी	दिल्ली
15.	दैनिक विश्वामित्र	हिन्दी	कलकत्ता
16.	असम ट्रिब्यून	अंग्रेज़ी	गोहाटी
17.	इम्पलायमेंट न्यूज	अंग्रेज़ी	दिल्ली
18.	बिजनेस स्टेंडर्ड	अंग्रेज़ी	कलकत्ता
19.	खिदमत	उर्दू	श्रीनगर
20.	हिमाचल टाइम्स	अंग्रेज़ी	देहरादून
21.	रोजगार समाचार	हिन्दी	दिल्ली
		1977-78	
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स	अंग्रेज़ी	दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इंडिया	अंग्रेज़ी	दिल्ली । बम्बई । अहमदाबाद
3.	हिन्दू	अंग्रेज़ी	मद्रास
4.	स्टेट्समैन	अंग्रेज़ी	दिल्ली । कलकत्ता
5.	अमृत बाजार पत्रिका	अंग्रेज़ी	कलकत्ता । इलाहाबाद
6.	इम्पलायमेंट न्यूज	अंग्रेज़ी	दिल्ली
7.	एकनामिक टाइम्स	अंग्रेज़ी	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ।

1	2	3	4
8.	इंडियन एक्सप्रैस	अंग्रेज़ी	दिल्ली, बम्बई, मद्रास, मदुरै, विजयवाड़ा, बंगलौर, कोचीन, हैदराबाद ।
9.	फाइनेंसियल एक्सप्रैस	अंग्रेज़ी	दिल्ली, बम्बई ।
10.	बिजनैस स्टेंडर्ड	अंग्रेज़ी	कलकत्ता
11.	दकन क्रोनिकल	अंग्रेज़ी	सिकन्दराबाद
12.	अलजामियत	उर्दू	दिल्ली
13.	पैट्रियोट	अंग्रेज़ी	दिल्ली
14.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	दिल्ली
15.	ट्रिब्यून	अंग्रेज़ी	चण्डीगढ़
16.	दैनिक विश्वामित्र	हिन्दी	कलकत्ता
17.	युगान्तर	बंगाली	कलकत्ता
18.	आनन्द बाजार पत्रिका	बंगाली	कलकत्ता
19.	असम ट्रिब्यून	अंग्रेज़ी	गोहाटी
20.	आन्ध्र ज्योति	तेलगु	विजयवाड़ा
21.	मलयालमम नोरमा	मलयालम	कोट्टायम । कोजिकोड
22.	एकनादु	तेलगु	विशाखापत्तनम
23.	मलायी हुरासू	तमिल	वेलौर, तिरूची
24.	डेली जागरण	हिन्दी	भोपाल
25.	फ्री प्रैस जर्नल	अंग्रेज़ी	बम्बई
	1978-79		
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स	अंग्रेज़ी	दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इंडिया	अंग्रेज़ी	दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद ।
3.	हिन्दू	अंग्रेज़ी	मद्रास
4.	स्टेट्समैन	अंग्रेज़ी	दिल्ली, कलकत्ता
5.	अमृत बाजार पत्रिका	अंग्रेज़ी	कलकत्ता, हैदराबाद
6.	इम्पलायमेंट न्यूज	अंग्रेज़ी	दिल्ली
7.	एकनामिक टाइम्स	अंग्रेज़ी	दिल्ली, बम्बई

1	2	3	4
8.	इंडियन एक्सप्रैस	अंग्रेजी	दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, विजयवाड़ा, बंगलौर, कोचीन, हैदराबाद ।
9.	फाइनेंसियल एक्सप्रैस	अंग्रेजी	दिल्ली, बम्बई ।
10.	बिजनैस स्टेंडर्ड	अंग्रेजी	कलकत्ता
11.	दकन क्रोनिकल	अंग्रेजी	सिकन्दराबाद ।
12.	अलजामियत	उर्दू	दिल्ली
13.	पैट्रियोट	अंग्रेजी	दिल्ली
14.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	दिल्ली
15.	ट्रिब्यून	अंग्रेजी	चण्डीगढ़
16.	दैनिक विश्वामित्र	हिन्दी	कलकत्ता
17.	युगान्तर	बंगाली	कलकत्ता
18.	आनन्द बाजार पत्रिका	बंगाली	कलकत्ता
19.	असम ट्रिब्यून	अंग्रेजी	गोहाटी
20.	मलयालम मनोरमा	मलयालम	कोट्टायम
21.	आन्ध्र ज्योति	तेलगु	विजयवाड़ा
22.	एकनादु	तेलगु	विशाखापत्तनम
23.	डेली जागरण	हिन्दी	भोपाल
24.	फ्री प्रैस जर्नल	अंग्रेजी	बम्बई
25.	हिन्दी समाचार	उर्दू	जालन्धर
26.	दीनामणि	तमिल	मद्रास
27.	मथुरूभूरी	मलयालम	कोचीन
28.	जागरण	हिन्दी	कानपुर
29.	आन्ध्र प्रभा	तेलगु	बंगलौर
30.	प्रजावाणी	कन्नड	बंगलौर
31.	सन्देश	गुजराती	अहमदाबाद

1	2	3	4
32.	दैनिक असम	असमी	गोहाटी
33.	बम्बई समाचार	गुजराती	बम्बई
34.	डेली जागरण	हिन्दी	भोपाल, रेवा तथा झांसी।
35.	लोकसत्ता	मराठी	बम्बई
36.	दि मेल	अंग्रेज़ी	मद्रास

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। राज्य व्यासार निगम की व्यापार नीति मुख्यत: आवश्यकता पर आधारित है और निगम की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे ढाला जाता है। ये विज्ञापन ऐसे लोगों के लिये होते हैं जिनकी उनमें रुचि हो सकती है और इन विज्ञापनों को यह बात देखकर रिलीज किया जाता है कि इस प्रकार के लोग कहां मिलेंगे। जहां कहीं आवश्यक होता है विज्ञापन ऐसे अखबारों/प्रकाशनों में दिये जाते हैं जो मैट्रोपोलिटन शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों से प्रकाशित किये जाते हैं।

काफी के निर्यात में वृद्धि करना

9622. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल के महीनों में विश्व के बाजारों में काफी के मूल्य में कमी आने का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में देश से इसके निर्यात में कमी आना अवश्यंभावी है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य में कमी आने के कारण क्या हैं और निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां। विगत वर्ष की तुलना में काफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है। तथापि मार्च और अप्रैल, 1979 के दौरान कीमतों में मामूली सा सुधार हुआ है।

(ख) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट से भारत से होने वाले काफी के निर्यातों की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। 1977-78 के दौरान 230.46 करोड़ रुपये मूल्य की 55,827 मे० टन काफी निर्यात की गई जबकि 1978-79 के दौरान 150.00 करोड़ रु० मूल्य की 62,740 मे० टन काफी निर्यात की गई थी (अनन्तिम)। इस प्रकार निर्यातों की मात्रा बढ़ गई जबकि मूल्य में गिरावट आई।

(ग) विश्व का निर्यात योग्य विकसित उत्पादन कीमतों में गिरावट के लिये काफी हद तक उत्तरदायी प्रतीत होता है । अन्तर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन जिसका भारत एक सदस्य है, कीमतों को स्थिर करने के मामले से अवगत है ।

सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में आसाम द्वारा व्यक्त निराशा

9623. **श्री अहमद हुसैन :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसाम विधान सभा ने इस आशय का एक संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया है कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य की न्यूनतम आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही हैं और सभा ने इस संबंध में अपनी गहरी निराशा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार कम से कम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य के विकास के लिए अधिक राशि प्रदान करने का है; यदि हां, तो कैसे; और

(ग) राज्य सरकार से इस संबंध में यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सातवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन में, जो 24 नवम्बर, 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया, यह बताया गया कि आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, सरकार ने, संसाधनों के पारस्परिक वितरण पर ध्यान दिया है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्य, अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के मुकाबले में, अन्य राज्यों की तरह उतनी अनुकूल स्थिति में न रखे गए हों,—यह देखने के लिए कि अपेक्षाकृत कमजोर वित्तीय संसाधन आधार वाले राज्यों को, संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का यथोचित रूप से कार्यान्वयन करने के योग्य बनाया जा सके, योजना आयोग की सलाह से रीतियां तैयार की जाएंगी । राज्य की पंचवर्षीय योजना 1978-83 के संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्तावों पर हाल ही में असम के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच हुई बैठक में विचार-विमर्श हुआ, और यह सहमति हुई कि संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सहित, राज्य की पंचवर्षीय योजना 1978-79 का आकार ऐसे स्तर पर नियत किया जाए, जो पंचवर्षीय योजना 1974-78 के लिए निर्धारित किए गए परिव्यय की तुलना में, अत्यधिक विस्तार का चित्र प्रस्तुत कर सके । असम 8 विशेष श्रेणियों के राज्यों में से एक राज्य है, जिसके लिए गाडगिल फार्मूले के अधीन, राज्यों को अपने अनुमोदित आयोजनागत परिव्ययों का वित्तपोषण करने के लिए कुल केन्द्रीय सहायता में से, एक-मुश्त राशि का पूर्वाधिकार दिया गया है ।

देश में वर्जीनिया तम्बाकू की खपत तथा उसका निर्यात

9624. श्री के० एल० महाला : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत से कितनी मात्रा में वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ख) निर्यातक कौन थे और पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक ने कितनी मात्रा में निर्यात किया; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत में वर्जीनिया तम्बाकू की कितनी मात्रा में खपत हुई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1973-74 से 1977-78 के दौरान भारत से वर्जीनिया फ्लूक्योर्ड तम्बाकू के निर्यात नीचे दिये जाते हैं :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1973-74	70,887	65.57
1974-75	68,051	76.77
1975-76	64,502	86.21
1976-77	67,114	87.56
1977-78 (अनन्तिम)	64,794	104.28

(ख) तम्बाकू बोर्ड के पास पंजीकृत अनिर्मित तम्बाकू के निर्यातकों के नाम जिन्होंने 1974-75 से 1977-78 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 1,000 मे० टन से अधिक के निर्यात किये थे और इन वर्षों में उनके निर्यातकों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) 1973-74 से 1977-78 के दौरान भारत में वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड तम्बाकू की अनुमानित खपत नीचे दी जाती है :

वर्ष	मात्रा(हजार मे० टन)
1973-74	48.02
1974-75	37.46
1975-76	42.79
1976-77	45.47
1977-78	43.84

विवरण

तम्बाकू बोर्ड के पास पंजीकृत उन अनिर्मित तम्बाकू के निर्यातकों का विवरण जिन्होंने 1974-75 से 1977-78 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 1,000 मे० टन से अधिक निर्यात किये थे और इन वर्षों के दौरान उनके निर्यात ।

मात्रा : मे० टन में

मूल्य लाख रु० में

निर्यातक का नाम	1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. पोलिसेट्टी सोमासुन्दरम, गुंटूर ।	4,374	495.30	1,699	268.72	1,349	280.26	उ० न०	उ० न०
2. आई० टी० पी० लि०, गुंटूर ।	17,458	2393.47	16,556	2485.69	17,174	2577.15	16,272	2854.78
3. माद्दी लक्षमय्या एंड कं० चिलकालूरीपेट	3,504	295.88	4,565	414.80	3,282	401.70	4,600	583.13
4. ईस्ट इंडिया टोबैको कं० गुंटूर ।	3,225	477.58	2,208	339.30	1,984	382.66	उ० न०	उ० न०
5. एग्रिमकोर (प्रा०) लि०, गुंटूर ।	3,675	531.22	3,012	447.58	3,196	531.28	2,187	387.04

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. सिलेमान खां एण्ड मेहबूब खां, टोबैको (प्रा०) लि०, गुंटूर	2,264	336.17	3,104	468.68	2,700	440.88	2,276	442.00
7. माद्दी वेंकटरामन एण्ड कं०, चिलकालूरीपेट।	3,120	474.80	3,132	488.45	2,850	499.91	उ० न०	उ० न०
8. बोमिडाला ब्रदर्स लि०, गुंटूर।	4,064	394.84	2,373	305.89	2,358	318.42	उ० न०	उ० न०
9. जनरल ट्रेडिंग कं०, गुंटूर।	3,667	430.78	1,302	202.70	1,500	237.32	उ० न०	उ० न०
10. नेशनल टोबैको कं०, गुंटूर।	1,683	238.10	1,988	341.00	2,078	344.81	उ० न०	405.34
11. नवभारत इन्टरप्राइजेज (प्रा०) लि०, गुंटूर।	7,814	991.64	6,782	993.28	6,856	1154.09	3,286	564.32
12. गुजरात टोबैको ट्रेडिंग कं०, बम्बई।	1,379	105.41	2,162	155.95	1,625	99.77	2,022	108.62
13. वी० रामनलाल, बम्बई।	उ० न०	उ० न०	उ० न०	80.00	1,217	65.86	1,847	75.98

उ० न० = उपलब्ध नहीं।

सांगली कोआपरेटिव शुगर मिल्स, महाराष्ट्र के गोदामों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा छापे

9625. **श्री गंगा धर अप्पा बुरांडे :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने सांगली कोआपरेटिव शुगर मिल्स, महाराष्ट्र के गोदामों पर 27 फरवरी 1979 की आधी रात को छापा मारा था ; और

(ख) यदि हां, तो छापे में क्या-क्या वस्तुएं बरामद हुईं और इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने, 27/28 फरवरी 1979 के लगभग आधी रात के समय, मैसर्स सांगली कोआपरेटिव शुगर मिल्स, महाराष्ट्र के गोदाम पर कोई छापा नहीं मारा था। लेकिन 300 क्विंटल चीनी के 300 बोरे, जिन्हें 28 फरवरीं 1979 की रात को लगभग 1.30 बजे, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून का उल्लंघन करते हुए, कारखाने के परिसर से निकाला जा रहा था, पकड़े गये थे। जिन तीन ट्रकों में यह चीनी ले जायी जा रही थी, उन्हें भी पकड़ लिया गया था। पकड़ी गई चीनी और ट्रकों को अनन्तिम रूप से छोड़ दिया गया है। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

मैसर्स फाइजर द्वारा सांविधिक अधिनियम के अन्तर्गत 'फेरा' (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के लिए आवेदन

9626. **श्री किशोर लाल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाइजर द्वारा 'फेरा' के अन्तर्गत आवेदन कब दिया गया था और उसका ब्यौरा क्या है और सांविधिक अधिनियम की शर्तों को क्रियान्वित न करने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सांविधिक अधिनियम के अन्तर्गत एक आवेदन को किसी प्रशासनिक आदेश के कारण, जिसके लिए सांविधिक अधिनियम का समर्थन नहीं है निर्णय हेतु विलम्बित रखा जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) 1960 में तदर्थ आधार पर एक निर्णय किया गया था कि मैसर्स फाइजर लिमिटेड, बम्बई को जून 1970 तक 40 प्रतिशत तक भारतीय पूंजी शामिल कर लेनी चाहिए। बाद में समय सीमा को बढ़ा दिया गया। जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का सम्बन्ध है, मैसर्स फाइजर लिमिटेड ने निर्धारित सांविधिक अवधि के अन्दर ही 28 जून 1974 को अपना आवेदन-पत्र दिया था। इस आवेदन-पत्र को सरकार के द्वारा नई औषधि सम्बन्धी नीति की घोषणा किए जाने तक विचाराधीन रखा गया है। नई औषधि नीति की शर्तों के अनुसार, चूंकि यह कम्पनी थोक औषधियों तथा नुस्खे (फार्मूलेशन) दोनों तैयार करने वाली 24 कम्पनियों में से है, इसलिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य विदेशी सामान्य पूंजी (इक्विटी) के स्तर का

निश्चय अन्य बातों के साथ-साथ उच्च तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भी किया जाएगा।

2. कम्पनी में विदेशी शेयरधारिता के लिए अनुमत्य स्तर का निर्धारण 1960 में लागू किये उपर्युक्त दायित्व और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा पूरा किए जाने वाले दायित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यदि कम्पनी को, उसे प्राप्त किसी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार 1972 की शेयरधारिता को कम करने के फार्मूले के अन्तर्गत कोई दायित्व पूरा करना है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा।

3. इस प्रकार किसी कार्यकारी आदेश के कारण विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा पूरा किये जाने वाले किसी भी सांविधिक दायित्व को रोक कर नहीं रखा गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने में रोकी गई विदेशी कम्पनियां

9627. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने की इच्छुक कुछ विदेशी कम्पनियों को ऐसा करने में रोका जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी इक्विटी कम किये जाने के विरुद्ध भारतीय सैक्टर से अभ्यावेदन दिया है ;

(ग) कितनी विदेशी औषध कम्पनियों ने अपनी इक्विटी पूंजी कम करने की पेशकश की है और उसका स्वरूप क्या है तथा उन कम्पनियों के नाम तथा पेशकश की तारीख क्या है ;

(ग) सरकार ने उन की पेशकश पर यदि कोई निर्णय लिया है तो वह क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग), (घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन 31 औषधि कम्पनियों के नाम दिये गए हैं जिनके मामलों का निर्णय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत नई औषधि नीति के अनुसार किया जाना है। इनमें 7 कम्पनियां विशुद्ध रूप से फार्म्यूलेटर हैं और उन्हें पहले ही अपने अनिवासी शेयरों को जुलाई 1979 तक 40 प्रतिशत तक कम करने के आदेश दे दिए गए हैं। शेष 24 कम्पनियां जो थोक में औषधियां और फार्मूलेशन दोनों तैयार करती हैं, उनके अनिवासी शेयरों के अनुमत स्तर का निर्धारण और बातों के साथ-साथ उच्च प्रौद्योगिकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

I. विशुद्ध फार्मूलेटर

1.	ऐंग्लो-फ्रेंच ड्रग कम्पनी (ईस्ट्रन) लि०, बम्बई	
2.	एब्बौट लेब्स (इं) प्रा० लि०, बम्बई	भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश जारी किए हैं कि विदेशी सामान्य पूंजी (इक्विटी) को जुलाई 1979 तक 40 प्रतिशत कम दिया जाए ।
3.	कार्टर वैलेस ऐण्ड कं० लि०, बम्वई	
4.	सा० ई० फुल्फोर्ड (इं) प्रा० लि०, बम्बई	
5.	इण्डियन शेरिंग लि०, बम्बई	
6.	निकोलस ग्राफ इं० लि०	
7.	स्मिथ, विलन ऐण्ड फ्रेंच (इं) लि०	

II. थोक ग्रौषधि निर्माता ग्रौर फार्मूलेटर कम्पनियां

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नई ग्रौषध नीति के ग्रनुसार कम्पनी द्वारा दी गई ग्रतिरिक्त सूचना की तारीख
1.	बेयर इं० लि०	12-9-1978
2.	बरोज वैलकम ऐण्ड कं० लि० बम्बई	28-8-1978
3.	सीबा गेगी ग्राफ इं लि० बम्बई	22-8-1978
4.	बूरस कं० (इं) लि० बम्बई	24-8-1978
5.	साइनामिड इं० प्रा० लि० बम्बई	12-9-1978
6.	ई० मर्क इंडिया प्रा० लि० बम्बई	25-9-1978
7.	ग्लैक्सो लैप्स इं० लि० बम्बई	22-9-1978
8.	जियोफ मैनर्स ऐण्ड कं० लि० बम्बई	27-9-1978
9.	जानसन ऐण्ड जानसन लि०	3-11-1978
10.	होचेस्ट फरमास्यूटिकल्स लि०	6-11-1978
11.	मे० ऐण्ड बेकर, एसेक्स ऐण्ड मे० ऐण्ड बेकर इं० प्रा० लि०	25-8-1978
12.	मर्क शार्प ऐण्ड धूर्म (इं) लि०	12-9-1978
13.	ग्रौर्गेनन इं० लि०	17-11-1978
14.	पार्क डेविस (इं) लि०	29-9-1978
15.	फाइजर लि० बम्बई	16-10-1978
16.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	30-8-1978
17.	रौश प्रोडक्ट्स लि० बम्बई	29-9-1978
18.	सुहरिड गेगी लि० ग्रहमदाबाद	30-8-1978
19.	सेंडोज इं० लि० बम्बई	6-10-1978
20.	ऊनी साक्यो लि० हैदराबाद	3-8-1978
21.	वार्नर हिन्दुस्तान लि० बम्बई	8-9-1978
22.	वैयथ लैब्स लि० बम्बई	
23.	वोयथ (इं) प्रा० लि० बम्बई	31-7-1978
24.	जाह्न वेयथ ऐण्ड ब्रदर्स लि० बम्बई	

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नौकरी में स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना

9628. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयकृत/गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की नौकरी में स्थानीय और गामीण लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ;

(ख) गत दो वर्षों में हरियाणा में वर्तमान राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त स्थानीय तथा ग्रामीण लोगों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए इन बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किऐ हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) स्थानीय लोगों को बैंकों में नौकरी देने की ओर उचित ध्यान देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने बैंकों में रोजगार के लिए स्थानीय और ग्रामीण व्यक्तियों को तरजीह देने के बारे में किसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किये हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के प्रतिशत विषयक सूचना रखी नहीं जाती।

(ख) और (ङ) बैंकों को आदेश जारी किए गए हैं कि अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती रोजगार कार्यालयों के मार्फत करें। इसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती आम-तौर से स्थानीय आधार पर की जाती है। जहां तक लिपिकों और अधिकारियों की भरती का प्रश्न है, वह प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से तथा क्षेत्रीय और अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

संयुक्त मुख्य आयात नियंत्रक (सेन्ट्रल लाइसेंसिंग एरियाज) में रविवार तथा छुट्टियों के दिन कार्यालय में आने को बाध्य किये गये कर्मचारी

9630. श्री अनन्त राम जायस्वाल : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त मुख्य आयात नियंत्रक (सेन्ट्रल लाइसेंसिंग एरियाज) के कर्मचारियों को बिना कोई समयोपरि भत्ता देकर रविवार तथा छुट्टियों के दिन कार्यालय आने को बाध्य किया जाता है;

(ख) क्या कुछ छुट्टियों के दिन कार्यालय में न आने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश कर्मचारियों को स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये थे;

(ग) क्या कर्मचारियों को परिपत्रों के माध्यम से यह कहकर बार-बार देर तक कार्यालय में बिठाया जाता है कि मंत्री महोदय दौरा कर रहे हैं जबकि मंत्री महोदय ने अब तक कभी दौरा नहीं किया है;

(घ) क्या कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति सेवानिवृत्त किये गये हैं और उनके विरुद्ध कैसे आरोप लगाये गये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) काम की आवश्यकता के कारण कभी-कभी कुछ कर्मचारियों को छुट्टियों वाले दिन जिनमें रविवार के दिन भी शामिल हैं कार्यालय आने के लिये कहा गया। चूंकि किफायत के कारण किसी समयोपरि-भत्ते के दिये जाने की अनुमति नहीं है अतः प्रतिपूरक छुट्टी दी जाती है और जब कभी प्रतिपूरक छुट्टी मांगी जाती है उसकी अनुमति दी जाती है।

(ख) आयात व निर्यात व्यापार संगठन के कार्य के विकेन्द्रीकरण और पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कई नए कार्यालय खोले गये और कुछ कार्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया। सरकार के निर्णय को अमल में लाने के लिये आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) सहित वर्तमान कार्यालयों के कुछ पदों को नये बनाये गये कार्यालयों और अपग्रेड किये गये कार्यालयों में स्थानान्तरित करना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय (सी० एल० ए०) से 75 पद स्थानान्तरित किये गये और जितने व्यक्तियों का तबादला किया गया उनकी संख्या 55 है। तबादला किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों से परामर्श करके एक मानदण्ड तय किया गया। जो व्यक्ति वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ थे उन्हीं का मुख्य रूप से तबादला किया गया। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों का तबादला करना पड़ा और ऐसे व्यक्तियों की संख्या 12 है। यह सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश कर्मचारियों का ही इस कारण तबादला किया गया क्योंकि वे कुछ छुट्टियों वाले दिन कार्यालय नहीं आये थे।

(ग) यह सही नहीं है कि कर्मचारियों को ऐसे परिपत्र निकाल कर बार-बार देर तक बैठाया गया कि वाणिज्य मंत्री कार्यालय का निरीक्षण करेंगे।

(घ) गत दो वर्षों में कुछ अधिकारियों ने किसी अराजपत्रित कर्मचारी की कोई अनिवार्य सेवा निवृत्ति नहीं की है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई मर्केन्टाइल बैंक से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा जमा-राशियों का निकाला जाना

9631. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई मर्केन्टाइल बैंक मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी सदस्यों के इस प्रचार से बुरी तरह विचलित हो गया है जिसमें इस समुदाय के सदस्यों से कहा जा रहा है कि वे इस बैंक से अपनी जमाराशियां निकाल लें;

(ख) बैंक के दो डायरेक्टरों ने हाल ही में त्यागपत्र दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जनवरी और फरवरी 1979 के दौरान बम्बई मर्कन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड से जमाराशियों की सामान्य से अधिक निकासी हुई थी । इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण, बैंक अपने सभी वित्तीय वायदे पूरे कर सका । यद्यपि आसामान्य निकासी के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, किन्तु यह समझा जाता है कि स्वार्थी तत्वों द्वारा विद्वेषात्मक प्रचार भी एक कारण हो सकता है । अलबत्ता स्थिति में अब स्थायित्व आ गया है और जमाराशियों में जनवरी तथा फरवरी 1979 में जो गिरावट की प्रवृति दिखाई दी थी, मार्च 1979 में उसमें सुधार हो गया है ।

(ख) और (ग) जी, हां । बैंक के दो निदेशकों ने जनवरी के पहले सप्ताह में बिना कोई कारण बताये हुए, अपना त्याग-पत्र दे दिया था ।

वनस्पति में मूंगफली के तेल का उपयोग

9632. **श्री राम लाल राही** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंगफली उत्पादकों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य का सुनिश्चय करने हेतु क्या सरकार के पास वनस्पति में मूंगफली के तेल के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबन्ध को उठाने का कोई प्रस्ताव है और क्या तत्संबंधी तथ्य सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर भारत में विशेषतया उत्तर प्रदेश के सीतापुर, शाहजहांपुर, जिलों में मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट अच्छे किस्म के बीजों की कमी तथा इसके तेल की कम खपत के कारण आई है और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्य तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सरकार को वनस्पति में मूंगफली के तेल का उपयोग करने पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध को हटाने के लिए प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं समझती है । वनस्पति बनाने के लिए अनुमत तेलों के चयन के पीछे उद्देश्य यह है कि जहां तक व्यवहारिक तथा संभव हो ऐसे तेलों के उपयोग को रोकना है जिनकी सीधी खपत के लिए जनता में मांग है ।

(ख) मूंगफली वर्षा पर निर्भर करने वाली फसल है और यदि वर्षा पर्याप्त अथवा समय से नहीं होती है तो इसकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । यदि हर प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में मूंगफली की कम फसल होने का प्रमुख कारण यही रहा है । वर्ष 1978-79 के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आई बाढ़ से भी उक्त राज्य में मूंगफली के उत्पादन में कमी हुई है । सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है । इन उपायों में ये शामिल हैं—पर्याप्त समर्थन मूल्य नियत करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना, बेहतर किस्म के बीजों तथा उचित किस्म के उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना और साथ ही ह्वाइट ग्रब (इस फसल के लिए एक खतरनाक कीड़ा) पर नियंत्रण करना ।

कनाडा द्वारा भारत को गंधक की सप्लाई बन्द किया जाना

9633. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारत को गंधक सप्लाई करना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारत कनाडा के गंधक उत्पादकों के एक सार्थसंघ से गंधक का आयात करता है। सभी चालू बिक्री संविदाओं पर अनिवार्य बाध्यता घोषित कर दिये जाने से एक प्रमुख सप्लाइकर्ता संयंत्र से निर्यात हेतु निर्मित गंधक की सप्लाई थोड़ी सी अवधि के लिए बन्द कर दी गई थी। इस बीच, यह अनिवार्य बाध्यता हटा दी गई है।

(ग) सप्लाई में गिरावट की स्थिति पर काबू पाने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विभिन्न देशों से मौके पर गंधक की पर्याप्त खरीद की व्यवस्था की है, जिनके पोत लदान जून-जुलाई, 1979 तक होने हैं।

रसायन तथा उर्वरक, तकनीकी विकास महानिदेशालय और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधियों से युक्त एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना की गई है। यह समिति, एककों के पास उनके स्टाकों, उत्पादन तथा भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें गन्धक की मात्राएं आबंटित करती है।

इण्डोनेशिया को ऋण

9635. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डोनेसिया को 50 करोड़ रुपए का ऋण देने का वायदा किया गया था और इस राशि का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त ऋण किन परिस्थितियों में दिया गया और जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, इसके क्या राजनैतिक अभिप्राय थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) जुलाई 1976 में तत्कालीन राजस्व और बैंकिंग मंत्री ने इण्डोनेशिया का दौरा किया था। इण्डोनेशिया की सरकार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने वहां की सरकार को बताया था कि भारत से इण्डोनेशिया को किए जाने वाले निर्यात के वित्तपोषण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा वाणिज्यिक शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराये जा सकते हैं। यह परिकल्पना की गई थी कि इण्डोनेशिया में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भारतीय पूंजीगत वस्तुओं और उपस्करों के निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए 50 करोड़ रुपए की एक ऋण-श्रृंखला के संबंध में विचार किया जा सकता है।

अक्तूबर 1976 में इण्डोनेशिया के एक प्रतिनिधिमण्डल ने उन परियोजनाओं का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था जिनके लिए ऋण शृंखला का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिनिधिमण्डल को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले वाणिज्यिक ऋणों की सामान्य शर्तें बताई गई थीं। उसके बाद इण्डोनेशिया की सरकार से कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक वाणिज्यिक संगठन है और इसके द्वारा किए जाने वाले ऋण में कोई राजनैतिक अभिप्राय नहीं है।

स्विस बैंकों में रखे जा रहे गुप्त संख्या वाले खाते

9636. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनीतिज्ञों और व्यापारियों सहित भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों द्वारा स्विस बैंकों में रखे जाने वाले गुप्त 'संख्या' के खातों के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन गुप्त बैंक-खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की जांच करते समय, स्विस बैंकों में गुप्त "नम्बर वाले" खातों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिनके बारे में सन्देह है कि ये भारतीयों द्वारा खोले गये हैं।

(ख) इस प्रकार के खातों का विवरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने की दृष्टि से, एक विस्तृत दोहरा कराधान निवारण करार, जिसमें "सूचना के आदान-प्रदान" से सम्बन्धित एक अनुच्छेद हो, निष्पादित करने के प्रयोजनों से स्विस सरकार के अधिकारियों के साथ 28 जून 2 जुलाई, 1976 तक बातचीत की गई। स्विस सरकार "सूचना के आदान-प्रदान" संबंधी किसी विशिष्ट अनुच्छेद की व्यवस्था करने पर सहमत नहीं हुई।

विकसित और विकासशील देशों के बीच कर संबंधी समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ समूह में चर्चा के दौरान, भारतीय विशेषज्ञ यह दलील देता रहा है कि किन्हीं दो देशों के बीच दोहरा कराधान निवारण करार में "सूचना के आदान-प्रदान" संबंधी अनुच्छेद पर्याप्त व्यापक होना चाहिए जिससे संविदाकारी राज्य अधिक यथासंभव अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर सकें। भारत यह भी दलील देता रहा है कि एक व्यापक दोहरा कराधान निवारण करार किये जाने तक, सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था करने के लिए एक सीमित करार किया जाय। भारत और स्विटजरलैंड दोनों इस ग्रुप के सदस्य हैं।

परन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

आसान शर्तों पर ऋण योजनाओं के क्षेत्र का विस्तार

9637. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसान शर्तों पर ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अधिक उद्योगों को लाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, बंगलौर की ओर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की बकाया

9638. श्री दयाराम शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (बाला गोला में स्थित), 7 म्यूजियम रोड, बंगलौर द्वारा गत तीन वर्षों में अलग-अलग कितना उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क अदा किया गया और आयकर सहित इन खातों में उनकी ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) फर्म की स्थापना से इसमें अब तक, वर्षवार कितनी पूंजी लगाई गई है, और इसके साझीदारों की संख्या कितनी है और वे किन-किन अन्य उद्योगों तथा व्यवसायों में भी साझीदार हैं तथा प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उनकी ओर पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) आयात कर्त्ताओं/निर्यातकत्ताओं से सीमाशुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः उक्त कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा की गई सीमा शुल्क की रकम से सम्बन्धित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक कम्पनी की ओर सीमा शुल्क की बकाया रकम का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

उल्लिखित कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा की गयी उत्पादन शुल्क की रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	रुपये (हजार रुपयों में)
1976-77	44,52
1977-78	55,37
1978-79	61,89

31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार, 16,94,000 रुपए की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम कम्पनी की ओर बकाया है। कम्पनी की ओर आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, बंगलौर, एक सरकारी कम्पनी है और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मैसूर राज्य में रजिस्टर्ड है। इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख 7 नवम्बर, 1957 है।

कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में लगाई पूंजी का पता चलता है कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध तुलनपत्रों के अनुसार निम्नानुसार है :

तुलनपत्र की तारीख निम्नलिखित अवधि को समाप्त होने वाला	चुकता पूंजी (रुपयों में)
31-3-1959	50,10,365
30-6-1960	99,55,542
30-6-1961	1,98,68,935
30-6-1962	2,02,69,505
30-6-1963	2,02,72,180
30-6-1964 से 30-6-1965 तक	2,02,72,580
30-6-1966 से 30-6-1967 तक	2,02,72,742
30-6-1968 से 30-6-1973 तक	2,02,72,792
31-3-1974	5,89,41,703
31-3-1975 से 31-3-1976 तक	5,89,39,860

सरकार द्वारा संचालित होटलों में होटल प्रबन्ध संवर्ग

9639. श्री डी० डी० देसाई : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग के प्रशिक्षित कार्मिक इस उद्योग को छोड़कर विदेशी होटलों में जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा संचालित होटलों के लिए होटल प्रबन्धकीय संवर्ग बनाने पर सरकार विचार करेगी ; और

(ग) क्या प्रतिभा पलायन होटल कार्यकारी अधिकारियों के कम आकर्षक वेतनों के कारण हो रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। प्रशिक्षित कार्मिकों के विदेश स्थित होटलों में कार्यभार संभालने हेतु भारत-स्थित होटलों से नौकरी छोड़ जाने के कुछ दृष्टांत सामने आए हैं।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के पास पहले से ही एक प्रशिक्षित प्रबन्धकीय संवर्ग है।

(ग) यह देखा गया है कि प्रशिक्षित कार्मिक मुख्यतः मध्य पूर्व और खाड़ी देशों की ओर प्रस्थान करते हैं ; ऐसी धारणा है कि वहां वेतन और परिलब्धियां अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हैं।

"दि प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव अर्बन एण्ड थ्रिफ्ट सोसाइटी" के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

9641. श्री कचरु लाल हेमराज जैन :

श्री राम कंवार बेरवा :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दि प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव अर्बन एण्ड थ्रिफ्ट सोसाइटी' दिल्ली प्रशासन के सहकारिता विभाग में विधिवत् पंजीकृत है ;

(ख) इस सोसाइटी के सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी और अब कितनी है तथा उनके नाम और पते क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने, जो सोसाइटी के बनाने के समय सदस्य थे, सोसाइटी और दिल्ली प्रशासन के सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को अपना त्याग-पत्र भेजा है और यदि हां, तो इन सदस्यों के नाम और पते क्या हैं ;

(घ) क्या इन सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए गये हैं तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(ङ) क्या सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने सोसाइटी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये हैं ;

(च) यदि हां, तो प्रशासन ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(छ) यदि नहीं, तो अब तक सोसाइटी की असफलता के क्या-क्या कारण रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) समिति के पंजीकरण की तारीख अर्थात् 24-5-1973 को 37 प्रवर्तक सदस्य थे। सदस्यों के नाम और पते विवरण में दिये गये हैं। इस समय अर्थात् 3-9-1978 को, 54 सदस्य हैं। सदस्यों के नाम और पते दिल्ली प्रशासन के सहकारी समितियों के पंजीयक के पास उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि समिति के सचिव ने पंजीयक से लिखित निर्देश मिलने पर भी सदस्यों की सूची अथवा ऐसी सूची तैयार करने के लिए समिति का अन्य रिकार्ड देने से इंकार कर दिया।

समिति के छः सदस्यों, जिनमें दो प्रवर्तक सदस्य अर्थात् श्री ओम प्रकाश, 109 जाटवाड़ा, पुल मिठाई, दिल्ली-6 और श्री एस० सी० शर्मा, 66 जाटवाड़ा, पुल मिठाई, दिल्ली-6 भी शामिल हैं, ने समिति को अपने त्याग-पत्र दिये थे। चूंकि समिति दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार सदस्यों के त्यागपत्रों पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम थी, अतः समिति को त्यागपत्रों का निपटान करने की सलाह दी गई। श्री मंगा राम शर्मा, जिसका त्यागपत्र समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने समिति के एक अन्य

सदस्य को दिये गये ऋण की जमानत दी थी, के मामले के सिवाय अन्य 5 सदस्यों के त्यागपत्रों के स्वीकृत किये जाने अथवा अन्यथा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

समिति के कथित सदस्य दो व्यक्तियों अर्थात् श्रीमती उमा रानी गुप्त और श्री श्याम लाल गुप्त ने वर्ष 1978 के दौरान पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली को कुछ शिकायतें भेजी थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये आरोप लगाये गये थे कि सदस्यों को ऋण मंजूर करने के मामले में तरजीही व्यवहार किया जाता है, सोसाइटी के कार्यक्षेत्र से बाहर के लोगों को सदस्य बनाया जाता है, प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव कराने और इसकी आम सभा की बैठक बुलाने में अनियमिततायें बरती जाती हैं आदि।

शिकायतें मिलने पर पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली ने समिति के सचिव को बुलाया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए सहकारी समितियों के पंजीयक ने 15 जून, 1978 के निर्देश संख्या 395 (4)/77-अर्बन कोआप०-1564-56 द्वारा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 54 के अन्तर्गत सोसाइटी के कार्यकरण का विस्तृत निरीक्षण करने का आदेश दिया। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

विवरण

प्रवर्तक सदस्यों की सूची

1.	सर्वश्री शिवचरण लाल शर्मा	–66 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
2.	,, चन्दर लाल शर्मा	– -वही-
3.	,, जगदीश कुमार	–67 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
4.	,, रामनाथ	–92 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
5.	,, मानसिंह	–112 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
6.	,, बिसन सिंह	–112 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
7.	,, काला राम	–91 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
8.	,, रवीन्द्रपाल सिंह	–51 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
9.	,, राम पाल	–57 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
10	,, राजकुमार	–92 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
11.	,, ओम प्रकाश	–124 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
12.	,, अमर नाथ	–57 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
13.	,, राधेश्याम	–119 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
14.	,, भगवानदास	–119 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
15.	,, राम चन्द	–112 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
16.	,, अशोक कुमार	–124 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
17.	,, सोमनाथ	–दुकान नं० 6, पुल मिठाई, दिल्ली–6
18.	,, लक्ष्मीनारायण	–92 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
19.	,, अशोक कुमार	–91 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6

20.	सर्वश्री सुरेश कुमार	–119 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
21.	,, चेतराम	–114 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
22.	,, राजेन्द्रपाल	–122 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली–6
23.	,, बाबू लाल	–627 शिवाजी रोड, आजाद मार्किट, दिल्ली
24.	,, ओम प्रकाश	–109 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली
25.	,, रमेश चन्द	–115 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली
26.	,, एस० बी० शर्मा	–66 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली
27.	,, सोहन लाल	–646 शिवाजी रोड, आजाद मार्किट, दिल्ली
28.	,, किशन लाल	–66 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली
29.	,, रश्मि कांत	–111 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली
30.	,, रतन लाल	–92 जाटवाड़ा पुल मिठाई, दिल्ली
31.	,, राज पाल सदाना	–दुकान नं० 6, पुल मिठाई, दिल्ली
32.	,, वेद प्रकाश	–दुकान नं० 5, पुल मिठाई, दिल्ली
33.	,, हरीलाल	–दुकान नं० 15 पुल मिठाई, दिल्ली
34.	,, आर० एस० शर्मा	–138 पुल मिठाई, दिल्ली
35.	,, मिस्त्री मकबूल	–48 पुल मिठाई, दिल्ली
36.	,, जे० पी० शर्मा	–46 पुल मिठाई, दिल्ली
37.	,, उमराव सिंह कदम	–645 शिवाजी रोड, आजाद मार्किट, दिल्ली

आयकर के लम्बित मामले

9642. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के रोक आदेश के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में वह व्यापार गृहों के आयकर की कितनी अपीलें अथवा मामले लम्बित हैं ;

(ख) इन कम्पनियों तथा इनके निदेशकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) इन मामलों में सुनवाई शीघ्र करवाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

रुपए का मूल्य

9643. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1949, 1959, 1969 और 1979 की पहली जनवरी को प्रेसों में एक रुपए का क्या मूल्य रहा है ;

(ख) उपरोक्त तिथियों को थोक और फुटकर मूल्य सूचकांक क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1949 = 100) के आधार पर आंके जाने पर रुपए की क्रय शक्ति, जनवरी 1959 के लिए 85.47 पैसे, जनवरी, 1969 तक के लिए 48.30 पैसे और जनवरी 1979 के लिए 24.75 पैसे बैठती है।

(ग) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1949 = 100) जनवरी 1959 में 177 था और आधार 1960 = 100 के अनुसार रूपान्तरित करने पर जनवरी 1969 में 207 था और जनवरी 1979 में 404 था। थोक कीमतों का सूचकअंक (1970-71 = 100) वर्ष 1949, 1959, 1969 तथा 1979 की जनवरी के महीने में क्रमशः 43.6, 49.6, 89.8 और 185.3 था।

मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता हवाई अड्डों के नामों में परिवर्तन

9644. श्री पी० त्यागराजन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के नामों को बदल कर क्रमशः अन्ना, गांधी, नेहरू और बोस जैसे महान नेताओं के नाम से करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के नामों को बदलने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। परन्तु, क्योंकि जिस निकटतम नगर या शहर की आवश्यकता पूर्ति के लिए विमान क्षेत्र सेवाएं परि-चालित करता हैं उसी के नाम पर विमान क्षेत्र का नाम रखने की वर्तमान प्रथा, अन्तरराष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप ही है, इसलिए इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया।

किराया खरीद योजना के अन्तर्गत चाय बागानों को दिया गया ऋण

9645. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डंकन, मैकनेल तथा मैगर, टाटा फिनले, गुडरिक बागान समूह के अधीन बागानों को किराया खरीद योजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या किराया खरीद योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए उपरोक्त घरानों से प्राप्त आवेदनपत्रों का निपटान करने के लिए कभी किसी प्राथमिकता पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) क्या उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत ली गई मशीनरी/उपकरण विशेष रूप से उसी विशेष बाग के लिए होते हैं जो आवेदन करता है या उक्त बागानों द्वारा उसका किराये पर अन्यत्र भी उपयोग किया जा सकता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) पिछले दो वर्षों के ग्रुपवार स्वीकृत ऋण की राशि के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

	1977-78	1978-79
डंकन	20.77 लाख	12.041 लाख
मैकनील एण्ड मेगर	शून्य	6.405 लाख
टाटा फिनले	शून्य	59.273 लाख
गुडरिक	शून्य	शून्य

गुडरिक ग्रुप में 17 चाय एस्टेट शामिल हैं जो 1-1-78 से पूर्व डंकन के अन्तर्गत थे और पिछले दो वर्षों के दौरान किराया खरीद योजना के अन्तर्गत इनमें से किसी को भी कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था ।

(ख) इन कम्पनियों में से किसी को भी कोइ प्राथमिकता नहीं दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत ली गई मशीनरी/उपस्कर खास बागान के लिए हैं जो इस सहायता के लिए लागू होती है और जिसका अन्य किसी जगह प्रयोग नहीं हो सकता है ।

अशोका होटल, दिल्ली में कमरों का ग्राहकों द्वारा उपयोग

9646 **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) अशोका होटल, दिल्ली में कुल कमरों की तुलना में गत वर्ष में, जिसके लिये लेखे तैयार किये गये हैं, इसके कितने कमरों का ग्राहकों द्वारा उपयोग किया गया ;

(ख) होटल में ग्राहकों द्वारा कुल प्रयोग में लाये जाने वाले कमरों की तुलना में होटल में ठहरने वाले विदेशियों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) कितने कमरे तथा सेट निगमों तथा अन्य भारतीय नागरिकों द्वारा तीन महीने से अधिक अवधि के लिए आरक्षित रखे जाते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) हालांकि वर्ष 1978-79 के बारे में अशोका होटल, नई दिल्ली के लेखे संकलित किये जा रहे हैं तथा उनकी लेखा-परीक्षा की जा रही है, तथापि वर्ष के दौरान होटल की औसत रूम आकुपैंसी 85% थी ।

(ख) 1978-79 के दौरान विदेशी गेस्ट नाइट्स कुल गेस्ट नाइट्स का 64% थी ।

(ग) 1978-79 के दौरान, 114 कमरे और 8 सेट निगमों/ नागरिकों द्वारा तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए आरक्षित रखे गए थे। इनमें से 82 कमरे और 1 सेट भारतीय निगमों और अन्य संगठनों द्वारा और शेष कमरे तथा सेट विदेशी कम्पनियों/नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए गए।

रेनीगुन्टा (तिरुपति) में हवाई अड्डे का विकास

9647. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनीगुन्टा (तिरुपति) में हवाई अड्डे का विकास करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार तिरुपति होकर मद्रास तक सीधी विमान चलायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। वर्तमान टर्मिनल भवन का छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स तिरुपति से होते हुए मद्रास/हैदराबाद के बीच एक दैनिक विमान सेवा का पहले से ही परिचालन कर रही है।

चीन को वर्ष 1979 के दौरान निर्यात किये गये क्रोम अयस्क की मात्रा

9648. श्री सी० आर० महाटा : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1979 से अब तक चीन को कितनी मात्रा में क्रोम अयस्क का निर्यात किया गया ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चीन को 30,000 मी० टन उच्च ग्रेड क्रोम अयस्क के निर्यात के लिये की गई संविदा के अनुसार पारादीप पतन पर इस समय एक जहाज में 10,000 मी० टन का लदान किया जा रहा है। अन्य 10,000 मी० टन के लदान हेतु एक दूसरा जहाज 18 अप्रैल, 1979 को पहुंचा था लेकिन जगह न होने के कारण 27 अप्रैल 1979 को सामान लिये बिना वापस चला गया।

"1000-करोड़ रुपये का अशोध्य ऋण" शीर्षक से समाचार

9649. डा० रामजी सिंह क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1000-करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण के बारे में दिनांक 10 फरवरी, 1979 के 'क्लैरिटी' में प्रकाशित समाचार को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का विचार वित्तीय मामलों में ऐसी त्रुटियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) यह रिपोर्ट सरकार के ध्यान में लाई गई है, किन्तु सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऐसी कोई राशि वट्टे खाते नहीं डाली गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर और वार्षिक वेतन वृद्धि

9650. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद, कुछ श्रेणियों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि के कोई अवसर खुले नहीं रखे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1973 के बाद कितनी श्रेणियों के कर्मचारी अपने वेतनमानों के अधिकतम स्तर पर रुके हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संशोधित वेतन-मान 1-1-1973 से प्रभावी हुए । संशोधित वेतन-मान में वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 1973 में यथासमाविष्ट वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए फार्मूले के अनुसार किया गया था। यह संभव है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां एक या दो वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने पर या उसके तत्काल बाद, संशोधित वेतन-मान के अधिकतम पर पहुंच गई हैं ।

वेतन आयोग ने वेतन मानों की संख्या कम कर दी है । इस प्रक्रिया में, कई मामलों में पदोन्नति की उसी लाइन के पदों को एक ही काडर में मिला दिया गया है हांलांकि यह लाभदायक हुआ हो, तो भी ऐसे मामलों में पदोन्नति के अवसर कम हो गये होंगे ।

पदोन्नति से गतिहीनता को दूर करने की दृष्टि से, तीसरे वेतन आयोग ने कुछ मानदंडों को पूरा करने पर समूह 'ग' और 'घ' के संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड शुरू करने की सिफारिश की थी । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई और सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं ।

मैसर्स आटो पिन्स

9651. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 दिनांक 4 अगस्त, 1978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 16 (1), 27 (6) और

5 (1) (क) के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड के विरुद्ध न्याय-निर्णय के अधीन सभी मामले इस बीच तय कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो न्याय-निर्णय करने वाले प्राधिकारियों के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स आटो पिन्स (इण्डिया) रजिस्टर्ड के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों में से एक को छोड़कर सभी मामलों में 30-11-1978 को न्याय-निर्णय किया जा चुका है। मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड तथा इसके प्रबन्ध भागीदार श्री अवतार सिंह दोनों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 27(6) (क) तथा 5(1) (क) के अन्तर्गत अपराधी ठहराया गया है और उन पर कुल मिलाकर 1,25,000 रु० का अर्थदण्ड लगाया गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 16(1) के उल्लंघन का एक मामला अभी न्यायनिर्णयाधीन है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा वसूल किया गया कमीशन

9652. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के आयातों तथा निर्यातों पर कमीशन के रूप में गत दो वर्षों के दौरान कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) यह राशि कितने-कितने मूल्यों के आयातों तथा निर्यातों पर मिली है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा वस्तुतः स्वयं निर्यात की गई प्रत्येक वस्तु (चांदी को छोड़कर) के नाम तथा मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातों और निर्यातों पर सेवा प्रभारों की प्राप्त राशि 1977-78 के दौरान 11.9 करोड़ रु० तथा 1978-79 के दौरान 11.4 करोड़ रु० थी।

(ख) जिन आयातों और निर्यातों पर उपरोक्त राशि प्राप्त हुई है, उनके मूल्य 1977-78 के दौरान 1011 करोड़ रु० तथा 1978-79 के दौरान 1066 करोड़ रु० हैं।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों को भेजे गए सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों पर व्यय

9653. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 में भारतीय उत्पादों के लिए नई मंडियों का पता लगाने, द्विपक्षीय करारों के बारे में बातचीत करने, पर्यटन और भारतीय संस्कृति के विकास के लिए, संयुक्त राष्ट्र सभा में भाग लेने के लिए और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि की बैठकों में भाग

लेने के लिए और सद्भावना यात्राओं पर उच्च अधिकारियों के सरकारी प्रतिनिधिमंडल और गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ख) वर्ष 1977-78 में केवल अनुसचिवीय प्रतिनिधिमंडलों पर, केन्द्रीय व राज्य सरकारों दोनों, जो किसी भी प्रयोजन के लिए विदेश गए हैं, कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों की ओर से विदेश गए अनुसचिवीय, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के नाम व अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1977 और 1978 के वर्षों के दौरान भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों के सम्बन्ध में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और ज्योंही उपलब्ध होगी इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। भारत सरकार का राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडलों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं है, और इसलिये उनके सम्बन्ध में सूचना देना संभव नहीं है।

निर्यात उद्योग के रूप में पर्यटन को मान्यता

9654. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को निर्यात उद्योग के रूप में मान्यता देने और इसे वैसे ही प्रोत्साहन देने, जो अन्य निर्यात प्रधान उद्योगों को दिये जाते हैं ; का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने और "पी" प्रपत्र को समाप्त करने के अपने हाल के निर्णय के अनुसार इसका वर्धन करने के लिए सक्रिया कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन उद्योग के विविध घटकों को वे प्रोत्साहन और कर-रियायतें देने, जो कि अन्य निर्यात-प्रधान उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं, सम्बन्धी प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ग) विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीयों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :—

(i) भारत और यूरोप, भारत-अमरीका, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-मारिशस और भारत-सेसिल्स के बीच वैयक्तिक भ्रमण किरायों की व्यवस्था की गई है। बैल्जियम-भारत के बीच युवा किराये की व्यवस्था करने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इण्डियन एयरलाइन्स ने भी दिल्ली/काठमांडू और कलकत्ता/काठमांडू के बीच डिस्कांउटेड सीज़नल एक्सकर्शन फेअर्ज प्रारम्भ किये हैं।

(ii) विदेशी यात्रा स्कीम के अधीन, अपनी विदेश-यात्रा के लिए अब भारतीय दो वर्षों में एक बार 500 यू० एस० डालर का लाभ उठा सकते हैं।

(iii) किसी भी गन्तव्य के लिए 100 रुपये और सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किन्हीं खास पड़ोसी देशों के लिये 50 रुपये की समान दरों पर विदेश-यात्रा-कर-भुगतान का बित्त बिल 1979 में, प्रावधान रखा गया है। यह रियायत विदेश यात्रा कर के रूप में किराये के 12½ प्रतिशत की मौजूदा दर पर किये जाने वाले भुगतान के मुकाबिले दी जाएगी।

भारत के लिए और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भारी सुधार कार्य किये जा रहे हैं और क्लियरेंस औपचारिकताओं को सरल बनाया जा रहा है।

(ii) युवाओं को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए, जल-क्रीडा, ट्रैकिंग सम्बन्धी सुविधाओं और अन्य मनोरंजनात्मक गतिविधियों को विकसित किया जा रहा है।

(iii) मितव्ययी पर्यटकों के लिए जनता होटलों के निर्माण के माध्यम से सस्ते, साफ-सुथरे और आरामदायक आवास की व्यवस्था की जा रही है।

(iv) पश्चिम एशिया और त्रिवेंद्रम के बीच सीधी हवाई-सेवा प्रारम्भ करने से दक्षिण भारत की ओर पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने में सहायता मिली है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में वेतनमानों में असमानताएं

9655. श्री के० लकप्पा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मिलने वाले वेतनमानों, महंगाई भत्ते, चिकित्सा भत्ते और मकान किराया भत्ते में बहुत अधिक असमानताएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में वेतनमानों तथा भत्तों में एकरूपता लाने के लिये क्या उपचारी कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगियों को छोड़कर) के लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतनमान, मंहगाई-भत्ता, चिकित्सा और मकान किराया भत्ता एक समान है क्योंकि वे सभी पंच फैसलों अथवा द्विपक्षीय समझौतों द्वारा शासित होते हैं। अलबत्ता, वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराये का अधिकार (एन्टाइटलिमैंट), चिकित्सा भत्ता, सीमान्तिक (टरमिनल) लाभ आदि अधिकारियों के मामले में अलग-अलग हैं।

(ग) पिल्लै समिति ने अपनी रिपोर्ट में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के लिये वेतनमान, भत्ते और अन्य परिलब्धियों विषयक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को इन बैंकों में शीघ्र ही लागू करने का प्रस्ताव है। स्टेट बैंक समूह की विशेष बातों को निर्धारित करने के बाद पिल्लै समिति की रिपोर्ट स्टेट बैंक समूह पर लागू की जायेगी।

गत तीन वर्षों के दौरान बनाये गये हैलिपैड

9656. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्थानों पर गत तीन वर्षों के दौरान बनाये गये हैलिपैडों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन हैलिपैडों के निर्माण पर कितनी धन राशि खर्च हुई और ये किस प्रयोजन के लिये बनाये गये ; और

(ग) गत तीन वर्षों में किये गये सुधार का ब्यौरा क्या है और इन कार्यों पर कितनी धन राशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई हैलिपैड नहीं बनाये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आयकर अदा करने वाले व्यक्तियों और फर्मों की संख्या

9657. **श्री राघव जी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए प्राप्त आयकर विवरणों के आधार पर 50,000 रु० से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तिगत कर अदा करने वालों की संख्या क्या है और 75,000 रु० से अधिक वार्षिक आय वाली पंजीकृत फर्मों की संख्या क्या है ; और

(ख) उपरोक्त व्यक्तिगत कर अदा करने वालों तथा पंजीकृत फर्मों की आय का राज्य-वार विभाजन क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय भारी मशीनों और बिजली के सामान का निर्यात

9658. **श्री सरत कार** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के उन बाजारों के नाम क्या हैं जहां भारतीय भारी मशीनों और बिजली के सामान का गत तीन वर्षों में बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) इन मदों के निर्यात के लिये चालू वर्ष में अब तक कितने क्रयादेश प्राप्त हुए ; और

(ग) इस क्षेत्र में मुख्य निर्यातकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जिन देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से भारी मशीनों व बिजली के सामान का निर्यात किया गया है, उनके नाम निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीरिया
3. बंगलादेश
4. बर्मा
5. मिस्र
6. इण्डोनेशिया
7. ईरान
8. इराक
9. कीनिया
10. लीबिया
11. मलयेशिया
12. नाइजीरिया
13. फिलीपाइन्स
14. सऊदी अरब
15. दक्षिण कोरिया
16. श्रीलंका
17. तंजानिया
18. थाईलैंड

(ख) अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 तक की अवधि के दौरान प्राप्त निर्यात आदेशों के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

मदें	अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 के दौरान प्राप्त संविदा (करोड़ रु० में)
वस्त्र तथा पटसन मिल मशीनें	1.87
चीनी मिल मशीनें	12.99
सीमेंट मिल मशीनें	2.97
खाद्य सामग्री साधित करने की मशीनें	1.21
अन्य औद्योगिक संयंत्र व मशीनें	46.24
विद्युत पावर मशीनें	38.82
ट्रांसमिशन लाइन मशीनें जिनमें कुछ मामलों में कंडक्टर्स भी शामिल हैं	106.79
मशीनी औजार	12.31
योग	223.20

(ग) प्रमुख निर्यातकों के नाम और उनके द्वारा निर्यात की गई मदों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

फार्म का नाम	मद
1. एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज लि०	कंडक्टर
2. एशियन केबल कार्पोरेशन लि०	बिजली के केबल व कंडक्टर

फर्म का नाम	मद
3. आटो इंडिया लि०	धातुकर्मी उपस्कर
4. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	बिजली के भारी उपस्कर
5. बुकाऊ वल्फ (न्यू) इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	चीनी मिल मशीनें
6. क्रम्पटन ग्रीव्स लि०	बिजली का भारी सामान
7. डेसमेट (इंडिया) लि०	वस्त्र मशीनें
8. ई०एम०सी० लि०	ट्रांसमिशन लाइन तथा कंडक्टर्स
9. फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज	बिजली के केबल और कंडक्टर्स
10. जनरल इलैक्ट्रिक कं० आफ इंडिया लि०।	ट्रांसफारमर्स
11. ग्वालियर सिल्क एण्ड रेयन मैन्यू कं लि०।	मानव-निर्मित रेशा संयंत्र
12. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	धातुकर्मी उपस्कर
13. एच०एम०टी० लि०	मशीनी औजार
14. हैदराबाद ऐसबेस्टास सीमेंट मैन्यू कं० लि०।	ऐसबेस्टास सीमेंट मैन्यूफेक्चरिंग संयंत्र
15. इंडिया केबल कं०	बिजली के केबल तथा कंडक्टर्स
16. इंडस्ट्रियल केबल्स इण्डिया लि०	"
17. ज्योति लि०	बिजली का भारी सामान
18. केमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	ट्रांसमिशन लाइन टावर्स व कंडक्टर्स
19. किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०	बिजली का भारी सामान
20. लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०	वस्त्र मशीनें
21. लार्सन एण्ड टुब्रो लि०	बिजली का भारी सामान तथा डेयरी संयंत्र
22. मैसूर किर्लोस्कर लि०	मशीनी औजार
23. नेशनल मशीनरी मैन्यू० लि०	वस्त्र मशीनें
24. न्यू स्टैंडर्ड इंजी० कं० लि०	"
25. एन०जी०ई०एफ० लि०	बिजली का भारी सामान
26. औरियन्टल पावर केबल लि०	बिजली के केबल तथा कंडक्टर्स
27. प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०।	वस्त्र मशीनें, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स आदि।
28. साइमन्स इंडिया लि०	बिजली का भारी सामान तथा बिजली के केबल

फर्म का नाम	मद
29. स्टार ट्रेडिंग कं०	वस्त्र मशीनें
30. टाटा एक्सपोर्ट्स लि०	बिजली के भारी उपस्कर तथा कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स तथा एक्सकेवेटर्स।
31. टेस्टील्स लि०	ट्रांसमिशन लाइन टावर्स
32. टैक्समैको लि०	वस्त्र मशीनें
33. वोल्टास लि०	बिजली के उपस्कर
34. बालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज लि०	चीनी मिल्स मशीनें।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम

9659. **श्री चित्त बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों के यातायात में जो प्रतिवर्ष लगभग 2400 लाख है, भारत का भाग 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों की तुलना में प्रति पर्यटक व्यय काफी अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का सरकार का कोई व्यापक कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 1978 में अनुमानित 265.8 मिलियन विश्व पर्यटक यातायात में से दक्षिण एशिया क्षेत्र में 1.93 मिलियन पर्यटक आये, जो विश्व पर्यटक यातायात का केवल 0.7 प्रतिशत है। इसमें से 38.8 प्रतिशत या 747,995 पर्यटक भारत आये जो प्रसंगवस विश्व पर्यटक यातायात का 0.28% है।

(ख) 1977 के लिए प्रशान्त वार्षिक पर्यटन सर्वेक्षण पर आधारित सूचना से यह संकेत मिलता है कि प्रशान्त क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में भारत में विदेशी पर्यटकों का प्रति व्यक्ति व्यय 538 यू० एस० डालर है जो काफी अधिक है। वास्तव में प्रशान्त क्षेत्र के उन 25 देशों में, जिनके कि पर्यटक-व्यय के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत का स्थान चौथा रहा।

(ग) और (घ) वर्तमान सुविधाओं यथा, इण्डियन एयरलाइन्स के "डिसकवर इण्डिया" किराये, इण्डरेल पास और प्रवेश संबंधी सुविधाओं को अधिक उदार बनाने के अतिरिक्त और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) चार मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर भारी सुधार कार्य किये जा रहे हैं और क्लीयरेन्स संबंधी औपचारिकताओं को सरल बनाया जा रहा है।

(ii) युवा यातायात को आकर्षित करने के लिए जल-क्रीड़ाएं, ट्रेकिंग, आदि संबंधी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।

(iii) मितव्ययी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ग्राकर्षित करने के लिए यात्री निवासों के निर्माण के माध्यम से सस्ते, साफ-सुथरे और ग्रारामदेह ग्रावास की व्यवस्था की जा रही है ।

(iv) पश्चिम एशिया ग्रौर त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमानसेवा चालू होने से दक्षिण भारत की ग्रोर पर्यटकों के प्रवाह के बढ़ जाने में सहायता मिली है ।

(v) 18 विदेश-स्थित कार्यालयों ग्रौर 7 विदेश-स्थित पर्यटक संवर्धन ग्रधिकारियों के माध्यम से व्यापक विज्ञापन, लोक सम्पर्क ग्रौर प्रचार ग्रभियान चलाये गये है ।

ग्रामीण बेंकों के माध्यम से स्वनियोजन परियोजनाएं

9660. श्री दुर्गाचन्द : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेंकों के माध्यम से स्वनियोजन परियोजनाग्रों के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) रोजगार में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकों की भूमिका का ग्रध्ययन करने के लिए बनाये गये कार्यकारी दल के सुझावों के ग्राधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को ग्रावश्यक कार्रवाई के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं । जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सवाल है ये संस्थाएं ग्रल्प साधनों वाले व्यक्तियों, जैसे, छोटे किसानों ग्रौर ग्रपना धंधा करने वाले ग्रामीण कारीगरों की ऋण ग्रावश्यकताएं पूरी करने के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हैं ।

(ख) इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(1) बैंकों को समग्र रूप से वार्षिक ग्राधार पर प्रति शाखा, प्रति माह कम से कम 2 अतिरिक्त ऋणकर्त्ताग्रों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए ग्रौर इस प्रयोजन के लिए ग्राधार-ग्रवधि वर्ष 1978 होगी । दूसरे शब्दों में, एक वर्ष के दौरान बैंकों को पिछले वर्ष की ऋणकर्त्ताग्रों की वृद्धि से ग्रागे कम से कम 2 ऋणकर्त्ता प्रति शाखा, प्रति मास बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा । इस विषयक कार्यान्वयन की प्रगति पर बैंकों द्वारा ठीक से नजर रखी जानी चाहिए ।

(2) क्योंकि छठी योजना के लिए रोजगार-ग्रायोजन के वास्ते ब्लाक को एक इकाई माना गया है इसलिए बैंकों को स्वयं-रोजगार योजनाग्रों के कार्यान्वयन के लिए ग्रपना ध्यान उन ब्लाकों पर केन्द्रित करना चाहिए जिनके लिए विकास कार्यक्रम तैयार है ग्रौर उन्हें इस योजना को साथ ही साथ क्रमशः ग्रन्य ब्लाकों में भी बढ़ाना चाहिए ।

(3) लीड बैंक योजना के अधीन बनायी गयी जिला स्तर परामर्शदात्री समितियां बराबर बैंकों और विकास अभिकरणों के बीच समन्वय का तंत्र बनी रहनी चाहिएं।

(4) लीड बैंक द्वारा तैयार की गयी जिला ऋण योजनाओं को विस्तृत किया जाना चाहिए ताकि रोजगार और विकास योजनाओं के बीच सम्बन्ध का स्पष्ट संकेत मिल सके।

(5) आयोजना की प्रक्रिया में ब्लाक स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को खास तरजीह दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप ऋण आयोजन को भी इन समुदायों के लिए अधिक लाभजनक बनाया जाना चाहिए और इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए बैंक-सहायता की विशेष योजनाएं बनायी जानी चाहिएं ताकि उनमें ये समुदाय भाग ले सकें और उन्हें स्वयं-नियोजन के लिए अधिकाधिक ऋण प्राप्त हो सके।

(6) परिचालक विकास अभिकरणों में बैंक अधिक प्रभावशाली रूप से भाग लें, यह सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को एस० एफ० डी० ए० की कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि वे ब्लाक/जिला स्तर पर डी०पी०ए०पी०, आई०आर०डी०पी०, टी०डी०ए० आदि विकास अभिकरणों की कार्यकारणी समितियों में भी लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

(7) जनजाति क्षेत्रों में बैंक अपनी व्याप्ति बढ़ा सकें, इसके लिए राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि वे वृहदाकार बहु प्रयोजनी समितियों (एल०ए०एम०पी०एस०) को बैंकों को सौंप दें।

(8) बैंकों को जिला औद्योगिक केन्द्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना होगा जोकि विभिन्न जिलों में स्वयं-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये गये हैं।

(9) स्वयं-रोजगार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक बैंक को विभिन्न स्तरों पर लीड बैंक योजना को कार्यान्वित करने के लिए, अपने तन्त्र को मजबूत बनाना चाहिए ताकि योजनाएं निर्धारित करने, तैयार करने, कार्यान्वित करने और उनको अनुवर्तन करने के संबंध में बैंकों/शाखाओं की तकनीकी क्षमता अच्छी तरह स्थापित हो सके। इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक होगा कि विशेषीकृत शाखाओं के लिए नयी संगठन योजना का विकास किया जाय, ग्रामीण क्षेत्रों की एक-सदस्य शाखाओं का दर्जा बढ़ाया जाये और अपर्याप्त स्टाफ वाली शाखाओं को मजबूत बनाया जाये।

रक्षित विद्युत् जनरेटरों के आयात के लिए आवेदन

9661. श्री एस० आर० दामाणी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष के दौरान विभिन्न औद्योगिक एककों से रक्षित विद्युत जनरेटरों के आयात के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आवेदनों को निपटाया गया और किस प्रकार निपटाया गया;

(ग) कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) रक्षित विद्युत जनरेटरों के आयात के लिए अनुमति देने की कसौटी क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अप्रैल-मार्च 1979 के दौरान 143 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) 94 आवेदन पत्रों को अन्तिम रूप से निपटा दिया गया—66 आयात लाइसेंस जारी करके और 28 रद्द किए जाने की सूचना देकर।

(ग) 49। ब्यौरा विवरण के अनुसार है।

(घ) डीजल से चलने वाले सैटों के आयात के लिए नीति तथा क्रियाविधि हैंड बुक आफ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, 1978-79 के पैरा 177 से 180 में दी गई है, जिसकी प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

डीजल से चलने वाले सैटों के आयात के लिये लम्बित आवेदन पत्रों की सूची

क्रमांक	पार्टी का नाम	डीजल से चलने वाले सैटों की संख्या	मूल्य (लाख में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स जे० के० काटन स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर।	2	15,00,000 रु०
2.	मैसर्स होटल ओबराय इंटरनेशनल, नई दिल्ली	2	15,19,333 रु०
3.	मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज लि०, बंगलौर	2	14,67,600 रु०
4.	मैसर्स नेशनल कं० लि०, कलकत्ता	2	14,90,184 रु०
5.	मैसर्स स्टील ट्यूब आफ इंडिया लि०	1	6,84,664 रु०
6.	मैसर्स यूनीवर्सल केबल्स लि० सतना (म० प्र०)	1	8,44,847 रु०
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	1	6,58,152 रु०
8.	मैसर्स हैस्टिंग्स मिल्स लि०, कलकत्ता	2	14,95,632 रु०
9.	मैसर्स खरदाह कम्पनी लि०, कलकत्ता	2	13,97,700 रु०
10.	मैसर्स बज-बज जूट इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	1	7,63,144 रु०
11.	मैसर्स सैन्थीटिक एण्ड कैमीकल्स लि०, बरेली	1	11,46,285 रु०
12.	मैसर्स सदर्न पैट्रोकैमीकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, मद्रास	1	6,56,964 रु०
13.	मैसर्स जनरल इंडस्ट्रियल सोसायटी लि०, कलकत्ता	1	7,63,144 रु०
14.	मैसर्स जनरल इंडस्ट्रियल सोसायटी लि०, कलकत्ता	1	7,63,144 रु०
15.	मैसर्स किनीशन जूट मिल्स कं० लि०, कलकत्ता	3	19,45,125 रु०

1	2	3	4
16.	मैसर्स भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, नागदा	1	7,82,346 रु०
17.	मैसर्स नार्थ ब्रुक जूट कं० लि०, कलकत्ता	2	12,35,000 रु०
18.	मैसर्स कनखर्रा कम्पनी लि०, कलकत्ता	1	7,82,346 रु०
19.	मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज लि०, मोदीनगर	1	7,33,792 रु०
20	मैसर्स मोदी स्पि० एण्ड वी० मिल्स कं० लि०, मोदीनगर।	2	14,67,584 रु०
21.	मैसर्स मैटल बाक्स कं० आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता।	3	22 लाख रु०
22.	मैसर्स प्रवर्तक जूट मिल्स लि०, कलकत्ता	1	6,48,375 रु०
23.	मैसर्स सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यु० कं० लि०, भरतपुर।	1	7,59,666 रु०
24.	मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्री (इण्डिया) लि०, बम्बई	1	7,45,092 रु०
25.	मैसर्स पेपीरस पेपर्स लि०, कलकत्ता	1	7,23,492 रु०
26.	मैसर्स नार्थन इण्डिया ग्लास इंडस्ट्रीज़ लि०, नई दिल्ली।	2	13,82,118 रु०
27.	मैसर्स श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लि०, वल्लभ-विद्यानगर।	2	13,82,118 रु०
28.	मैसर्स मोदीपोन लि०, मोदीनगर	2	15,37,470 रु०
29.	मैसर्स गुजरात फाइबर ग्लास मैण्यु० कं० लि०, विट्ठल उद्योग नगर	2	13,82,118 रु०
30.	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०, हावड़ा	2	14,26,572 रु०
31.	मैसर्स माडर्न सिनटैक्स (इण्डिया) लि०, अलवर	1	6,48,375 रु०
32.	मैसर्स नफर चण्द्र जूट मिल्स लि०, कलकत्ता	1	7,63,144 रु०
33.	मैसर्स पार्ले प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, बम्बई	1	7,59,666 रु०
34.	मैसर्स अशोक लेलैंड लि०, मद्रास	2	17,99,395 रु०
35.	मैसर्स जै श्री टिम्बर प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली	1	6,85,051 रु०
36.	मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स लि०, नई दिल्ली	2	14,53,605 रु०
37.	मैसर्स नार्थ बिहार शुगर मिल्स लि०, कलकत्ता	1	7,25,136 रु०
38.	मैसर्स के० सी० पी० लि०, मद्रास	1	7,20,987 रु०
39.	मैसर्स बजाज आटो लि०, पूना	1	13,11,350 रु०
40.	मैसर्स डलहोजी जूट कम्पनी लि०, कलकत्ता	2	12,96,750 रु०

1	2	3	4
41.	मैसर्स जी० रामास्वामी एण्ड कम्पनी गंगा टैक्सटाइल, कोयम्बतूर	1	7,63,144 रु०
42.	मैसर्स सर्वोदय पेपर मिल्स लि०, नई दिल्ली	2	13,03,234 रु०
43.	मैसर्स बेलपहाड़ (उड़ीसा)	1	10,91,700 रु०
44.	मैसर्स पार्के-डेविस (इण्डिया) लि०, बम्बई	1	7,63,144 रु०
45.	मैसर्स हैदराबाद एस्बैस्टो सीमेंट प्रोडक्ट्स, हैदराबाद ।	1	6,51,617 रु०
46.	मैसर्स निर्लोन सेन्थिटिक फाइबर	3	32.32 लाख रु०
47.	मैसर्स भ्रातवेट एण्ड कम्पनी	4	29.80 लाख रु०
48.	मैसर्स हिन्दुस्तान कापर कारपोरेशन	1	32.00 लाख रु०
49.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कं०	नई कैपटिव पावर एकक स्थापित करने के लिए	औद्योगिक विकास विभाग (सीमेंट विभाग) को हस्तांतरित

सोने की तस्करी करने के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

9662. श्री दौलतराम सारण : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद सोने की तस्करी करने के कारण किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से किन-किन व्यक्तियों का चालान किया गया तथा किन-किन को रिहा किया गया ; और

(ख) किन-किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में चालान वापस ले लिये गये हैं तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा राज्य में नया होटल

9663. श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में एक नया होटल बनाने के बारे में सरकार का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां, कब और उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में भारत पर्यटन विकास निगम को एक नए होटल के निर्माण का, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 48 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर भुवनेश्वर में भारत पर्यटन विकास निगम के 12-कमरों वाले यात्री-गृह को, उसमें 28 कमरों की वृद्धि करते हुए, एक होटल में परिवर्तित किया जा रहा है। अक्तूबर, 1979 तक चालू होने के लिए इसके तैयार हो जाने की आशा की जाती है। सम्भाव्यता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कोणार्क में, 10 कमरों की वृद्धि करते हुए, उसके चार कमरों वाले यात्री-गृह के विस्तार का कार्य भी आरम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निगम की छठी पंचवर्षीय योजना में, पुरी में एक यात्री-गृह के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है।

विमान दुर्घटनाएं कम करने सम्बन्धी समितियों की सिफारिशें

9664. श्री बागुन सुम्बरूई : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान दुर्घटनाएं कम करने और यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में रामचन्द्रन, धवन और टाटा समितियों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जहां तक रामचन्द्रन समिति का संबंध है, इसके विचारणीय विषयों में नागर विमानन विभाग के अनुसंधान तथा विकास निदेशालय का गहराई से अध्ययन करना तथा दीर्घावधिक उपाय के रूप में इसके पुनर्गठन के लिए एक व्यापक ढांचे की सिफारिश करना सम्मिलित था। समिति का विचारणीय विषय विमान सुरक्षा नहीं था। धवन समिति को एच०एस०–748 विमान का, इण्डियन एयरलाइन्स में विद्यमान विभिन्न परिचालन परिस्थितियों के अन्तर्गत इसकी सुरक्षा के विशेष संदर्भ में, मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया था। इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। टाटा समिति ने नागर विमानन विभाग में विमान सुरक्षा विंग के ही अंग के रूप में एक उड़ान निरीक्षण यूनिट स्थापित करने की सिफारिश की है। समिति ने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी स्थापित करने की भी सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) धवन समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और उनका कार्यान्वियन किया जा रहा है। जहां तक टाटा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का संबंध है, एक उड़ान निरीक्षण निदेशालय स्थापित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। जहां तक विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए अलग से एक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करने का संबंध है यद्यपि पहले यह निर्णय ले लिया गया था कि ऐसी एजेंसी स्थापित करना आवश्यक नहीं है, तथापि अब मामले की पुनः समीक्षा की जा रही है।

विवरण

धवन समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा-रत एवरो विमान बेड़ा बी०सी०ए०आर० सिंगल इंजन आरोहण अपेक्षाओं की पूर्ण रूप से पूर्ति करता है, इंजन पावर (आर्द्र तथा शुष्क दोनों) में वृद्धि की जानी चाहिए।

(2) नागर विमानन के महानिदेशक को अपने स्टाफ में एच०ए०एल० तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयुक्त उड़ान परीक्षण प्रक्रियाओं तथा तकनीकों की जांच करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य टैस्ट पायलट रखने चाहिए। इन टैस्ट पायलटों को विमान के कार्य-निष्पादन के अनुपालन की जांच करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले सिविल उड़न-योग्यता विनियमों तथा प्रक्रियाओं की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए।

(3) एच०ए०एल०, बंगलौर तथा कानपुर को आंकडें एकत्रित करके एवं उनका विश्लेषण करके परिचालनात्मक समस्याओं में गहरी रुचि लेकर इंडियन एयरलाइन्स के एवरो परिचालनों के लिए अधिक अच्छी तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(4) एच०ए०एल० को उनके द्वारा निर्मित विमानों तथा इंजनों के सम्बन्ध में, अपने तकनीकी विश्लेषण तथा उत्पादन अनुपोषण क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है। एवरो के संबंध में, यह कार्य कानपुर में एक छोटे-परन्तु तकनीकी तौर पर परिपुष्ट-कार्य-निष्पादन विश्लेषण दल का आयोजन करके अधिक अच्छी तरह से किया जाना है जिसके लिए वैमानिक विज्ञान की अपेक्षित जानकारी रखने वाले कर्मचारियों का स्टाफ है। इस तकनीकी/वैज्ञानिक विश्लेषण सैल के व्यक्तियों को केवल किसी विशेष विमान से संबंधित तकनीकी आंकड़ों की ही नहीं, अपितु, वैमानिक विज्ञान में प्रयोग किए गए आधुनिक विश्लेषण तकनीकों की भी जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला तथा भारतीय विज्ञान संस्थान की निकट अन्योन्यक्रिया से ऐसे व्यक्ति तेजी से तैयार करने में सहायता मिल सकती है।

(5) इण्डियन एयरलाइन्स तथा नागर विमानन के महानिदेशक को अपने मैनेजमैंट के उच्च स्तरों पर वैमानिक इंजीनियरी तथा विज्ञान की अच्छी जानकारी रखने वाले कर्मचारी भर्ती करने से काफी लाभ पहुंचेगा। अपेक्षित वैज्ञानिक योग्यता तथा सिस्टम्स इंजीनियरिंग और मैनेजमैंट की अवधारणा की अच्छी थानकारी कुछ योग्य व्यक्ति एयरलाइन की एवं देश के नागर विमानन की परिचालनात्मक क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

(6) नागर विमानन के महानिदेशक को तकनीकी केन्द्र में एक उपयुक्त रूप से कर्मचारीयुक्त उड़न-योग्यता दल का यथाशीघ्र गठन करना चाहिए। यह इस दल का उत्तर-दायित्व होगा कि वह भारत में परिचालन करने वाले सभी सिविल विमानों के उड़न-योग्यता विश्लेषण करे। नागर विमानन के महानिदेशक को नियमित रूप से तकनीकी रिपोर्टें प्रकाशित करानी चाहिए जिनमें उड़न-योग्यता तथा परिचालनात्मक विश्लेषणों के परिणाम दिये हों।

(7) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा भारत के सभी विमानक्षेत्र के निकटवर्ती भू-प्रदेशों तथा बाधाओं की यथाशीघ्र विस्तृत जांच की जानी चाहिए। यह सूचना अद्यतन रूप से संधारित की जानी चाहिए तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बाधाओं को दूर करने आदि के लिए

इसका नियमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए (जैसे नेमी परिचालनों पर "टेक ऑफ नेट फ्लाइट पथों" का निर्माण करना)।

(8) इकाओं द्वारा अपेक्षित रूप से, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से एक "व्यापक राष्ट्रीय वायुयान कार्य-निष्पादन परिचालन परिसीमा संहिता" निर्धारित की जानी चाहिए।

(9) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के निकट सहयोग से एक पूर्णकालिक स्वतंत्र विमान सुरक्षा बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। इस बोर्ड को उड़ान सुरक्षा से सम्बद्ध सभी समस्याओं का अनुश्रवण तथा विश्लेषण करने का काम सौंपा जाना चाहिये। विमान सुरक्षा बोर्ड के पास सभी विमान दुर्घटनाओं/हादसों के लिए एक डेटा केन्द्र तथा पूर्णकालिक वैज्ञानिक विश्लेषण स्टाफ होना चाहिये। विमान सुरक्षा बोर्ड को देश में होने वाली सभी विमान दुर्घटनाओं के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन का उत्तर-दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

(10) क्योंकि विमान सुरक्षा के लिए मौसम परिस्थितियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, अतः पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन के महानिदेशालय तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग) को राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के निकट सहयोग से और अधिक पूर्वोपाय निर्धारित करने के लिए, जोकि विमान सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए ग्रीष्मकालीन महीनों के दौरान निर्धारित किये जा सकें, मौसम सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाने चाहिए।

(11) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों के समग्र सुरक्षा स्तर में सुधार करके उसे कम से कम विश्व के औसत स्तर तक लाने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए।

सरकारी उपक्रमों द्वारा मनोरंजन पर व्यय

9665. श्री लखन लाल कपूर : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रम द्वारा मनोरंजनों पर व्यय को कम करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या हाल ही में कुछ नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप इन उपक्रमों की दक्षता तथा उत्पादकता बढ़ेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संसदीय समिति (छठी लोक सभा) (1977-78) ने सरकारी उपक्रमों द्वारा आतिथ्य सत्कार पर किये गए अपव्यय विषयक अपनी पहली रिपोर्ट में जो टिप्पणियां की हैं उनके अनुसार सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दी है कि वे विभिन्न अवसरों पर किये जाने वाले सत्कार व्यय को नियमित करने के लिए कड़े मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करें ताकि उनकी

आय और अधीनस्थों एवं आम लोगों की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए इसका व्यय कम से कम रखा जाए।

(ख) सरकारी उद्यमों को यह भी सलाह दी गई है कि वे भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों, अर्थात नई दिल्ली स्थित अशोक और अकबर होटल तथा बम्बई आदि के अन्य 5-स्टार होटलों में पार्टियां आयोजित करते समय सत्कार व्यय पर निम्नलिखित सीमा तक खर्च कर सकते हैं :

नई दिल्ली में

भारतीय पर्यटन विकास निगम होटल अर्थात् अशोक और अकबर	**स्वीकृत खान-पान दरें**
बुफे लंच/भोज	60 रुपये प्रति व्यक्ति बिक्री कर अतिरिक्त
लंच/भोज-बैठकर	65 रुपये प्रति व्यक्ति बिक्री कर अतिरिक्त

बम्बई में

5-स्टार होटल आदि	
बुफे लंच/भोज लंच/भोज-बैठकर	65 रुपये प्रति व्यक्ति बिक्री कर अतिरिक्त
अन्य होटलों में	संबंधित उद्यमों के निदेशक बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाने वाली अपेक्षाकृत कम दरें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों आदि के निवास स्थान तथा होटलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पार्टियां।

(क) भोज	15 रुपये प्रति व्यक्ति
(ख) लंच	12 रुपये प्रति व्यक्ति
(ग) स्वागत	7.50 रुपये प्रति व्यक्ति

सरकार ने सरकारी उद्यमों को यह भी सलाह दी है कि जो अधिकारी अपने निवास-स्थानों पर सत्कार व्यय करने के लिये प्राधिकृत किये गए हैं, वे मित्तव्ययता बरतें। ऐसे समस्त सत्कार व्यय आतिथ्य-सत्कार करने वाले अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रमाणीकरण एक नेमी कार्य के रूप में ही न लिया जाए। सरकार ने सरकारी उद्यमों को यह भी सलाह दी है कि ऐसे आतिथ्य-सत्कारों में शराब की व्यवस्था न की जाए भले ही उनमें मुख्य/प्रमुख आमन्त्रित अतिथि विदेशी हों।

(ग) सरकार का विचार है कि सरकारी उद्यमों द्वारा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन से आतिथ्य-सत्कार पर होने वाले निरर्थक व्यय की संभावना ही नहीं रहेगी।

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिए इंडियन एयरलाइन्स की रियायती दरें

9666. श्री राम धन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों से रियायती दरें ली जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन्डियन एयरलाइन्स को 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान इस कारण कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों को भी उक्त रियायतें दी जा रही हैं ; और

(घ) क्या इन्डियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष के इस कथित वक्तव्य को देखते हुए कि अब इन्डियन एयरलाइन्स में सीटों की मांग इस की वहन क्षमता से अधिक है, क्या ऐसी रियायतों को बन्द करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स न तो ऐसे रियायती किरायों के आंकड़ों का अलग से संधारण ही करते हैं और न ही वे इस रियायत को "राजस्व की हानि" ही समझते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। ऐसी रियायत को बन्द करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योगों को आयातित गन्धक (सल्फर) का कोटा आबंटित करना

9667. श्री रामधारी शास्त्री : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० एम० टी० सी० द्वारा दिसम्बर, 1978 से 31 मार्च 1979 तक आयातित गन्धक किन-किन उद्योगों को तथा कितनी-कितनी मात्रा में आबंटित किया गया ;

(ख) आबंटन किस आधार पर किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि नये स्थापित लघु उद्योगों को गन्धक का कोटा बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत कम दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) दिसम्बर 1978 से मार्च 1979 तक के दौरान विभिन्न उद्योगों को की गई गंधक की सप्लाई निम्नोक्त प्रकार है :–

उर्वरक एकक	1,67,000 मे० टन
रेयन एकक	23,000 मे० टन
पेपर एकक	1,000 मे० टन
रसायन एकक	24,000 मे० टन
चीनी	10,000 मे० टन
अन्य लघु उद्योगों में	23,000 मे० टन
योग :	2,48,000 मे० टन

(ख) से (घ) विभिन्न वास्तविक प्रयोक्ताओं को उपलब्ध गन्धक का युक्ति-संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की गई है जिसमें रसायन तथा उर्वरक विभाग, तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं।

जब भी आवश्यकता होती है तब इस समिति की बैठक होती है तथा विभिन्न एककों को उनके स्टाक, उत्पादन तथा भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए गन्धक का आबन्टन करती है।

सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में समिति यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यमान तथा नए उर्वरक उत्पादक एककों की जरूरतें पुर्ण रूप से पूरी की जाती हैं ताकि ऐसे एकक आने वाले खरीफ मौसम की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उर्वरक का उत्पादन कर सकें जबकि जनवरी से मार्च, 1978 की अवधि के दौरान ऐसे एककों की वास्तविक खपत पर सल्फ्यूरिक एसड एककों के संबंध में 10 प्रतिशत की तथा अन्य रासायनिक एककों के संबंध में 20 प्रतिशत की कटौती लागू होगी।

छठी योजना के दौरान महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर हवाई अड्डे का विकास

9668. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोल्हापुर हवाई अड्डे को इन्डियन एयरलाइन्स के लिए एक नियमित हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(ग) इस पर कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क),(ख)और(ग) फिलहाल कोल्हापुर विमान क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इन्डियन एयरलाइन्स की कोल्हापुर से होते हुए विमान सेवा का परिचालन करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, कोल्हापुर उन 50 केन्द्रों में से एक है जिनकी तीसरी वायु सेवाओं संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों की फिलहाल सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

आयकर विभाग, मद्रास के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण की मंजूरी

9669. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग, मद्रास के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण की मंजूरी नहीं दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी संघ ने 22 फरवरी 1979 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है और धनराशि कब तक आबंटित की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) 1978-79 में आयकर आयुक्त, मद्रास के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में धन के उपलब्ध होने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया। तथापि, आयुक्त ने अपनी इच्छा से और 1977-78 में जारी की गई पिछली

मंजूरी के आधार पर, 1978-79 में अपने अधिकार क्षेत्र के कर्मचारियों को 88,500 रुपये की रकम मंजूर की।

(ख) 22 फरवरी 1979 को अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ ने वित्त राज्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया लेकिन उसी तारीख को अर्थात् 22 फरवरी 1979 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। वित्त राज्य मंत्री को प्रस्तुत किए गये ज्ञापन में मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली अग्रिम अदायगी का कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) चूंकि अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासघ कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है अतः उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। जहां तक मकान निर्माण के लिये धन की अग्रिम अदायगी का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण वित्त मंत्रालय को लेखानुदान के आधार पर 10.18 लाख रुपए की रकम आबंटित की गई है जो निर्माण तथा आवास मंत्रालय से अपेक्षित कुल आबंटन का $\frac{1}{6}$ भाग है। इस रकम में से सारे राजस्व विभाग का हिस्सा 6.64 लाख रुपये का है। इस रकम को शीघ्र ही एक ओर सीमा शुल्क तथा केन्दीय उत्पादन-शुल्क विभाग तथा दूसरी ओर आयकर विभाग के बीच बांट दिया जाएगा। नियत की गई रकम की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, निर्माण तथा आवास मंत्रालय से निवेदन किया गया है कि वह मकान निर्माण के सम्बन्ध में धन की अग्रिम अदायगी के लिये और अधिक धन आंबटित करने की व्यवस्था करें।

अहमदाबाद में हुए आयकर कर्मचारी फेडरेशन के सम्मेलन में पारित फेडरेशन के संकल्प

9670. श्री एम० अरुणाचलम : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आयकर कर्मचारी फेडरेशन से ऐसे विभिन्न संकल्प प्राप्त हुए हैं जो अहमदाबाद में 1976 में हुए इसके सम्मेलन में पारित किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) उक्त प्रस्ताव, कुछ अखिल भारतीय मामलों, जैसे आय-कर विभाग की कुछ शाखाओं में काम कर रहे निरीक्षकों को विशेष वेतन मंजूर करना; पदोन्नति तथा विभागीय परीक्षाओं के लिए आयु-सीमा को हटाना; कार्यालयों में स्थान की कमी को दूर करना ; सीधी भर्ती को समाप्त करना ; आदि, आदि से सम्बन्धित हैं। उक्त प्रस्तावों में उठाई गई कुल समस्याओं का निपटान या तो वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद में अथवा आय-कर कर्मचारी फेडरेशन से प्राप्त हुए विशिष्ट मामलों के आधार पर किया गया। जब कभी भी फेडरेशन ने कोई विशिष्ट मामले उठाये, उन पर सरकार द्वारा सदैव भली-भांति तथा शीघ्र ध्यान दिया गया।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

9671. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आयातित खाद्य तेलों के मूल्य में 24 प्रतिशत वृद्धि कर दी है जिसके परिणामस्वरूप वनस्पति के उत्पादकों ने भी मूल्यों में मनमाने ढंग से वृद्धि कर दी और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि मूल्य में कमी हो तथा जनता को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग को सप्लाई किए जाने वाले आयातित सोयाबीन के तेल और रेपसीड के तेल का मूल्य 14-3-1979 से बढ़ा दिया गया है। प्रारम्भ में इसे 6100/– रुपये से बढ़ाकर 7585/- रुपये प्रति मीटरी टन किया गया था। तथापि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने वाले खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क मूल्यानुसार $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने के परिणामस्वरूप इसे घटाकर 7250/– रुपये प्रति मीटरी टन किया गया। बिक्री कर, जो 7250/– रुपये के पहले के मूल्य में शामिल था, को अलग करने के बाद इसे 26-4-1979 से 7110/- रुपये प्रति मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

6100/– रुपये प्रति मीटरी टन के मूल्य के मुकाबले में 7110/– रुपये का नया मूल्य 16.6 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः आयातित तेलों की लागत, बीमा, माल भाड़ा सहित मूल्यों में हुई वृद्धि और साथ ही हाल के सीमा शुल्क भार के कारण हुई है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्गम मूल्य में वृद्धि किये जाने के बाद से वनस्पति उत्पादकों ने वनस्पति के मूल्य बढ़ा दिये हैं। वनस्पति पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और इसलिये सरकार द्वारा मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, सरकार वनस्पति के मूल्यों में हुई इस वृद्धि से चिन्तित है और इस बात के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं कि उन्हें कम करके उचित स्तर पर लाया जा सके।

बैंकों में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

9672. श्री पीयूष तिरकी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में, जहां श्रेणी तीन और चार के पदों के लिये अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, पद रिक्त हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन बैंकों तथा उनकी शाखाओं की कुल संख्या कितनी है तथा आदिवासियों के लिये रिक्त पदों की सूची क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पदों को अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । 31-12-78 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या और कर्मचारियों की कुल संख्या से उसका प्रतिशत नीचे दिखाया गया है :–

	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
राष्ट्रीयकृत बैंक	268	0.42	2812	1.85	1738	2.79
भारतीय स्टेट बैंक	75	0.26	1612	2.37	616	1.81

(ख) और (ग) जी, हां । लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी वर्गों तथा अधिकारी वर्ग में भी अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियां पड़ी हैं, जिन्हें भरा जाना शेष है । बैंकों ने सूचित किया है कि इन समुदायों के लिये जो रिक्त स्थान थे, योग्यताओं और योग्यता-स्तरों में ढील दिये जाने के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण भरे नहीं जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भरती क्षेत्रीय/राज्य आधार पर की जाती है । इसलिये विभिन्न शाखाओं में भरने से शेष रह गई रिक्तियों की संख्या का रिकार्ड बैंकों द्वारा नहीं रखा जाता है ।

तस्करों की सम्पत्तियों को अधिकार में लेने के सम्बन्ध में निर्णय

9673. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों की सम्पत्तियों को अधिकार में ले लिये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) को

25 जनवरी 1976 से संविधि-संग्रह में रखा गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य, तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छलसाधकों तथा इनके रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित की गई सम्पत्तियों का समपहरण करना है। इसे कारगार तरीके से लागु किया जा रहा है। तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभावित व्यक्तियों ने, अनेक मामलों में, इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा न्यायालय से अन्तरिम स्थगन-आदेश प्राप्त करालिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक (कृषि) बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाना

9674. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वाणिज्यिक (कृषि) बैंकों से इस समय ऋण प्राप्त करने में किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : जी, नहीं। बैंक अपने ग्राहकों को कोई अनावश्यक असुविधा नहीं होने देते हैं। आवेदन पत्रों के, विशेष रूप सेग्र ामीण क्षेत्रों के आवेदन पत्रों के, त्वरित निपटान के हित में आवेदन पत्र फार्मों और ऋण देने कि प्रक्रिया को सरल बनाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाति है और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

भारतीय अफीम की बिक्री के लिये प्रबन्ध

9675. श्री लालजी भाई : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय अफीम की बिक्री करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध न होने से, यह गोदामों में पड़ी रही और इससे वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान सरकार को बहुत हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1977-78 में 978 मी० टन और 1978-79 में 852 मी० टन अफीम का भारत से निर्यात किया गया। इन निर्यातों से सरकार को कोई हानि नहीं हुई। इन दो वर्षों के अन्त में निर्यात के लिए स्टाक में क्रमशः 160 मी० टन और 850 मी० टन अफीम बाकी रह गयी थी। वर्ष 1978-79 के अंत में स्टाक में वृद्धि इस कारण हुई थी कि इस वर्ष अधिक उत्पादन हुआ था अर्थात् वर्ष 1977-78 में लगभग 1160 मी० टन के मुकाबले इस वर्ष 1610 मी० टन उत्पादन हुआ और पोस्त की भूसी/पोस्त की भूसी के सान्द्र का उत्पादन करने वाले अन्य देशों के साथ बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय होड़ के कारण निर्यात में कमी हुई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

9676. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके आस्तियों और उनके द्वारा दिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बैंकों की गतिविधियों को और विस्तृत करने के बारे में प्रस्ताव क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) अभी तक देश के 17 राज्यों में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी है। उनका राज्यवार वितरण विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक बैंक की 25 लाख रुपए की चुकता पूंजी के अतिरिक्त दिसम्बर 1978 के अंत में काम कर रहे 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उस तारीख तक 74.86 करोड़ रुपये की जमा राशियां जुटाई थीं। अनुमान है कि दिसम्बर, 1978 के अंत तक इन बैंकों ने 123.02 करोड़ रुपये की राशि के ऋण दिये।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण समाज के कमज़ोर वर्गों की ऋण आवश्यकताएं पुरी करते हैं, जिनमें सीमान्तिक किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण शिल्पी आदि शामिल हैं। इस समय, इन बैंकों द्वारा समृद्ध वर्गों को ऋण देने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	3
2. असम	1
3. बिहार	10
4. गुजरात	2
5. हरियाणा	2
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू और कश्मीर	1
8. कर्नाटक	4
9. केरल	2
10. मध्य प्रदेश	5

राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीम बैंकों की संख्या
11. महाराष्ट्र	1
12. उड़ीसा	4
13. राजस्थान	4
14. तमिलनाडू	1
15. त्रिपुरा	1
16. उत्तर प्रदेश	10
17. पश्चिम बंगाल	4
जोड़	56

कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में आयकर छापे

9677. डा० बापू कालदाते : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने हाल ही में बड़े उद्योग गृहों से सम्बन्धित एक उद्योगपति के कलकत्ता स्थिति निवास तथा कार्यालय पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त छापे सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित तलाशी के फलस्वरूप प्राप्त सूचना के आधार पर कलकत्ता, चण्डीगढ़, तथा नई दिल्ली में भी छापे मारे गये थे ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) संभवतः माननीय संसद-सदस्य का संकेत, सोडा ऐश का निर्माण करने वाली कम्पनी तथा इस उद्योग से सम्बन्धित अन्त व्यक्तियों की आय-कर प्राधिकारियों द्वारा नवम्बर 1978 में ली गई तलाशियों की ओर है। यह सही है कि इन तलाशियों के दौरान एक ऐसे उद्योगपति के कलकत्ता स्थित आवासों तथा कार्यालयों की भी तलाशी ली गई जिसका सम्बन्ध बड़े धरानों से है। इस उद्योगपति के कलकत्ता स्थित परिसरों से कुछ दस्तावेज पकड़े गये।

(ग) तथा (घ) ऊपर (क) में उल्लिखित तलाशी में प्राप्त सूचना के आधार पर कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा नई दिल्ली में कोई और तलाशी नहीं ली गई।

जीवित सांपों तथा सांपों की खालों का निर्यात

9678. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनवान पश्चिमी देशों की जरूरतों को पूरा करने हेतु सांपों की खालों का निर्यात करने के लिए देश में बेतहाशा सांपों को मारा जा रहा है तथा नाग रसेल वाइपर, सेंडबोग्रा, अजगर कोबरा आदि विभिन्न जातियों के सर्पों का अनियंत्रित रूप से बध किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिक असन्तुलन पैदा हो रहा है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान जीवित सर्पों तथा सांपों की खालों के हुए वर्षवार निर्यात, आयातकर्त्ता देशों के नामों, सांपों की संख्या, सांपों की खालों की मात्रा तथा उनके मूल्य सम्बन्धी आंकड़े क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वन्य जीवों से सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात सम्बन्धी नीति के अधीन सांपों तथा सांपों की खालों के निर्यात करने की अनुमति है ; और

(घ) सांपों की संख्या को समाप्त होने और उनकी नसलें समाप्त होने को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठाने का विचार कर रही है उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सांपों और सांपों की खालों के निर्यात पर दिसम्बर, 1975 से पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी । तथापि, बाद में दो बार यह फैसला किया गया कि विषहीन सांपों की खालों के निर्यात की अनुमति दी जाए जो सिर्फ इसलिए किया गया कि निर्यातकों को पहले से रुके हुए स्टाकों को निर्यातों के माध्यम से बेचने का अवसर प्राप्त हो सके ।

(ख) जीवित सांपों के बारे में निर्यात आंकड़ों का रिकार्ड अलग से नहीं रखा जाता । 1974-75 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान, सांपों और रेंगने वाले अन्य जीवों की खालों की देशवार मात्रा और उनका मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । 1978-79 के लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं । वन्य जीव उत्पादों के बारे में निर्यात नीति के अन्तर्गत, सांपों और उनके उत्पादों के निर्यात पर रोक लगी हुई है ।

(घ) सांपों और उनकी खालों की सभी किस्मों, जिनमें सांप की खालों से बनी वस्तुएं शामिल हैं, के निर्यात पर विद्यमान पूर्ण रोक को देखते हुए, सरकार द्वारा और कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

विवरण में 1974-75 से 1977-78 के दौरान सांप की खालों, अजगर की खालों और रेंगने वाले अन्य जीवों की खालों के देशवार निर्यात दर्शाए गए हैं।

मूल्य लाख रुपयों में
1977-78 के सिवाय, अन्य मात्राएं हजार संख्या में

क्रमांक	मद का विवरण	1974-75		1975-76		1976-77			1977-78	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	6	6	7	8		9	10
(क)	सांप और अन्य रेंगने वाले जीवों की उतरी हुई खालें।									
1.	अजगर की खाल को छोड़कर सांपों की खाल :									
	जर्मन एफ० आर० पी०	—	—	—	—	7	0.50		—	—
	इटली	—	—	—	—	—	—		10 के०जी०	0.09
	योग	—	—	—	—	7	0.50		10 के०जी०	0.09
2.	अजगर की खालें	—	—	—	—	—	—	बेल्जियम	157 के०जी०	0.82
								जर्मन डी पी	510 के०जी०	0.53
								जर्मन एफ पी	300 के०जी०	0.67
								इटली	1200 के०जी०	1.28
3.	रेंगनेवाले अन्य जीवों की खालें	—	—	—	—	—	—	जर्मन रिप०	60 के०जी०	0.64
								कोरिया रिप०	60 के०जी०	0.006

(ख) अजगर की कमाई हुई खालों को छोड़कर सांपों की खालें									
बेल्जियम	9	1.65	—	—	—	—	—	सं०	—
फ्रांस	181	41.12	73	14.50	149	26.65	2483	,,	12.13
जर्मन एफ आर पी	73	16.89	192	41.64	920	130.58	10240	,,	35.01
हंग्री	—	—	—	—	—	—	99	,,	0.17
इटली	89	17.64	211	31.03	331	42.65	4794	,,	20.60
जापान	45	3.47	—	—	45	5.19	—		—
स्पेन	144	33.61	45	7.02	245	32.24	2496	,,	20.58
ब्रिटेन	45	13.33	355	51.95	970	86.14	4119	,,	18.22
कोलम्बिया	—	—	45	3.05	—	—	—		—
सं० रा० अमरीका	1	0.26	78	10.77	116	13.00	1960	,,	12.36
अन्य देश	नगण्य	0.12	—	—	300	26.31	—		—
योग	587	128.09	999	159.97	3076	364.76	26200	सं०	120.07
2. अजगर की कमाई हुई खालें									
फ्रांस	15	5.49	—	—	—	—	—		—
ब्रिटेन	नगण्य	0.05	—	—	—	—	—		—
योग	15	5.54	—	—	—	—	—		—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	रेंगने वाले अन्य जीवों की कमाई हुई खालें।								
	इटली	27	1.30	—	—	—	—	—	—
	जापान	15	1.32	—	—	—	—	—	—
	फ्रांस	—	—	4	0.32	—	—	—	—
	ब्रिटेन	—	—	30	2.32	—	—	110 सं०	0.007
	यू० एस० ए०	—	—	10	1.57	—	—	—	—
	योग	42	2.62	44	4.21	—	—	110 सं०	0.007

नोट : आंकड़ें अनन्तिम हैं और संशोधित किए जा सकते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड--I (निर्यात)

कलकत्ता पत्तन पर हड़ताल के कारण पटसन के निर्यात का आयात

9679. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पर व्याप्त संकट के कारण पटसन के निर्यात को धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नवम्बर, 1978 से इस निर्यात में भारी गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इस से पूर्व के वर्षों के समय हुए सामान्य निर्यात की तुलना में कुल कितना निर्यात हुआ है और इस निर्यात में वृद्धि के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) कलकत्ता पत्तन तथा पटसन उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण नवम्बर, 1978 से काफी अवधि तक कलकत्ता पत्तन से विदेशी बाजारों को पटसन से बने माल का बहुत कम निर्यात हो सका।

(ग) 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों में नवम्बर-फरवरी के बीच की अवधि के लिए पटसन से बने माल का निर्यात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। हड़ताल समाप्त हो गई है तथा सामन्य निर्यात आमतौर पर फिर शुरू हो गया है।

विवरण

नवम्बर-फरवरी	मात्रा (हजार मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1976-77	160.9	69.51
1977-78	156.5	78.03
1978-79	40.14	20.91

गैर-सरकारी विमान सेवा का कार्य करना

9680. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई गैर-सरकारी विमान सेवा कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई राज्य सरकार गैर-सरकारी विमान सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। बम्बई स्थित एक निजी गैर-अनुसूचित आपरेटर, मैसर्स गोल्डन सन एवियेशन, जिनके पास गैर-अनुसूचित परमिट हैं, फिलहाल निम्नलिखित मार्गों पर परिचालन करते हैं :–

(i) बम्बई-रत्नगिरि-बम्बई

(ii) बम्बई-कोल्हापुर-बम्बई

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिल नाडु ने अपने-अपने राज्यों के अंतर्गत ऐसे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए, जो फिलहाल इण्डियन एयरलाइंस के मार्ग-तंत्र में सम्मिलित नहीं हैं, अनुसूचित विमान सेवाओं का परिचालन करने में रुचि दर्शाई है। देश में तीसरी वायु सेवाओं के परिचालन के समग्र प्रश्न की जांच करने के लिए स्थापित की गयी समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। यह जांच इस विशेष संदर्भ में की जा रही है कि इन सेवाओं का परिचालन कौन-सी ऐजेंसी करे और राज्य सरकारों तथा निजी परिचालकों को ऐसी सेवाओं का परिचालन करने के लिए किस सीमा तक अनुमति प्रदान की जाए।

हाल में केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट और कालीकट-कोचीन को विमान सेवा से जोड़ने के लिए विमान सेवा का परिचालन करने हेतु मैसर्स हंस एयर लि० की सिफारिश की है। सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही है।

उत्पादन शुल्क में स्तर प्रणाली (स्लैब सिस्टम) आरम्भ करने का प्रस्ताव

9681. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पादन शुल्क में स्तर प्रणाली (स्लैब सिस्टम) आरम्भ करने का विचार कर रही है जिससे कि प्रति वर्ष 2500 टन से कम उत्पादन करने वाले कारखानों को शक्तिचालित कशीनों से धुलाई का साबुन वाले लघु उत्पादकों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क से छूट मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शक्तिचालित छोटे कारखाने उतना अच्छा साबुन बना सकते हैं जितना बड़े कारखाने बनाते हैं तथा वे उनके साथ प्रतियोगिता भी कर सकते हैं बशर्ते उनसे उत्पादन शुल्क भार हटा लिया जाए ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय स्टेट बैंक में विभागीय पदोन्नति के बारे में आरक्षण नीति

9682. श्री मही लाल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और मुख्य कोषाध्यक्ष और मुख्य लिपिकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और वर्ष 1973 से पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या का सर्किलवार

ब्यौरा क्या है और भारतीय स्टेट बैंक में विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति लागू करने के बाद पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या उनके लिए आरक्षित कोटे को श्रेणी-वार भर दिया गया है ;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति के अनुसार पर्याप्त संख्या में पदोन्नति कर दी गई है और पदोन्नतियों का कार्य बकाया नहीं पड़ा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन श्रेणियों में आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

वर्ष 1977 और 1978 के दौरान विमान दुर्घटनाएं

9683. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान भारत में हुई विमान दुर्घटनाओं की संख्या का तारीख-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की विमान दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ;

(ख) इस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों में से कौन-से विमान भारत के थे और कौन-से विमान विदेशों के थे ; और

(ग) देश में ऐसी विमान दुर्घटनाओं को रोकने और विमानों के लिए अधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान भारत के अन्दर भारत में पंजीकृत विमानों की क्रमश : 18 तथा 17 उल्लेखनीय दुर्घटनाएं हुईं । विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1977 तथा 1978 के दौरान विदेशों में पंजीकृत किसी विमान की दुर्घटना नहीं हुई ।

(ग) विभिन्न जांच अदालतों/समितियों तथा दूर्घटना निरीक्षकों द्वारा सिफारिश किये गये सुरक्षा उपायों तथा सुझावों की जांच की गई है और उन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित किया गया है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जा सके ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 4414/79]

इलाहाबाद में मोटल का निर्माण

9684. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार अवसरों को उपलब्ध करने के अलावा विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिए पर्यटन उद्योग का विकास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है ;

(ख) क्या दिल्ली और कलकत्ता के बीच सड़क से यात्रा करने वाले पर्यटकों की कठिनाइयों को टालने के लिए किसी भी होटल का निर्माण नहीं किया गया है ;

(ग) क्या इलाहाबाद में मोटल का निर्माण करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने सर्वप्रथम 1974 में मंजूरी दी थी और केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकार ने भी उक्त प्रस्ताव के प्रति सहमति दे दी थी और मोटल को एक जन उपयोगी सेवा घोषित करते हुए, भूमि का अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इलाहाबाद के जिला अधिकारी द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना भी जारी की गई थी और मै० गुप्ता मोटल्स प्राइवेट लि० ने, जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है और जिसे मंत्रालय द्वारा एक एजेन्सी के रूप में मान्यता दी गई है, सरकार के पास उक्त कार्य के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में 57000 रु० की धन राशि जमा की थी ;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस महत्वपूर्ण मोटल योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) का पटना में 56 कमरों का और वाराणसी में 50 कमरों का एक होटल है। बौधगया में भारत पर्यटन विकास निगम का यात्री गृह ग्रैंड ट्रंक रोड से केवल 20 मील दूर है। वाराणसी, पटना या बौधगया होते हुए सड़क के रास्ते दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले पर्यटक इन आवास स्थापनाओं में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ग), (घ), (ङ) और (च) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने इलाहाबाद में मैसर्स गुप्ता मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड की मोटल परियोजना पर दिनांक 5-11-1974 को अनुमोदन प्रदान किया। तथापि, यह पता चला है कि कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण, मोटल का निर्माण करने में उद्यमकर्ता अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं। पार्टी से अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने परियोजना के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ कई अवसरों पर इस मामले को उठाया है।

भारत-मालद्वीप वैमानिक करार

9685. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-मालद्वीप वैमानिक करार पर फरवरी, 1979 में हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) फरवरी 1979 में नई दिल्ली में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, दोनों प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं ने भारत-मालदीव विमान सेवा करार के पाठ पर आद्यक्षर किए। इस करार में व्यवस्था है

कि दोनों सरकारों की नामित विमान कम्पनियों अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स तथा मालदीव अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स में से प्रत्येक को विनिर्दिष्ट मार्गों पर प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह कुल मिलाकर तीन सेवाएं परिचालित करने का अधिकार होगा, अर्थात् :—

	रवाना होने के स्थान	**मध्यवर्ती स्थान**	**मालदीव/भारत के स्थान**
इंडियन एयरलाइंस	भारत के स्थान	कोलम्बो	माले
	भारत के स्थान	—	इंडियन एयरलाइंस द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य स्थान
मालदीव अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स	मालदीव के स्थान	कोलम्बो	मद्रास
	मालदीव के स्थान	—	त्रिवेन्द्रम

ये परिचालन ऐसे विमानों से किए जायेंगे जिनकी क्षमता बी-737 विमान से अधिक न हो या जिनकी क्षमता बी-737 के बराबर या कम हो, परन्तु ये सुपरसॉनिक विमान नहीं होंगे ।

विदेशी पूंजी निवेश

9686. श्री पी० के० कोडियन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1978 तक भारत में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी निवेश की बकाया राशि कितनी है तथा उसके आंकड़ों का देशावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन उद्योगों के मुख्य शीर्ष क्या हैं जिनमें यह पूंजी लगाई गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में और गैर-सरकारी पूंजी निवेश आमंत्रित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में और कितना ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) देश में लगी हुई बकाया विदेशी पूंजी से सम्बन्धित आंकड़े संकलित करने में अनिवार्य रूप से काफी समय लग जाता है, और रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित नविनतक आंकड़े 31 मार्च, 1974 की स्थिति के सूचक हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें देशवार लगी हुई बकाया विदेशी पूंजी और उद्योगों के मुख्य शीर्षों को जिनके अन्तर्गत उक्त पूंजी लगी हुई है, प्रदर्शित किया गया है ।

(ग) और (घ) विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति 23 दिसम्बर, 1977 को सभा-पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति विषयक विवरण के पैरा 24 से 26 तक दी गई है । विदेशी पूंजी निवेश को विदेशी पूंजी के स्रोत की अपेक्षा आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की प्राप्ति का साधन अधिक माना जाता है और इसके लिए अनुमति सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी वाले या निर्यात प्रधान क्षेत्रों में दी जाती है ।

विवरण

निगमित औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यम : बकाया दीर्घावधिक विदेशी देनदारियां (देश और उद्योगवार)

(करोड़ रुपये)

	मार्च, 1974 के अन्त में
	जोड़
1	2
कनाडा	32.4
विनिर्माण	32.4
फ्रांस	49.7
खनन	4.6
पैट्रोलियम	7.8
विनिर्माण	23.9
सेवाएं	13.4
जर्मनी (संघीय गणराज्य)	180.8
खनन	0.9
विनिर्माण	75.1
सेवाएं	104.8
इटली	83.4
खनन	2.8
पैट्रोलियम	4.7
विनिर्माण	70.2
सेवाएं	5.7
जापान	41.6
विनिर्माण	39.2
सेवाए	2.4
स्विटजरलैंड	44.9
बागान	1.1
विनिर्माण	42.0
सेवाएं	1.8
स्वीडन	34.3
विनिर्माण	18.2
सेवाएं	16.1

1	2
यूनाइटेड किंगडम	689.1
बागान	112.0
खनन	7.0
पैट्रोलियम	102.1
विनिर्माण	387.5
सेवाएं	80.5
संयुक्त राज्य अमेरिका	530.9
बागान	0.2
पैट्रोलियम	59.3
विनिर्माण	321.6
सेवाएं	149.8
अन्य देश	131.7
बागान	0.3
खनन	1.6
पैट्रोलियम	1.9
विनिर्माण	60.1
सेवाएं	70.8
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं	121.2
विनिर्माण	13.5
सेवाएं	107.7
जोड़	1943.0
बागान	113.6
खनन	16.9
पैट्रोलियम	175.8
विनिर्माण	1073.2
सेवाएं	653.5

भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और आयात करने के लिये पाकिस्तान के सुझाव

9687. **श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और आयात करने के लिये पाकिस्तान ने कोई सुझाव दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों का संचालन करने की गुंजाइश तथा तरीके के संबंध

में पाकिस्तान के साथ अक्तूबर 1978 में विचार-विमर्श हुआ। इन विचार-विमर्शों में प्रगति रिकार्ड की गई और यह विनिश्चय किया गया कि बाकी मसलों पर विचार करने के लिए वार्ता का अगला दौर नई दिल्ली में होना चाहिए। जब तक व्यापार करार को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक, पाकिस्तान ने यह संकेत दिया कि जबकि उनकी ओर से सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के माध्यम से भारत के साथ व्यापार जारी रहेगा, भारत की ओर से गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र इस व्यापार में भाग लेंगे।

(ख) पाकिस्तान के साथ व्यापार वार्ताएं, आपसी परामर्श के जरिए निर्धारित की जाने वाली तारीखों से पुनः आरम्भ होंगी।

अच्छे किस्म के कच्चे पटसन का निर्यात

9688. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की सरकार को जानकारी है कि भारतीय जूट सामग्री के सभी प्रमुख विदेशी खरीदारों ने इस आशय का नोटिस दिया है कि ठीक समय पर सामान की सप्लाई करने में निरन्तर असफल रहने वाले भारतीय उद्योगों को 'गम्भीर परिणामों' का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) माल सप्लाई करने की समय-सूची के अनुसार कार्य करने और मूल्यों के स्तर को कायम रखने में हमारी अक्षमता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जहाज पर माल का लदान पूरी तरह बन्द हो गया है, जिससे सर्वाधिक हानि हो रही है;

(घ) क्या बड़ी मात्रा में माल रोक लिया गया है, जबकि देय राशियों को वसूल नहीं किया जा सकता और कच्चे पटसन के व्यापारियों और उत्पादकों पर अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ;

(ङ) क्या यह सच है कि नई दिल्ली ने अच्छी किस्म के कच्चे पटसन की कुछ मात्रा का निर्यात करने का निर्णय किया है; क्या यह अधिक लाभप्रद नीति नहीं होगी कि कच्चे पटसन की इस मात्रा को उद्योग जूट सामग्री में परिवर्तित करे और अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करे; और

(च) क्या सरकार के समक्ष जूट का वृहत भण्डार बनाने की कोई योजना है जिससे उद्योग को बड़े पैमाने पर लाभ होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां। पटसन माल के प्रमुख आयातक देशों में क्रेताओं और आयातकों के कुछ प्रमुख संगठनों ने संविदाकृत माल को समय पर सुपुर्द करने में भारतीय निर्यातकों की असफलता के बारे में चिन्ता प्रकट की है।

(ख) तथा (ग) पटसन उद्योग और परिवहन से सम्बद्ध विभिन्न कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर रहने के कारण, 15 नवम्बर, 1978 से काफी समय तक कलकत्ता बन्दरगाह से विदेशी बाजारों को पटसन माल बहुत कम भेजा जा सका।

(घ) माल न भेजे जा सकने के परिणामस्वरूप उद्योग के लिए वित्तीय कठिनाइयां पैदा हो गई हैं जिससे पटसन मिलों द्वारा देय राशि के निपटाये जाने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(ङ) तथा (च) सरकार की नीति समान्य रूप से यह है कि कच्चे पटसन की बजाय पटसन से बनी चीजों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। तथापि, चालू वर्ष में पर्याप्त फसल की तुलना में पटसन उद्योग द्वारा रेशे की अपेक्षाकृत कम खपत को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि उपजकर्ताओं पर आगे चल कर पड़ने वाले संभव प्रतिकूल प्रभाव से बचाव किया जाए । तदनुसार, एक निर्णय द्वारा भारतीय पटसन निगम को यह प्राधिकार दिया गया कि वह मध्यम और निम्न ग्रेड की कच्चे पटसन की 1 लाख गांठों का निर्यात करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाए ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बैंक खातों का प्रत्यावर्तन

9689. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापितों ने नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान (नया रूपाली बैंक आफ बंगला देश) तथा बंगला देश के अन्य बैंकों में गैर-निवासी ब्लाक खातों में भारी धनराशि छोड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इन विस्थापितों ने सरकार को कुल कितनी राशि की सूचना दी है;

(ग) क्या बंगला देश सरकार ने इन खातों के मालिकों को उक्त खातों से धन निकालने-जमा कराने पर रोक लगा दी है; और

(घ) इन बैंक राशियों को यहां प्रत्यावर्तित करने में सहायता देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) सरकार को इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है कि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने बंगला देश के बैंकों में गैर-निवासी ब्लाक खातों में कोई धन-राशि छोड़ी है । तथापि, 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद, वहां काम कर रहे भारतीय बैंकों द्वारा जो दावे दर्ज किए गए हैं, उनके आधार पर और अन्य स्रोतों के अधार पर उनमें लगभग 4.85 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1975 के आरम्भ में दोनों देशों के बीच हुई सरकारी स्तर पर बातचीत में भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति, पेंशन, भविष्य निधि और तरल परिसम्पत्तियों का प्रश्न बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया था परन्तु इसको सुलझाने की दिशा में कोई प्रगति न हो सकी । यह मामला बंगलादेश के राष्ट्रपति को दिसम्बर, 1977 में भारत यात्रा के दौरान और अप्रैल, 1979 में प्रधानमंत्री की बंगलादेश यात्रा के दौरान पुनः सामान्य रूप से उठाया गया था । तथापि, दोनों सरकारों के बीच इस प्रश्न पर अभी तक कोई अन्तःसरकारी करार नहीं हुआ है ।

दिल्ली में मांस व्यापारियों द्वारा हड़ताल

9690. **श्री के० ए० राजन :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांस के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लेने के बाद दिल्ली में मांस व्यापारियों द्वारा कथित हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया है क्या ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख जी, हां । निर्यात के पुनः आरंभ किये जाने पर, जो निर्यातकों द्वारा कुछ समय के लिए स्वेच्छा से रोक दिया गया था, जीवित पशुओं की कीमतों में कथित वृद्धि के विरोध में 28-3-79 से 3-4-79 तक दिल्ली के मांस व्यापारियों ने हड़ताल की थी । यह हड़ताल इस बीच व्यापारियों द्वारा वापस ले ली गई है और सरकार द्वारा कोई और कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शरणार्थी पैनल आफिस, कलकत्ता का बन्द किया जाना

9691. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश और पाकिस्तान (क्लेमेंट एसोसिएशन) के शरणार्थियों ने कलकत्ता पैनल आफिस बन्द किये जाने पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल आफिस के बन्द किये जाने पर कलकत्ता में क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस कार्यालय को बन्द न करने के निदेश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क), (ख) तथा (ग) उन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों के, जिनकी 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में परिसंपत्तियां जब्त कर ली गई थीं, दावों के सत्यापन के लिए गठित किया गया तीन सदस्यीय पैनल 1974 में जब वह गठित हुआ तभी से कार्य करता रहा है । कलकत्ता स्थित इस कार्यालय को बंद करने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

9692. **श्री चित्त बसु :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी चार वर्षों के लिए राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम की 860 लाख डालर की सहायता के लिए सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत 69 परियोजनाएं शामिल होंगी ;

(ख) क्या सहायता परियोजना-बद्ध है ;

(ग) परियोजनाओं का चयन करने का क्या मानदण्ड है ;

(घ) परियोजनाओं का चयन करने में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है ; और

(ङ) परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अनुमान लगाया गया है कि वष 1977-1983 की अवधि के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के स्रोतों से कुल 1480 लाख डालर प्राप्त होंगे। 1480 लाख डालर की इस राशि के मुकाबले, चालू परियोजनाओं के संबंध में 753.4 लाख डालर की राशि के लिए वचन दिए जा चुके हैं और 143.8 लाख डालर की राशि के लिए परियोजनाओं पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस प्रकार, पहली अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान हाथ में ली जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए 582.8 लाख डालर की राशि शेष रहती है। इस राशि के पूरे उपयोग की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए 353.2 लाख डालर की सीमा तक निर्धारित कार्यक्रमों से अधिक कार्यक्रम रखे गए हैं। इसलिए अद्यतन स्थिति यह है कि भारत (संयुक्त राष्ट्र विकास संत्र) कन्ट्री कार्यक्रम (1 अप्रैल, 1979—31 मार्च, 8983) के मसौदे में 72 नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं जिनमें कुल 936.0 करोड़ डालर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता की परिकल्पना है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कन्ट्री कार्यक्रम के आधार पर तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती है जिसमें सहायता प्राप्त करने वाली सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय विकास आयोजनाओं में उल्लिखित देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए परियोजनाओं की पृथक रूप से पता लगाएंगी।

(ग) भारत (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) कन्ट्री कार्यक्रम (1 अप्रैल, 1979—31 मार्च, 1983) में शामिल करने के लिए परियोजनाओं का चुनाव करने के संबंध में निम्नलिखित मापदण्ड प्रयोग में लाए गए :—

(i) प्रौद्योगिकी संबंधी ऐसा अन्तर विद्यमान होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पूरा किया जा सकता हो ;

(ii) परियोजनाओं को राष्ट्रीय आयोजना में प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए ;

(iii) निधि जुटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सबसे अधिक उपयुक्त स्रोत होना चाहिए ;

(iv) इन परियोजनाओं के लिए प्रतिरूप रुपया समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

(घ) यद्यपि दूसरे कन्ट्री कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए परियोजनाओं का चुनाव करने में राज्य सरकारों को सीधे शामिल नहीं किया गया तथापि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे दूसरे कन्ट्री कार्यक्रम के मसौदे में शामिल किए जाने वाले अपने प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त सभी परियोजनाओं में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संबंधी सामग्री होती है और इसके साथ भारत सरकार का प्रतिरूप अंशदान

होता है । जहां तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय अंश का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक विशिष्टता प्राप्त अभिकरण को नामज़द कर देता है । प्रायोजक मन्त्रालय विभाग इन परियोजनाओं के लिए निष्पादक अभिकरण के रूप में कार्य करता है ।

बड़ी कम्पनियों द्वारा नए सिरे से शेयर जारी करना

9693. **श्री चित्त बसु** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े पूंजी निवेश गृहों को यह सलाह दी है कि वे जनता को नए सिरे से पूंजी शेयर जारी करे जिससे इन कम्पनियों की शेयर पूंजी का आधार व्यापक हो सके ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस दिशा में अब तक यह सलाह दी गई है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह सलाह देने का मानदण्ड क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने बड़ी कंपनियों को जनता के लिए शेयर जारी करने की कोई सामान्य सलाह नहीं दी है । फिर भी, सरकार की आधारभूत नीति यह है कि कंपनियों के शेयर व्यापक रूप से जनता के पास होने चाहिए । संबंधित मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए, एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रस्तावों के लिए अनुमोदन देते समय, जिनमें काफी अधिक विस्तार अथवा विविधीकरण किया जाना हो, सामान्यतः एक शर्त यह रखी जाती है कि कंपनी की शेयर पूंजी में जनता को अधिक भागीदार बनाया जाए और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा आम जनता को सामान्य (इक्विटी) पूंजी के आबंटन में तरजीह दी जाए जिससे कि गुप्रों की शेयर धारिता में कमी करने की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके । एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा के अंतर्गत आने वाली ऐसी एक कंपनी ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग ऐण्ड (वीविंग) कंपनी है जिसे जनता को शेयर जारी करने के लिए कहा गया है और इसने एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की शर्तों का पालन करने के लिए जनता को 2 करोड़ रुपए की सामान्य (इक्विटी) पूंजी के शेयर जारी करने का प्रस्ताव दिया है ।

विदेशी खरीददारों द्वारा चीनी मिलों से सीधे सौदे

9694. **श्री निहार लास्कर** :

श्री पी० एम० सईद :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन माह प्रतीक्षा करने के बाद चीनी मिलों ने विदेशी खरीददारों से सीधे सौदे करने आरम्भ कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रैस समाचार कहां तक सच हैं;

(ग) क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में लायी गई है कि एक चीनी मिल ने, जिसने हाल ही में राज्य व्यापार निगम के पास पंजीकरण कराया है, बंगलादेश के साथ निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी मिल को उक्त कार्यवाही की अनुमति दी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) चीनी मिलों को 30-6-79 तक चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते वे अपनी संविदाओं को 30 मार्च, 1979 तक पंजीकृत करा लें। एक चीनी मिल ने बंगलादेश को आजमाइशी क्रयादेश के तौर पर 6 मे० टन चीनी के निर्यात के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। उनका अनुरोध विचाराधीन है।

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी उद्यमों/ऐच्छिक संगठनों/औद्योगिक गृहों का अंशदान

9695. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी उद्यमों/ऐच्छिक संगठनों/औद्योगिक गृहों का क्या अंशदान रहा और क्रियान्वित योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या छूट दी ;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी औद्योगिक गृहों/ऐच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति का काम सौंपा गया था और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है और आगामी पांच वर्ष के लिये इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ;

(ग) ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये सूचना एकत्र करने और औद्योगिक गृह/ऐच्छिक संगठनों के भाग लेने के बारे में पत्र-पत्रिकाएं निकालने की क्या व्यवस्था की गई ; और

(घ) क्या केन्द्र में इस बारे में प्रबन्ध पर्याप्त है और ग्रामीण विकास औद्योगिक गृहों/संगठनों के भाग लिये जाने को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को ग्रामीण-क्षेत्र के कल्याण तथा उत्थान के काम में लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1977 द्वारा आय-कर अधिनियम में एक नयी धारा 35 सी सी जोड़ दी गई थी, जिसके अन्तर्गत कम्पनियां तथा सहकारी समितियां, कर लगने योग्य अपने लाभों की संगणना में, ग्रामीण-क्षेत्र के विकास के किसी अनुमोदित कार्यक्रम पर उनके द्वारा किये गये व्यय की कटौती की हकदार हैं। वित्त अधिनितम, 1978 के माध्यम से जोड़ी गई आय-कर अधिनियम की धारा 35 सी सी ए के अन्तर्गत कारोबार अथवा व्यवसाय करने वाले किसी करदाता द्वारा ऐसे किसी अनुमोदित संगठन अथवा संस्था को, जिसका लक्ष्य ग्रामीण-विकास के ऐसे कार्यक्रमों को आरंभ करना हो जिसका उपयोग ग्रामीण-विकास के किसी अनुमोदित कार्यक्रम को चलाने के लिए किया जाना हो, अदा की गई रकम पर उसके कर लगने योग्य लाभों की संगणना में कटौती के रूप में छूट दी जाती है। ग्राम-विकास कार्यक्रम की परिभाषा इस तरह से की गई है कि उसमें किसी ग्रामीण-क्षेत्र में जनता के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण को अथवा उत्थान को बढ़ावा देने के किसी कार्यक्रम को शामिल किया जा सके।

अब तक 93 कम्पनियों तथा 37 संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों को, जिनमें लगभग 15 करोड़ रु० के आयोजित वित्तीय परिव्यय की रकम अन्तर्ग्रस्त है, विहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनेक कम्पनियों तथा संस्थाओं ने अनुमोदित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है, किन्तु फिर भी ब्यौरे केवल तभी उपलब्ध होंगे जब अलग-अलग कर-निर्धारण वर्षों के बारे में आय की विवरणियां और अनुमोदित कार्यक्रमों पर किये गये व्यय की कटौती के दावे पेश किये जायेंगे और कर-निर्धारण करते समय उनकी जांच कर दी जायेगी।

वित्त विधेयक, 1979 द्वारा धारा 35 सी०सी०ए० की प्रभाव-सीमा का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि कारोबार अथवा व्यवसाय करने वाले किसी करदाता द्वारा, ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दी गई दान की रकमों पर आय-कर में छूट दी जा सके। कारोबार अथवा व्यवसाय करने वाले लोगों से भिन्न कर-दाताओं को भी कर-रियायत दिये जाने का प्रस्ताव है। आय-कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 80 जी०जी०ए० जोड़ कर ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रस्वावित उपबन्धों का ब्यौरा, वित्त विधेयक, 1979 में निहित उपबन्धों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन के 43 से 48 पैराग्राफों में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) ग्राम-विकास के कार्य-क्रम के अनुमोदन के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की प्रत्तियां सम्बन्धित आयकर आयुक्तों, राज्य-सरकारों और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के ग्राम-विकास विभाग को भी भेजी जाती हैं। ग्राम-विकास विभाग उन कम्पनियों/संस्थाओं के बारे में सूचना संकलित करता है जिनके ग्राम-विकास कार्य-क्रम अनुमोदित कर दिए गए हों और ऐसे कार्यक्रम के ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजता है ताकि वे कार्य-क्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सकें। ग्राम-विकास विभाग ने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है। परियोजनाओं के कार्य चालन के सम्बन्ध में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट भेजें।

वर्तमान में, आयकर अधिनियम की दोनों धाराओं, अर्थात् 35 सी०सी० तथा 35 सी०सी०ए० के अधीन एक ही विहित प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाती है। उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के बजट-भाषण के पैराग्राफ 90 में यह उल्लेख किया गया कि ग्रामीण विकास कार्य-क्रमों को शीघ्र मंजूरी देने की दृष्टि से धारा 35 सी०सी० के अधीन एक ऐसी राज्यस्तरीय समिति को मंजूरी देने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें आयकर आयुक्त और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसका एक वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हो। तर्कसंगत उपाय के रूप में धारा 35 सी०सी०ए० के अधीन मंजूरी देने का अधिकार वैसी ही राज्यस्तरीय समितियों को भी देने का प्रस्ताव है जो धारा 35 सी०सी० के प्रयोजनार्थ गठित की जाएं। परन्तु यह अत्यावश्यक है कि अनुमोदित कार्य-क्रमों पर कारगर तरीके से निगरानी रखने की पर्याप्त व्यवस्था की जाये, और इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय किए जांय।

अजन्ता पेपर एण्ड जनरल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, वडावली रोड, कल्याण पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर की बकाया राशि

9696. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजन्ता पेपर एण्ड जनरल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, वडावली रोड, कल्याण ने गत तीन

वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क (पृथक-पृथक) की कितनी राशि अदा की और आयकर सहित उसकी कितनी राशि इस फर्म पर बकाया है ; और

(ख) इस फर्म की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष में इसमें कितनी पूंजी लगाई गई और इसके भागीदारों के नाम क्या हैं और वे किन-किन अन्य उद्योगों और व्यापारों में भागीदार हैं तथा उनमें प्रत्येक में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है और उन पर पिछले तीन वर्षों का कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का कोई वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है । अतः कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किये गये सीमा शुल्क की रकम के संबंध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां तक सीमा शुल्क की बकाया, यदि कोई हुई, का संबंध है सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, तथा कम्पनी की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर की बकाया के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) मैसर्स अजन्ता पेपर एण्ड जनरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कल्याण, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है और इसका पंजीकरण महाराष्ट्र राज्य में 23 फरवरी, 1962 को हुआ था । कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में लगायी गयी पूंजी का पता चलता है, कम्पनी-कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित अवधि को समाप्त हुए वर्ष का तुलन-पत्र	**लाख रु० में**
31-12-1968 से 31-12-1972 तक	10.00
31-12-1973	15.00
31-12-1974	20.00

पेपर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की बकाया राशि

9697. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेपर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (रोहा स्थित) 14/13, अजमेरी गेट एक्सटेन्शन, दिल्ली ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की पृथक-पृथक कितनी राशि अदा की और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म में आरम्भ से अब तक वर्षवार कितना पूंजी निवेश हुआ है, इसके भागीदार कितने हैं और वे अन्य किन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं, वहां उनमें से प्रत्येक ने कितनी पूंजी लगा रखी है और उन पर गत तीन वर्षों का कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यात-कर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का कोई वर्ष-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

अतः गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम के सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) मैसर्स पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, दिल्ली, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत है और इसके पंजीकरण की तारीख 12 जून, 1950 है।

कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में लगायी गयी रकम का पता चलता है, के सम्बन्ध में सूचना, कम्पनी-कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित अवधि को समाप्त हुए तुलन-पत्र की तारीख	**चुकता पूंजी** (रु० में)
31-7-1956	9,31,997
31-7-1957	9,37,677
31-7-1958 से 31-7-1959	9,38,500
31-7-1960	15,97,499
31-7-1961	16,00,000
31-7-1962	41,82,250
31-7-1963	49,96,625
31-7-1964	59,76,723
31-7-1965	59,89,603
31-7-1966	59,99,590
31-7-1967	59,99,865
31-7-1968	72,00,000
31-7-1969 से 31-7-1977	85,00,000

विदर्भ पेपर मिल्स लि०, नागपुर पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर की बकाया राशि

9698. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदर्भ पेपर मिल्स लि०, द्वितीय तल-बैंक आफ महाराष्ट्र बिल्डिंग, अभयंकर रोड, सीता वल्डी, नागपुर द्वारा उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में पृथक-पृथक कितनी राशि का भुगतान किया गया और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म की स्थापना होने के बाद से अब तक इस फर्म में वर्षवार कितनी धनराशि लगायी गयी है और इस फर्म के भागीदारों की संख्या कितनी है और उन अन्य उद्योगों और

व्यापारों के नाम क्या हैं, जिनमें वे भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी धनराशि लगाई गई है और गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आयकर की कितनी राशि उन पर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकत्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिये, उक्त कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किये गये सीमा शुल्क की रकम से सम्बन्धित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर उत्पादन शुल्क की और आयकर की बकाया रकम के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स विदर्भ पेपर मिल्स लिमिटेड, नागपुर, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में एक पंजीकृत कम्पनी है और इसके पंजीकरण की तारीख 6-6-1961 है। कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में किये गये पूंजी निवेश का पता चलता है, उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार नीचे दर्शायी गयी है :—

निम्नलिखित अवधि को समाप्त तुलन-पत्र	**चुकता पूंजी** (लाख रुपयों में)
30-6-1963 (दूसरी वार्षिक रिपोर्ट)	7.10
30-6-1964	9.06
30-6-1967	9.82
30-6-1968 से 30-6-1973 तक	12.82
30-6-1974	13.00
30-6-1975	12.84

बम्बई पल्प एण्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर की बकाया राशि

9699. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई पल्प एन्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 109, शेखर मेनन स्ट्रीट, बम्बई ने उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क (अलग-अलग) की कितनी राशि का भुगतान किया और उनके विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म के आरम्भ होने से वर्षवार इसमें कितनी पूंजी लगाई गई और इसके कितने भागीदार हैं और वे अन्य कितने उद्योगों तथा व्यापार में भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी है और गत तीन वर्षों का कितना आयकर उन पर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के संबंध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम के संबंध में सरकार के पास

सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक सीमा शुल्क की बकाया रकम का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है सौर सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और कम्पनी की ओर केन्द्रीय उत्पोदन शुल्क तथा आयकर की बकाया रकमों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बम्बई पल्प एण्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत एक कम्पनी है, जिसका पंजीकरण 23 मई, 1975 को हुआ था।

कम्पनी की चुकता पूंजी जिससे कम्पनी में लगायी गयी पूंजी का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध कम्पनी के तुलन-पत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 1976 को 14,68,000 रुपये दी।

फारस की खाड़ी तथा अरब देशों मे काम कर रहे भारतीयों के लिए सामान लाने ले जाने सम्बन्धी नियम

9700. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान लाने-ले जाने सम्बन्धी वर्तमान नियमों की मुख्य बातें क्या हैं और नये नियमों में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय फारस की खाड़ी तथा अरब देशों में काम करने वाले भारत के बहुत से लोगों को सामान लाने-ले जाने सम्बन्धी वर्तमान नियम बहुत ही कठोर और परेशान करने वाले लगते हैं;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये भारतीय देश के लिए भारी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, क्या सरकार का विचार उनको कुछ रियायतें दे कर अलग ढंग से उनके साथ बर्ताव करने के लिए उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विभिन्न वर्गों के यात्रियों को लागू यात्री सामान नियमों में 16-5-78 को संशोधन किया गया था। यात्री सामान नियम 1978, पर्यटक यात्री सामान नियम, 1978 और निवास-स्थान स्थानान्तरण नियम, 1978 की एक-एक प्रति क्रमशः अनुबन्ध I, II और III के रूप में संलग्न है। इन यात्री सामान नियमों के लागू होने से पूर्व, विभिन्न वर्गों के यात्रियों को मिलने वाली रियायतें यात्री सामान नियम, 1970, पर्यटक यात्री सामान नियम, 1958 और निवास-स्थान स्थानान्तरण नियम, 1969 द्वारा अधिशासित होती थीं। इन नियमों की भी एक-एक प्रति अनुबन्ध IV, V और VI के रूप में संलग्न है।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता कि फारस की खाड़ी और अरब देशों से लौटने वाले भारतीय ऐसा महसूस करते हैं कि ये संशोधित यात्री सामान नियम

कठोर हैं और इनसे उन्हें परेशानी होती है। संशोधित यात्री सामान नियमों में विभिन्न वर्गों के यात्रियों को दी गई मोकों को काफी उदार और युक्तिसंगत बनाया गया है। यात्री सामान नियमों के संशोधन के पश्चात्, 1-1-1978 से कुछेक कार्यविधिक फेरबदल किये गये हैं, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की निकासी सुविधाजनक बन सके। यात्री सामास नियमों के संशोधन और यात्रियों की निकासी के लिए संशोधित कार्यविधि को लागू करने का यात्रियों द्वारा स्वागत किया गया है।

(ग), (घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4415/79।]

उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादकों को अदा किया जाने वाला मूल्य

9701. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अफीम उत्पादकों को अदा किया जाने वाला मूल्य बहुत कम है, तथा किसान अफीम को सरकारी दरों की दुगनी दरों से ज्यादा पर तस्करों को बेचने के लिए आकर्षित किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में कुल कितना उत्पादन होता है और इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीस अग्रवाल) (क) और (ख) जी, नहीं। अफीम के खरीद-मूल्य का निर्धारण उत्पादन-लागत, वैकल्पिक फसल से होने वाला प्रतिलाभ और अफीम का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य जैसे संगत कारणों को ध्यान में रख कर किया जाता है। काश्तकारों को अपनी सारी उपज, इन्हीं मूल्यों पर, नारकोटिक्स विभाग को बेचनी होती है।

(ग) भारत में, 1977-78 की फसल में, 90° गाढ़ता की कुल 1610 टन अफीम का उत्पादन हुआ था। अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद बाकी अफीम का अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है।

गुड़ का निर्यात

9703. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिये गुड़ का निर्यात करने का कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की क्रियान्विति कब हुई और गुड़ के निर्यात के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई ;

(ग) गुड़ के निर्यात के लिए समय सीमा निर्धारित करने के क्या कारण थे और क्या उक्त समय सीमा बढ़ाई जाएगी और यदि हां, तो कब और कितने समय के लिए ;

(घ) समय सीमा को समाप्त कर गुड़ के निर्यात को जारी रखने की नीति घोषित करने में सरकार को क्या कठिनाई हुई ;

(ङ) गुड़ के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति टन कितनी सहायता दी गई ; और

(च) अब तक कितनी कीमत और टनों में कितनी मात्रा में गुड़ का निर्यात किया गया और इसके लिए सरकार ने कितनी सहायता की व्यवस्था की ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) गुड़ के निर्यात की अनुमति 22-12-1978 से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई है। निर्यात नीति 31-3-1980 तक वैध है।

(ग) तथा (घ) दूसरी मदों की ही तरह गुड़ के संबंध में भी निर्यात नीति वार्षिक आधार पर घोषित की गई है, अर्थात् 31-3-80 तक।

(ङ) 22-12-78 से 30-9-79 तक 10 रु० प्रति क्विंटल की दर से नकद प्रतिपूर्ति सहायता स्वीकृत की गई है।

(च) अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 के दौरान गुड़ का निर्यात 34.64 लाख रु० मूल्य का 1300 मे० टन होने का अनुमान है। सरकार द्वारा 22 दिसम्बर, 1978 से 10 रु० प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी गई।

राजकोट स्थित निर्यात तथा आयात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय का जारी रहना

9704. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवनगर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जामनगर (सौराष्ट्र) ने 23 मार्च, 1979 को राजकोट में उन्हें एक आवेदन-पत्र दिया था जिसमें मांग की गई थी कि आयात तथा निर्यात नियंत्रक का कार्यालय बनाये रखा जाये ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन-पत्र में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्यालय को राजकोट में बना रहने दिया जायेगा जैसा कि मांग की गई है और क्या सौराष्ट्र के व्यापारियों और उद्योगपतियों की मांग स्वीकार की जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) नवनगर चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ ने अनुरोध किया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र के पत्तनों की मार्फत हमेशा बढ़ते हुए निर्यातों तथा इस क्षेत्र में लघु उद्योग एककों के अत्यधिक विकास को देखते हुए आयात व निर्यात के नियंत्रक के कार्यालय, राजकोट को बन्द नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) जी, हां। यह कार्यालय राजकोट में काम करता रहेगा।

गुजरात हैन्ड प्रिंट साड़ी एसोसिएशन, अहमदाबाद और जेटपुर डाइंग एण्ड प्रिंटिंग ऐसोसिएशन, जेटपुर (सौराष्ट्र) से उत्पादन शुल्क से छूट दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन

9705. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात हैन्ड प्रिन्ट साड़ी ऐसोसिएशन, अहमदाबाद और जेटपुर (सौराष्ट्र) डाइंग एण्ड प्रिन्टिग ऐसोसिएशन, जेटपुर ने क्रमश: 12 मार्च, 1979 और 9 मार्च, 1979 को अभ्यावेदन और तार भेजे थे जिनमें वर्ष 1979-80 के बजट में हैन्ड प्रिन्ट साड़ियों पर उत्पादन शुल्क में छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) उपरोक्त अभ्यावेदन और तार का ब्योरा क्या है और उनमें किन मांगों का उल्लेख है ;

(ग) क्या उनकी मांग के अनुसार केन्द्रीय बजट 1979-80 में हैन्ड-प्रिन्ट साड़ियों पर उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है और यदि हां, तो कितनी और कब और यह किस प्रकार दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी और कब तक छूट दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) साड़ियों पर हाथ से छपाई करने में इस्तेमाल किये जाने वाले शक्ति-चालित करघे पर निर्मित विरंजित मलमल के कपड़े पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट देने के संबंध में दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं, जिनमें गुजरात हैंड प्रिंटिंग साड़ी एसोसिएशन, अहमदाबाद और जेतपुर (सौराष्ट्र) डाईंग एण्ड प्रिंटिंग एसोसिएशन, जेतपुर से प्राप्त दरख्वास्तें भी शामिल हैं।

(ख) उक्त दरख्वास्तों में, शक्तिचालित करधे पर निर्मित विरंजित मलमल के संबंध में उत्पादन शुल्क से पूरी छूट देने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल साड़ियों पर हाथ से छपाई करने में ही किया जाता है। यह भी कहा गया है कि यह एक कुटीर उद्योग है और ऐसी साड़ियों की छपाई के लिए बिजली का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इन तर्कों को ध्यान में रखकर यह आग्रह किया गया है कि ऐसे वस्त्रों से उत्पादन शुल्क हटा दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) बिजली से प्रक्रिया किये गये सफेद सूती वस्त्रों का भी उसी रूप में कोई अतिरिक्त प्रक्रिया किए बिना, उपयोग किया जाता है और इस प्रकार बिजली से प्रक्रिया किए गए ऐसे वस्त्रों पर लागू होने वाली उत्पादन शुल्क की रियायती दर से, हस्त–प्रक्रिया (विरंजन) क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर असर पड़ता है। इसलिए, वर्ष 1979 के बजट के अंग के रूप में, सूती वस्त्र उद्योग के श्रम प्रधान गैर-शक्ति-प्रक्रिया क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, अपेक्षाकृत अधिक बढ़िया किस्म के ऐसे कपड़ों पर मूल और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की समेकित दर को मूल्यानुसार 8 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 12 प्रतिशत कर दिया गया था ; यह दर, बिजली से प्रक्रिया किए गये अन्य वस्त्रों पर लागू होने वाली दर है। तथापि, इस वृद्धि के खिलाफ प्राप्त दरख्वास्तों को ध्यान में रखते हुए और इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि हथ-करधों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर इस कार्यवाही के दौरान असर नहीं पड़े, समेकित दर को अब 24-4-1979 से घटाकर मूल्यानुसार 11 प्रतिशत कर दिया गया है।

एवरेस्ट पेपर मिल्स (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता, पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर की बकाया राशि

9706. श्री दयाराम शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एवरेस्ट पेपर मिल्स (प्राइवेट) लि०, 44-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता द्वारा उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में पृथक-पृथक कितनी राशि का भुगतान किया गया और उन पर आयकर सहित इनकी कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म की स्थापना के समय से इस फर्म में वर्षवार कितनी पूंजी लगाई गई है और इसके भागीदारों की संख्या कितनी है और उन अन्य उद्योगों और व्यापारों के नाम क्या हैं जिनमें वे भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी लगाई है और गत तीन वर्षों से उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से वसूल किये गये सीमा शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिए उक्त कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किये गये सीमा शुल्क की रकम से सम्बन्धित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। कम्पनी की ओर सीमा-शुल्क की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है, और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

गत तीन बर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की और आयकर की बकाया रकम के संबंध में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स एवरेस्ट पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत है और इसके पंजीकरण की तारीख 1-7-1964 है।

कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में किये गये पूंजीनिवेश का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार निम्नलिखित हैं :–

निम्नलिखित अवधि को समाप्त हुए तुलन-पत्र की तारीख	चुकता पूंजी (रुपयों में)
3-3-1969	18,60,000
31-3-1970 तथा 30-4-1971	20,00,000
30-4-1972 से 30-4-1974 तक	22,42,000
30-4-1975 से 30-4-1977 तक	23,82,000

पी० जी० पेपर मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, द्वारा उत्पाद शुल्क तथा सीम शुल्क की अदायगी और उस पर आयकर की बकाया राशि

9707. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० जी० पेपर मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 20 नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के रूप में पृथक-पृथक कितनी राशि अदा की और उन पर आयकर की राशि सहित उन शुल्कों की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म में आरम्भ से अब तक प्रति वर्ष कितनी राशि का निवेश किया गया, इसके कितने भागीदार हैं; वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं, वहां इन्होंने कितना-कितना पूंजीनिवेश कर रखा है और उन पर आयकर की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के संबंध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम के संबंध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक कम्पनी की ओर सीमा शुल्क की बकाया रकम का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए उत्पादन शुल्क, तथा कम्पनी की ओर, उत्पादन शुल्क और आयकर की बकाया रकम के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स पी०जी० पेपर मिल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत है और इसके पंजीकरण की तारीख 27 जुलाई, 1968 है।

कम्पनी की चुकता पूंजी जिससे कम्पनी में किए गए निवेश का पता चलता है, आर्थिक कार्य विभाग के तुलन-पत्र के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र	**लाख रुपयों में**
30-6-1969	0.03
30-6-70 से 30-6-72 तक	0.04
30-6-73 से 30-6-74 तक	2.50

रेलवे साइडिंग संख्या-1 के बंद किये जाने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुई हानि

9708. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर 3-7-75 से 7-9-75 तक लौह अयस्क के रेकों का अक्षर-बन्दी रेलवे साइडिंग संख्या-1 पर लगना बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज धातु व्यापार निगम को उस कारण से कोई हानि हुई थी;

(ग) यदि हां, तो हानि की राशि कितनी है; और

(घ) रेकों को न लगने देने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम जर्मनी में हैनोवर में व्यापार मेला

9709. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी में हैनोवर में एक व्यापार मेला लगाया जायेगा; और

(ख) यदि सां, तो क्या भारत उपरोक्त मेले में भाग लेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी, हां।

पश्चिम जर्मनी में हैनोवर में हर वर्ष एक व्यापार मेला लगाया जाता है। भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ने 1979 में हैनोवर मेले में जो, 18 से 26 अप्रैल तक लगा था, भारत के भाग लेने का आयोजन किया था।

विदेश व्यापार विभाग

9710. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश व्यापार के आंकड़े विभाग में तत्काल उपलब्ध न होने से विदेश व्यापार के आंकड़ों के लिए विदेश व्यापार विभाग को निर्यात संवर्धन परिषदों, सामग्री बोर्डों और अन्य संगठनों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1977-78 के निर्यात के आंकड़ों को अब भी अन्तिम रूप दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कुछ मामलों में निर्यात के अद्यतन आंकड़ों के लिए वाणिज्य विभाग को निर्यात संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है।

(ख) हालांकि वर्ष 1977-78 के लिए आंकड़ों में संशोधन कर दिया गया है किन्तु जब 1978-79 के पूरे वर्ष के आंकड़े संकलित किए जाएंगे, तो इन आंकड़ों में मामूली से संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(ग) महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन द्वारा व्यापार आंकड़ों की समय पर सप्लाई के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है

विदेश व्यापार

9711. श्री मनोजरंन भक्त : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने आयात तथा निर्यात का देशवार वस्तुतः कुल कितना विदेश व्यापार किया ; और

(ख) क्या सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का विक्रय बढ़ा रही है और क्या सरकार इस कार्य से निकले परिणामों से सन्तुष्ट है अथवा पुरानी पद्धति को पुनर्विचार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत के विदेश व्यापार के पिछले तीन वर्ष के देशवार आंकड़े वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की 1978-79 की रिपोर्ट के अनुबंध–4 और अनुबंध–6 में दिए गए हैं।

(ख) भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावास पहले ही उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं। उनके कार्यालयों को इस लायक बनाया जा रहा है कि बाज़ार आसूचना सहायता, अनुवर्ती कार्यवाही और फीडबैक आदि देने में अधिक गतिशील भूमिका अदा कर सकें। विदेशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की कार्यपद्धति को विनियमित करने की पुस्तिका में भी संशोधन किया जा रहा है ताकि वे निर्यात प्रयास में बेहतर और अधिक अनुकूल सहायता दे सकें।

आलू का निर्यात

9712. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी मात्रा में राज्यवार, आलू का निर्यात करने का विचार है और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिसके माध्यम से निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

आलुओं का निर्यात बिना किसी मात्रा की पाबन्दी के खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किया जा सकता है।

जीवन बीमा निगम व सामान्य बीमा निगम द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से आरक्षित उम्मीदवारों का चयन

9713. श्री गिरिधर गोमांगों : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम व सामान्य बीमा निगम द्वारा वर्ष 1976-77 में सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के पदों के लिये ली गई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञापित कोटा के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से, अलग-अलग, अन्तिम रूप से कितने आरक्षित उम्मीदवारों का चयन किया गया है ;

(ख) चयन सूची और आरक्षित सूची में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ; और

(ग) अब तक कितने उम्मीदवारों को खपाया गया है और कितने शेष रहते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यातकों द्वारा कमाया गया औसत मुनाफा

9714. श्री के० एल० महाला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड तम्बाकू के लिये प्रतिवर्ष क्या-क्या निर्यात मूल्य निर्धारित किये ;

(ख) उन पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादक जिलों में वर्जीनिया तम्बाकू के बाजार मूल्य क्या थे ; और

(ग) इन पांच वर्षों के दौरान वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यातकों ने प्रतिवर्ष प्रति क्विंटल औसतन कितना मुनाफा कमाया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1975 से 1979 के दौरान फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के विभिन्न एग्मार्क ग्रेडों (दुबारा न सुखाई गई पत्ती) के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) आंध्र प्रदेश में 1975 से 1979 के दौरान फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के विभिन्न कच्चे ग्रेडों के लिए प्रति क्विंटल न्यूनतम और अधिकतम कीमतें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) निर्यात किए गए तम्बाकू पर निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए प्रति क्विंटल लाभ के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण—(एक)

1975 से 1979 तक की अवधि के दौरान धूम्र-शोधित वर्जीनिया तम्बाकू के विभिन्न एगमार्क ग्रेडों (दुबारा न सुखाई हुई पत्तियां) के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें

(पैसे प्रति कि० ग्रा० एफ०ओ०बी० गांठों में पैक)

एगमार्क ग्रेडों	1975	1976	1977	1978	1979
1	1456	1456	1537	1607	1607
2	1384	1384	1462	1528	1528
3	1258	1258	1329	1388	1388
4	1156	1156	1222	1276	1276
एलबीवाई/एल–जी	969	969	1110	1207	1207
एलबीवाई2	746	746	884	958	958
एलएमजी/बी	566	566	668	720	720
ए एक	1330	1330	1405	1468	1468
ए एफ	1300	1300	1374	1435	1435
ए टी	1288	1288	1361	1422	1422
सी (1–4)	1270	1270	1342	1402	1402
एफ (1–4)	1228	1228	1298	1356	1356
एस (1–4)	1198	1198	1266	1322	1322
टी (1–4)	1168	1168	1235	1290	1290
2 (सी)	1384	1384	1462	1528	1528
3 (सी)	1258	1258	1329	1388	1388
4 (सी)	1126	1126	1191	1243	1243
एल जी (सी)			1110	1207	1207
एल बी वाई (सी)	988	988	1132	1231	1231
एल बी वाई 2 (सी)	753	753	893	968	968
एल एम जी (सी)	585	585	691	746	746
बी (सी)	585	585	691	746	746
एम जी (सी)	331	331	402	414	414
एम जी/डी बी	346	346	420	427	427
डी जी	263	263	320	325	325
पी एल/बिट्स	263	263	320	325	325

विवरण —(दो)

1975 से 1979 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया धूम्रशोधित तम्बाकू के विभिन्न कच्चे ग्रेडों की प्रति क्विंटल न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतें।

ग्रेड	1975		1976		1977		1978		1979	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1—वी	580	930	600	1000	900	980	650	970	750	1000
2—वी	350	750	400	850	650	870	400	850	500	750
3—वी	150	500	125	500	300	450	250	500	300	500
5—वी	100	375	100	500	200	450	250	425	250	450
6—वी	100	350	75	350	150	360	100	325		
7—वी	—	—	30	140	—	—	—	—		
8—वी	50	175	50	200	50	290	100	200		

युगोस्लाविया द्वारा रेयन फिलामेंट यार्न का सप्लाई न किया जाना

9715. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृत्रिम रेशम बुनकरों को युगोस्लाविया द्वारा ठेके के अनुसार छः लाख से अधिक रेयन फिलामेंट यार्न सप्लाई न किये जाने के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको कहां तक सफलता मिली है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) कुछ भारतीय फर्मों ने युगोस्लाविया से 1968 में 5.13 लाख कि०ग्रा० रेयन फिलामेंट यार्न आयात करने की संविदा की थी। 31.3.1979 तक केवल 1.06 लाख कि०ग्र० रेयन फिलामेंट यार्न डिलिवर किया गया है। सप्लायरों ने बताया है कि सप्लाई में व्यतिक्रम के मुख्य कारण थे उत्पादन संबंधी मजबूरियां। युगोस्लाविया से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया और उसने इस मामले पर फैडरेशन आफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री के साथ विचार-विमर्श किया। आयातकों ने निर्यातकों के साथ आपसी वाणिज्यिक बातचीत के द्वारा इस समस्या को सुलझाने के प्रयत्न किए हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10क (2) के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में अभ्यावेदन

9716. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10क (2) के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में सांगली (महाराष्ट्र) के श्री आर० एल० शाह की ओर से दिनांक 7 मार्च, 1979 का एक अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) इस अभ्यावेदन का सारांश यह है कि "कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था" के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम एक निदेशक, बैंकों के निदेशकमण्डलों में नियुक्त किया जाय ; जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10क (2) (क) में निहित है, और बैंकों को इस विषय में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जायें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 द्वारा अपेक्षित है कि निदेशकों के हितों का प्रतिनिधित्य करने के लिए, हर राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशकमण्डल में एक निदेशक

की नियुक्ति की जाये। जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का प्रश्न है, सम्बद्ध अधिनियम सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से एक निदेशक को नामित कर दे। इस प्रकार यह देखा जा सकता है, कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का शासन करने वाले कानून, पेहले से ही इस अभ्यावेदन में की गयी सिफारिशों को पूरा करते हैं।

जहां तक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रश्न है इनकी नियुक्ति सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा नहीं की जाती बल्कि, वे सम्बद्ध शेयर होल्डरों की वार्षिक सामान्य बैठकों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अभ्यावेदन में उद्धृत धारा में यह अपेक्षित है कि निदेशकों में से अधिकांश को उस धारा में दिये गये विषयों में से किसी का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए और इनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी शामिल है।

सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा विदेशों में किया गया पूंजी निवेश

9717. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों ने विदेशों में कुल कितनी पूंजी निवेश की और गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उक्त निवेशों से कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक गृहों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं, विदेशों में उनकी कितनी पूंजी लगी है (उद्योगवार और देशवार) और प्रतिवर्ष इससे उन्हें कितनी राशि प्राप्त होती है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र स्थित उपक्रमों के नाम क्या हैं और प्रश्न के भाग (ख) के समान विदेशों में लगी उनकी पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) उन संयुक्त उद्योगों में, जोकि कार्य कर रहे हैं, कुल भारतीय पूंजी निवेश 28.7 करोड़ रु० का है।

विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त भेजे गए धन के सम्बन्ध में भारतीय पार्टियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अनन्तिम आंकड़ें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	लाख रु० में
1975-76	171
1976-77	155
1977-78	146

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। उससे यह देखा जा सकता है कि कार्य कर रहे 107 संयुक्त उद्यम एककों में से केवल एक एकक अर्थात् कुवैत स्थित बियको लौरी लि०, कलकत्ता (सूची का क्रमांक 24) सरकारी क्षेत्र से संबंधित है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4416/79]

संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय के कर्मचारी जिन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए कहा और जो 20 वर्ष की सेवा के बाद जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिये गये

9718. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय में ऐसे कितने व्यक्ति काम करते हैं जिन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए कहा था ; (2) जिन्हें 20 वर्ष की सेवा के बाद जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया गया था ; (3) जिन्होंने उच्च अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण त्यागपत्र दे दिया है ; (4) कितने व्यक्तियों को मुअत्तिल किया गया और आरोप पत्र दिये गये ; और (5) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जाँच आरम्भ की गई थी ;

(ख) विभाग द्वारा कर्मचारियों पर लगाए गये आरोपों का ब्यौरा क्या है और उनपर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) यदि हां, तो उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को परेशान किये जाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) (1) पिछले दो वर्षों के दौरान आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय में काम कर रहे जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति के लिए कहा था, उनकी संख्या 7 है ;

(2) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें 20 वर्ष की सेवा के बाद जबरदस्ती सेवानिवृत्त किया गया, शून्य है ;

(3) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने उच्च अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण त्यागपत्र दिया है, शून्य है ;

(4) मुअत्तिल किए गए और चार्जशीट किये गये व्यक्तियों की संख्या शून्य है ।तथापि एक व्यक्ति मुअत्तिल किया गया था और अगले दिन बहाल कर दिया गया था ; और

(5) उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है, 7 है (इनमें से कुछ मामले सी० बी० आई० में भी लम्बित हैं) ।

(ख) जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय पूछताछ चल रही है, उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :—परिसम्पत्तियों का आय से कहीं अधिक होना, अनियमितता; अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, ड्यूटी की अवहेलना और उच्च अधिकारियों के कानूनी आदेशों को न मानना ।

(ग) परेशान किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि परेशान किए जाने का कोई मामला नहीं था ।

आयात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय में काम कर रहे अराजपत्रित कर्मचारी

9719. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय में काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों पर काम का भारी बोझ रहता है और उन्हें प्रायः देर तक बैठना पड़ता है और उन्हें रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन भी काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता ;

(ख) क्या कर्मचारियों को परेशान किया जाता है तथा कुछ मामलों में मामूली बातों पर कर्मचारियों को निलम्बित/बर्खास्त कर दिया जाता है ;

(ग) क्या कर्मचारियों और उनके संघों को डराने-धमकाने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान सामूहिक स्तर पर कोई स्थानान्तरण भी किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने की मांग की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यह उल्लेखनीय है कि आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कार्यालय में प्रायः कुछ प्रभागों को अत्यधिक काम पूरा करना पड़ा और इस लिए स्टाफ के कुछ सदस्यों को न केवल देर तक बैठना पड़ा बल्कि रविवारों सहित छुट्टियों के दिनों में भी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ा। किफायत की वजह से चूंकि बहुत ही खास मामलों को छोड़कर समयोपरि भत्ता देना बंद कर दिया गया है; अतः देर तक बैठने व छुट्टियों के दिनों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जा सका। तथापि ऐसे मामलों में, जैसे कि देय हैं, एवजी छुट्टि की अनुमति है।

(ख) यह सच नहीं है कि उच्च अधिकारियों द्वारा प्रायः स्टाफ को परेशान किया जाता है और छोटे-छोटे मामलों में कर्मचारियों को निलम्बित/बर्खास्त किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान बर्खास्तगी का कोई मामला नहीं हुआ है। केवल एक कर्मचारी के मामले को छोड़कर, जिसे ठीक अगले ही दिन बहाल कर दिया गया था, किसी को निलंबित नहीं किया गया।

(ग) कर्मचारियों अथवा उनकी यूनियन को डराने धमकाने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान सामूहिक स्तर पर कोई स्थानांतरण नहीं किये गए हैं। तथापि आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) नई दिल्ली के कार्यालय से नये खोले गये तथा दर्जा बढ़ाये गये कार्यालयों में कार्य व पदों का अन्तरण करना पड़ा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

9720. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) के कर्मचारियों को परेशान किये जाने पर प्रकाश डालने वाला एक संयुक्त अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उनको परेशान किये जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (के० ला० क्षेत्र) नई दिल्ली के कार्यालय की श्रेणी III कर्मचारी यूनियन ने दो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे । इनमें से एक वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री को जुलाई, 1978 में और दूसरा दिसम्बर, 1978 में वाणिज्य सचिव को दिया गया था । कुल मिलाकर दोनों अभ्यावेदनों में कार्यालय प्रमुख द्वारा परेशान किये जाने का आरोप लगाया गया था और उनमें स्टाफ के सदस्यों में असंतोष व्यक्त किया गया था । ये आरोप बहुत ही सामान्य प्रकृति के थे और उदाहरण के रूप में यह बताया जा सकता है कि वाणिज्य सचिव को सम्बोधित अभ्यावेदन में स्टाफ के कुछ सदस्यों के, 8-7-1978 को जो एक छुट्टी का दिन था कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगने की कार्यवाही का उल्लेख था । चूंकि कार्यालय के प्रमुख--आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (सी० एल० ए०) नई दिल्ली स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं थे, उन्होंने सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए 'भर्त्सना' की सजा दी । जैसी कि वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों में व्यवस्था है, प्रभावित व्यक्तियों ने आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक--अपीलीय प्राधिकारी-से अपीलें की । अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों पर उचित रूप से विचार किया गया और प्रभावित व्यक्तियों को दी गई 'भर्त्सना' की सज़ा हटा ली गई । तथापि, अपीलीय प्राधिकारी ने यह महसूस किया है कि जबकि सम्बन्धित स्टाफ को आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक (सी० एल० ए०) के इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के बारे में जानकारी थी, उनका 8-7-1978 को कार्यालय में उपस्थित न होना अनुचित था । सम्बन्धित स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि वे भविष्य में इस आचरण की पुनरावृति न करें ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनी समूह द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लघंन

9721. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76,1976-77 तथा 1977-78 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अपील बोर्ड को ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए जिनमें मैसर्स बिड़ला, मैसर्स साहू जैन, मैसर्स मफतलाल और मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल के औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनी समूह द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंधन करने के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) इस समय बोर्ड के सामने कितने मामले विचाराधीन हैं तथा कब से हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले के विचाराधीन पड़े रहने के बारे में कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर, विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान मैसर्स बिड़ला ग्रुप से सम्बन्धित 13 अपीलें और मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल से सम्बन्धित 3 अपीलें विदेशी मुद्राविनियमन अपीलीय बोर्ड में दायर की

गयी थीं । मैसर्स मफतलाल और मैसर्स साहू जैन से सम्बन्धित कोई भी अपील बोर्ड में दायर नहीं की गयी ।

(ख) इन 16 अपीलों में से एक अपील 13 दिसम्बर 1976 को दायर की गयी थी और बाकी 15 अपीलें वर्ष 1977 के दौरान दायर की गयी थीं और वे सभी अभी तक विचाराधीन पड़ी हैं ।

(ग) सामान्यतः बोर्ड द्वारा इन अपीलों की सुनवाई अपीलों के दायर किये जाने के क्रम में की जाती है ; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार, इन 16 अपीलों में से 12 अपीलों का निपटान 2 सदस्यों वाली एक खण्ड पीठ द्वारा किया जाना है । इन 16 अपीलों का बोर्ड द्वारा निपटान यथासमय, यथा सम्भव शीघ्र, एनकी बारी के अनुसार किये जाने की सम्भावना है ।

बोरे खरीदने वाले विदेशी क्रेताओं द्वारा धमकी

9722. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि बोरों और पटसन के विदेशी क्रेताओं ने सामान की अनियमित सप्लाई के कारण व्यापार समाप्त करने की धमकी दी है और यदि हां, तो सामान की सप्लाई में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : पटसन माल का आयात करने वाले प्रमुख देशों के कुछ खरीदारों तथा आयातकों के कुछ संगठनों ने भारतीय निर्यातकों द्वारा समय पर माल न भेजने पर चिंता व्यक्त की है । सप्लाई में रुकावट का मुख्य कारण विभिन्न हड़तालें रही हैं जो अब समाप्त हो गई हैं तथा अब सामान्य सप्लाई आमतौर पर फिर से शुरू हो गई है ।

सरकारी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों द्वारा अतिथियों का आतिथ्य सत्कार

9723. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों द्वारा अतिथियों के आतिथ्य सत्कार पर मुद्रा खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित की है; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को आतिथ्य या सत्कार भत्ता दिया जाता है, यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी उपक्रम द्वारा इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की जाती है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । फिर भी, सरकारी उद्यमों के निदेशकमण्डल यह निर्धारित करते हैं कि उनके शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों द्वारा आतिथ्य सत्कार पर कितना खर्च किया जा सकता है । खर्च की यह रकम प्रत्येक उद्यम द्वारा उसके वार्षिक बजट के समय हर साल निर्धारित की जाती है ।

मन्त्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य की कार पर 1977-78 और 1978-79 के दौरान किया गया व्यय

9724. अनन्त राम जायसवाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य की कार पर वित्तीय वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान अलग-अलग कितना व्यय किया गया ; और

(ख) क्या सरकार ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेट्रोल पर व्यय को विनियमित करने की कोई नीति निर्धारित की है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंही यह उपलब्ध हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1973 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि प्रत्येक मंत्री और उसके वैयक्तिक कर्मचारियों की सरकारी यात्रा के संबंध में स्टाफ कार द्वारा प्रति तिमाही अधिकतम 900 लिटर पेट्रोल की खपत सरकारी खर्चे से मानी जाएगी और इस सीमा से अधिक खपत गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए मानी जाएगी तथा उसकी अदायगी संबंधित मंत्री द्वारा की जानी होगी । इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए 1977 में पुनः कहा गया था।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनः बट्टेदारी की सुविधायें

9725. श्री निहार लास्कर :
श्री पी० एम० सईद :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुनः बट्टेदारी की सुविधायें अपनी अन्य शाखाओं में भी फैला दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो पुनः बट्टेदारी की योजना वर्ष 1965 से लागू है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस योजना से छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या सहायता मिली है ; और

(ङ) यह योजना किन-किन शाखाओं में लागू की गयी है और वे शाखायें किन राज्यों में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने हुण्डियों की पुनर्भुगतान योजना से सम्बद्ध काम को अपनी बंगलौर (कर्नाटक), भुवनेश्वर (उड़ीसा) शाखाओं में 1 अप्रैल, 1979 से और हैदराबाद शाखा (आंध्र प्रदेश) में 1 जुलाई, 1979 से करने का निश्चय किया है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस योजना को अप्रैल, 1965 से चला रहा है ।

(ग) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र को राहत देने के लिये अप्रैल, 1978 से, इस वर्ग के ग्राहकों-उपयोक्ताओं/विक्रेताओं-निर्माताओं को 6 से 36 मास तक के असमाप्त उपयोग वाली हुण्डियों के संबंध में, 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और 36 से ऊपर तथा 84 महीनों तक के असमाप्त उपयोग वाली हुण्डियों के संबंध में 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विशेष रियायती दर पर बट्टा देने की योजना चालू की गयी थी, जबकि सामान्य दरें क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत प्रति वर्ष हैं। इसके अलावा, बैंकों को छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र को अनन्य रूप से मंजूर करने के लिए पुनर्भुगतान सीमाएं (लिमिट्स) मंजूर की गयीं ताकि इस क्षेत्र को और अधिक ऋण मिलने में सहायता मिल सके। किसी लेन-देन के लिए 10 हजार रुपये की न्यूनतम समय की सामान्य पाबंदी भी छोटे पैमाने के उद्योगों के संबंध में हटा दी गयी है। इस योजना के अधीन छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में नये ग्राहकों को उपयोक्ताओं के लिए भी सहायता उपलब्ध है जबकि अन्य ग्राहकों/उपयोक्ताओं के संबंध में यह विद्यमान एककों तक ही सीमित है। यह उदार बनायी गयी सुविधाएं छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

(ङ) यह योजना मूलतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई) के बम्बई स्थित कार्यालय से चलायी जाती थी। बाद में पुनर्भुगतान की सुविधाएं आई०डी०बी० आई० के कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली, अहमदाबाद और गौहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी सुलभ करा दी गयीं। इस बीच आई०डी०बी०आई० ने इस योजना से सम्बद्ध कार्य अपने इन शाखा कार्यालयों में करने का निश्चय किया है : बंगलौर (कर्नाटक) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) (1 अप्रैल 1979 से) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (1 जुलाई, 1979 से)।

विवरण

हुण्डी पुनर्भुगतान योजना की मुख्य बातें

इस योजना का उद्देश्य मशीनों के निर्माताओं को उनके उत्पादनों की बिक्री में बढ़ौतरी करने में सहायता करना है ; इस उद्देश्य के लिए भावी ग्राहकों-उपयोक्ताओं को आस्थगित अदायगी की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा, यह योजना ग्रहक-उपयोक्ता को इस प्रकार खरीदी गयी मशीनों को, उनका मूल्य कई वर्षों में चुकाने के लिए, काम में लाने की सुविधा प्रदान करती है। इस बीच, इस योजना को विस्तृत करके, इसमें सरकारी क्षेत्र के ग्राहक-उपयोक्ता भी व्याप्त कर लिये गये हैं। इस योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ; इसके लिये उस परियोजना की जिसके वास्ते मशीनों की जरूरत है, आई०डी०बी० आई० द्वारा व्यापक जांच आवश्यक नहीं है। इस योजना में यह व्यवस्था है कि अग्रिम अदायगी को छोड़कर मशीनों के शेष मूल्यों को अर्ध-वार्षिक/वार्षिक किस्तों में उप-विभाजित कर दिया जाय और आस्थगित अदायगी के संबंध में हर किस्त और उस पर ब्याज के संबंध में अलग-अलग हुण्डी/प्रोमिसरी नोट लिख दिया/तैयार कर दिया जाय। मशीनों की डिलिवरी के समय इन हुण्डियों/प्रोमिसरी नोटों को ग्राहक-उपयोक्ता द्वारा/की ओर से स्वीकार/गारण्टी कर दिया जाता है और उसे निर्माता/विक्रेता को दे दिया जाता है। वह उन्हें अपने बैंक से भुना लेता है और उसके द्वारा अपने बैंक की देय डिस्काउंट (बट्टा) हुण्डियों की राशि में आस्थगित अदायगी की अवधि के लिए ब्याज के रूप में जोड़ लिया जाता है। निर्माता/विक्रेता के बैंक इन भुगतान की गयी हुण्डियों को आई०डी०बी०आई० के पास ले जाते हैं और उनका पुनर्भुगतान प्राप्त कर लेते हैं।

मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये सोने का आयात

9726. श्री निहार लास्कर :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोने के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये सोने का आयात करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च और अप्रैल, 1979 में सोने का आयात किया गया था ;

(ग) क्या सोने के मूल्य में वृद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ;

(घ) क्या मार्च और अप्रैल, 1979 में सोने के मूल्य में वृद्धि होती रही है ;

(ङ) क्या इन महीनों में सोने की तस्करी भी अधिक हुई है ; और

(च) सोने के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने उक्त योजना के अर्न्तगत निर्यातकर्त्ताओं को सोना देने के लिए 200 किलोग्राम सोने का आयात किया है। सोने का निर्यात करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं। इससे सोने की कीमतों में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार को प्राप्त रिपोर्ट से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है। दूसरी ओर सोने की तस्करी पर सम्यक् नियन्त्रण रखा जा रहा है।

(च) हालाँकि, सोना उपभोग की एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु नहीं है इसलिए सरकार इसकी बढ़ती हुई कीमतों से अधिक चिन्तित नहीं है, परन्तु, सरकार तस्करी विरोधी उपायों को कड़ा करेगी जिससे सोने की ऊंची कीमतों के कारण सोने की तस्करी न बढ़ने पाए। तस्करी पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता है। स्वर्ण-नीति की सभी पहलुओं से समीक्षा करने के लिए और समुचित सुझाव देने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है। सोने की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए और आगे उपाय, यदि कोई आवश्यक हुए, समिति की रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए किए जायेंगे।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र को मंजूर किये गये/दिये गये ऋण

9727. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र को आज तक कुल कितना ऋण मंजूर किया है/दिया है ;

(ख) इस कुल राशि में 20 बड़े गृहों का भाग कितना है ;

(ग) इस कुल राशि में बिड़ला और मोदी बंधुओं के नियन्त्रणाधीन कम्पनियों के कितने रुपयों के शेयर हैं ;

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कुछ उच्च अधिकारियों ने इस बारे में बिड़ला और मोदी बन्धुओं का अनुचित पक्षपात किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकार उल्लाह) : (क) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 449.41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी और 371.62 करोड़ रुपये की राशि वितरित की थी ।

(ख) 31 मार्च, 1979 के अन्त तक इस निगम ने एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को 177.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी तथा 113.20 करोड़ रुपये की राशि वितरित की थी ।

(ग) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार, इस निगम ने बिरला और मोदी समूहों के 19 प्रतिष्ठानों को 22.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे तथा 13.74 करोड़ रुपये वितरित किये थे ।

(घ) और (ङ) सरकार को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मोदी आदि के लिये बरते गये अनुचित पक्षपात के बारे में कुछ आरोपों की शिकायत मिली थी । वे आरोप, जिनकी जांच भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा की गई थी, साबित नहीं हो सके ।

भारत मूलक विदेशियों को भारत में कृषि सम्पत्ति प्राप्त करने की अनुमति

9728. श्री एडुआर्डो फैलीरो :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार भारत मूलक विदेशियों को भारत में कृषि सम्पत्ति प्राप्त करने की अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार ने भारतीय मूल के विदेशियों को भारत में कृषि सम्पत्ति खरीदने की अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

खाड़ी के देशों को जाने वाले एयर इण्डिया के विमानों के डबोलिम (गोवा) में रुकने की मांग

9729. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग बार-बार की जा रही है कि खाड़ी के देशों को जाने वाले एयर इण्डिया के कम से कम कुछ विमानों को डबोलिम (गोवा) में रुकना ही चाहिए ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के 10,000 से अधिक उत्प्रवासी खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे हैं और वहां विमान के रुकने से सम्पूर्ण कोंकण क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक सुविधा हो जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) कुवैत तथा गोवा में रहने वाले गोवावासियों ने प्रतिवेदन किया है कि गोवा तथा कुवैत के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिये एयर इंडिया की कुवैत और त्रिवेन्द्रम के बीच परिचालन करने वाली उड़ान पर डबोलिम में एक "स्टाप ओवर" की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिलहाल एयर इंडिया की डबोलिम से होते हुए कुवैत के लिए परिचालन करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

डैबोलिम (गोआ) में असैनिक हवाई अड्डे का पूरा होना

9730. श्री एडुआर्डो फैलोरी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डैबोलिम (गोआ) में असैनिक हवाई अड्डा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वहां मूल सुविधाओं का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है ; और

(ग) ये कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। एक नए टर्मीनल भवन तथा एक और कार पार्किंग एरिया के निर्माण का प्रस्ताव है। इस निर्माण-कार्य के 1979–80 के दौरान आरम्भ कर दिए जाने तथा अगले दो वर्षों की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम के वाणिज्यिक आसूचना संसाधनों में सुधार के लिए कदम

9731. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या **वाणिज्यिक तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने वाणिज्यिक आसूचना संसाधनों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या ये विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में उपलब्ध सुविधाओं से अलग है ;

(ग) इस पर प्रतिवर्ष कुल कितना आवर्ती व्यय होता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) राज्य व्यापार निगम वाणिज्यिक जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न स्रोतों को काम में लाता है। यह प्रकाशित स्रोतों व समाचार सेवाओं से आवश्यक जानकारी एकत्र करता है। स्रोत जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि की जा रही

है। राज्य व्यापार निगम ने अपनी वाणिज्यिक जानकारी में सुधार करने के लिए जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, उनमें ये शामिल हैं :

अपने लन्दन स्थित कार्यालय में बी० डी० ओ० मास्टर की स्थापना, जो विश्व के विभिन्न व्यापार केन्द्रों में विभिन्न वस्तुओं की नवीनतम कीमतें प्रदर्शित करता है, अपने लन्दन, पैरिस, फ्रैंकफर्ट तथा न्यूयार्क स्थित कार्यालयों के बीच हॉट लाइन कम्प्यूटरीकृत टेलेक्स संपर्क की स्थापना तथा निगम के लिए उपयुक्त तथा आधुनिक बाजार जानकारी प्रणाली हासिल करने के लिए विख्यात परामर्शी संगठन आरम्भ करना।

(ख) जी, हां। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट सुविधाएं विदेश स्थित भारतीय मिशनों में उपलब्ध सुविधाओं से भिन्न हैं।

(ग) जबकि अप्रकाशित व अनौपचारिक स्रोतों से वाणिज्यिक जानकारी एकत्र करने में किए गए कुल खर्च की राशि बताना कठिन है, प्रकाशित बाजार स्रोतों की खरीद पर कुल वार्षिक खर्च लगभग 5 लाख रुपये है।

माचिस उद्योग पर उत्पादन शुल्क से राजस्व

9732. श्री के० राममूर्ति : क्या **उप प्रधान मन्त्री** तथा **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माचिस उद्योग के मशीनीकृत क्षेत्र द्वारा 1976–77, 1977–78 और 1978–79 में दिए गए उत्पादन शुल्क की राशि कितनी है ;

(ख) माचिस उद्योग के मशीनीकृत क्षेत्र द्वारा, कुटीर एककों को निकाल कर, उपरोक्त अवधि में कितना उत्पादन शुल्क दिया गया ;

(ग) माचिस उद्योग के कुटीर उद्योग क्षेत्र द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कितना उत्पादन शुल्क दिया गया ; और

(घ) मशीनीकृत एवं गैर-मशीनीकृत दोनों क्षेत्रों में उत्पादन शुल्क राजस्व के अपवंचन को रोकने हेतु त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; विशिष्ट रूप से उस समय जबकि उत्पादन शुल्क से राजस्व उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादन के तुलनीय नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सम्भवतः प्रश्न के भाग (ख) में सूचना माचिस उद्योग के "गैर-मशीनीकृत" क्षेत्र के सम्बन्ध में मांगी गई है, जिसमें कुटीर एकक शामिल नहीं हैं। प्रश्न के भाग (क) से (घ) के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़ा बाजार, कलकत्ता स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया से लूटा गया धन

9733. श्री सुरेन्द्र झा सुमन :

श्री अमर सिंह वी० राठवा :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ा बाजार, कलकत्ता स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ब्रांच से लूटे गए 27 लाख रुपयों का डकैती के मामले में गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इस डकैती के मामले में बैंक के कुछ कर्मचारियों के हाथ होने की शंका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक की कलकत्ता की बड़ा बाजार शाखा में कोई डकैती नहीं पड़ी, यद्यपि 4 अप्रैल, 1979 को स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की कलकत्ता की बड़ा बाजार शाखा में डकैती पड़ी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि बैंक के 3 कर्मचारियों सहित कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है।

जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के सम्बन्ध में किया गया पूंजी निवेश

9734. श्री कवर लाल गुप्त : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा फर्मों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम ने 10 लाख रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश किया और कितनी राशि का पूंजी निवेश किया तथा उनके पते क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी से कितना लाभांश प्राप्त हुआ ;

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा गत 2 वर्षों में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) जीवन बीमा निगम को गत 2 वर्षों में सभी स्रोतों से कितना लाभ हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जयन्त विटामिन्स लिमिटेड द्वारा बैंकों को बकाया राशि का भुगतान

9735. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जयन्ती विटामिन्स लिमिटेड, रतलाम, मध्य प्रदेश में वित्तीय कुप्रबन्ध और उसके द्वारा बकाया राशि का बैंकों को भुगतान करने में विलम्ब किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने वहां एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि पहिले यह विचार था कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ कम्पनी के कारोबार की जांच करेगा और यह कम्पनी वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से एक वित्तीय निदेशक नियुक्त करेगी किन्तु बाद में इस कम्पनी, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच परस्पर सहमत समग्र कार्यक्रम बनाने के लिए चर्चा हुई। भारतीय औद्योगिक निवेश तथा ऋण निगम ने सूचित

किया है कि कम्पनी ने ग्रिंडलेज बैंक और भारतीय औद्योगिक निवेश और ऋण निगम के साथ परस्पर स्वीकार्य व्यवस्था करने में सफल हो गई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अशोध्य ऋण

9736. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अशोध्य ऋण की कुल राशि कितनी रही;

(ख) उन फर्मों, व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम जिनके ऋण अशोध घोषित किये गये तथा उन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा फर्मों के देश में ही तथा बाहर के नाम क्या हैं जिनकी ऋण राशि पांच लाख रुपये से अधिक थी ;

(ग) उन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने 25-25 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋण ले रखे हैं और बैंकों को उनकी अदायगी नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं;

(घ) उक्त राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं; और

(ङ) उन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत 2 वर्षों से भी अधिक समय से कोई राशि अदा नहीं की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (ङ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 52 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन और उसके अधीन विहित लाभ और हानि लेखे और तुलन पत्र के प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर यह जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहकों के मामलों या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये की गयी व्यवस्था के बारे में सूचना प्रकट न करें ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक समय-समय पर अपने सभी बकाया ऋणों की समीक्षा करते हैं और जहां किसी ऋण की वसूली कठिन प्रतीत होती है वह ऐसे ऋण को वापस मांगने और वसूल करने के लिये उपाय करते हैं । इन उपायों में ऋणकर्ताओं और/या गारंटरों द्वारा गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों/वस्तुओं को जब्त करना; जहां सुलभ हों वहां अतिरिक्त प्रतिभूतियां मांगना, जहां गारंटी दी गयी हो वहां उन्हें वसूल करना और जब कभी आवश्यक समझा जाय तो दीवानी/फौजदारी मुकदमा दायर करना शामिल होता है ।

विमान दुर्घटनाओं में मृत्यु दर

9737. श्री सौगत राय :

प्रो० समर गुह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने एक गोष्ठी में बतलाया था कि देश में विश्व दुर्घटनाओं में मृत्यु दर दुगनी-तिगुनी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। पिछले आठ वर्षों (1970-1977) के दौरान विमान दुर्घटनाओं में विश्व की औसत मृत्यु दर की तुलना में भारत में मृत्यु की दर निम्न प्रकार है :—

	यात्री मृत्यु दर प्रति 10 करोड़ यात्री किलोमीटर	
वर्ष	**विश्व औसत**	**भारतीय औसत**
1970	0.18	1.00
1971	0.21	0.50
1972	0.25	0.40
1973	0.17	1.0
1974	0.24	0
1975	0.08	0
1976	0.13	1.3
1977	0.07	0

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं : "मानवीय त्रुटि", "विमान में खराबी" तथा "अन्य विविध कारण"। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण, "मानवीय त्रुटि" है। सरकार ने विमानचालकों आदि के प्रशिक्षण के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, दिक्चालन तथा अवतरण उपकरणों में सुधार करके उड़न-योग्यता नियंत्रण को और कड़ा करके तथा विभिन्न जांच अदालतों/समितियों तथा दुर्घटनाओं की जांच करने वाले दुर्घटना निरीक्षकों द्वारा सिफारिश किए गए सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करके उड़ान सुरक्षा में और सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं कोई कमियां देखने में आती हैं वहां आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जाती है।

गावों में बैंकों के ग्रामीण विकास कार्यक्रम

9738. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों का व्यौरा क्या है जो चुने गये गांवों में समेकित गामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं; और

(ख) उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन विकास के लिए चुने गये खण्डों में अपनी शाखाओं को सन्नद्ध करें और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वियन के लिए

निर्धारित योजनाओं को आवश्यक ऋण सहाता प्रदान करें। इनके अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन खण्डों में कारोबार करने वाली शाखाओं को ब्यौरेवार आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक अपनी उद्यमकर्त्ता योजना के अन्तर्गत मार्जिन पर जोर दिये बिना उद्योग स्थापित करने के इच्छुक अर्हता प्राप्त उद्यमकर्त्ताओं को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देता है। राज्यवार आंकड़े सुलभ नहीं हैं फिर भी दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार 3098 उद्यमकर्त्ताओं ने स्टेट बैंक से लगभग 26.15 करोड़ रुपये की सहायता का लाभ उठाया था।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशि

9739. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०एफ०सी०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०डी०बी०आई० और आई०आर० सी०आई० द्वारा गत तीन वर्षों में दी गई/वितरित की गई कुल अग्रिम राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल और ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि वापस लेने का समय हो गया है और जिसे वापस नहीं लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकार उल्लाह) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत एवं वितरित वित्तीय सहायता की कुल राशी निम्नलिखित है :—

संस्था	करोड़ रुपयों में वित्तीय सहायाता	
	स्वीकृत	वितरित
1. भा० औ० वि० नि०	271.48	164.53
2. भा० औ० ऋण नि० नि०	338.00	255.00
3. भा० औ० वि० बैं०	1891.60	1159.20
4. भा० औ० पु० नि०	27.76	23.70

(ख) मूलधन और ब्याज की कुल राशि जो अतिदेय थी और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा 30-6-1978 की स्थिति के अनुसार तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा 31-12-1978 की स्थिति के अनुसार 123.13 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 59.64 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में बाकी थे और 63.49 करोड़ रुपये ब्याज की राशि के रूप में बकाया थे।

* भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के मामले में पिछले तीन वर्ष हैं 1975-76, 1976-77 और 1977-78 (जुलाई-जून)। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मामले में ये हैं कलैण्डर वर्ष 1976, 1977 और 1978 (जनवरी-दिसम्बर)

बी० के० पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की बकाया राशि

9740. श्री दयाराम शाक्य : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० के० पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, कालबादेवी रोड, बम्बई ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क (अलग-अलग) कितनी राशि का भुगतान किया और आयकर सहित उस पर कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म के आरम्भ से इस में वर्षवार कितनी पूंजी लगाई गई, इसके भागीदारों की संख्या क्या है और वे अन्य किन उद्योगों और व्यापार में भागीदार हैं और उनमें प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है और उनके विरुद्ध गत तीन वर्षों की आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकत्ताओं के संबंध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिये, कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किये गये सीमा शुल्क की रकम से संबंधित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सीमा शुल्क की बकाया रकम, यदि कोई है, तो उसके संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की तथा आयकर की बकाया रकम के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स बी० के० पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में एक पंजीकृत कम्पनी है और इसके पंजीकरण की तारीख 8-10-1970 है।

कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में किये गये पूंजीनिवेश का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध कम्पनी के तुलन-पत्रों के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तुलन-पत्र	**चुकता पूंजी (लाख रुपयों में)**
31-12-1971	12.10
31-3-73 तथा 31-3-74	15.00
31-3-75	18.00

स्टेडफास्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई की ओर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की बकाया राशि

9741. श्री दयाराम शाक्य : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेडफास्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, मीडोज हाउस नागिमुदास, मास्टर रोड, बम्बई ने, गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की अलग-अलग कितनी राशि अदा की और अब इन शुल्कों सहित उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म में आरम्भ से अब तक वर्षवार कितना पूंजी निवेश हुआ है इसके कितने भागीदार हैं, वे अन्य किन-किन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं, वहां उन्होंने कितना निवेश कर रखा है और गत तीन वर्षों का उन पर कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का कोई वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः, कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम के सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। मैसर्स स्टेडफास्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, बम्बई की ओर, सीमा शुल्क की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम और मैसर्स स्टेडफास्ट पेपर मिल्स बम्बई की ओर उत्पादन शुल्क की तथा आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल दर रख दी जाएगी।

पटसन बाजार को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संघ

9742. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार पटसन बाजार को सुनियमित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संघ का गठन करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किए गए एक बाजार सर्वेक्षण में ऐसा कोई सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या उक्त सर्वेक्षण से तीसरे विश्व के देशों तथा जापान में सक्षम मण्डियों का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो इन मण्डियों का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं। तथापि सरकार पटसन से बने माल के अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में उपज-कर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता पर बल दे रही है।

(ख) तथा (ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने एशिया तथा अफ्रीका के चुने हुए देशों में व्यापक विपणन सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण में इन क्षेत्रों में हमारे निर्यात बढ़ने की सम्भाव्यता के बारे में बताया गया है तथा व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा दौरा करने, विशेष बाजार संवर्धन उपाय करने, औद्योगिक उत्पादन के अनुकूलन आदि की सिफारिश की गई है।

(घ) उचित अनुवर्ती उपाय आरम्भ कर दिए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—बाजार गवेषणा, बाजार संवर्धन तथा प्रचार, पटसन से बने माल के नए उपयोग के लिए गवेषणा आदि।

आयकर की तेजी से वसूली के लिए अपीलीय प्राधिकरणों के स्तरों की संख्या में कमी

9743. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर की तेजी से वसूली के लिए अपीलीय प्राधिकरणों के स्तरों में कमी करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष-कर कानून समिति (चौकमी समिति) ने, मुकदमेबाजी से बचने, मुकदमेबजी को काम करने ; वर्तमान उपबन्धों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने तथा अपीलों, संदर्भों और सम्बन्धित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें से एक सिफारिश यह है कि आयकर अधिनियम और अन्य प्रत्यक्ष-कर कानूनों में एक विशिष्ट उपबन्ध किया जाय जिससे केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, उन विशिष्ट मामलों में, जो मात्र तथ्य के मामले न हों, कर-दाता के अनुरोध पर तथा निर्धारित शुल्क (फीस) अदा किए जाने पर अग्रिम निर्णय दे सके। यदि करदाता, आयकर अधिकारी अथवा किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अनिर्णीत पड़े कानून सम्बन्धी किसी भी प्रश्न पर बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह मामले के बारे में सीधे ही दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, और इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को आगे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार है (सिफारिश सं० 137)। चौकसी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कम्पनियों को नियंत्रण में लेना

9744. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आयकर तथा अन्य केन्द्रीय करों की बकाया राशि वसूल करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी प्राइवेट कम्पनियों को नियंत्रण में लिया है ;

(ख) करों की कुल बकाया राशि कितनी है और ऐसी कम्पनियों से कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ग) करों की पूरी बकाया राशि वसूल करने के बाद कितनी कम्पनियों को उनके पहले मालिकों को वापस कर दिया गया है ; और

(घ) करों की बकाया राशि वसूल करने हेतु अभी भी कितने एककों को सरकार चला रही है और 31 मार्च 1979 को बकाया राशि कितनी थी ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वित मंत्रालय द्वारा लागू किये जाने वाले किसी भी वित्तीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए सरकार द्वारा किसी गैर-सरकारी कम्पनी को अपने नियंत्रण में लिया जा सके।

(ख), (ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आयकर विभाग में आई० ए० सी० के पद बनाना

9745. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में हाल ही में निर्धारण कार्य के लिए आई० ए० सी० के 100 पद बनाये गये हैं ;

(ख) क्या आयकर विभाग में निर्धारण कार्य के लिए आई० ए० सी० के अतिरिक्त पदों की मंजूरी देने का कोई अग्रेतर प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) निर्धारण कार्य के लिए आई० ए० सी० के पद बनाने का क्या औचित्य है जबकि यही कार्य आयकर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि निर्धारण कार्य के लिए आई० ए० सी० के पद बनाने से आयकर अधिकारियों में भारी असंतोष और निराशा उत्पन्न हो गई है ;

(ङ) क्या उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में पुनः यथास्थिति लायेगी, यदि हां, तो कब से ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (च) आय-कर अधिकारी (ग्रुप 'क') के 87 पदों का दर्जा बढ़ाकर, कर-निर्धारण कार्य के लिए अक्तूबर 1973 में निरीक्षी सहायक आयुक्त के 87 पद बनाये गये। महत्वपूर्ण कर-निर्धारण कार्य सहायक आयुक्तों को सौंपने की आवश्यकता पर लोक लेखा समिति तथा वांचू समिति द्वारा ज़ोर दिया गया था। उस समय यह निर्णय किया गया कि 5 लाख रु० तथा इससे ऊपर की आय के कर-निर्धारण के सभी मामलों को कर-निर्धारण के लिए निरीक्षी सहायक आयुक्तों को सौंप दिया जाना चाहिए। भविष्य में पदों की संख्या में कोई वृद्धि करना, निरीक्षी सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) द्वारा निपटाये जाने वाले कार्य-भार पर आधारित आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

कुल मिलाकर, नीति के मामले के तौर पर, पदोन्नत किये गये केवल नये सहायक आयुक्तों को ही कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्य दिया जाता है। यदि इस तरह की पदोन्नतियां नहीं दी गई होतीं तो ये ही अधिकारी, आय-कर अधिकारियों की हैसियत से कर-निर्धारण कार्य करते रहे होते। इस प्रकार, आय-कर अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाकर सहायक आयुक्तों के पदों में परिवर्तित करने के खिलाफ शिकायत करने का कोई आधार नहीं दिखाई देता। किसी भी मामले में, इन पदों के सृजन के खिलाफ किसी प्रकार का असन्तोष होने की कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

रामेश्वरम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

9746. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पहले ही रामेश्वरम में 8,16,650/- रुपए की लागत पर एक 64 बैड वाले पर्यटक बंगले का निर्माण किया है। पर्यटक बंगला 1975 में चालू हुआ था और इसका प्रबन्ध तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है। पूर्ववर्ती योजनाओं में, रामेश्वरम में निम्न आय वर्ग के लिए एक विश्राम गृह के निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के साथ लागत का 50% वहन किया। रामेश्वरम में पहले से ही प्रदत्त सुविधाओं को देखते हुए, केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत इस केन्द्र पर अतिरिक्त पर्यटक सुविधाएं विकसित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत रामेश्वरम में कोई स्कीम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव नहीं किया है।

कृषि पर आधारित सहकारी एकक

9747. श्री गद्दाधर साहा : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े राज्यों में अब तक सहकारी तेल मिल, चावल मिल, पटसन की गांठें तैयार करने वाले संयंत्र, कताई मिल, कागज मिल, डेरी सहकारिताओं, प्रशीतगार आदि जैसे कृषि-आधारित सहकारी एकक राज्यवार, जिलावार, कितने तथा कहां-कहां स्थापित किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित श्रेणी में आने वाले राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश ये हैं :– असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कशमीर, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सिक्किम तथा केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिजोराम। जहां तक अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता की दृष्टि से पिछड़े जिलों का सम्बन्ध है, इनका न तो पता लगाया गया है और न ही उनके लिये सहायता की कोई विशेष योजना ही बनाई गई है। अब तक सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 392 कृषि आधारित एककों की स्थापना की गई है। एक राज्यवार विवरण विवरण-I में दिया गया है। इनमें से जिन 334 एककों के नाम तथा स्थान तुरन्त उपलब्ध हैं, विवरण–II में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4417/79]

कलकत्ता में चाँदी शोधनशाला

9748. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 47, स्ट्रान्ड रोड, कलकत्ता स्थित भारत सरकार की चांदी शोधनशाला को कुप्रबन्ध और कदाचार के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय निर्मित क्षमता की उसमें कितनी दर से उपयोग होता है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड के प्रतिनिधिमण्डल ने संयंत्र का दौरा किया था ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी अन्य बातें क्या हैं,

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) "कुप्रबन्ध और कदाचार से पैदा होने वाले किसी भी गम्भीर संकट" के संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) चांदी शोधनशाला (चांदी साफ करने वाले कारखाने) की स्थापित क्षमता के उपयोग की मौजूदा दर के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस कारखाने का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए मूलतः इसकी स्थापना की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) चांदी शोधनशाला (चांदी साफ करने वाले कारखाने) को तांबा साफ करने वाले कारखाने में बदलने के लिए अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे जिस पर काफी रकम खर्च होगी। इस परिवर्तन के सिलसिले में तकनीकी संभाव्यता तथा आर्थिक परिणामों का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस बारे में सम्बन्धित अधिकारी जांच कर रहे हैं।

दिल्ली से हैदराबाद तक की प्रातःकालीन विमान सेवा

9749. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से हैदराबाद तक प्रातःकाल एक विमान चलायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) 15 अप्रैल, 1979 से इंडियन एयरलाइंस ने प्रातःकाल (1000 बजे) हैदराबाद के मार्ग से दिल्ली से बंगलौर तथा सांयकाल हैदराबाद के मार्ग से(हैदराबाद से रवानगी 1625 बजे) बंगलौर से दिल्ली की एक दैनिक एयरबस सेवा चालू की है। मुख्य मांग हैदराबाद से दिल्ली के लिए काफी सुबह रवाना होने वाली एक और सेवा की भी है। कारपोरेशन इस मांग के प्रति जागरूक है और वह इस पर उस समय विचार करेगी जब इसके विमान-बेड़े में वृद्धि हो जायेगी तथा इस सैक्टर पर कुल यातायात की मांग से भी इसका औचित्य सिद्ध हो जाएगा।

बैंकों के लिये किराये पर लिये गये भवनों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

9750. डा० रामजी सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक उन गैर-सरकारी भवन-मालिकों को ऋण देते हैं जिनके भवन उन्होंने किराये पर ले रखे हैं तथा उन मकानों पर किराये की ऊंची दरें दे रहे हैं ;

(ख) सारे देश में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किराये के रूप में कुल कितनी राशि अदा की जाती है ;

(ग) कितने प्रतिशत कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या बैंक उस राशि का उपयोग अपने मकान बनाने के लिये नहीं कर सकते जो वे उन भवन मालिकों को ऋण के रूप में देते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) बैंकों द्वारा किराये कर लिये जाने वाले भवनों का किराया, भवनों की अवस्थिति, उनकी उपयुक्तता, विकल्पों की उपलब्धता तथा उस क्षेत्र में प्रचलित आम किराये जैसी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। हांलांकि किराये की राशि की मात्रा हर मामले में अलग-अलग होती है फिर भी रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि परिसर के किराये प्रचलित दरों से ऊंचे स्तर पर निर्धारित तो नहीं किये जाते हैं। बैंक यदि आवश्यकता होती है तो किराये पर लिये गये परिसरों के मालिकों को स्थानीय कानून अथवा समझौते द्वारा किये गये करारों के अनुसार, अग्रिम धन भी प्रदान करते हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग हर वर्ष 36 करोड़ रुपये की कुल राशि किराये के रूप में अदा की जाती है जो जमा राशियों और लिये गये ऋणों पर अदा किये जाने वाले ब्याज को छोड़कर अन्य सभी मदों पर होने वाले उनके व्यय का लगभग 5 प्रतिशत बैठता है।

(ग) और (घ) अचल सम्पत्ति में किसी बैंक के समग्र निवेश और उसके अपने कोषों में एक समुचित अनुपात होना आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली जाने वाली शाखाओं की भारी संख्या तथा उसके कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बैंक इसे ठीक नहीं समझते कि अपने भवनों के मंहगे निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दें, इसके बजाए वे उचित किरायों पर उपलब्ध उपयुक्त भवन किराये पर लेना अधिक प्रसन्द करते हैं। अधिकांश बैंकों ने सूचित किया है कि अपने कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लिया जाना

9751. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर ने हाल ही में वाशिंगटन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दो दिवसीय बैठक में भाग लिया था ;

(ख) भारतीय शिष्ट मण्डल ने किस प्रकार के सुझाव दिए ; और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर ने 7 मार्च, 1979 को हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अंतरिम समिति की बैठक में भाग लिया था।

(ख) अंतरिम समिति की बैठक में बोलते हुए भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम समिति को चाहिए कि वह संरक्षणवाद की प्रवृत्ति के रुख को मोड़ने की सिफारिश करे। उन्होंने आग्रह किया कि हाल में तेल की सप्लाई और उसके मूल्यों संबंधी अनिश्चितताओं के अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अंतरिम समिति ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह केवल बड़े औद्योगिक देशों के बारे में ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत से अन्य देश भी इससे प्रभावित हैं। उन्होंने पूरक वित्तपोषण सुविधा के लिए एक 'आर्थिक सहायता खाता' खोलने की बात पर

विचार करने के लिए कहा ताकि इस सुविधा से लाभान्वित होने वाले गरीब देशों पर ब्याज के बोझ को कुछ कम किया जा सके । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोष को एक व्यापक जांच के ग्राधार पर एक प्रतिस्थापन खाता खोलने की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए जिस पर सदस्य देश कोष के अंतर्गत करेंसियों की प्रारक्षिक राशियों के एक भाग को एस०डी०आर० में वर्णित परिसम्पत्तियों में बदलने के लिए एक प्रतिस्थापन खाता खोलने की वांछनीयता पर विचार कर सकें ।

(ग) समिति ने पूरक वित्तपोषण सुविधा के लागू कर दिए जाने का ग्रौर ऋण देने, देनदारियों का निपटारा करने ग्रौर पुनः ग्रन्तरण की शर्त के ग्रधीन वचनों तथा ग्रन्तरणों की प्रतिभूति के रूप में एस०डी०ग्रार० का उपयोग किए जाने के फैसले का स्वागत किया ग्रौर कार्यकारी बोर्ड द्वारा "प्रतिस्थापन खाता" पर सक्रिय विचार-विमर्श किए जाने का समर्थन किया । समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :—

(i) समिति ने यह देखा कि कुछ महत्वपूर्ण बातों में ग्रंतर्राष्ट्रीय ग्रर्थव्यवस्था की स्थिति बराबर ग्रसंतोषजनक बनी हुई है किन्तु उसने ग्राशा व्यक्त की कि 1979 में औद्योगिक देशों के बीच भुगतान शेष संबंधी स्थिति सुधर जाएगी ।

(ii) समिति ने इस बात को नोट किया कि जहां कुछ ग्रौद्योगिक देशों में ग्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहां बाकी ग्रन्य देशों में उत्पादन में वृद्धि ग्रपर्याप्त रही है ग्रौर परिणामस्वरूप समिति बेरोजगारी कम करने तथा निवेश में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करने में ग्रसमर्थ रही है । इसके ग्रलावा विकास की धीमी गति ग्रौर विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी व्यापार के उपायों के बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप व्यापार के परिणाम में वृद्धि की रफ्तार धीमी रही । समिति ग्राशा करती है कि जेनेवा में होने वाली व्यापार संबंधी बहुपक्षीय बातचीत से संरक्षणवाद की प्रवृत्ति के रुख को मोड़ने में सहायता मिलेगी ।

(iii) समिति ने खासतौर से यूरोप में मुद्रास्फीति की ऊंची प्रवृत्ति को नोट किया ग्रौर इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए संबंधित देशों द्वारा कड़े प्रयत्न किए जाने का सुझाव दिया ।

(iv) समिति ने विशेष चिन्ता के साथ यह भी नोट किया कि बहुत से गैर-ग्रौद्योगिक ग्रथवा प्राथमिक उत्पादक देश विकास की सामान्य से कम दरों ग्रौर मुद्रास्फीति की उच्च दरों से त्रस्त हैं ।

(v) इसने ग्रधिकांश विकासशील देशों के संबंध में चालू खाते के भुगतान शेष के घाटे की वृद्धि ग्रौर बड़े ग्रौद्योगिक देशों के चालू खाते की शेष राशियों के पहले से बेहतर वितरण की संभावनाग्रों को भी नोट किया ।

(vi) समिति ने ग्रार्थिक विकास, मुद्रास्फीति ग्रौर भुगतान शेष की समस्याग्रों को हल करने के लिए, उपयुक्त नीति ग्रपनाए जाने के वास्ते सदस्य देशों से समन्वित प्रयत्न करने की मांग की । उसने ग्रौद्योगिक देशों से विकासशील देशों की ग्रार्थिक ग्रावश्यकताग्रों का भी ध्यान रखने के लिए कहा ग्रौर ग्रौद्योगिक देशों से विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल को उनके बाजार तक पहुंचने में

सहायता प्रदान करने और अधिक सरकारी विकास सहायता देने का आग्रह किया। इस संदर्भ में समिति ने उच्च स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया और कोष पर विनिमय दर और समायोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के साधन के रूप में सभी सदस्यों की संबंधित नीतियों पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया।

समिति ने पूरक वित्तपोषण सुविधा को कार्यरूप दिए जाने का स्वागत किया जिससे भुगतान शेष संबंधी गंभीर असंतुलनों का, जो उनके कोटे से कहीं अधिक हैं, सामना करने वाले सदस्यों की सहायता करने की कोष की क्षमता बढ़ जाएगी। समिति ने अपने इस विचार को दोहराया कि कार्यकारी बोर्ड को एक आर्थिक सहायता सुविधा की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए ताकि इस सुविधा का उपयोग करने वाले कोष के कम आमदनी वाले सदस्यों पर ब्याज के बोझ को कम करने में सहायता प्रदान की जा सके।

समिति ने विशेष आहरण अधिकारों (एस०डी०आर०) की समस्याओं पर कार्यकारी बोर्ड के निर्णय का स्वागत किया जिसके अन्तर्गत ऋण देने, देनदारियों का सीधे निपटारा करने और पुनः अन्तरण की शर्तों के अधीन वचनों और अन्तरणों की प्रतिभूति के रूप में एस०डी०आर० का इस्तेमाल किया जा सके तथा कार्यकारी बोर्ड से एस०डी०आर० का अन्य कार्यों के लिये भी उपयोगों की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया।

समिति ने एक खाते के संबंध में कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया जिसका प्रबंध कोष द्वारा किया जाएगा। इस खाते में कोष के सदस्यों से स्वेच्छिक आधार पर एस०डी० आर० में वर्णित दावों के बराबर राशि के बदले, जमा के रूप में विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाएगी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एस०डी०आर० को मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति बनाने में और सहायता मिलेगी।

डालर और पौंड स्टर्लिंग के संबंध में रुपए का मूल्य

9752. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1979 में डालर और पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए के मूल्य में ह्रस हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए के मूल्य में मार्च, 1979 में ह्रास हुआ है। लेकिन अमेरिकी डालर की तुलना में इस महीने में रुपए का मूल्य थोड़ा-सा बढ़ा है।

(ख) 25 सितम्बर, 1975 से रुपए की विनिमय दर उन देशों की चुनी हुई करेंसियों की विनिमय दरों में प्रतिदिन होने वाली घटबढ़ के संदर्भ में तय की जाती है, जिनके साथ भारत का अधिकतर व्यापार होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पौंड की तुलना में रुपए का मूल्य 13 मार्च, 1979 को 16.50 रुपए प्रति पौंड से बदल कर 16.80 रुपए प्रति पौंड कर दी गई जो मार्च, 1979 में पौंड की तुलना में रुपए के मूल्य में 1.79 प्रतिशत के ह्रस की सूचक है।

अमेरिकी डालर के मामले में, विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पौंड स्टर्लिंग-अमेरिकी डालर की दर में और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रुपया-पौंड स्टर्लिंग दर में घटबढ़ के आधार पर प्रतिदिन बदलती रहती हैं। मार्च 1979 के महीने में इस घटबढ़ का परिणाम यह हुआ कि डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में थोड़ी सी अर्थात् 0.27 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

गांव अपनाओ योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनाये गये गांव

9753. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **उप प्रधान तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 31 दिसम्बर, 1978 तक गांव अपनाओ योजना के अंतर्गत समेकित विकास में तेजी लाने के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितने-कितने गांव अपनाये गये।

(ख) इसी प्रकार उद्योगपत्तियों ने प्रत्येक राज्य में कितने-कितने गांव अपनाये ; और

(ग) सम्बन्धित गांवों को बैंकों/उद्योगपत्तियों द्वारा किस प्रकार की मदद या सहायता दी गई तथा ऐसे पहले दस गावों के नाम क्या हैं जिनका सर्वोत्तम ढंग से विकास किया गया है तथा वहां क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंगीकृत गांवों की संख्या, प्रत्यक्ष कृषि के लिए दिये गये ऋण खातों की संख्या तथा जून, 1978 (अंतिम सूचना मिलने तक) के अंतिम शुक्रवार तक प्रत्येक राज्यों में बकाया राशियों से संबंधित राज्यावर आंकड़े विवरण—एक में दिये गये हैं।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य कम्पनियों/सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं जिसके लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग-ग के अन्तर्गत उनके आयकर का निर्धारण करते समय कटौती की छूट दी जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग-ग के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के ताज़ा उपलब्ध विवरण विवरण—दो में दिये गये हैं।

(ग) सर्वोत्तम विकसित ग्रामों के नामों को तय करने के बारे में कोई विवरण एकत्र नहीं किये जाते। बैंकों द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण अंगीकरण योजना का उद्देश्य ग्रामों के समग्र विकास के लिए, चरणबद्ध रूप में गावों की समग्र ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है।

विवरण–एक

जून, 78 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चलाई गई ग्राम अंगीकरण योजना के परिचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	गांवों की संख्या	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5669	429452	10495.90
असम	1508	13610	129.89

1	2	3	4
बिहार	3101	60664	859.33
गुजरात	2020	27930	1205.78
हरियाणा	1419	24030	896.72
हिमाचल प्रदेश	939	10915	132.86
जम्मू और कश्मीर	160	3957	36.35
कर्नाटक	3135	86516	2315.09
केरल	807	110900	965.52
महाराष्ट्र	2931	82347	3047·37
मणिपुर	150	2489	45.88
मध्य प्रदेश	5737	36325	1042.17
मेघालय	71	3907	45.82
नागालैंड	16	219	3.32
उड़ीसा	2029	85872	984.25
पंजाब	2428	48490	2129.86
राजस्थान	5242	44155	1648.47
तमिलनाडु	2425	141213	2123.78
त्रिपुरा	1091	17557	112.00
उत्तर प्रदेश	10486	202714	2824.78
पश्चिम बंगाल	10339	222622	3135.79
अरूणाचल प्रदेश	16	94	0.66
चंडीगढ़	17	10	0.11
दिल्ली	126	2308	59.85
गोवा, दमन और दिवयू	95	2150	28.24
मिजोरम	2	30	0.23
पांडिचेरी	66	4547	88.99
जोड़:	62025	1665023	34359.01

विवरण—दो

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग-ग के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा व्याप्त विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण

राज्य	वह ग्रामीण क्षेत्र जहां यह कार्यक्रम चलाया जाना है
1	2
1. आंध्र प्रदेश	ग्राम जेन्द्रापेटा, श्रीकाकुलम तथा विश्वरबापट्नम् जिलों के गांव, थाटी-गुडा तथा गुज्जनगिवालसा गांव, हैदराबाद तथा महबूबनगर जिलों के गांव, टी० कोटापालम के गांव, तल्लागडा देवी तथा एटीमोगो, नागाराम तथा पोडावदाटा गांव, सिरपुर तालुका तथा आसिफाबाद तालुका के गांव, रेपाले तथा दिवी तालुका के तटवर्तीय ग्राम, अदेलाबाद जिले के गांव तथा नदलापुर गांव ।
2. बिहार	गांव नियाटोली तथा सिंहभूम, पलामू तथा रांची जिलों के गांव ।
3. गुजरात	दस्करोई तालुका के गांव, गांव भूवल, दस्करोई तालुका में हरनेव धमताव, पुरदी तालुका के गांव, पाटन तालुका के गांव, मांडवी तथा मुंद्रा तालुका के गांव, दौलतपुर तथा नखराणा केन्द्रों के गांव, गांव धोरडो, अबदासा तालुका के गांव, धनौरा, रामपुरा के गांव, अंगध तथा करोडिया, गांव मोडा, गांव लच्छा-कारी तथा रेबर, बांसडा तालुका के गांव, गांव जुज तथा चेराडवा तथा सारा केन्द्रों के गांव, डबादे तालुका के गांव, मेहसाना जिले के गांव, गांव कलसार, झालोद तालुका के गांव, गांव रामनाथ, खाडा, जामनगर तथा खेड़ा जिलों के गांव ।
4. हरियाणा	गांव बेदमलिक, बल्लभगढ़ तथा रेवाड़ी तहसीलों के गांव तथा नलवा गांव ।
5. कर्नाटक	गांव हीराबल्ली तथा गुलबर्गा जिले के गांव ।
6. केरल	कन्डायीरूप्पु, पट्टीरुत्तम तथा परापेडिका के गांव ।
7. मध्य प्रदेश	गांव गोपालपुर, चिलटको, आनन्दपुर के गांव, चित्रकोट केन्द्र के गांव, तहसील सोहागपुर के गांव, अमरकन्टोक गांव, दुर्ग तथा जबलपुर जिलों के गांव ।
8. महाराष्ट्र	गांव तेम्बूरवाही, गांव नागौन, गांव शिवानी, गांव कंडूर, गांव साल्वा, गुलसुन्डे, मोहोपाडा, पेसारी, तुराडे, बावेधर, औंधा नागनाथ के गांव, महागांव के गांव, उमेरखंड, घानकी, अडगांव तथा पुसाद केन्द्र, लाडीवाली तथा पथारस गांव, कलामनूरी के गांव, अखाडा, बालापुर, हदगांव तथा हिमायत नगर केन्द्र, चन्द्रपुर तथा यवतमाल जिलों के गांव तथा गांव सैवां ।
9. उड़ीसा	गांव पुट्टीयापल्ली, सम्बलपुर जिले के गांव तथा झारबेडा गांव ।
10. राजस्थान	तहसील जहाजपुर, डीडगन तहसील के गांव, मारटा, नन्दबेल तथा नेहर मागरा गांव, बूंदी जिले के गांव तथा मौलापुर ।
11. तमिलनाडु	गांव वंदीयुर विल्लापुरम, गांव पाडुर सोमासुन्दरम हरिजन बस्ती, गांव अन्धानूर, गांव कल्लाकुडी तथा पुल्लियमपट्टी ।

1	2
12. उत्तर प्रदेश	गांव विजयापुर पटिया, एटा जिले के गांव, मोहामदी ब्लाक के गांव, गांव बोगुडी, तेलहेटा, ईसापुर, भडोला, चुडियाला गांव, मुरादनगर ब्लाक का गांव पूठरी तथा भोजपुर ब्लाक के गांव, गांव कठगरे हरचंदपुर तथा कंडूरी, छपरौली ब्लाक के गांव, मेनकपुर तथा पाठाखेता ब्लाकों के गांव तथा तहसील सरधना के गांव ।
13. पश्चिम बंगाल	बिश्नुपुर तथा गौरंगपुर के गांव, भगतपुर तथा ग्रासमोर पोस्ट नागरहाटा के गांव, दार्जिलिंग की ब्लूमफील्ड इस्टेट के गांव, जिला 24 परगना में पुरन्दपुर मठ के गांव, गांव लोहागढ़, गांव मोयना पालघाट तथा तालुक, 24 परगना के ब्लाक बरसात-I के गांव ।

अहमदाबाद में असैनिक हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना

9754. **प्रो॰ पी॰ जी॰ मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में असैनिक हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ा कर पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) अहमदाबाद विमान क्षेत्र को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अहमदाबाद इण्डियन एयरलाइन्स की ऐसी विमान सेवाओं द्वारा बम्बई और दिल्ली से जुड़ा हुआ है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को आराम से संयोजी उड़ानें प्राप्त हो जाती हैं ।

सांताक्रूज, बम्बई के कन्ट्रोल टावर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

9755. **प्रो॰ पी॰ जी॰ मावलंकर :**

श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांताक्रूज हवाई अड्डे, बम्बई में कन्ट्रोल टावर में कर्मचारियों ने पुनः हड़ताल कर दी है अथवा ऐसा करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को पारस्परिक संतोषजनक ढंग पर और स्थायी आधार पर हल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) विमान यातायात नियन्त्रक गिल्ड के सदस्यों ने 21-4-1979 से सभी विमानक्षेत्रों पर 'नियमानुसार कार्य' करना आरम्भ कर दिया है ।

विमान यातायात नियन्त्रक गिल्ड ने शुरू में 8 मांगें रखी थीं, परन्तु बाद में उन्होंने अपनी इन मांगों में से निम्नलिखित 4 मांगों की पूर्ति कराने के लिए 21-4-1979 से 'नियमानुसार कार्य' करना आरम्भ कर दिया : अर्थात्

(i) टाटा समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना ;

(ii) विमान यातायात नियन्त्रक गिल्ड को एक सेवा संगठन (सर्विस बॉडी) के रूप में मान्यता प्रदान करना;

(iii) रेडार रेटिंग भत्ता ; तथा

(iv) वर्दी भत्ते में वृद्धि करना ।

(ग) (1) टाटा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वियन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य क्रमिक चरणों में किया जा रहा है ।

(2) मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(3) रेडार रेटिंग भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है ।

(4) वर्दी भत्ते में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

मन्त्री महोदय द्वारा जेनेवा तथा पेरिस का दौरा

9756. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में जेनेवा तथा पेरिस का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उक्त दौरे के यदि देश के लाभ के लिए कुछ ठोस परिणाम निकले तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वाणिज्य मंत्री की जेनेवा यात्रा का उद्देश्य लौह अयस्क निर्यातक देशों की ऐसोसियेशन (ए०पी०ई०एफ०) की कांफ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में उसके मंत्रिस्तरीय कांफ्रेंस के दूसरे अधिवेशन का 5 अप्रैल, 1979 को उद्घाटन करना था ।

जेनेवा जाते समय वाणिज्य मन्त्री ने पेरिस में चार घंटे के रुकने के समय को सम्मिलित व्यापार कार्यालयों का निरीक्षण करने में लगाया जो उनके अनुरोध पर अर्थव्यवस्था, बेहतर समन्वय और विदेशों में आधुनिक भारत की प्रतिष्ठा की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने के हित में एक छत के नीचे लाये गए हैं ।

भारत में 1975 में लौह अयस्क निर्यातक देशों की ऐसोसियेशन (ए० पी०ई०एफ०) की स्थापना करने में कुछ अन्य लौह अयस्क उत्पादक तथा निर्यातक देशों के साथ सीधे पहल

की थी। इस एसोसिएशन का एक उद्देश्य लौह अयस्क पर लाभप्रद प्राप्ति सुनिश्चित करना है। यह संगठन भारत के सक्रिय सहयोग से उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहा है।

ए०पी०ई०एफ० की स्थापना करने वाले करार के अनुसार वाणिज्य मन्त्री ने जो दूसरी मन्त्रिस्तरीय कांफ्रेंस बुलाई थी उसकी उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :—

(1) ए०पी०ई०एफ० बोर्ड से कहा गया कि वह अपनी अलग बैठक में अंकटाड में परिवर्तनों और ए०पी०ई०एफ० एवं अंकटाड के सचिवालयों द्वारा किए गए किन्हीं लेखों के प्रकाश में लौह अयस्क की स्थिति की समीक्षा करे। इस समीक्षा का उद्देश्य अंकटाड की अगली प्रारम्भिक बैठक में उत्पादकों/निर्यातकों की सामान्य स्थिति बनाना होगा। यह व्यवस्था की गई कि लौह अयस्क सम्बन्धी अंकटाड की प्रारम्भिक बैठक में उत्पादकों/निर्यातकों का कांक्लेव किया जाए और सामान्य स्थिति के लिये सभी उत्पादकों/निर्यातकों का समर्थन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाए।

(2) लौह अयस्क के बाजार को बेहतर तरीके से समझने की सुविधा देने के लिए और एसोसिएशन के अनुच्छेदों (नियमों) में बताये गए रूप में ए०पी०ई०एफ० के सदस्य देशों के बीच परामर्श को रूप-रेखा के अन्तर्गत ए०पी०ई०एफ० बोर्ड से कहा गया कि वे अपनी कार्यसूची में स्थायी पद के रूप में "लौह अयस्क के बाजार की दिशाओं पर विचार" नामक मद सम्मिलित करें। सदस्य देशों को इस बात का स्वविवेक दिया गया कि वे इस मद के अन्तर्गत चर्चा के लिए अपने मन्त्रिमण्डल में विशेषज्ञ सम्मिलित करें।

सामान लिए जाने के नियमों में ढील देना

9757. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :**

श्री श्याम सुन्दर लाल :

श्री विजय कुमरा एन० पाटिल :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई अड्डे अथवा समुद्री पत्तनों पर उतरने वाले भारतीय और विदेशी यात्रियों के सामान ले जाने के नियमों में और अधिक ढील दे दी गई है अथवा उन्हें हाल में कठोर बना दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके पीछे क्या प्रयोजन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल सामान नियमों में और आगे संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य व्यापार निगम पर प्रतिवेदन

9758. श्री कुमरी अनन्तन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट जिसने राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच की थी, ने प्रस्तुत प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट, अहमदाबाद के अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि राज्य व्यापार निगम की भूमिका पहले निष्पादित की गई भूमिका से अलग होनी चाहिए। राज्य व्यापार के लिए नई भूमिका निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) अपने खाते पर पर्याप्त मात्रा में वास्तविक व्यापार करना जिसमें क्रय, विक्रय, भण्डारण करना आदि शामिल है ।

(2) मार्गीकृत करों का प्रबन्ध करते रहना परन्तु विगत की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैमाने पर ।

(3) नए उत्पादों तथा निर्यात के लिए बाजारों का विकास करना तथा सप्लाई आधार एवं अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को मजबूत बनाने तथा उनका विस्तार करने में मदद देने के लिए कार्यवाही करना ।

(4) अपने कार्यों को इस प्रकार संगठित करना कि इनसे कीमत स्थिरता, रोजगार में वृद्धि, बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को बन्द करने आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिले ।

(5) सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को बाजार में अपने क्षेत्र अभिकरणों के रूप में मानीटर करने के लिए अपने आप को संगठित करना तथा उचित उपचारात्मक कार्यवाही के लिए समय पर पुनर्निवेशन प्रदान करना ।

(6) निष्पादन के आधार पर देश में व्यापारिक समुदाय के भीतर नेतृत्व का पद तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सुदृढ़ता की स्थिति प्राप्त करना ।

(ख) इन सिफारिशों पर मंत्रालय में विचार किया गया है तथा इन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

भारत के हाथ से कार्पेट-बैंकिंग का अमरीका व्यापार का निकल जाना

9759. श्री कुमरी अनन्तन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्पेट-बैंकिंग के मामले में भारत अमरीकी व्यापार खो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) संश्लिष्ट पदार्थों से प्रतियोगिता के कारण अमरीकी बाजार में पटसन कालीन अस्तर के प्रयोग में कमी आई है। कलकत्ता पत्तन तथा पटसन उद्योग में हुई हाल की हड़तालों तथा नाविकों की हड़तालों के कारण, पटसन से बने माल के निर्यात को गम्भीर रूप से धक्का पहुंचा है। ये हड़तालें अब समाप्त हो गई हैं तथा अब सामान्य निर्यात आमतौर पर पुनः आरम्भ हो गए हैं।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को चमड़े के जूतों का निर्यात बढ़ाना

9760. श्री कुमरी अनन्तन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को जो रुपये की अतिरिक्त निर्यात मण्डी है, चमड़े के जूतों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चमड़े के जूते आदि का निर्यात बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं :

(1) उस पूंजीगत माल का शुल्क-मुक्त आयात जिसका देश में उत्पादन नहीं किया जाता ;

(2) जिन कारखानों में 2 हॉर्स पावर से अधिक का प्रयोग किया जाता हो और 49 कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी काम करते हों, उन्हें उत्पादन-शुल्क से छूट ;

(3) चमड़े के जूते आदि के निर्यातों पर शुल्क वापसी समान दर की लेवी।

1978–79 में सरकार ने बड़ी संख्या में जूते आदि बनाने की मशीनों को ओ०जी०एल० के अन्तर्गत रखा था। 1978–79 में बड़ी संख्या में टेनिंग मशीनों पर आयात शुल्क घटाकर 40 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया था।

जूते आदि की मशीनों पर आयात शुल्क घटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। चमड़े के जूते आदि के निर्यातों से संबंधित उपर्युक्त रिपोर्ट की सिफारिशें केवल कुछ ही देशों के बारे में हैं। वर्तमान नीतियों में यदि ऐसी कोई मजबूरियां और कठिनाइयां हैं, जिनसे निर्यात की वृद्धि में बाधा पड़ती है, तो उनका पता लगाने के लिए जूतों के निर्यातों का पुनरीक्षण करने के सामान्य प्रश्न पर और इस सम्बन्ध में सफलता के लिए सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चमड़ा तथा चमड़े के माल सम्बन्धी कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ विचार किया है। कार्यदल के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अध्ययन में किए गए कुछ उपर्युक्त मुद्दे भी शामिल हैं और सरकार ने उनका कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है।

रबड़ का सामान बनाने वाले लघु एकक

9761. श्री वसन्त साठे :

श्री विजय कुमार एन० पाटिल :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रबड़ का सामान बनाने वाले लगभग 2000 लघु एककों के रबड़ के मूल्यों में वृद्धि के कारण वस्तुतः बन्द होने का खतरा है और राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिक आयात तथा आयातित माल के वितरण से संकट और भी गम्भीर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रबड़ निर्माताओं के संगठन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है, उसका ब्यौरा क्या है और रबड़ का सामान बनाने वालों को राहत देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1979 में फ्री प्रेस जर्नल बम्बई में "एस० टी० सरे० मंडल पुशिश अप रबड़ प्राइसिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और उसमें की गई गम्भीर टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) मामलों में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) रबड़ की कमी, ऊंची कीमतों, रबड़ माल तैयार करने वाले लघु एककों के बन्द होने की आशंका और राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबड़ के आबंटन में देरी के बारे में रबड़ माल के विनिर्माताओं के संगठनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

उद्योग को राहत देने की दृष्टि से, सरकार ने देश में रबड़ की मांग-पूर्ति स्थिति की समीक्षा करने के बाद 1978–79 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 15,000 मे० टन रबड़ की दो किस्तों के आयात की अनुमति दी ।

(ग) तथा (घ) प्रश्नाधीन समाचार को सरकार ने देखा है । 15,000 मे० टन की प्राधिकृत पहली किस्त की तुलना में, राज्य व्यापार निगम ने 14,750 मे० टन का आयात किया था और तकरीबन सारी मात्रा रबड़ विनिर्माण एककों में बांट दी गई है । 15,000 मे० टन के दूसरे प्राधिकार में से, राज्य व्यापार निगम ने अभी तक 14,600 मे० टन के लिए संविदा की है । 11,100 मे० टन मात्रा मद्रास पहुंच चुकी है । तथापि, रबड़ वस्तुओं के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा राज्य व्यापार निगम में सिर्फ 9280 मे० टन की मांग के लिए पंजीकरण किया गया है जिनमें कुल 7457 मे० टन कवर करने वाले आबंटन आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

रबड़ की मांग, पूर्ति तथा कीमत के रुख पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । जब यह पाया जाता है कि मांग पूरी करने के लिए घरेलू उपलब्धता अपर्याप्त है, तो कीमत विनियमित करने और पूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है ।

"इन्वेस्टमेंट कर्ब्स हिट फिजकल टाइज विद जापान" शीर्षक से समाचार

9762. **श्री वसन्त साठे :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1979 के टाइम्स आफ इन्डिया में "इस्वेस्टमेंट कर्ब्स हिट फिजकल टाइज विद जापान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) तत्संबंधी क्या तथ्य हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में सरकार की नीति 23 दिसम्बर 1977 को सभा पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति विषयक विवरण के पैरा 24 से 26 तक दी गई है। सरकार का यह विचार है कि इस नीति की परिधि के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भारत-जापान तकनीकी और वित्तीय सहयोग के लिए काफी गुंजाइश है। सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों और विदेशी सहयोग को अनुमोदन किए जाने के संबंध में प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए भी कार्रवाई की है।

कम लागत के जनता होटलों के विकास के लिए प्राइवेट होटल मालकों को प्रोत्साहन

9763. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

श्री हरीराम मरकासर गोदरा :

श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम धनी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के लिए कम लागत के जनता होटलों का विकास करने के लिए प्राइवेट होटल मालिकों को कुछ प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे होटल प्रबन्ध व्यवस्था विशेषज्ञ

9764. **श्री श्याम सुन्दर लाल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुचे देश में होटल प्रबन्ध व्यवस्था में विशेषज्ञों के बाहर चले जाने से होटल उद्योग को भारी धक्का लगा है ;

(ख) सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष होटल प्रबन्ध व्यवस्था के कितने विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिकांशतः किन देशों में जाते हैं ;

(घ) देश में तथा विदेशों में वेतन और परिलब्धियों में क्या अन्तर है ;

(ङ) क्या ये व्यक्ति अपनी मर्जी से विदेश जाते हैं अथवा उचित ढंग से विज्ञापित रिक्त स्थानों और मांग पर एजेंट्स के माध्यम से जाते हैं ; और

(च) भारत में पर्यटन की अधिक क्षमता को देखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे हमारे विशेषज्ञों का विदेश जाना कम हो जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) ,(ग), (घ) (ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

इंडियन टोबैको कम्पनी और शेरटन होटल के बीच करार

9765. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों—इंडियन टोबैको कम्पनी और शेरटन को देश में बड़े होटलों, जो केवल रईसों और बुद्धि वर्ग के काम आते हैं, का संचालन करने के लिए करार करने की अनुमती दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो देश को पर्यटकों और अन्य ग्राहकों से होने वाली आय की मात्रा की तुलना में ठेके के अन्तर्गत प्रतिवर्ष देश से कितनी राशि बाहर चली जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत सरकार ने उद्योग मन्त्रालय में मैसर्स आई० टी० सी० लि० (इण्डिया) के निम्नलिखित तीन होटलों के बारे में मार्केटिंग तथा आरक्षण प्रयोजनों के लिए मैसर्स आई० टी० सी० लिमि० (इण्डिया) और मैसर्स शेरटन इन्टरनेशनल इन्कार्पोरेटेड यू०एस०ए० के बीच 10 वर्ष की अवधि के लिए सहयोग संबंधी एक करार का जनवरी, 1979 में अनुमोदन किया :—

(क) होटल चोला, मद्रास

(ख) होटल मुगल, आगरा

(ग) होटल मौर्य, दिल्ली

ये लग्जरी प्रकार के होटल हैं परन्तु इन्हें स्टार श्रेणी के अनुसार अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया ।

(ख) मैसर्स शेरटन इन्टरनेशनल इन्कार्पोरेटेड, यू०एस०ए० को विदेशी मुद्रा में देय फीसों का मैसर्स आई० टी० सी० द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार, पहले पांच वर्षों में एक करोड़ रुपये और 10 वर्ष की कुल अवधि में लगभग 2.43 करोड़ रुपये के बहिर्गमन का अनुमान है। वर्ष 1978 में पर्यटन सैक्टर से देश को कुल 330 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है ।

चाप भट्ठी इस्पात पर उत्पादन शुल्क से छूट

9766. श्री के० लकप्पा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाप भट्ठी इस्पात के बहुत अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस इस्पात पर उत्पादन-शुल्क से छूट जारी रखी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जारी रखने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर उत्पादन शुल्क कब तक लगाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) विद्युत भट्ठी वाले एककों द्वारा निर्मित इस्पात के डलों को उत्पादन शुल्क से जो छूट मिली हुई थी, वह वापस ले ली गई है और 9 अप्रैल, 1979 से ऐसे डलों पर 105 रुपये प्रति मी० टन की दर से शुल्क (जिसमें विशेष उत्पादन शुल्क भी शामिल है) लगता है।

प्रशीतक उद्योग (रैफ्रीजरेशन इण्डस्ट्री) से ज्ञापन

9767. श्री के० लकप्पा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रशीतक उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन हुए हैं जिसमें कठिनाइयों अथवा सुझावों का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों का मुख्य ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई अथवा निकट भविष्य में किये जाने की सम्भावना है जिससे प्रशीतक उद्योग को सुव्यवस्थित किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। अन्य लोगों के साथ-साथ अखिल भारतीय वातानुकूलन और प्रशीतन संस्था नई दिल्ली से दरख्वास्तें मिली हैं।

(ख) इन दरख्वास्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से उत्पादन शुल्क में राहत देने का उाग्रह किया गया है और प्रशीतन उद्योग से सम्बन्धित कतिपय कार्यविधिक पहलुओं के बारे में सुझाव दिए गये हैं। सरकार ने इस उद्योग के प्रमुख अनुरोध और सुझावों पर विचार किया है। राहतों के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं।

(1) वर्ष 1978 के बजट-प्रस्तावों के अंग के रूप में, उन लघु निर्माताओं को शुल्क से छूट देने की एक नई योजना शुरू की गई है जिनकी, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में, कुल निकासी 15 लाख से अधिक की नहीं हुई हो (किसी वित्त वर्ष में उनकी पहली निकासी पर 5 लाख रुपये के सकल मूल्य तक) ; यह योजना 1 अप्रैल, 1978 से लागू की गयी है। इस योजना से लाभ उठाने

वाली उत्पादन शुल्क्य मदों में से एक मद सभी प्रकार के प्रशीतन और वातानुकूल साधित्र और मशीनें और उनके पुर्जे हैं ।

(2) वर्ष 1979 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में, इस्पात की चद्दरों, ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों और एलूमीनियम पर अदा किये गये शुल्क की खाता जमा की व्यवस्था की गयी है । अंतर्गामी माल पर इस शुल्क सम्बन्धी राहत से, प्रशीतन उद्योग के तैयार उत्पादों पर संचयी उत्पादन शुल्क के भार में कमी किये जा सकने की सम्भावना है ।

(3) भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों द्वारा सरकारी इस्तेमाल के लिए और उक्त राजनयिक मिशनों के, राजनयिक हैसियत वाले अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए अपेक्षित वातानुकूलकों, प्रशीतकों और जलशीतकों को, एक अधिसूचना के अन्तर्गत समस्त उत्पादन शुल्क से छूट मिली हुई है ।

प्रशीतकों और बोतल शीतकों के प्रयोक्ता वर्ग को देखते हुए इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम करने का अनुरोध, स्वीकार्य नहीं है । और उत्पादन शुल्क के युक्तियुक्तकरण के अंग के रूप में वर्ष 1979 के बजट में दरों की समीक्षा की गयी है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 29-क की उप मद (1) के टैरिफ विवरण में संशोधन करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

दिनांक 1 मार्च 1978 की छूट प्रदायी अधिसूचना सं० 56/78 के० उ० शु० में से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अध्याय X में दी गई कार्यविधि को लागू करने संबंधी शर्त (III) को निकाल देने के सुझाव पर सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

रेफ्रिजरेटरों के उत्पादन तथा बिक्री पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

9768. श्री के० लकप्पा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में, वर्षवार, रेफ्रिजरेटरों विशेषकर 165 लिटर क्षमता वाले रेफ्रिजरेटरों के उत्पादन तथा बिक्री पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अथवा अन्य करों की सीमा निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता रहा है ; और

(ख) क्या सरकार अतीत अवस्था को ध्यान में रखकर यह समझती है कि इन अतिरिक्त करों से रेफ्रिजरेशन उद्योग के विकास को प्रत्याशित बढ़ावा मिला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) संभवतः प्रश्न का सम्बन्ध, गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षमता वाले प्रशीतकों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में की गयी वृद्धि से है । प्रशीतकों पर लगने वाली उत्पादन शुल्क की दरों में तीन वर्षों में अर्थात् 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कोई वृद्धि नहीं हुई है । वर्ष 1978 के बजट में,

प्रभावी मूल शुल्क के 5 प्रतिशत की दर से सामान्य विशेष उत्पादन शुल्क लगाने के कारण प्रशीतकों पर भी बढ़े हुए शुल्क का भार पड़ा ।

इस वर्ष के बजट में, 165 लिटर से अनधिक की क्षमता वाले सभी घरेलू प्रशीतकों पर शुल्क मूल्यानुसार 40% की दर से लगाया गया है । परिणामतः, 100 लिटर से अनधिक की क्षमता वाले घरेलू प्रशीतकों पर, उत्पादन शुल्क का भार मूल्यानुसार 31.5% से बढ़कर मूल्यानुसार 40% हो गया है जबकि 100 लिटर से अधिक लेकिन 165 लिटर से अनधिक की क्षमता वाले प्रशीतकों पर यह भार 40 प्रतिशत रखा गया है जो कि बजट से पूर्व 42 प्रतिशत था । 165 लिटर से अधिक की क्षमता वाले घरेलू प्रशीतकों पर शुल्क को 78.75 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 80 प्रतिशत कर दिया है ।

इस वर्ष के बजट में किये गये परिवर्तनों के प्रभाव को आंकने में प्रशीतकों के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की चद्दरों/प्लेटों, एल्यूमीनियम और तांबे के पाइपों और ट्यूबों के सम्बन्ध में खाता-जमा की सुविधा लागू करने को भी ध्यान में रखा जाना होता है ।

(ख) वर्ष 1977 और 1978 के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1977 के उत्पादन के मुकाबले वर्ष 1978 में उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

छोटे किसानों को ऋण देना

9769. श्री युवराज : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे-छोटे किसानों को ऋण देने के बारे में सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े-बडे जमींदार 'बेनामी' लिखत पढ़त के जरिये ऋण का बड़ा भाग ले जाते हैं ;

(ख) क्या ऋण के मामले में सहकारी तथा वाणिज्यक बैंकों ने असम, जम्मू काश्मीर, राजस्थान तथा उड़ीसा की अपेक्षा की है ;

(ग) क्या अतिरिक्त ऋण एजेंसियों की स्थापना मात्र से ग्रामीण ऋण प्रणाली की गति नहीं बढ़ायी जा सकी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार ऋण प्रणाली में क्या सुधार करने का है और कब तक करने का है ताकि छोटे किसान अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं । भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी कोई विशिष्ट घटना उनकी जानकारी में नहीं आई है ।

(ख) असम, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में सहकारी और

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिये गये ऋणों में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि संलग्न विवरण I और II से प्रकट होता है ।

(ग) नीचे दी गई सारणी से गत तीन वर्षों में, कृषि के लिये प्रत्यक्ष संस्थागत ऋणों में होने वालो प्रगति का पता चलता है :—

(करोड़ रुपयों में)

	जून को समाप्त हुए वर्षों के दौरान जारी किये गये ऋण और अग्रिम		
	1976	1977	1978
सहकारी समितियां	1186.7	1488 6	1821.6
वाणिज्यिक बैंक	406.4	583.1	825.0
सरकार	81.5	82.2	109.1
जोड़	1674.6	2153.9	2755.7

वर्ष 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में नई संस्थाओं ने भी कार्य करना शुरू किया है। दिसम्बर, 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके थे और समाज के कमजोर वर्गों को 122.02 करोड़ रुपये के ऋण भी बांट चुके थे ।

(घ) छोटे और सीमांतिक किसानों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की गति बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

(i) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन क्षेत्रों में अपने शाखा जाल का विस्तार करें जहां इस समय बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त हैं ।

(ii) विलम्ब को समाप्त करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे विशेष रूप से छोटे और सीमांतिक किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों के मामले में अपनी ऋण देने की प्रक्रियाओं को सरल बनायें और सरलीकृत आवेदन पत्र अपनायें ।

(iii) बैंकों से कहा गया है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अपने ऋणों का कम से कम 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार दें और यह सुनिश्चित करें कि इस योजना के अन्तर्गत उनके ऋणों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से ही दिया जाये ।

(iv) उन इलाकों में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा रहे हैं जहां बैंकिंग सुविधायें अब भी अपर्याप्त हैं और सहकारी ढांचा कमजोर है ।

विवरण–एक

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कुल कृषि ऋण

(लाख रुपये में)

	जून 1976	जून 1977	जून 1978
असम	291.56	508.50	874.17
जम्मू व कश्मीर	155.70	245.62	384.61
राजस्थान	3147.29	4497.09	6932.67
उड़ीसा	1182.14	2024.00	2971.52
अखिल भारतीय	109177.50	138083.90	185066.71

विवरण—दो

सहकारी समितियों के अल्पकालिक और मध्यकालिक सावधिक ऋण*

(लाख रुपये में)

राज्य	1976-77	1977-78
असम	149.00	200.00
जम्मू व कश्मीर	140.00	319.00
राजस्थान	5917.00	7800.00
उड़ीसा	2318.00	2800.00
अखिल भारतीय	120316.00	143505.00

* अनन्तिम

1978-79 में राज्यों में बैंकों में जमा कराई गयी राशि

9770. **श्री चित्त बसु :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 में प्रत्येक राज्य में बैंकों में कुल कितनी राशि जमा करायी गयी ;

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य में बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश (सैक्टर-वार) किया गया ; और

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य में कुल कितनी शाखायें चल रही थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) हाल ही में ताजा उपलब्ध सूचना विवरण में दे दी गई है ।

विवरण

जून 1978 के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार शाखाओं की संख्याएं, जमाएं, ऋण और निवेश

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	जमाएं	ऋण			निवेश*
			जोड़	उनमें से		
				कृषि	छोटे पैमाने के उद्योग	
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	2134	114333	78872	22041	10605	21179
2. असम	414	23222	10068	874	989	5646
3. बिहार	1396	93605	40361	8579	4571	14322
4. गुजरात	2077	170000	85740	10226	15660	24128
5. हरियाणा	674	37357	22918	7370	5712	8418
6. हिमाचल प्रदेश	292	11734	2915	593	397	1546
7. जम्मू औल कश्मीर	337	22355	5296	385	877	2721
8. कर्नाटक	2338	116571	95402	17900	12116	18607
9. केरल	1976	89037	55138	6557	10060	13473
10. मध्य प्रदेश	1465	69639	37417	8598	5307	11889

11.	महाराष्ट्र	2906	475503	344874	26215	36120	39443
12.	मनीपुर	32	959	351	63	22	848
13.	मेघालय	49	3583	572	61	27	1013
14.	नागालैंड	29	1156	322	18	29	1070
15.	उड़ीसा	660	21678	13174	2971	1471	9581
16.	पंजाब	1424	114591	42415	12052	10921	9356
17.	राजस्थान	1150	48928	29770	6933	4530	14283
18.	सिक्किम	2	396	25	—	नगण्य	161
19.	तमिल नाडु	2552	156504	147443	17543	19451	29090
20.	त्रिपुरा	67	1925	791	155	43	491
21.	उत्तर प्रदेश	3027	209875	98888	20213	14639	28109
22.	पश्चिम बंगाल	1804	272517	174113	7441	15597	22886
	संघ राज्य क्षेत्र						2253†
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	528	111	23	4	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	13	509	40	1	1	—
25.	चण्डीगढ	74	16353	56690	2496	692	—
26.	दादर और नागर हवेली	4	79	66	3	38	—

1		2	3	4	5	6	7
27.	दिल्ली	768	232015	272688	4714	11492	—
28.	गोवा, दमन और दियू	216	20331	8239	476	1073	—
29.	लक्षद्वीप	5	76	5	1	—	—
30.	मिजोरम	6	353	26	1	3	—
31.	पांडिचेरी	42	3353	2285	564	330	—
	जोड़	27945	2329065	1627015	185067	182777	280513

नोट :—आंकड़े अनन्तिम हैं। *ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

†मार्च 1978 के अंत से सम्बन्धिय है और भूमि बन्धक बैंकों, राज्य वित्त निगमों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, अन्य सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निकायों के बाण्डों/प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेशों के द्योतक हैं।

कृषि पर आय कर

9771. श्री चित्त बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि पर आय-कर लगाये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) कृषि आय पर कराधान राज्यों के राजकोषीय अधिकार-क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार सरकार ने 1 मार्च, 1979 से कृषि आय कर को समाप्त कर दिया है और मुख्यतः भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियमों के लागू किए जाने की वजह से राजस्व में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बृहद जोतकर अधिनियम 1963 को निरसन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। अन्य राज्य सरकारों ने जो कृषि आयकर लगाती हैं, बताया है कि वे उक्त कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही हैं।

मद्रास में निर्धनों को बांटने के लिये कथित रूप से आयात किये गये कपड़े के बारे में जांच

9772. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास में कुछ व्यक्तियों द्वारा उपहार के रूप में निर्धनों में वितरन के उद्देश्य से कपड़े की 3000 गांठों के कथित आयात की जांच करने के लिये राजस्व आसूचना विभाग को आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है और इस घोटाले में किन लोगों का हाथ है ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं और किन पहलुओं की जांच की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) इस तथ्य को देखते हुए कि कपड़ों और अन्य वस्तुओं के उपहार के रूप में किये जाने वाले आयात के संबंध में सीमा शुल्क से उपलब्ध छूट के कथित दुरुपयोग के कुछ मामलों की सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास ने सूचना दी थी, इस मंत्रालय ने राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय से कहा है कि वह कपड़ों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के लिए भी शुल्क से छूट के कथित दुरुपयोग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं मद्रास सीमा शुल्क गृह को उपलब्ध करायें।

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा गोष्ठी

9773. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इन्स्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा प्रायोजित विमान, उड़ान क्षमता तथा सुरक्षा पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने इस गोष्ठी का उद्घाटन करते समय बताया था कि सरकार की नीति तीसरे स्तर की फीडर विमान सेवाएं आरम्भ करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। गोष्ठी का आयोजन इंजीनियर्स संस्थान (भारत) तथा भारतीय वैमानिक सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और यह गोष्ठी 10 से 13 अप्रैल, 1979 तक नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) गोष्ठी ने उड़न-योग्यता तथा विमान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं और उन्हें उसने उपयुक्त प्राधिकारियों के पास विचार करने तथा उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए भेज दिया है।

(ग) मंत्री जी ने कहा था कि सरकार फिलहाल तीसरी वायु सेवा संबंधी रिपोर्ट की जांच कर रही है। मंशा यह है कि राष्ट्रीय वाहक आगे आएं और इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए इस संदर्भ में विचार करें कि पिछले लगभग 25 वर्षों में उनका तंत्रजाल लगभग स्थिर ही रहा है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में ऐसे महत्वपूर्ण शहरों को विमान सेवा से जोड़ने में रुचि दर्शाई है जो इस समय इण्डियन एयरलाइन्स के मार्ग-तंत्र में सम्मिलित नहीं हैं। सरकार की यह मंशा है कि राज्य सरकारों को ऐसे स्थानों के लिये तीसरी वायु सेवाएं परिचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जहां इंडियन एयरलाइन्स ऐसा करने की स्थिति में न हो।

गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत खर्चे में कटौती

9774. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने हाल में केन्द्र सरकार से गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत अपने खर्चे में कटौती करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत खर्चे में कटौती करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय में कितनी वृद्धि हुई ;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय में गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति व्यय के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(च) इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति व्यय कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) व्यय पर एक आयोग के गठन करने के बारे में सरकार के निर्णय का उल्लेख करते हुए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने यह सुझाव भी दिया था कि आयोग को गैर विकासात्मक व्यय को, यहां तक कि विकासत्मक कार्यक्रमों के व्यय को भी; कम करने के लिए ठोस सुझाव देने के उद्देश्य से

विभिन्न सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्यचालन को देखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ।

(ग) सभी मंत्रालयों और विभागों से यह कहा गया है कि वे किफायत करने के उद्देश्य से अपनी कर्मचारियों संबंधी आवश्तकताओं, मौजूदा कार्यकलापों, प्रणालियों, पद्धतियों आदि की समीक्षा करें । यात्रा भत्तों, समयोपरि भत्ता, स्टाफकारों, टेलीफोन, साजसामान, बिजली आदि पर होने वाले व्यय पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है । व्यय पर प्रस्तावित आयोग सरकारी व्ययों की विस्तृत जांच भी करेगा ।

(घ) केन्द्रीय सरकार का आयोजना-भिन्न व्यय तथा उसका स्थूल ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(करोड़ रुपये)

		1976-77 (वास्तविक)	1977-78 (संशोधित-अनुमान)	1978-79 (संशोधित-अनुमान
1.	जोड़ आयोजना-भिन्न व्यय जिसमें से	9016	10626*	12333*
2.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अमुदान व ऋण	1222	1411	2307
3.	रक्षा व्यय	2563	2752	2845
4.	ब्याज अदायगियां	1374	1561	1857
5.	विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण	226	548	492
6.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अनुदान	60	—	245
7.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुराने ऋणों का सामान्य शेयरों/नए ऋणों में रूपांतरण	—	329	257
8.	आयोजना-भिन्न व्यय का शेष	3571	4025	4330
	पिछले वर्षों की तुलना में मद संख्या 8 में हुई वृद्धि	+194	+454	+305

†*इसमें पहली मार्च 1976 को भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित किए गए उर्वरक भण्डार के संबंध में उससे की जाने वाली वसूली के 1977-78 के संशोधित अनुमानों के 246 करोड़ रुपये तथा 1978-79 के संशोधित अनुमानों के 45 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं ।

(ङ) और (च) जी, नहीं । प्रति व्यक्ति आयोजना-भिन्न व्यय का उचित तरीके से हिसाब लगाने के लिए केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खर्चों को जोड़ना पड़ेगा । इसके लिए

यह भी आवश्यक है कि इसमें उन खर्चों को शामिल न किया जाये जो विकासात्मक कार्यों (जैसे सड़कों, अस्पतालों, विद्यालयों आदि का अनुरक्षण) अथवा समाज के कमज़ोर वर्गों के लाभ के लिए (अर्थात खाद्य आर्थिक सहायता, नियंत्रित कपड़ा, आदि) के लिए आयोजना-भिन्न मदों के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं। ऐसी समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है।

अत्यावश्यक वस्तुओं की नई वितरण प्रणाली का भविष्य

9775. श्री दुर्गा चन्द : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1979 के इक्नोमिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की नई वितरण प्रणाली की, जिसे जुलाई, 1979 में आरम्भ किया जाना है, भविष्य स्पष्ट नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को नहीं समझती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों को जुलाई, 1979 से नई वितरण प्रणाली आरम्भ करने के लिए सूक्षम बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) राज्य सरकारों को 3-2-1979 को स्पष्ट मार्गदर्शन सिद्धान्त भेज दिये गये थे। राज्यों के खाद्य सचिवों का सम्मेलन 4 मई, 1979 को बुलाया गया है जिसमें इस बारे में कार्यवाही करने में हुंई प्रगति का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट वशिष्ठ में पानी के चश्मों के विकास के बारे में प्रतिवेदन

9776. श्री दुर्गा चन्द : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्मों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जार ही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ): जी हां। मनाली के निकट वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्मों के विकास का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग को यह सलाह देने के लिए कि गर्म पानी के चश्में का किस प्रकार उपयोग किया जाये यू०एन०डी०पी० तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन एक स्नान चिकित्सा

विज्ञान विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गईं। यू०एन० विशेषज्ञ के आगमन से पूर्व गर्म पानी के चश्मे के प्रवाह और मात्रा को निर्धारित करने के लिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से 3.25 लाख रुपये की लागत पर एक जल विज्ञान सर्वेक्षण किया गया। पर्यटन के उद्देश्यों के लिये यू० एन० विशेषज्ञ ने वशिष्ठ में गर्म पानी के चश्में के विकासार्थ कई सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है:—

(i) वशिष्ठ की ग्रामीण और पर्यावरण सम्बन्धी विशेषताओं को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ii) गर्म पानी के चश्मे के पूर्व की ओर ढलान पर वन रोपण किया जाना चाहिए तथा भूमि कटाव को रोकने के लिये और गर्म पानी के प्रवाह को बढ़ाने के लिये वनों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(iii) चश्मे के गर्म पानी के प्रदूषण को रोकने के लिये केन्दीय पर्यटन विभाग द्वारा 1977 में तैयार की गई वशिष्ठ की महा योजना के आधार पर वशिष्ठ गांव की सफाई की हालत में सुधार की आवश्यकता है।

(iv) गर्म पानी के चश्मे की अतिरिक्त निकासी को निर्धारित करने के लिए तथा गर्म पानी की सप्लाई बढ़ाने हेतु और जल-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

(v) वशिष्ठ में मौजूदा गर्म पानी स्नान घरों का विस्तार।

(vi) वशिष्ठ में गर्म पानी के एक स्विमिंग पूल का निर्माण।

(vii) वशिष्ठ में केटरिंग सुविधाओं की व्यवस्था।

(viii) परिवहन की अच्छी सुविधाएं।

(ix) वशिष्ठ और मनाली को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई।

(x) एक थर्मल होटल -केन्द्र जिसमें 2 होटल, एक रेस्तरां और मध्यम आकार का एक स्विमिंग पूल शामिल है, का विकास करने के लिए मनाली तक पाइपिंग द्वारा चश्मे के गर्म पानी को पहुंचाना।

वशिष्ठ में तत्काल गर्म पानी स्नान घरों को विस्तृत करने और केटरिंग सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसरण में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से इन सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है।

देश में काम कर रहे प्राइवेट बैंक

9777. **श्री दौलतराम सारण :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रहे प्राइवेट बैंकों की संख्या और नाम क्या हैं और उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं;

(ख) प्रत्येक बैंक की कार्यकारी और शेयर पूंजी कितनी है;

(ग) गत वित्तीय वर्ष में प्रत्येक बैंक को कितना लाभ हुआ; और

(घ) प्रत्येक बैंक में जमा धनराशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) देश में कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नामों, उनकी कार्यचालन पूंजी, शेयर पूंजी और वर्ष 1977 के लाभ/हानि और दिसम्बर, 1978 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार जमा राशियों के सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। नयी शाखायें खोलने के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक की लायसेंस देने वाली नीति को ध्यान में रखते हुए, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, देश के किसी भी कोने में काम करने की छूट है और इसलिये उनके कार्यक्षेत्र के बारे में बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

देश में कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम, उनकी कार्यचालन पूंजी, शेयर पूंजी, लाभ तथा जमाराशियां

बैंक का नाम	कार्यचालन पूंजी (31 दिसम्बर लाख रुपयों में	शेयर पूंजी 1977 की स्थिति के अनुसार)	लाभ	जमा राशियां (अन्तः बैंक जमाओं को छोड़ कर) 29, दिसम्बर 1978 को करोड़ रुपयों में
1	2	3	4	5
अनुसूचित बैंक				
1. आंध्र बैंक लि०	35782.88	100.00	71.08	348.40
2. बैंक आफ कोचीन लि०	2130.24	9.00	2.16	28.00
3. बैंक आफ करोड लि०	1202.55	7.01	2.84	10.20
4. बैंक आफ मदुरै लि०	7792.90	56.13	10.13	71.50
5. बैंक आफ राजस्थान लि०	7633.00	30.00	22.17	84.60
6. बैंक आफ थांजावूर लि०	2288.69	10.27	10.06	25.50
7. बरेली कार्पोरेशन बैंक लि०	1463.44	6.32	4.29	14.10
8. बनारस स्टेट बैंक लि०	3044.02	24.66	0.34	33.20
9. भारत ओवरसीज़ बैंक लि०	2582.89	50.00	8.50	17.00
10. कैथोलिक सीरियन बैंक लि०	4172.79	15.00	0.21	49.10
11. धनलक्ष्मी बैंक लि०	1819.75	6.62	2.77	20.10
12. फैडरल बैंक लि०	9434.76	100.00	18.96	98.00
13. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि०	5504.76	125.00	0.33	56.90

1	2	3	4	5
14. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	10501.75	11.79	15.40	158.40
15. कर्नाटक बैंक लि०	6458.80	30.00	6.62	70.60
16. करूर वैश्य बैंक लि०	4238.61	20.00	0.82	44.00
17. कम्बकोपम सिटी यूनियन बैंक लि०	971.68	6.76	3.83	11.00
18. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०	7006.89	16.54	5.01	80.30
19. लक्ष्मी विलास बैंक लि०	3066.27	22.88	11.56	31.30
20. लार्ड कृष्णा बैंक लि०	824.62	2.05	0.43	9.24
21. मिराज स्टेट बैंक लि०	512.55	6.00	0.57	5.20
22. नेदुनगाडी बैंक लि०	2255.58	8.60	1.14	23.80
23. न्यु बैंक ग्राफ इण्डिया लि०	30788.01	75.68	69.24	310.10
24. ओरियंटल बैंक ग्राफ कामर्स	14869.46	16.61	8.61	146.40
25. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०	33142.22	58.22	25.16	340.80
26. पंजाब कोआपरेटिव बैंक लि०	156.71	10.00	2.33	1.19
27. पूर्वांचल बैंक लि०	751.05	15.13	3.20	7.84
28. रत्नाकर बैंक लि०	589.30	7.92	14.06 (हानि)	5.72
29. सांगली बैंक लि०	6178.02	33.08	16.05	56.90
30. साउथ इंडिया बैंक लि०	1313.64	10.00	2.32	13.90
31. साउथ इंडियन बैंक लि०	6970.88	21.14	3.49	70.10
32. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि०	1798.13	5.16	6.05	21.00
33. ट्रेडर्स बैंक लि०	153.59	11.05	0.07 (हानि)	2.37
34. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०	4893.56	22.01	8.06	49.40
35. युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि०	5930.48	24.00	6.70	68.80
36. विजया बैंक लि०	28005.87	118.10	24.28	287.30
37. वैश्य बैंक लि०	8132.55	26.22	30.96	81.00
38. कार्पोरेशन बैंक लि०	16029.91	62.50	19.68	157.30
गैर-अनुसूचित बैंक				
1. बड़ी दोआब बैंक लि०	55.45	2.00	5.48	0.27
2. मंगेश बैंक ग्राफ करुंडवाड लि०	73.30	0.75	0.28	0.71
3. काशीनाथ सेठ बैंक लि०	238.29	5.00	0.57	2.97
4. नैनीताल बैंक लि०	572.54	5.00	1.90	6.20

वित्त मंत्रालय के विदेशों का दौरा करने वाले अधिकारी

9778. श्री दौलतराम सारण : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत एक वर्ष के दौरान विदेशों के दौरे किए और उनके दौरों के प्रयोजन क्या थे;

(ख) उनके विदेशी दौरों पर कितना समय और धन लगा; और

(ग) विदेशों के दौरों की अनुमति संबंधी नियम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन

9779. श्री बागुन सुम्बरुई : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान व्यापार तथा गैर-व्यापार शीर्षों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के बारे में अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश की विदेशी आस्तियों के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) चालू वर्ष (1979-1980) में व्यापार तथा व्यापार भिन्न विदेशी मुद्रा प्रेषणों के संबंध में आंकड़े इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो सकते । तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के तुरन्त अनुमानों पर आधारित 1978-79 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये)

प्राप्तियां	
निर्यात	5305.87
निर्यात भिन्न	2285.71
जोड़	7591.58
अदायगियां	
आयात	5643.17
आयात भिन्न	1096.49
जोड़ .	6739.66
निवल प्राप्तियां	851.92

(ख) 27 अप्रैल 1979 को (महीने का आंतिम शुक्रवार) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 5466.69 करोड़ रुपए की थी ।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा तथा नशीले पदार्थों के घोटाले का भण्डाफोड़

9780. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में बम्बई, दिल्ली तथा जालन्धर में लगभग 1.2 करोड़ रुपये की राशि वाला विदेशी मुद्रा तथा नशीले पदार्थों के एक घोटाले का भण्डाफोड़ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां।

प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसे मामले का पता लगा सका है जो एक नयी कार्यप्रणाली द्वारा बड़े पैमाने पर भारत से बाहर निधियों का योजनाबद्ध और गैर-कानूनी अंतरण का प्रतीत होता है। इस मामले का पता बम्बई, दिल्ली और जालन्धर से सतत तथा सक्रिय रूप से की गयी अनेक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप लगाया जा सका। इस जालसाजी के दो पहलू हैं––एक भारत से बाहर विदेशी मुद्रा का गुप्त रूप से अंतरण करना और दूसरा नार्कोटिक्स का अवैध रूप से व्यापार करना। ऐसी आशंका है कि इस जालसाजी में एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम अन्तर्ग्रस्त है। बम्बई और दिल्ली में जिन तीन भारतीयों पर जालसाज होने की आशंका है उनका एक भारतीय बैंक के अधिकारी को, एक विदेशी यात्रा एजेंसी कम्पनी के दो अधिकारियों को, तंज़ानियां के एक राष्ट्रिक को और भारतीय मूल के एक विदेशी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया है।

पूरे मामले की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है और यदि इस चरण पर विवरणों को बताया जाता है तो इससे आगे जांच करने पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिये विदेशी कम्पनियों पर मुकदमें चलाया जाना

9781. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विदेशी कम्पनियों पर यदि भारत में उनकी कोई शाखाएं अथवा उप-कम्पनियां हों तो उनके सहित, 1976-77 और 1977-78 में विदेशी मुद्रा विनियमन और उसके अन्तर्गत बने विनियमों के उल्लंघन के लिये मुकदमे चलाये गये, उनके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या ऐसे भी अवसर हैं जब उनमें से किसी के विरुद्ध गत तीन वर्षों में मुकदमे वापस भी लिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 1976-77 तथा 1977-78 के वर्षों के दौरान, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के उल्लंघन में किसी भी विदेशी कम्पनी की भारत स्थित किसी शाखा या सहायक कम्पनी पर, किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में प्रर्यटन स्थलों के लिये सर्वेक्षण

9782. श्री एस० ग्रार० रेड्डी : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य-वार पर्यटन-स्थलों का पता लगाने, उन्हें विकसित करने का अधिकाधिक पर्यटक ग्राकर्षित करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में ऐसे पर्यटन-स्थलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) जहां केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन सभावनाग्रों का पता लगाने के बारे में कोई राज्य-वार सर्वेक्षण नहीं किया, वहां राज्य सरकारों से 1977 में ग्रपने-अपने राज्य के लिए पर्यटन विकास की एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु, शीघ्र ही एक सर्वेक्षण करने का ग्रनुरोध किया गया था। बाद में नवम्बर, 1978, में नई दिल्ली में हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधियों से ऐसे दो केन्द्रों/स्कीमों की सिफारिश करने का ग्रनुरोध किया था जिनका केन्द्रीय सैक्टर में विकास करने पर विचार किया जा सके। इसके ग्रनुसरण में, कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सैक्टर में निम्नलिखित केन्द्रों के विकास का सुझाव दिया :—

1. मैसूर काम्पलैक्स
2. केम्ननुगुंडी

धन-राशि उपलब्ध होने की शर्त पर पारस्परिक प्राथमिकताग्रों का ध्यान रखते हुए इन केन्द्रों के विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। भारत पर्यटन विकास निगम (जिसने कर्नाटक की राज्य सरकार से 28 कमरों की क्षमता वाले ललित महल पैलेस होटल, मैसूर को पट्टे पर लिया है), ने 30 कमरों की वृद्धि करने के लिये 40 लाख रुपये की लागत पर एक विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। विस्तार कार्यक्रम के चालू वर्ष के ग्रंत से पहले पूरा हो जाने की संभावना है। इससे मैसूर काम्पलैक्स में ग्रंतर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के यातायात को बढ़ाने में सुविधा होगी।

उत्पाद शुल्क समाप्त किये जाने का उत्पाद शुल्क विभाग में कर्मचारियों पर प्रभाव

9783. श्री सी० ग्रार० महाटा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रपरिष्कृत तम्बाकू पर से उत्पाद शुल्क हटा लिये जाने के फलस्वरूप उत्पाद शुल्क विभाग में कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ग्रौर इस मामले में ग्रब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश ग्रग्रवाल) : (क) और (ख) ग्रनिर्मित तम्बाकू को शुल्क मुक्त करने के कारण, मोटे तौर पर, लगभग 2100 निरीक्षक ग्रौर 265 ग्रधीक्षक, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे केवल ग्रथवा मुख्य रूप से ऐसे तम्बाकू से संबंधित केन्द्रीय

उत्पादन शुल्क के कार्य पर तैनात हैं, फालतू हो जायेंगे। लेकिन, अनिर्मित तम्बाकू पर से शुल्क हटाए जाने के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में कुछ और परिवर्तन भी किए गए हैं जैसे कि बिना ब्राण्ड वाली बीड़ियों पर शुल्क आयद किया गया है और मद 68 के अन्तर्गत शुल्क की दर में वृद्धि कर दी गई है जिनकी वजह से, इस प्रकार के उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों की पुनः तैनाती आवश्यक होगी। समग्र मूल्यांकन हेतु कार्यवाही आरम्भ की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक समायोजन और पुनः तैनाती करने के बाद कुल मिलाकर कोई कर्मचारी फालतू होंगे अथवा नहीं।

इण्डियन बैंक के कर्मचारियों द्वारा चैक और मांग-ड्राफ्ट अस्वीकार किया जाना

9784. श्री सी० आर० महाटा : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन बैंक के कर्मचारियों ने ऐसे सब चैक, मांग-ड्राफ्ट, पत्र, फाइल आदि को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है जिन में "हिन्दी अक्षरों" का प्रयोग होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) इण्डियन बैंक के कर्मचारी आजकल "हिन्दी अक्षरों" वाले चैक, डिमांड-ड्राफ्ट, पत्र, फाइलें आदि स्वीकार कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश के विचाराधीन करों से माफी चाहने हेतु पड़े आवेदन-पत्र

9785. श्री राघवजी : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास 31-3-1979 को आयकर एवं सम्पत्ति कर के जुर्माने और ब्याज से माफी मांगने के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा कुल कितने आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया तथा उनमें से कितने आवेदन-पत्र पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किये गये और कितने अस्वीकार किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) तथा (ग) आयकर अधिनियम, 1961 तथा धन कर अधिनियम 1957 के अधीन अर्थ-दण्ड आदि को घटाने अथवा माफ करने के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के काजू कारखानों में संकट

9786. प्रो० समर गुह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ काजू कारखानों को कच्चे काजुओं के आयात के अभाव में काफी कठिनाई हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संकट और कच्चे माल के आयात की कमी का सामना कर रहे ऐसे कारखानों को बनाये रखने के लिए अपनी आयात नोति तथा कच्चे काजुओं के आयात के लिये लाईसेंस वितरण पद्धति का पुनरीक्षण करने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कारखानों को बचाने के लिये भारतीय काजु निगम से अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने के लिये भी कहने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल स्थित काजू प्रोसेस करने वाला कोई भी एकक भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्र नहीं है। महाराष्ट्र स्थित काजू प्रोसेस करने वाले एककों में से केवल एक एकक ऐसे आबंटन का पात्र है, लेकिन उस एकक का भी विगत दो आबंटनों के साथ संलग्न निर्यात दायित्व को पूरा न करने की वजह से आबंटन रद्द कर दिया गया। अतः कच्चे काजू के आयात में गिरावट से पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र स्थित प्रोसेस करने वाले एककों के कार्यचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ग) मामला विचाराधीन है।

बीड़ी पर कराधान

9787. प्रो० समर गुह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी पर प्रस्तावित अधिक कराधान से बीड़ियों के पैकिट तथा सस्ती सिगरेट के पैकेट के मूल्यों के बीच अन्तर कम हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कुटीर उद्योग में निर्मित-बीड़ी की तुलना में मशीनों से बनी सिरेगट की बिक्री अधिक हो जाएगी ;

(ग) क्या इससे बीड़ी उद्योग तथा बीड़ी मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो बीड़ी उद्योग को सिगरेट उद्योग के साथ असमान प्रतियोगिता से बचाने के लिए क्या सरकार का विचार बीड़ियों पर बजट से पहले का कराधान बहाल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वस्तुओं के मूल्यों पर केवल उत्पादन शुल्क के भार का ही असर नहीं पड़ता है अपितु वे मांग और पूर्ति, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों की कीमतों आदि जैसे अन्य अनेक घटकों पर भी निर्भर होते हैं। इसके अलावा, वर्ष 1979 के बजट प्रस्तावों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में किए गए परिवर्तनों के परिणामतः शुल्क का भार, वास्तव में बीड़ियों की अपेक्षा सस्ती सिगरेटों पर अधिक बढ़ा है।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, बीड़ी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों को 1979 के बजट परिवर्तनों में पूर्व की स्थिति की लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी खर्च पर विदेशों को भेजे गए अधिकारी

9788. श्री दौलत राम सारण : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकारी खर्च पर किन अधिकारियों को विदेश भेजा गया तथा किस प्रयोजनार्थ और कितने समय के लिए ;

(ख) इस अवधि में एक से अधिक बार विदेश जाने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में वे कितनी बार गए ;

(ग) उक्त अवधि में इन विदेश यात्राओं पर सरकार को कितना व्यय वहन करना पड़ा ; और

(घ) क्या सरकार समझती है कि सरकारी अधिकारियों में विदेश जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इस पर नियन्त्रण की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, नहीं । विदेशों में सरकारी अधिकारियों के दौरों से सम्बन्धित प्रस्तावों को निपटाने के लिए एक विशेष कार्याविधि निर्धारित की गई है । भारत सरकार के सचिवों से भिन्न अधिकारियों के मामले में ऐसे प्रस्तावों का निपटान सचिवों की समिति द्वारा किया जाना होता है । सचिवों के मामले में प्रस्तावों पर प्रधानमन्त्री का अनुमोदन भी प्राप्त करना होता है । इस कार्याविधि का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि अधिकारी सरकारी खर्च पर विदेशों का दौरा केवल उसी स्थिति में ही करें जब यह अनिवार्य रूप से आवश्यक हो और यह भी कि ऐसे दौरों पर व्यय कम से कम हो ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग 737 के इंजनों की मरम्मत करने का निर्णय

9789. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार बोइंग 737 विमानों के इंजनों की मरम्मत के लिए जो इस समय विदेशी फार्मों द्वारा दी जा रही है, अपने निजी प्रबन्ध करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि यह अतिरिक्त कार्य कलकत्ता क्षेत्र को सौंप दिया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) और (ख) बोइंग 737 विमान पर लगाए गए जे०टी० 8 डी० इंजनों की ओवरहॉल करने के लिये सुविधाएं स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव का इन्डियन एयरलाइन्स अध्ययन कर रही है ।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यमों सम्बन्धी समिति के चेयरमैन को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था तथा उसकी एक प्रतिलिपि लोक सभा सचिवालय ने टिप्पणी के लिए इस मंत्रालय को भी भेजी थी । उठाए गए विषयों के बारे में टिप्पणियां इन्डियन एयरलाइन्स ने, जैसे भी समिति उचित समझे, अगली आवश्यक कार्यवाही के लिए, सीधे ही लोक सभा को भेज दी थी ।

इनामी लाटरियों में सफल रहने वाले डाकघर बचत बैंक खाताधारियों के नाम प्रदर्शित करना

9790. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघर बचत बैंक खाताधारियों को नकद इनाम देने के लिए वर्ष में दो बार लाटरी निकाली जाती है, यदि हां तो इस बारे में योजना का पूरा ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) क्या इनामी लाटरियों में सफल होने वाले खाताधारियों के नाम सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं कराए जाते और सम्बद्ध डाकघर में प्रदर्शित नहीं किए जाते, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनको सूचना देने की वर्तमान पद्धति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इनामी लाटरियों में सफल रहने वाले खाताधारियों के नाम लोकप्रिय समाचारपत्रों में प्रकाशित करने तथा सम्बद्ध डाकघरों में प्रदर्शित करने हेतु कोई तरीका निकालने का है, और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां । डाकघर बचत बैंक इनाम प्रोत्साहन योजना का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) इनाम के ड्रा में भाग लेने वाले सभी मान्य खाताधारियों को अखिल भारतीय अधार पर कोड संख्या अलाट कर दी जाती है जिसे डाकघरों के सूचना पट्टों पर चिपका दिया जाता है । प्रत्येक ड्रा के पश्चात इनाम जीतने वाली कोड संख्याओं को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अंग्रेजी, हिन्दी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों में भी इन्हें प्रकाशित किया जाता है । अधिसूचना की प्रतिलिपियां प्रत्येक प्रधान डाकघर तथा उप-डाक कार्यालय के सूचना पट्टों पर जनता की सूचना के लिए लटका दी जाती हैं । प्रत्येक डाक प्रभाग से सम्बन्धित इनामों के सारांश की सूची क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार की जाती है और जनता की सूचना के लिए इसे शाखा डाकपालों को भेज दिया जाता है । आवेदन करने पर राष्ट्रीय बचत आयुक्त से भी इनाम की सुची प्राप्त की जा सकती है ।

चूंकि इनाम जीतने वाले खाताधारियों की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए इनके नाम प्रकाशित करना सम्भव नहीं है ।

वे खाताधारी जो पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा इनाम जीतते हैं उन्हें सम्बन्धित प्रधान डाकपाल डाक द्वारा सूचित करते हैं। इनाम जीतने वाले इन व्यक्तियों से दावों के सम्बन्ध में आवेदनपत्र महानिदेशक डाक-तार से इनामों की रकमों को स्वीकृत कराने के लिए डाक क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। पांचवे और छठे इनामों की रकमों को इनाम जीतने वालों के बचत बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। इन्हें भी डाकपालों द्वारा सूचित किया जाता है।

विवरण

डाकघर बचत बैंक खाताधारियों के लिए इनाम प्रोत्साहन योजना पहली दिसम्बर, 1973 से शुरू की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत साल में दो बार जनवरी और जुलाई के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय अधार पर इनामों का ड्रा निकाला जाता है।

पात्रता

वे सभी व्यक्ति जिनका डाकघर बचत बैंक में एकल खाता अथवा संयुक्त खाता अथवा आवश्यक खाता अथवा पेंशन खाता हो और जिन्होंने कम से कम 200 रुपये की शेष रकम (जिस पर ब्याज दिया जाना है) अपने खातों में जमा रहने दी हो वे सब इनामी ड्रा में भाग लेने के हकदार हैं। जनवरी में होने वाले ड्रा के लिए अप्रैल-सितम्बर से पिछली छः महीनों की अवधि में कम से कम 200 रुपये की शेष रकम खाते में जमा होनी चाहिए ; इसी तरह जुलाई में होने वाले ड्रा के लिए अक्टूबर-मार्च की पिछली छः कहीनों की अवधि में कम से कम 200 रुपये की शेष रकम जमा होनी चाहिए।

कोई भी खाताधारी प्रत्येक ड्रा में एक से अधिक इनामें पाने का हकदार नहीं होगा।

इनाम

प्रत्येक ड्रा में 20.50 लाख रुपये के मूल्य के 11.000 से अधिक इनाम निकाले जाते हैं जो इस प्रकार होते हैं :–

	पहला इनाम एक	1,00,000 रुपये
50,000 रुपये का	दूसरा इनाम पांच	2,50,000 ,,
20,000 रुपये का	तीसरा इनाम दस	2,00,000 ,,
5,000 रुपये का	चौथा इनाम सौ	5,00,000 ,,
500 रुपये का	पांचवा इनाम एक हजार	5,00,000 ,,
50 रुपये का	छठा इनाम दस हजार	5,00,000 ,,
		20,50,000 रुपये

प्रत्येक ड्रा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल होते हैं, की देख-रेख में एक ड्रा मशीन की सहायता से इनाम जीतने वाले खाताधारियों की संख्याएं निकाली जाती हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के सतर्कता निदेशक द्वारा मद्रास कार्गो कम्पलैक्स पर छापा मारा जाना

9791. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय के सतर्कता निदेशक ने मद्रास कार्गो कम्पलैक्स पर छापा मारा था जहां से उसने उस चमड़े के कुछ नमूने एकत्र किये जो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संसाधित चमड़े के रूप में पास किया गया पिछला कार्गो था;

(ख) क्या यह भी सच है कि "इंडियन एक्सप्रैस", दिनांक 3 मार्च 1979 के मद्रास संस्करण में "ह्वट कान्सटीट्यूटस फिनिश्ड लैदर" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार छपा था;

(ग) सतर्कता अधिकारी के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) माल की इन खेपों को विदेश भेजने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ङ) सरकार को इन खेपों पर और कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(च) क्या यह सच है कि सरकार को इस प्रकार की शिकायतें पहले भी प्राप्त होती रही हैं ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा बतायें और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) वाणिज्य मंत्रालय के सतर्कता निदेशक ने संबंधित विभागों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ निर्यात प्रयोजनों के लिए तैयार चमड़े की खेपों की जांच करने की दृष्टि से 7 फरवरी 1979 को मद्रास कार्गो कम्पलैक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने कोई छापा नहीं मारा था बल्कि उन्होंने अचानक जांच की थी और इसलिए नमूने लिए गए थे। सतर्कता निदेशक ने इस बीच सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास से परामर्श करके मामले की जांच की गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुछ संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा भी ऐसी कार्यवाही के लिए जांच की जा रही है जो आवश्यक समझी जाए।

सरकार ने "ह्वट कांस्टीट्यूटस फिनिश्ड लैदर" शीर्षक के अन्तर्गत 'इन्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार देख लिया है।

अक्तूबर 1977 से पहले तैयार चमड़े के निर्यात की अनुमति 1973 में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दी जाती थी। इन मानदण्डों में भारतीय मानक संस्था, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सम्बन्धित अभिकरणों और विभागों से परामर्श करके संशोधन किया गया है तथा 1 अक्तूबर, 1977 से निर्यात प्रयोजनों के लिए तैयार चमड़े की परिभाषा देने वाले संशोधित और अधिक कड़े मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू किए गए। इस मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जो अन्तः मंत्रालय समूह हाल में गठित किया गया था उसने तैयार चमड़े के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संशोधन/पुर्नवर्गीकरण का प्रश्न अपने हाथ में लिया है।

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश

9792. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी/कंपनियों में जीवन बीमा निगम ने कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) कितने चूककर्त्ताओं ने मूलधन राशि और ब्याज के भुगतान में चूक की है और अन्तर्ग्रस्त धनराशि कितनी है (उनके नामों का ब्यौरा क्या है जिन पर पांच लाख रुपये से अधिक की राशि है); और

(ग) ऋणों आदि पर ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 31 मार्च, 1978 को सरकारी कंपनियों में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश की स्थिति इस प्रकार थी :—

	(करोड़ रुपये)
मियादी ऋण	26.79
ऋण पत्र	3.62
अधिमान्य शेयर	1.45
सामान्य शेयर	11.18
जोड़	43.04

(ख) 31 मार्च 1978 तक विभिन्न वर्गों के ऋणकर्ताओं द्वारा जीवन बीमा निगम के ऋणों के मूलधन की राशि और ब्याज की अदायगी के संबंध 104 चूक के मामले थे जिनकी राशि 902.35 लाख रुपये बैठती है ।

20 कम्पनियां ऐसी हैं जिन पर 5 लाख रुपए से अधिक की रकम बकाया है, एक विवरण I संलग्न है, जिसमें उन कम्पनियों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के द्वारा चुकाई न गई रकम दिखाई गई है ।

(ग) एक विवरण II संलग्न है ।

विवरण—एक

उन कम्पनियों के नामों का विवरण जिनपर जीवन बीमा निगम के ऋणों के मूलधन और ब्याज की अदायगी की 5 लाख रुपए से अधिक की रकम बकाया है ।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम		राशि (लाख रुपये)	
		ब्याज	मूलधन	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अरुण शूगर्स लि०	7.59	10.00	17.59
2.	अलोक पेपर मिल्स लि० पहला ऋण	19.00	55.00	74.00
	दूसरा ऋण	14.17	12.80	26.97
	तीसरा ऋण	7.17	—	7.17

1	2		3	4	5
3.	बिहार एलाएज स्टील्स लि०		—	10.00	10.00
4.	दावनगेरे शूगर कं० लि०		4.21	7.38	11.59
5.	गंगावती शूगर्स लि०	पहला ऋण	15.00	7.00	22.00
		दूसरा ऋण	6.48	5.00	11.48
6.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि०		0.25	10.00	10.25
7.	हिन्दुस्तान शूगर मिल्स लि०		—	23.33	23.33
8.	मंगलौर कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०				
		पहला ऋण	56.07	45.00	101.07
		दूसरा ऋण	—	24.00	24.00
9.	मामूलाह् केर्रा सीमेंट्स लि०		—	9.50	9.50
10.	प्लास्टिक रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स लि०				
		पहला ऋण	26.33	60.00	86.33
		दूसरा ऋण	12.83	25.00	37.83
11.	रेमन एण्ड डेम लि०		—	12.00	12.00
12.	संदूर मैंगनीज ऐण्ड ग्राइरन ग्रोर्स लि०		8.10	12.00	20.10
13.	सदर्न पैट्रो कैमिकल्स ऐण्ड इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०		—	36.00	36.00
14.	स्टील कम्पलैक्स लि०	पहला ऋण	9.50	5.00	14.50
		दूसरा ऋण	0.33	0.70	1.03
15.	सिल्वानिया ऐण्ड लक्ष्मण लि०		9.25	7.50	16.75
16.	ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लि०	पहला ऋण	15.00	6.00	21.00
		दूसरा ऋण	18.75	5.00	23.75
17.	शक्ति शूगर्स लि०		7.47	—	7.47
18.	टिनप्लेट कम्पनी ग्राफ इंडिया लि०		5.66	—	65.6
19.	ग्रान्ध्र प्रदेश स्टील्स लि०		7.20	—	7.20
20.	विक्रांत टायर्स लि०		9.51	—	9.51
		जोड़	259.87	388.21	648.08

विवरण–दो

जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणों पर लिए गए ब्याज की दर का विवरण

क्रम संख्या	ऋणों की श्रेणियां	ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक
1.	राज्य सरकारों को उनकी विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिए ऋण	8
2.	नगर जलपूर्ति तथा मल निकासी योजनाओं के लिए ऋण	$8\frac{1}{2}$
3.	ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए ऋण	$8\frac{3}{4}$
4.	शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्तपोषण समितियों को ऋण	$8\frac{1}{2}$
5.	आवास और नगर विकास निगम को ऋण	$10\frac{1}{2}$
6.	औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण	$8\frac{1}{2}$
7.	राज्य बिजली बोर्डों को ऋण	11 (बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक लेकिन कम से कम 11 प्रतिशत)
8.	चीनी सहकारी समितियों को ऋण	11
9.	कम्पनियों को ऋण	(क) 11 एक या अधिक सहकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर मंजूर किए गए ऋणों के लिए (ख) 12 अकेले जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गये ऋणों के लिए
10.	बीमाकर्ता की पालिसियों पर उनके समर्पण मूल्य के अन्दर-अन्दर ऋण जिसमें स्वतः गैर जब्ती अग्रिम भी शामिल है।	9

एयरबस दुर्घटना टल जाना

9793. **श्री के० लकप्पा :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1979 को इन्डियन एयरलाइन्स के एक "एयरबस" विमानन द्वारा दिल्ली से कलकत्ता के लिए उड़ान करने के कुछ मिनट के अन्दर ही चालक दल द्वारा सुरक्षित दिल्ली वापस ले आया गया था और इस प्रकार एक बड़ी दुर्घटना टल गई ;

(ख) क्या एयरबस की प्रेसराइजेशन पैनल विमान द्वारा उड़ान भरने के मिनटों के अन्दर ही उड़ गई थी जिससे यात्रियों और चालक दल को कष्ट पहुंचा ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उक्त घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) 23 मार्च, 1979 को इंडियन एयरलाइन्स का एयर बस विमान वी० टी०–ई० डो० वाई० जोकि उड़ान संख्या आई० सी० 401 दिल्ली-कलकत्ता के परिचालन पर 11·50 बजे दिल्ली से रवाना हुआ था, दाबानुकूलन की खराबी के कारण उड़ान के 55 मिनट बाद ही वापस सुरक्षित उतर गया । विमान के निरीक्षण से पता चला कि उसमें एक एक्सेस पैनल गायब था । यह भी पाया गया कि प्रत्येक यात्री के लिए जो अलग-अलग आक्सीजन मास्क उपलब्ध थे, वे सभी उपयोग के लिये उतर आये थे । यह विमान के ही अन्दर बनी बनाई एक आपात-कालीन व्यवस्था होती है ताकि जब कभी दाबानुकूलन में खराबी हो जाती है तो अलग-अलग आक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं जिससे कि यात्री आक्सीजन का प्रयोग कर सकें और इस संबन्ध में होने वाली किसी भी तकलीफ को कम किया जा सके ।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स का एक जांच बोर्ड उक्त घटना की जांच कर रहा है और घटना के कारणों का बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही पता चल सकेगा ।

व्यस्त मौसम के लिए रिजर्व बैंक की ऋण नीति

9794. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री निहार लास्कर :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च को समाप्त होने वाले व्यस्त मौसम के लिए रिजर्व बैंक की ऋण नीति टंडन समिति की सिफारिशों के उल्लघंन के समान है जिसके लिए स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक ने आग्रह किया था कि बैंक उसका पालन करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या टंडन समिति के प्रतिवेदन के अन्तर्गत औद्योगिक एककों को बैंकों के पास काफी समय पहले उत्पादन प्लान भेजने होते हैं ताकि बैंक ऋण देने का निर्णय कर सकें ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऋण प्रसार, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू करने की मांग गई थी, में अचानक रुकावट आ जाने के कारण बैंक उद्योग से किये गये अपने वायदे से पीछे हटने के लिए विवश हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) ऋण नीति को व्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा ऋण अनुशासन के हित में टण्डन समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया गया है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये जाते हैं।

प्रति परिवार सोना रखने की अधिकतम सीमा

9795. श्री दुर्गा चन्द : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के भंडार को बाजार में लाने के लिए प्रति परिवार सेाना रखने की अधिकतम सीमा लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निजी सोने को बाहर निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्माव, फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। स्वर्ण नीति की सभी पहलुओं से समीक्षा करने तथा इस सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आयकर विभाग में कार्यक्रम बनाने वाले केलकुलेटर का उपयोग किया जाना

9796. श्री एम० अरुणाचलम : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री आयकर कार्यालय में स्वचालित मशीनों के लगाये जाने के बारे में 30 नवम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 2898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम बनाने वाला केलकुलेटर आई०एस०एम०, वाशिंगटन से खरीदा गया था और नई दिल्ली में लगाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त केलकुलेटर विदेशी मुद्रा से खरीदा गया था ;

(ग) क्या उक्त केलकुलेटर पिछले कई साल से उपयोग में नहीं आ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के संगठन तथा प्रबन्ध सेवा निदेशालय के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बीच की थोड़ी-सी ऐसी अवधि को छोड़कर जब मशीन खराब हो गई थी, विभाग में केलकुलेटर निरन्तर इस्तेमाल किया जाता रहा । पुर्जे की एक खराबी के कारण उक्त केलकुलेटर पिछली बार नवम्बर, 1978 में खराब हुआ था । खराब पुर्जे को बदलने के लिए पुर्जे का आयात किया जाना है और इसके लिए पहले ही कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 100 रुपये मासिक आय वाले लोगों को दिया गया ऋण

9797. श्री राम विलास पासवान : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 100 रुपये अथवा इससे कम मासिक आय वाले लोगों को गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल तथा औसतन कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) कुल ऋण-राशि की तुलना में उक्त ऋण-राशि का प्रतिशत कितना है ; और

(ग) क्या उक्त ऋण पद्धति वर्तमान सरकार की नीतियों तथा उद्देश्य का प्रतीक स्वरूप है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) जिस रूप में सूचना मांगी गई है उस रूप में उसे एकत्र करने की वर्तमान सांख्यकीय सूचना प्रणाली में व्यवस्था नहीं है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण सीमाओं के आकार के अनुसार आंकड़े एकत्र करता है । छोटे ऋणों के ब्यौरे विवरण-एक में देखे जा सकते हैं ।

निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए, भारत सरकार ने विभेदी ब्याज दर योजना तैयार की है, जिसके अधीन कमजोर से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के जिन व्यक्तितयों की आय 2 हजार रुपये प्रति वर्ष से और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में 3 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है वे इस योजना के अधीन ऋण के लिए पात्र हैं । बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन दी जाने वाली न्यूनतम राशि की शर्त अब पिछले वर्ष के अन्त में उनके कुल ऋणों के आधा प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है । इस योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के सितम्बर, 1977 और सितम्बर, 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार ब्यौरे भी विवरण-दो में देखे जा सकते हैं ।

(ग) जी, हां ।

विवरण—एक

ऋण सीमा के आकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के
बकाया ऋणों का वितरण

(निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)

(राशि लाख रुपयों में)

	जून, 1975			जून, 1976		
ऋण सीमा की रेंज	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
10,000 रुपये और कम	5607,332 (90.7)	1039,72 (7.1)	830,83 (9.2)	7673,562 (92.4)	1318,84 (7.3)	1110,14 (9.5)

(कोष्ठकों के आंकड़े कुल से प्रतिशतता के द्योतक हैं)

विवरण—दो

	सितम्बर, 1977	सितम्बर, 1978*
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विभेदी ब्याज दर ऋणों का जोड़ (लाख रुपये)	5702.09	7999.81
प्रति ऋणकर्त्ता विभेदी ब्याज दर के ऋणों की औसत राशि (रुपये)	470	522
पिछले वर्ष के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समग्र ऋणों की राशि से विभेदी ब्याज दर के ऋणों की प्रतिशतता	0.51	0.63

(* आंकड़े अनन्तिम हैं)

कठोर आयात प्रतिबन्धों के कारण विकासशील राष्ट्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

9798. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति की घटनाओं और विकसित राष्ट्रों द्वारा कठोर आयात प्रतिबन्धों के माध्यम से अपनाये गए संरक्षणात्मक उपायों के बारे में अंकटाड सचिवालय द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इनका विकासशील राष्ट्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी उक्त मामले में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विकसित राष्ट्रों के इस प्रकार के रुख का प्रतिरोध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उक्त संदर्भ में अंकटाड में भारत का क्या योगदान है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) 7 मई, 1979 से 1 जून, 1979 तक मनीला में होने वाले अंकटाड के पांचवें सत्र में "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बिकास" के सम्बन्ध में गंभीर वार्ताओं के लिए विभिन्न पहलू उठाए जाएंगे । फरवरी, 1979 में अरूशा में अपनी चौथी मन्त्रिस्तरीय बैठक में विकासशील देशों ने अंकटाड-5 के सम्मुख पेश होने वाली कार्यसूची की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में अपनी संयुक्त स्थिति बना ली थी । अरूशा बैठक द्वारा एकमत रूप से स्वीकृत दस्तावेज में विकासशील देशों ने अपने निर्यात में पेश आने वाली कठिनाइयों के लिए उन विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराया है जिन्होंने अपनी अक्षम तथा अलाभकर उत्पादन क्षमताओं का समंजन करने में असमर्थता प्रकट की है । अरूशा दस्तावेज में, जिसमें विकासशील देशों की संयुक्त स्थिति प्रस्तुत की गई है, औद्योगिक पुर्नविन्यास के लिए संरक्षणवादी उपायों तथा दीर्घावधि नीतियों पर रोक लगाने के लिये अल्पावधि नीतियों के बनाने के सम्बन्ध में एक समन्वित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम की मांग की गई है । इसमें प्रभावित विकसित देशों द्वारा एक-दूसरे से परामर्श करने की भी व्यवस्था है ताकि संरक्षणवादी उपायों को प्रभावहीन करने के लिए उचित संयुक्त कार्यवाही विनिश्चित की जा सके । जहां तक दीर्घावधि नीतियों का सम्बन्ध है, इनके लिए यह सुझाब दिया गया है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिन्हें विकसित देशों में समंजन की आवश्यकता है ताकि ऐसे क्षेत्रों के उत्पादन कारकों के संचलन को सुकर बनाना मुमकिन हो सके । यह सिफारिशें भी की गई हैं कि समंजन प्रक्रिया की निरन्तर मानीटरिंग और समय-समय पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए अंकटाड के भीतर वार्ताओं की रूपरेखा के बारे में एक करार किया जाना चाहिए ताकि यूनीडो एवं आई०एल०ओ० के सहयोग से वे उपाय व नीतियां तैयार की जा सकें जिनको इस प्रकार से पता लगाये गये क्षेत्रों में समंजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित देशों द्वारा अपनाये जाने की आवश्यकता हो । अरूशा बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने उन वार्ताओं में सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निभाई है जो विकासशील देशों की संयुक्त स्थिति बनाने के लिये की गई थी । विकासशील देशों के निर्यात व्यापार पर कुप्रभाव डालने वाली इस गम्भीर समस्या का सोद्देश्य हल ढूंढने के. वास्ते अंकटाड 5 में जाने वाला भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अपना प्रयास जारी रखेगा ।

भारत गाट तथा एस्केप जैसे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी चिन्ता व्यक्त करता रहा है। विकसित देशों द्वारा किए विशिष्ट संरक्षणवादी उपायों पर भी, जो हमारे निर्यात हित पर प्रभाव डालते हैं, द्विपक्षीय स्तर पर इस विचार से विचार-विमर्श किया जाता है जिससे कोई हल ढूंढा जा सके। जहां हमारे निर्यातों के विरुद्ध अधिकाधिक संरक्षण हेतु उपायों पर विचार करने के लिये आयातक देशों की सरकारों द्वारा कानूनी क्रियाविधि आरम्भ की गई है, वहां हमारे मिशनों के माध्यम से अथवा कानूनी परामर्शदाताओं को लगाकर अभ्यावेदनों द्वारा इनका विरोध किया गया है।

तेजी से ऋण प्रसार होने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्ता व्यक्त किया जाना

9799. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजी से ऋण प्रसार होने और मूल्य स्थिरता की स्थिति पर इसके प्रभाव के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त किये जाने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उक्त मामले में पर्याप्त उपाय करने के लिए कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ये उपाय किस प्रकार के होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान खाद्य भिन्न सकल बैंक ऋण में होने वाली भारी वृद्धि से सरकार को भी उतनी ही चिन्ता है।

(ख) और (ग) खाद्य भिन्न सकल ऋणों की वृद्धि को रोकने के लिए नवम्बर, 1978 में घोषित 1978-79 के व्यस्त मौसम से सम्बन्धित ऋण नीति के द्वारा दो मुख्य उपाय किये गये हैं : अर्थात्,

(I) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्य भिन्न सकल ऋण जमा वृद्धि (इन्क्रिमेण्टल) अनुपात को पहली दिसम्बर, 1978 से मार्च, 1979 के अन्त तक की अवधि के लिये ज्यादा से ज्यादा 40 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाये ; और (II) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे जाने वाले सांविधिक नगदी अनुपात (एस०एल०आर०) को पहली दिसम्बर, 1978 से 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया जाये, और इसको पहली दिसम्बर, 1978 से सांविधिक नगदी अनुपात में हुई किसी भी वृद्धि के बावजूद, अतिरिक्त जमा राशियों पर सख्ती के साथ लागू किया गया। बैंकों को यह भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वे केवल जायज़ उद्देश्यों के लिये ही ऋण दें और उतनी ही रकम के ऋण दें, जो वास्तविक आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकें।

खाद्य भिन्न ऋणों के विस्तार में इन उपायों के बावजूद भी जब कोई कमी नहीं आई तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 1979 में भारतीय रिजर्व ऋण नीति का पुनरीक्षण करते हुये बैंकों को बताया कि खाद्यान्नों, चीनी, कपास, तम्बाकू और चाय जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में मौसमी ऋण की बढ़ती हुई आगामी आवश्यकताओं को देखते हुए, जिनको आने वाले महीनों में पूरा करना होगा यह बहुत जरूरी हो जाता है कि ऋण दिये जाने को इस प्रकार से विनियमित

किया जाये, जिससे कि उन अन्य ऋण कर्ताओं को अग्रिम देने के स्थान पर जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से पहले ही से ही भारी ऋण लिये हुये हैं, सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वप्रथम की जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बैंकों को यह निदेश दे दिये गये हैं कि वह 50 लाख रुपये और अधिक की सीमा, तक के ऋणों का पुनरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन पार्टियों ने अपनी मौजूदा ऋण सीमाओं का 60/65 प्रतिशत भाग अब तक इस्तेमाल कर लिया है, उनको और ऋण देने की तभी व्यवस्था की जाये यदि वह ऋण स्पष्ट रूप से सुनिर्दिष्ट उद्देश्यों, जैसे कि आगे उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने अथवा मौजूदा वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक हो। बैंकों को यह भी कह दिया गया है कि वह अपनी जमा रकमों से भिन्न संसाधनों पर कम से कम निर्भर रहें, और प्रत्येक सप्ताह हुई ऋण वृद्धि पर कड़ी निगरानी रखने के लिये, आंकड़ों का संकलन करने और निरीक्षण करने की अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं।

उन बैंकों को, जिन्होंने 30 मार्च, 1979 तक नगदी और नगद प्रारक्षित निधि अनुपात को बनाये रखने में चूक की है, अनुशासित करने के लिये रिजर्व बैंक ने उन्हें पुनर्वित्त रि-डिस्काउंट की सुविधाएं देने से तब तक के लिये इंकार कर दिया है जब तक कि वे कमियां पूरी नहीं कर लेते। इसके अतिरिक्त उनसे 30 मार्च, 1979 को बकाया पुनर्वित्त रि-डिस्काउंट के उस हिस्से पर जो कि सांविधिक नगदी और नगद प्रारक्षित अनुपात में होने वाली कमी के बराबर होगा, 30 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी लिया जाएगा।

प्रति व्यक्ति आय और रुपये की क्रय शक्ति

9800. श्री के० प्रधानी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1976-77 में प्रत्येक राज्य में रजिस्टर प्रति व्यक्ति आय की विकास दर और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के बारे में उल्लेख करने की स्थिति में है ;

(ख) वर्ष के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई और उपर्युक्त वर्ष में रुपये की क्रय शक्ति के रूप में प्रति व्यक्ति की आय में औसतन कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में आय कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक द्वारा आंके जाने के अनुसार मार्च, 1977 में अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें, मार्च 1976 की कीमतों के स्तर की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक थीं। जबकि 1976-77 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 5.9 प्रतिशत अधिक थी, किन्तु उसी वर्ष स्थिर कीमतों (1970-71) पर यह 0.6 प्रतिशत कम हो गई थी।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण—एक

प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (रुपए)

	राज्य	आधार वर्ष	स्थिर कीमतों पर 1975-76	स्थिर कीमतों पर 1976-77	1975-76 से 1976-77 में प्रतिशत परिवर्तन	
1.	आंध्र प्रदेश	1960-61	333	305	(–)	8.4
2.	असम	1970-71	564	544	(–)	3.5
3.	बिहार	1970-71	413	उ०न०		उ०न०
4.	गुजरात	1960-61	413	400	(–)	3.1
5.	हरियाणा	1960-61	462	482	(+)	4.3
6.	हिमाचल प्रदेश	1960-61	361	353	(–)	2.2
7.	जम्मू और कश्मीर	1960-61	329	345	(+)	4.9
8.	कर्नाटक	1960-61	399	366	(–)	8.3
9.	केरल	1960-61	297	उ०न०		उ० न०
10.	मध्य प्रदेश	1960-61	275	252	(–)	8.4
11.	महाराष्ट्र	1960-61	478	उ०न०		उ०न०
12.	मणिपुर	1960-61	202	197	(–)	2.5
13.	उड़ीसा	1970-71	523	उ०न०		उ०न०
14.	पंजाब	1960-61	551	588	(+)	6.7
15.	राजस्थान	1960-61	317	319	(+)	0.6
16.	तमिलनाडु	1970-71	609	611	(+)	0.3
17.	त्रिपुरा	1960-61	374	उ०न०		उ०न०
18.	उत्तर सुदेश	1960-61	270	273	(+)	1.1
19.	पश्चिम बंगाल	1960-61	384	387	(+)	0.8
	संघ राज्य क्षेत्र					
20.	दिल्ली	1960-61	799	785	(–)	1.8
21.	गोवा, दमन और दीव	1970-71	1224	1240	(+)	1.3

उ० न० = उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : बाकी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

विवरण—दो

प्रति० यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (रुपए)

राज्य	आधार वर्ष	स्थिर कीमतों पर						
		1950-51	1955-56	1960-61	1968-69	1973-74	1975-76	1976-77
1. आंध्र प्रदेश	1960-61			275	276	328	333	305
2. असम	1948-49			251	272	541*	564*	544*
3. बिहार	1960-61			215	205	382*	413*	उ०न०
4. गुजरात	1960-61			362	363	398	413	400
5. हरियाणा	1960-61			327	354	425	462	482
6. हिमाचल प्रदेश	1960-61			उ०न०	331	346	361	353
7. जम्मू और कश्मीर	1960-61			269	276	318	329	345
8. कर्नाटक	1960-61			296	337	385	399	366
9. केरल	1960-61			259	286	301	297	उ०न०
10. मध्य प्रदेश	1960-61	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	260	244	263	275	252
11. महाराष्ट्र	1960-61			409	423	446	478	उ०न०
12. मणिपुर	1960-61			154	204	193	202	197
13. उड़ीसा	1960-61			216	262	490*	523*	उ०न०
14. पंजाब	1960-61			366	476	519	551	588
15. राजस्थान	1960-61			284	249	308	317	319
16. तमिल नाडु	1960-61			334	329	625*	609*	611*
17. त्रिपुरा	1960-61			249	239	298	374	उ०न०
18. उत्तर प्रदेश	1960-61			252	241	250	270	273
19. पश्चिम बंगाल	1960-61			390	385	368	384	387
संघ राज्य क्षेत्र								
20. दिल्ली	1960-61			668	710	757	799	785
21. गोवा, दमन और दीव	1970-71			उ०न०	उ०न०	1016	1224	1240

उ०न० = उपलब्ध नहीं *आधार वर्ष = 1970-71

टिप्पणी : बाकी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

हिन्दुस्तान टाइम्स में लोक सभा की कतिपय कार्यवाही को गलत ढंग से प्रकाशित करना

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुन ने विशेषाधिकार के प्रश्न की दिनांक 17 अप्रैल, 1979 की सूचना में यह आरोप लगाया था कि **हिन्दुस्तान टाइम्स** ने दिनांक 17 अप्रैल, 1979 के अपने अंक में **नेशनल हेराल्ड** की फर्म में तालाबन्दी के प्रश्न पर ध्यान आकर्षण के सम्बन्ध में दिनांक 16 अप्रैल, 1979 की लोक सभा की कतिपय कार्यवाही को गलत प्रकाशित किया था। श्री मल्लिकार्जुन ने कहा था कि "आवश्यकता पड़ने पर हेराल्ड का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार में **दि हिन्दुस्तान टाइम्स** ने यह बताया था कि "केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने आज लोक सभा को आश्वासन दिया कि सरकार **नेशनल हेराल्ड** समाचारपत्र ग्रुप के प्रबन्धग्रहण सहित विभिन्न कदमों पर विचार करेगी, यदि इसके मामलों में वर्तमान विस्तृत जानकारी के दौरान या बाद में ऐसा करना आवश्यक समझा गया।" श्री मल्लिकार्जुन ने यह तर्क दिया कि लोक सभा की सम्बन्धित कार्यवाही को पढ़ने से पता चला कि "श्रम मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया और ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किय।"

हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक और प्रकाशक ने, जिन्हें मेरे निदेशानुसार मामले में वह सब कुछ कहने के लिए कहा गया जो वे कहना चाहते हैं, अपने उत्तरों में दिनांक 17 अप्रैल, 1979 के अंक में अशुद्धि के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक और प्रकाशक द्वारा व्यक्त किये गये खेद को स्वीकार कर लिया जाए और इस मामले को समाप्त समझा जाए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तम्बाकू बोर्ड गुन्टूर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण और विलम्ब के कारणों का एक वक्तव्य

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड गुन्टुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तम्बाकू बोर्ड गुन्टूर के बर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–4396/79)

रबड़ बोर्ड, कोट्टायम का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा इसके लेखे का विवरण, इलायची बोर्ड, कोचीन और काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और भारतीय चाय व्यापार निगम लि० का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों का विवरण तथा रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन अधिसूचनाएं

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1977-78 के लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-4397/79]

(3) (एक) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-4398/79]

(4) (एक) काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-4399/79]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक की टिप्पणियां ।

(6) उपर्युक्त (5) के पत्र सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-4400/79]

(7) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ और लेटेक्स की विभिन्न श्रेणियों और किस्मों के मूल्य निर्धारण के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 211 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-4401/79]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1979

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 564 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-4402/79]

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1979

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं 11 अप्रैल, 1979 को अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2859 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी०-4403/79]

आयकर अधिनियम, 1961, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखिय अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) कर निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए नेशनल सेन्टर फोर परफोर्मिग आर्टस की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (चार) के अन्तर्गत छूट सम्बन्धी सां० आ० 406 जो दिनांक 10 फरवरी, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सां० आ० 467 जो दिनांक 10 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 2209 में कतिपय संशोधन किया गया है और "भारतीय नौसेना संघ निधि" के स्थान पर "भारतीय नौसेना सुविधा निधि" प्रतिस्थापित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-4404/79]

(2) अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 265(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत इन नियमों के नियम 56(क) के अधीत विशिष्ट तैयार माल के उत्पादन में काम आने वाली कतिपय वस्तुओं के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा के विस्तार सम्बन्धी दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 95/79 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4405/79]

(3) सीमा शुल्क, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखिय अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्यात उत्पादन के लिए इंजनों के आयात पर शुल्क में छूट देने संबंधी सा० सां० नि० 230 (ङ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) रेशम-कीड़ा बीजों को मूल तथा सहायक सीमा शुल्क में छूट देने सम्बन्धी सा० सां० नि० 268 (ङ) और 269 (ङ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) कृत्रिम इलेक्ट्रोनिक स्वर यन्त्र (लेरिक्स) तथा इसके फालतू पुर्जों के किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजि उपयोग के लिए आयात करने पर उसे मूल अतिरिक्त और सहायक सीमा-शुल्क से पूरी छूट देने सम्बन्धी सा० सां० नि० 641 और 642 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-4406/79]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से उस क्षेत्र में उत्पन्न असंतोष का समाचार

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें

"गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से उस क्षेत्र में उत्पन्न असन्तोष का समाचार।"

गृह **मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल)**: 23 अप्रैल, 1979 को गोवा विधान सभा ने अनुदान मांगों के विचार के समय एक कटौती प्रस्ताव पारित किया। सदन में अध्यक्ष समेत कुल 29 सदस्यों में से 15 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में थे। सरकार के विरुद्ध मत इसलिए संभव हो सका क्योंकि सत्तारूढ़ दल के तीन सदस्य विपक्षी दल में प्रवेश कर चुके थे।

विपक्ष में 10 कांग्रेस विधायक, जिनमें से एक को मत देने का अधिकार नहीं था, 3 जनता सदस्य तथा 3 अन्य थे जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को छोड़ दिया था। इन तीनों में से एक श्री शंकर लाड ने विपक्ष के अन्य 15 सदस्यों के साथ प्रशासक से भेंट की और इच्छा प्रकट की कि उन्हें वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर दिया जाये। प्रशासक ने इस विषय में हमारे अनुदेश मांगे। प्रशासक ने यह भी सूचित किया कि यदि नई सरकार बनाने की अनुमति दी जाती है तो उसमें मुख्य मन्त्री के रूप में श्री शंकर लाड तथा दो अन्य सदस्य जिन्होंने दल बदला है, अन्य मन्त्री के रूप में होंगे। 10 कांग्रेस सदस्यों तथा 3 जनता सदस्यों ने प्रस्तावित नई सरकार को अपना समर्थन दिया। हमें यह विचार करना पड़ा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में नई सरकार स्थायी होगी। हमें यह भी विचार करना पड़ा कि तीन व्यक्ति जिन्होंने कुछ दिन पहले सत्तारूढ़ दल को छोड़ा है, को ऐसी नई सरकार को अनुमति देना क्या संघशासित क्षेत्र के हित में होगा अथवा प्रजातान्त्रिक परम्परा के अनुरूप होगा। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभिन्न दलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई सरकार स्थाई नहीं होगी और इस प्रकार के दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए विधान सभा को भंग करना तथा यथाशीघ्र नये चुनाव कराना अधिक उपयुक्त होगा। तदनुसार राष्ट्रपति ने संघशासित क्षेत्र सरकार अधिनियम की धारा 51 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधान सभा को भंग करने और इसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के विशिष्ट उपबन्ध को छः महीने की अवधि के लिए स्थगन का आदेश अपने आदेश तारीख 27 अप्रैल, 1979 के द्वारा दिया जिसकी एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

सरकार को मालुम है कि जिन व्यक्तियों को नई सरकार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ वे असन्तुष्ट हैं और उनके साथी भी प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। ये विरोध और प्रदर्शन सामान्यत: शांतिपूर्ण है। सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि विधान सभा के भंग होने पर संघशासित क्षेत्र में कोई सामान्य असन्तोष है। मैं उन व्यक्तियों से भी हर्दिक अपील करूंगा जो हमारे इस निर्णय से असन्तुष्ट हैं कि वे कोई आन्दोलन न करें और इसके स्थान पर मतदाताओं का अभिनिर्णय प्राप्त करें। हम निर्वाचन आयोग से जितनी जल्दी संभव हो सके चुनाव कराने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री सौगत राय : गृह मन्त्री का वक्तव्य एक ढोंग है। जनता पार्टी को इस प्रकार की सीख देने का कोई अधिकार नहीं है। वक्तव्य में उन्होंने इस प्रकार बताया है :

> "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभिन्न दलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई सरकार स्थाई नहीं होगी और इस प्रकार के दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए विधान सभा को भंग करना तथा यथाशीघ्र नये चुनाव कराना अधिक उपयुक्त होगा।"

जनता गृह मंत्री को यह कहना शोभा नहीं देता कि वह दल बदल को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

1977 में जनता सरकार बनने के बाद पहली सरकार त्रिपुरा में टूटी थी जहां पर कुछ सदस्य कांग्रेसदल छोड़कर जदता पार्टी में जा मिले थे। और उन्हें कम्यु० (मा०) के साथ मिल कर सरकार वनाने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद सिक्किम की बारी आई जहां कांग्रस पार्टी के सभी 32 सदस्य जनता पार्टी में जाकर मिले गये और उन्हें सरकार में बने रहने दिया

गया। इसके बाद मणिपूर में यंगमाशो शायजा के नेतृत्व में कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ गये और उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी गई और यह सरकार आज भी वहां पर चल रही है।

मैं उन दल-बदल की बात नहीं कर रहा, जो अन्य स्थानों में हुए हैं और न ही मैं उन समस्याओं की बात कर रहा हूँ जो जनता पार्टी के सम्मुख उत्तर प्रदेश और विहार में अपने विधायकों द्वारा पार्टी के संचेतक के आदेशों का उल्लंघन करने तथा दल बदलने के कारण आई हैं। अतः जनता पार्टी द्वारा यह कहना कि वे दल बदल को हतोत्साहित कर रहे हैं, केवल एक ढोंग है। वे सभा में अनेक बार आश्वासन देने के बाद भी वे दल-बदल विरोधी विधेयक नहीं ला सके हैं।

गोआ में क्या स्थिति है ? वहां पर क्या हुआ ? शशिकला काकोडकर सरकार का वहां पर बहुमत नहीं था। अक्तूबर, 1977 गोआ विधान सभा के चुनाव हुए थे और शशिकला काकोडकर की एम०जी०पी० ने केवल 15 स्थान प्राप्त किये थे, जो कुल स्थानों के आधे थे और वे सरकार नहीं बना सके। अतः उन्होंने दो दल बदलुओं और एक निर्दलीय सदस्य की सहायता ली। उनके समर्थन से वे सरकार में बने रह सके। इस सरकार के विरुद्ध समय-समय पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले थे और जब श्री चरण सिंह गृह मंत्री थे, तो उन्हें एक याचिका दी गई थी और केन्द्रीय गृह मंत्रालय इन आरोपों की जांच कर रहा है।

इस सरकार के कार्य में गोआ से व्यापक असन्तोष है, जिसके फलस्वरूप एम०जी०पी० के विधायक स्वयं यह महसूस कर रहे हैं कि शशिकला काकोडकर की सरकार, जिसका समर्थन गोआ में बड़े-बड़े लौह अयस्क के व्यापारी कर रहे हैं, में बने रहना उनके भविष्य के लिये ठीक नहीं है। अतः शंकर लाड के नेतृत्व में तीन लोग 23 अप्रैल, 1979 को बजट पर एक कटौती प्रस्ताव पर सरकार छोड़ कर बाहर हो गये।

अब प्रश्न यह है कि यह सरकार शशिकला काकोडकर सरकार को बचाने के लिये किस प्रकार से प्रयास कर रही है। एम०जी०पी० के लोग कैसे हैं ? सभा में हारने के बाद, एम०जी०पी० ने विधान सभा में तबाही मचा दी। उन्होंने महात्मा गांधी की एक अर्द्ध-प्रतिमा को नष्ट कर दिया, संविधान की एक प्रति को जला दिया और उन्होंने अध्यक्ष, श्री नारायण फिगरो पर एक कुर्सी फेंकी। इस प्रकार के लोग वहां पर हैं।

हमने यह मामला संसद् में 24 अप्रैल और पुनः 26 तारीख को उठाया था। गृह मंत्री ने इसका कोई प्रत्युतर नहीं दिया। उसके बाद 27 अप्रैल को शशिकला काकोडकर विमान से दिल्ली आईं और उन्होंने प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपयि के साथ भेंट की।

बाद में उस दिन जब वह प्रधान मंत्री से मिलने गईं थीं, हमें बताया गया था कि गोआ के हित में विधान सभा को भंग करने का निर्णय किया गया है। उसी दिन रात में जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर पौनार से वापस आये और प्रधान मंत्री से अनुरोध किया कि वहां पर एक लोकतंत्री सरकार चलती रहने दी जाये, क्योंकि केवल दो वर्ष पूर्व ही चुनाव हुए थे और विधान सभा के लिये नये चुनाव सरकार को तथा लोगों को बहुत मंहगे पड़ेंगे। परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया और 27 अप्रैल को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है और श्रीमति शशिकला काकोडकर के दिल्ली आने के बाद सरकार ने क्या

व्यवस्था सोची है। मैं सरकार पर यह सीधा आरोप लगाता हूं कि गोआ के भूतवर्ष मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच गुप्त रूप से यह तय हुआ कि श्रीमति शशिकला काकोडकर की सलाह मानकर विधान सभा भंग कर दी जाये और श्री शंकर लाड को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जाये। यदि श्रीमति शशिकला काकोडकर पुनः सत्तारूढ़ होती हैं, तो वह गोआ में लोगों की इच्छाओं के विपरीत मद्यनिषेद्य लागू करेंगी। प्रधान मंत्री और गोआ की भूतपूर्व मुख्य मंत्री के बीच यह तय हुआ था जिसके फलस्वरूप गोआ के लोगों की लोकतंत्री आकांक्षाओं को पूरा होने नहीं दिया गया।

मैं गोआ में मद्यनिषेध के प्रश्न के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मैं जनता पार्टी के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि गोआ की यह घटना उनके लिये एक महत्वपूर्ण घटना की द्योतक है। गोआ जैसे छोटे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही करके प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री विभिन्न राज्य में जनता के असन्तुष्ट विद्यायकों को चेतावनी दे रहे हैं। बिहार में एक नई सरकार बनी है और यह चेतावनी दी गई है "यदि आप सरकार के विरुद्ध जायेंगे, यदि आप सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे तो हम विधान सभा भंग कर देंगे और चुनाव कराये जायेंगे जैसाकि हमने गोआ में किया है।" उ० प्र० के असन्तुष्ट विधायकों को भी यह चेतावनी दी गई कि यदि वे कोई ऐसी कार्यवाही करते हैं, तो हम विधान सभा भंग करके चुनाव करायेंगे। अन्ततोगतवा केन्द्र में असन्तुष्ट सदस्यों को भी यही चेतावनी है कि यदि कोई ऐसी बात करते हैं तो जो शंकर लाड के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक संसद्, प्रत्येक विधान सभा को अपनी अवधि पूरा करने का अधिकार है। गोआ में उस हद तक दल बदल नहीं हुआ जिस हद तक कुछ अन्य राज्यों में हुआ है। हरियाणा तथा अन्य राज्यों में भी दलबदल हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गोआ में बहुमत की सरकार को चलने की अनुमति न देने के क्या संवैधानिक तथा कानूनी कारण थे। उन्हें अपना आशय स्पष्ट करना चाहिये और लोगों को यह बताना चाहिये कि उनके आशय खराब नहीं हैं और वह इस देश में लोकतंत्र की परम्पराओं के अनुकूल है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे प्रतीत होता है कि मेरे मित्र को कुछ गलतफहमी हो गई है। उन्होंने कहा है कि यह 'कोरा ढोंग' है। वह जानना चाहते हैं कि क्या हमने ठीक कार्यवाही की है। हमने बिल्कुल ठीक कार्यवाही की है। लोकतंत्र में मतदाताओं के पास जाकर उनका निर्णय प्राप्त करने के अलावा और क्या ठीक कार्यवाही हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : हमें संसद् के लिये भी चुनाव कराने चाहियें।

श्री एच० एम० पटेल : जब एक सरकार बहुमत खो देती है, सही बात यह है कि चुनाव कराये जाएं। इस मामले में यह सुझाव दिया गया कि जिन लोगों ने दल बदला और जिसके कारण सत्तारूढ़ दल की सरकार गिरी, जिन लोगों ने समर्थन देने का वचन दिया और कांग्रेस और जनता के विधायकों ने भी समर्थन देने का वचन दिया था। कांग्रेस पार्टी तथा जनता पार्टी का कोई विधायक भी सरकार में शामिल नहीं हो रहा था। परन्तु सत्तारूढ़ दल से दल बदलने वाले तीन व्यक्ति सरकार बनाना चाहते थे। हमारे विचार में ऐसी सरकार अधिक देर तक नहीं टिक पाती और वहां पर निरन्तर अस्थिरता रहती। हमारा ऐसा अनुमान था और यह अनुमान सही तथा जायज़ था। इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मंत्री महोदय ने गोआ में प्रैज़िडेंट्स रूल लागू करने के दो कारण बताये हैं : एक तो यह कि वहां स्टेबिलिटी नहीं होगी, और दूसरे यह कि सरकार डिफ़ेक्शन्ज़ को एनकरेज नहीं करना चाहती है। श्री सौगत राय ने राज्यों के उदाहरण दिये हैं, जहां डिफ़ेक्शन्ज़ होने के बाद भी जनता पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन माननीय सदस्य और आगे नहीं बढ़े, वह उससे आगे बढ़ सकते थे ; और भी राज्य हैं, जिनकी ओर उन्हें इशारा करना चाहिए था।

मुश्किल यह है कि उनकी पार्टी तो खत्म हो रही है, लोग उसको छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं, और हमें वह नसीहत देते है ! अपने आदमियों को तो वह अपनी पार्टी में नहीं रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनके आदमी उनकी पार्टी में रहें, लेकिन वे उसमें रहना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर जनता पार्टी ने पहले कुछ ग़लती की भी है, लेकिन अगर आज वह एक ऐसा आदर्श कायम करना चाहती है कि डिफ़ेक्शन्ज़ को एनकरेज न किया जाये—जनता पार्टी भी इस कोलीशन में होती—, तो उन्हें एतराज़ नहीं करना चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : गुजरात में आज भी डिफ़ेक्टर्ज़ जनता पार्टी में आ रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर गोआ में डिफ़ेक्शन्ज़ को रोकने का प्रयास किया गया है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। सबसे ज़रूरी सवाल स्टेबिलिटी का है। महाराष्ट्र की मिसाल यहां पर नहीं लागू हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। **(व्यवधान)** गोआ में स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है या नहीं, यह डाउटफुल है।

लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि वहां पर एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए था; और अगर वह एक्सपेरिमेंट कामयाब न होता, तो उसके बाद वहां पर प्रैज़िडेंट्स रूल लागू कर देना चाहिए था।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर जो डिमांस्ट्रेशन्ज़ हो रहे हैं, वह बहुत शांतिपूर्वक हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती शशिकला ने हारने के बाद भी रिज़ाइन नहीं किया, वह किसी भी चीफ़ मिनिस्टर के लिए बहुत अनडेमोक्रेटिक और ख़राब बिहेवियर है। कोई भी डेमोक्रेटिक पर्सन उसका समर्थन नहीं कर सकता है। सदन में उनकी पार्टी ने जो कुछ किया, मैं उसको भी पूरी तरह कनडेम करना चाहता हूं। मंत्री महोदय का कहना है कि वहां पर शान्तिपूर्ण डिमांस्ट्रेशन हो रहे हैं। वहां पर प्रधान मंत्री की एफ़िजी को जलाना और उनके बुत को चप्पलों के हार पहनाना इन्सानियत से गिरी हुई चीज़ है।

श्री सौगत राय : वे प्रधान मंत्री के बुत पर चप्पलों का हार पहना रहे हैं। जनता पार्टी के लोग यह काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सौगत राय, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : जनता पार्टी हो, या कोई पार्टी हो, उसके लोगों के ख़िलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिए और चारों तरफ से, मैं समझा हूं इधर से भी और उधर से भी, इसकी पूरी निन्दा होनी चाहिए। इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि कई जगह पर गवर्नर्स की रिपोर्ट पर आप प्रैसीडेंट्स रूल लागू करते हैं या नहीं करते, इसकी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है। पहली सरकार में भी इसी तरह होता था कि गवर्नर जिस तरह की रिपोर्ट दे दे उस पर सरकार जो चाहे करे। तो यह चीज ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई एक गाइडलाइन गवर्नर के लिए होनी चाहिए कि किन स्थितियों में वह प्रैसीडेंट्स रूल लागू करे, किन स्थितियों में न करे। क्या सरकार उसके लिए कोई गाइडलाइन्स गवर्नर्स को देगी ?

दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस चीज का विश्वास दिलाएगी कि गोवा के अन्दर जल्दी से जल्दी एलेक्शन कब हो जाएंगे।

तीसरा मेरा सवाल यह है कि दमन और दीव के बारे में क्या आपका ऐटीच्यूड यही है कि असेम्बली के एलेक्शन में वह भी शामिल होंगे या इस हिस्से को दूसरी बराबर की स्टेट के साथ मिलाया जाएगा ? ये तीन सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, यह उठता ही नहीं है। आज ये गोवा के भाग है और रहेंगे।

जहां तक चुनाव की तारीख का सम्बन्ध है, हमने चुनाव आयुक्त को यथाशीघ्र कोई तारीख निर्धारित करने के लिये कह दिया है और वह ऐसा करेंगे। तारीख निर्धारित करना उसका काम है। परन्तु उसने कहा है कि मतदाता सूचियों को पूर्ण रूपेण पुनरीक्षित करना आवश्यक है और यह काम पूरा होते ही चुनाव कराये जायेंगे।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मार्गदर्शन सिद्धान्तों का प्रश्न ही नहीं है। वे पहले से विद्यमान हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे क्या हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : वे पहले से विद्यमान हैं, क्योंकि जिन सिद्धान्तों के अनुसार हमने यहां कार्यवाही की है वही राज्यपाल के लिये मार्गदर्शन सिद्धान्त का काम करते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि समय-समय पर परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं।

महाराष्ट्र का उल्लेख किया गया। यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र तथा गोआ के बीच कोई तुलना तथा समानता नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस (इ) छोड़ने वाले विधायकों ने जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और जनता पार्टी के सदस्य भी नई सरकार के सदस्य बन गये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : एक खिचड़ी पार्टी।

श्री एच० एम० पटेल : हो सकता है। परन्तु यहां पर दलबदलुओं ने अकेले सरकार बनाई और इन दोनों पार्टियों ने समर्थन देने का वचन दिया। दूसरे शब्दों में, वे कभी भी और किसी कारण से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं....।

श्री सौगत राय : आप उन्हें सरकार में शामिल होने के लिये कह सकते थे।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं जैसेकि यह कोई खेल हो। हम तो स्थिति पर वैसे ही विचार कर रहे हैं जैसी हमारे सामने आती है.... **(व्यवधान)**। आपने मुझ से तीन प्रश्न पूछे। प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन...।

श्री सौगत राय : श्री सेक्वीरा ने प्रधान मंत्री की मूर्ति को चप्पलों का हार पहनाया।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमुगाओ) : यह दुर्भाग्य की बात है कि यह पार्टी, जो इस बात के कारण सत्तारूढ़ हुई थी कि यह संसदीय लोकतन्त्र को बहाल कर रही है, थोड़ी से अवधि में अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये उत्तरदायी है। दो वर्ष की अवधि में इस देश के इतिहास में इतने अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागु नहीं किया गया था · · (**व्यवधान**)।

1977 में इस सरकार द्वारा 8 विधान सभाएं भंग की गईं, हांलांकि सत्तारूढ़ दल बहुमत में था। बाद में अनेक अन्य राज्यों में विधान सभाएं भंग की गई और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैं केवल पांडिचेरी, मिजोरम और गोआ संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता हूं।

संसदीय लोकतन्त्र में यह पता लगाने का प्रश्न उठता ही नहीं है कि क्या बहुमत स्थायी है या नहीं। सत्तारूढ़ दल या पार्टी, जिसे बहुमत प्राप्त है, को स्वत: तथा तुरन्त सरकार बनाने के लिये कहा जाता है। इंग्लैंड में भी ऐसा ही होता है, जहां से हम भारत में यह परम्परा लाये हैं। स्थिरता के इस सिद्धान्त को लागू करना संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप है। कल वे कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तथा ऐसी किसी भी जगह जहां शासन उनके अनुकूल नहीं है राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वे भी पुराने कांग्रेसी हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मंत्री जी स्थायी बहुमत की बात करते हैं, वह भी स्थायी सरकार के बारे में भी बात करते हैं। क्या आपकी यह सरकार स्थायी है ? क्या यह सरकार, जिसमें भारतीय लोकदल, जनसंघ गुट, आदि शामिल हैं, स्थायी है या स्थायी रहेगी ? क्या यह सरकार, जिसमें श्री चरण सिंह हैं और जिन्होंने प्रधान मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय आरोप लगाकर त्यागपत्र दिया था और बाद में वह उप-प्रधान मंत्री के रूप में पुनः सरकार में आये, स्थायी है ? क्या बिहार या उत्तर प्रदेश, जहां मुख्य मंत्री ने असन्तुष्ट विधायकों को निकाल बाहर किया था, की सरकार स्थायी है ?

मेरा यह कहना है कि आप संसदीय लोकतंत्र के सिद्धान्त को तोड़ते रहे हैं और तोड़ रहे हैं। और आप देश के संघीय ढांचे को भी तोड़ रहे हैं। जो निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं, आप उसका सम्मान नहीं कर रहें हैं। आप स्थायी बहुमत की बात कर रहे थे। हम असन्तुष्टों द्वारा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र में असन्तुष्ट ग्रुप ने कई पार्टियों से मिलकर वहां सरकार बनाई ? क्या सरकार की यह कार्यवाही ठीक थी या क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या बहुमत स्थायी होगा ? सरकार ने ऐसा नहीं किया। परन्तु क्या आप यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार स्थायी नहीं है ? वहां पर सरकार स्थायी है। अत: यह कहने की कोई वजह नहीं कि गोआ में सरकार स्थायी नहीं होगी। राष्ट्रपति शासन लागू करते समय केन्द्रीय सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट सभा-पटल पर अवश्य रखनी चाहिये। क्या माननीय गृह मंत्री उप-राज्यपाल की रिपोर्ट अब सभा-पटल पर रखेंगे ताकि हम आपके मनतव्यों को भांप सकें ? यदि आप इसे सभा-पटल पर नहीं रखते तो यह निश्चित है कि राज्यपाल ने यह सिफारिश की है कि श्री लाड को सरकार बनाने की अनुमति दी जाये। वह स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे।

आप नहीं चाहते थे कि श्री लाड सरकार बनायें। तब, आपने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिये क्यों नहीं कहा ? वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व वहां पर सरकार

बनाने का हमारा दावा था । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं वे मार्गदर्शन सिद्धान्त क्या हैं जिनके अनुसार भविष्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जायेगा । क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

दूसरे, जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, वहां पर राष्ट्रपति या सरकार उस क्षेत्र के ससंद-सदस्यों की एक सलाहकार समिति की सलाह पर काम करती है । वक्तव्य में यह बताया गया है । अब आप यह कह रहे हैं कि विधान सभा रखने वाले संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के समान हैं और उन्हें राज्य का दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्या आप ऐसी सलाहकार समिति गठित करेंगे जिसमें सभा के विभिन्न वर्गों के संसद्-सदस्य होंगे जिनमें गोआ से निर्वाचित सदस्य भी होंगे ।

अन्त में, यदि आप अपनी सदाशयता को सिद्ध करना चाहते हैं, तो क्या आप उप-राज्यपाल की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखेंग ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में माननीय सदस्य को तह मालूम नहीं कि संघ राज्य क्षेत्र के मामले में स्थिति राज्य की स्थिति से बहुत भिन्न है । **(व्यवधान)**

यह स्पष्ट है । मैं इसे उस समय पढ़ चुका हूं जब मैंने राष्ट्रपति की उद्‌घोषणा सभा-पटल पर रखी थी । **(व्यवधान)** जहां तक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, हमारे यहां मार्गदर्शी सिद्धन्त हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ । हम उन सिद्धान्तों के अनुसार काम कर रहे हैं ।

श्री सौगत राय : वे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ? क्या वे गोपनीय हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : जी हां, वे गोपनीय हैं ।

श्री सौगत राय : क्या यह 'रॉ' दस्तावेज़ का अंग हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं इसका उत्तर अपने माननीय मित्र को नहीं देना चाहता, जिन्होंने 'रॉ' के अनेक दस्तावेजों को देखा होगा । माननीय सदस्य ने सभी प्रकार की बातें कहीं हैं कि ऐसा क्यों किया गया, कैसे किया, इत्यादि, इत्यादि । मुझे खेद है कि उन्होंने जो काल्पनिक वक्तव्य दिए हैं, उनका कोई आधार नहीं है **(व्यवधान)**

मैंने महाराष्ट्र और गोआ के बीच स्थिति में अन्तर को स्पष्ट कर दिया है । बहुमत का प्रश्न ही नहीं है । दो पार्टियों के समर्थन से बहुमत इसलिये प्राप्त नहीं किया गया कि वे पार्टियां सरकार में शामिल हो गई हैं या शामिल होने के लिये तैयार हैं । वे तो केवल समर्थन देने के लिये तैयार थीं । यह सुझाव दिया गया कि हम सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिये बुलायें जबकि हम जानते हैं कि इसमें केवल 10 सदस्य हैं और यह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है । वास्तव में हमने वही कुछ किया जो एक लोकतंत्र में जरूरी था । मिजोरम का उदाहरण ले लीजिये ।

श्री सौगत राय : मणिपुर के बारे में क्या हुआ ?

श्री एच० एम० पटेल : उस उदाहरण को लीजिए जिसका मैंने उल्लेख किया है । यह इससे तुरन्त पूर्व हुआ था । आपने देखा होगा कि हमारा अनुमान सही था और जिस पार्टी से दलबदल

हुआ, वही चुनाव जीती है। वहां चुनाव कराये गये हैं और यह कहना कि हमारा उद्देश्य कुछ और है, सही नहीं है। **(व्यवधान)**

मुझे खेद है कि ये माननीय सदस्य भूल गये हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। अब धीरे-धीरे वे सीख रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है और वे हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। हमें प्रसन्नता है। यह आवश्यक है कि हमें निरन्तर यह चेतावनी मिलती रहे कि हमें क्या चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : नियम 370 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने गोआ, दमन और दीव के उप-राज्यपाल द्वारा दी गई राय का उल्लेख किया है। नियम 370 इस प्रकार है :

> "यदि किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान कोई मंत्री किसी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उसे दिये गये परामर्श को प्रकट करता है, ... तो वह सम्बन्धित दस्तावेज या दस्तावेज का भाग, जिसमें उक्त राय या परामर्श दिया गया है, सभा-पटल पर रखेगा।"

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वह एसा क्यों नहीं कर रहे ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा चाहते थे, परन्तु उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्यों ? **(व्यवधान)**

श्री सौगत राय : उन्होंने राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख किया। अतः उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब इसका प्रश्न नहीं उठता। अब हम अगली मद पर विचार करते हैं।

समिति का प्रतिवेदन — श्री कंवर लाल गुप्त

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

16वां प्रतिवेदन

श्री **कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभाप-टल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय संसदीय-कार्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

सभा का कार्य

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं, कि 7 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सभा में सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(1) आज की कार्यसूची से बचे सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

(2) विचार करना तथा पास करना :

(क) संविधान (47वां संशोधन) विधेयक, 1978

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक, 1979

(ग) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1979

(घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1979

(ङ) भारत में निर्वाचन के लिये अमरीका सरकार द्वारा दी गई धनराशि के बारे में श्री मोयनीहान द्वारा अपनी पुस्तक 'ए डेन्जरस प्लेस' में किये गये रहस्योद्घाटन पर सोमवार, 7 मई, 1979 को मध्याह्न पश्चात् 4 बजे चर्चा।

कुछ माननीय सदस्य; खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके। मैं एक-एक करके पुकारूंगा। मैं उन सब को पुकारूंगा जिन्होंने मुझे सूचनाएं दी हैं।

श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप कुछ दिनों से अनुपस्थित थे, मुझे मालूम है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका केवल एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना नहीं दी है, और लोगों ने सूचना दी है। आपको सूचना देनी चाहिये।

श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे : मेरा प्रश्न बड़ा साधारण है जो इस प्रकार है कि माननीय मंत्री महोदय ने संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कहा था 47वां संशोधन, किन्तु वास्तव में वह 49वां संशोधन होना चाहिये। हम कौन-से संशोधन पर चर्चा करने जा रहे है, 47वें पर या 49वें संशोधन पर ?

अध्यक्ष महोदय : यह 47वां है या 49वां ?

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : 49वां।

अध्यक्ष महोदय : परिचालित सूची (समाचार-भाग दो संख्या 1378) में इसको 49वां संशोधन बताया गया है। फिर भी मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री कामथ

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इसमें कुछ भ्रम है क्या वह इसका निवारण कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय के वक्तव्य में यह टाइप संबंधी गलती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। अच्छा श्री कामत आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी एक और भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य वाणियां ? —आपकी तो हर भविष्यवाणी सत्य निकलती है।

श्री हरि विष्णु कामत : जैसा कि मैंने कहा, मैं इससे खुश नहीं हूं। इससे पूर्व 26 अप्रैल को मैंने कहा था कि लोकपाल विधेयक इस सभा में पास नहीं होगा। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। इसकी कोई संभावना भी नजर नहीं आती। माननीय मंत्री महोदय ने जो कार्यसूची पढ़कर सुनायी है, इसमें विधेयक का कोई उल्लेख भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय जैसाकि आप जानते ही हैं अगले सप्ताह चार दिन का सप्ताह है और हमारे पास केवल 4 दिन ही होंगे · · ·।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत जी हमने कार्य घंटे बढ़ा दिये हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की है कि शेष दिनों दोपहर के भोजन के लिए छुट्टी नहीं होगी और सभा शाम को 7.00 बजे तक बैठेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके बावजूद · · · ·

श्री दीनेन् भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय वह कार्यक्रम बदल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : फिर भी मेरा प्रश्न यह है **(व्यवधान)**। मुझे पता नहीं। हमने अभी तक उस प्रतिवेदन को गृहीत नहीं किया है। किन्तु माननीय मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि दोनों ही सिफारिशों अर्थात् दोपहर के भोजन की छुट्टी समाप्त करना तथा सभा की बैठक शाम को सात बजे तक करना, को एक साथ स्वीकार नहीं किया जाये। आप कोई सी भी एक सिफारिश स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : हम दोनों को ही स्वीकार करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय जब तक सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तब तक मुझे इस सत्र में दोनों ही सदनों द्वारा लोकपाल विधेयक को पास किये जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री महोदय सत्र की अवधि बढ़ाने के सुझाव के संबंध में कोई उत्तर देंगे या कुछ बाद में। हमें इस बारे में कोई निर्णय काफी पहले ही ले लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और सारी सभा ही सहमत होगी कि लोकपाल विधेयक इसी सत्र के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाना चाहिये और राष्ट्रपति को उसके बारे में अपनी अनुमति दे देनी चाहिये ताकि पहला लोकपाल अगले महीने जून अथवा जुलाई में प्रारम्भ से कार्य प्रारम्भ कर दे। मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री कामत को पहला लोकपाल नियुक्त किया जाये।

श्री सौगत राय : हम इसका पूरा समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० रामजी सिंह।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मेरे सुझाव का कोई उत्तर नहीं दिया।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : मैं माननीय कामत साहब के विचार से बिल्कुल सहमत हूं और सरकार को यह दोष देता हूं कि अभी तक वह लोकपाल बिल के विषय में

आलस्य कर रही है। इस आलस्य को छोड़कर लोकपाल बिल और एंटी-डिफैक्शन बिल अगर गवर्नमेंट नहीं लाती है तो मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक बेईमानी होगी। इनको उसे रखना चाहिए।

इस बार शिक्षा अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर बहस नहीं हो सकी है। साथ ही शिक्षा नीति पर बहस करना बहुत जरूरी है।

पंचायतों सम्बन्धी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करने का हम लोगों के वास्ते समय नहीं निकाला गया है। संजय गांधी की गुंडागर्दी पर तीन घंटे समय दिया जा सकता है। लेकिन राष्ट्र के निर्माण के कामों के लिये समय नहीं निकाल सकते हैं यह ठीक नहीं है। एंटी-डिफैक्शन बिल और लोकपाल बिल के विषय में आलस्य का परित्याग होना चाहिये। साथ ही अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट और शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी बहस करने के लिए समय अवश्य निकाला जाना चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : अध्यक्ष महोदय, गोआ, दमन और दीव में राष्ट्रपति शासन लागू होने के परिणामस्वरूप इस संघ राज्य क्षेत्र का बजट संसद् को पास करना होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संसद् में पूरे बजट पर चर्चा होगी तथा उसे पास किया जायेगा क्योंकि कुछ एक मांगें तो वहां पहले ही पास की जा चुकी हैं। इस पर कब चर्चा होगी ? सरकार को चाहिए कि वह काफी पहले ही पत्रादि वितरित कर दे ताकि उस पर कोई लाभप्रद चर्चा की जा सके। सरकार यह कब करने जा रही है।

श्री पूर्ण नारायण सिंह (तेजपुर) : महोदय, सरकारी कार्य के बारे में श्री कामत और डा० रामजी सिंह ने जो कहा है उसके अलावा मैं यह कहूंगा कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को बहुत कम समय दिया गया है। आज भी इस विषय पर केवल एक आधे घंटे की चर्चा है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : नहीं यह तो ढाई घंटे की चर्चा है।

श्री पूर्ण नारायण सिंह : मेरा यह सुझाव है कि सभा की बैठक शाम 7 बजे तक चले। दोपहर के दौरान की छुट्टी न हो। इसके अलावा इस सत्र के समाप्त हो जाने पर जून के मध्य के लगभग एक दूसरा सत्र हो ताकि हम पिछले कुछ कार्य को समाप्त कर सकें और एक या दो गैर-सरकारी सनस्यों के विधेयकों आदि पर चर्चा कर सकें। यदि सम्भव हो, तो पिछले वर्ष की तरह सभा की शनिवार को भी बैठक हो जिसमें अविलम्बनीय मामलों पर चर्चा की जाए। श्री कामत तथा डा० रामजी सिंह ने जो कुछ कहा उसकी ओर उचित ध्यान दिया जाए और कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा कुछ किया जाए जिससे कि सरकारी कार्य निपटाने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को करने के लिए और अधिक समय उपलब्ध हो। कार्य मन्त्रणा समिति इस पर पुनर्विचार करे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, व्यवस्था के एक प्रश्न पर आपने अभी-अभी कहा था कि कार्य मन्त्रणा समिति ने कुछ निर्णय लिये है और आपने यह कहा था कि · · · ·

अध्यक्ष महोदय : वे अस्थायी हैं। यह सभा के समक्ष आयेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे यह मालूम है कि वे अस्थाई हैं और आपने पहले से ही उनके बारे में बताकर बड़ी कृपा की। सामान्य तौर पर वह प्रतिवेदन (रिपोर्ट) कल ही आ जानी चाहिए थी ताकि हम उस पर आज चर्चा कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक आज भी मध्यान्ह पश्चात् 2.30 बजे हो रही है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मन्त्री महोदय से कहा जाए कि वह आज के वक्तव्य में हमें यह आश्वासन दें कि बजट सत्र निश्चित हो 18 मई को समाप्त हो जाएगा क्योंकि यदि 17 मई को वह हमसे कहते हैं कि दो दिन और या चार दिन और तो हमें अपने कार्यक्रम (पब्लिक एनगेजमेंसट्) में तबदीली करना कठिन हो जाएगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनसे यह अनुरोध करें कि वह हमें निश्चित रूप से यह बता दें कि 18 बाद सत्र नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो श्री कामत का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : होशंगाबाद के मेरे माननीय मित्र ने कहा कि उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई है · · · ·।

श्री हरि विष्णु कामत : सत्म होने वाली है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे कुछ ठीक पता नहीं है कि उन्होंने 'सत्य होने की सम्भावना है' कहा था या अब वह 'सत्य होने की सम्भावना है' कहना ज्यादा ठीक समझ रहे हैं। मैं उनके साथ झगड़े में नहीं पड़ना चाहता।

श्री हरि विष्णु कामत : और आप सही कह रहे रांची के माननीय 'नाइट'।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वह बार-बार मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की याद दिला रहे हैं। मुझे भी कुछ अहसास है एक प्रकार का पूर्ण आभास और वह यह है कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जलते हैं। (**व्यवधान**) संभवतः वह मेरे रिर्वाचन क्षेत्र में निवास बनाना चाहते हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय लेना चाहते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। मैं दोनों के लिए ही कह रहा हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत : कृपया उनसे भी कहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप मुझसे कहें लेकिन उनसे चुप रहने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : बूढ़ों में जवानों से ज्यादा शक्ति होती है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र ने सम्भवतः इस मुख का ज्यादा सबूत पेश किया है जिसको किसी अन्य में होने की स्थिति में बेसब्र की संज्ञा दी जाती है जबकि उन्होंने एक दम यह कह दिया। उनकी भविष्य सही साबित होगी। जैसाकि मैंने पिछले सप्ताह कहा, लोकपाल विधेयक पर इस सत्र के दौरान निश्चित रूप से चर्चा होगी।

मेरे माननीय मित्र डा० रामजी सिंह ने भी वही बात कही किन्तु एक दूसरी भाषा में और एक कुछ अपेक्षाकृत अधिक उत्साही तथा उत्तेजित माननीय सदस्य होने के नाते उनका यह विचार है कि जब तक "राजनैतिक बेईमानी" जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता तब तक उनका यहां या अन्यत्र प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा० रामजी सिंह : यह तो घोषणापत्र में है। हम उन सब चीजों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : किन्तु उत्तर उनके लिए भी वही है जो कि मैंने अपने होशंगाबाद के माननीय मित्र को दिया अर्थात् लोकपाल विधेयक इस सत्र में लाया जायेगा।

उन्होंने कई और विषयों का उल्लेख किया है। निःसंदेह कई विषय इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभा को उन पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है समय का और यदि समय का सभी लोग ठीक उपयोग करें तो हम इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिंह ने दो मुद्दे उठाये। संभवतः उनका यह ख्याल था कि हम कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है। मुझे दो-दो चीजों का ख्याल रखना होता है; एक तो सरकारी कार्य के बारे में कहना था जो मैं हर शुक्रवार देता हूं, दूसरा कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन का जिसको मैं स्वीकृत किये जाने हेतु रखता हूं जिसके आप सभापति हैं और वस्तुतः जो आपकी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तो अनेक जिम्मेदारियां हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उनका यह सुझाव कि गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य के लिये और ज्यादा अवसर दिये जाएं, एक सामान्य प्रश्न है जिस पर किसी और समय विचार करना होगा, सरकारी कार्य के सम्बन्ध में इस वक्तव्य के संदर्भ में नहीं। उनका यह सुझाव कि सभा को जून के प्रारम्भ में बुलाया जाये और यह कि उस समय दिल्ली में परिस्थितियां ठण्डे दिमाग से कार्यवाही के लिये ज्यादा अनुकूल हो जायेंगी, विचार करने लायक सुझाव है।

मेरे मित्र फैलीरो ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जो गोवा के बजट के बारे में है। मैं समझता हूँ कि वह चाहते हैं मांगें यहां स्वीकृत की जायें। इस समय विचार यह है कि लेखानुदान पास कराने के लिये उपयुक्त विधेयक लाया जाये। अगले दो दिन में इसके बारेमें वक्तव्य दिया जायेगा।

प्रोफेसर मावलंकर अपने रेलवे बुकिंग के बारे में और यदि वे अभी भी विमान से यात्रा करते हैं, तो एयर बुकिंग के बारे में आश्वासन चाहते हैं। इस समय इरादा यह है कि सभा 18 मई को स्थगित हो जायेगी और सत्र की अवधि बढ़ाने का कोई विचार नही है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 से अन्तर्गत विषय लेंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

एक फिल्म डिवीजन को स्वायतता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप में अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी की नियुक्ति

श्री वसन्त साठे (अकोला) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं यह विषय उठाना चाहता हूँ :

फिल्म प्रभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है जो सार्वजनिक क्षेत्र तथा रक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर फिल्मों का निर्माण कर रहा है। हाल में 24 अप्रैल, 1979 को सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री एल० के० आडवानी ने फिल्म प्रभाग को स्वायतता प्रदान करने सम्बन्धी कार्यकारी दल गठित करने तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा की। तथापि बड़ी चिन्ता का विषय है कि अमरीकी दूतावास के एक पूर्ण-कालिक कर्मचारी को इस कार्यकारी दल में नामजद किया गया है। अतः माननीय मन्त्री महोदय

से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस सदस्य का नाम और कनेक्शन (सम्बन्ध) बतायें क्योंकि इस व्यक्ति का सी० आई० ए० से सम्बन्धित होने का आरोप है। यह सही है अथवा गलत, फिर भी दूतावास के एक कर्मचारी को भारत सरकार के कार्यकारी दल में प्रचार साधन (फिल्म प्रभाग) विषयक महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु नियुक्त करना स्वयं में एक गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें और इस मामले में उपयुक्त कार्यकाही करें।

(दो) जिम्बाबवे में सरकार परिवर्तन के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं। रोडेशिया (जिम्बाबवे) में हाल ही में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप श्वेत अल्पसंख्यकों का शासन जो 13 वर्ष पूर्व वहां ईयान स्मिथ की अध्यक्षता में लादा गया था समाप्त हो गया और अफ्रीकी लोगों का शासन स्थापित हो गया। नई सरकार बनी और बिशप अबेल मुजोरेवा को वहां का प्रधान मंत्री बनाया अथवा बनाया जाने वाला है। यद्यपि आन्तरिक समझौता जिसके परिणामस्वरूप ये चुनाव हुए, पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है फिर भी ईयान स्मिथ के स्थान पर बिशप अबेल मुजोरेवा को स्थापित कर वहां जो राजतंत्र की स्थापना हुई है, उसको झुकवाया नहीं जाना चाहिये। यह तो कमजोर ही सही उस सही दिशा में यह पहला कदम तो है जोकि पूर्ण प्रजातंत्र की ओर जाता है और जिसके लिए जिम्बाबवे के समस्त राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त की है। सरकार को जिम्बाबवे में हुए इस परिवर्तन के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए और यह बताना चाहिए कि बिशप अबेल मुजोरेवा के अधीन बनी सरकार के प्रति उनका क्या रवैया है।

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : हमारी सरकार उन तथाकथित गैर-कानूनी चुनावों को मान्यता नहीं देती जोकि रोडेशिया के गैर-कानूनी शासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संगत संकल्पों को झुठलाते हुए हाल ही में संपन्न किये गये। संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव होने के पूर्व ही उनको अवैध तथा रद्द घोषित किया है और यह कहा कि जिम्बाबवे में सही अर्थों में उपनिवेशवाद समाप्त करने तथा बहुसंख्यक शासन स्थापित करने से इसका कोई सरोकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में 30 अप्रैल को पारित एक संकल्प में इस बात की दोबारा पुष्टि की है। इसके विपरीत यह जानबूझ कर चली गई चाल जोकि पूर्ववर्ती आन्तरिक समझौते से भिन्न नहीं है इस बात का स्पष्ट संकेत करती है यह जिम्बाबवे में अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है जैसाकि उन परिस्थितियों से स्पष्ट हो जाता है जिनमें ये तथाकथित चुनाव सम्पन्न हुये और इस क्षेत्र के प्रशासन में अपना कब्जा बनाये रखने के लिये श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय 'रिप्रैजैन्टेशनल वोटिंग' के बहाने अपना काम कर रहा है। जिम्बाबवे की जनता ने जिस उद्देश्य को लेकर संघर्ष किया और वर्षों अपना खून बहाया उन उद्देश्यों को विफल करने का यह एक दूसरा तरीका है। मेरा विश्वास है कि उनका संघर्ष अब और जोर पकड़ जायेगा। दक्षिणी रोडेशिया में उपनिवेशवादी शक्ति जिम्बाबवे की जनता के प्रति अपने दायित्वों से बच नहीं सकती और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्बाबवे में बहुसंख्यक शासन स्थापित करना होगा। हमने पहले भी इस सदन में यह कहा है कि रोडेशिया में उपनिवेश की शक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह वहां सच्ची स्वतंत्रता और बहुसंख्यक शासन स्थापित करे। इसके अतिरिक्त हमने यह कहा है कि रोडेशिया में गैर-कानूनी शासन के विरुद्ध निर्णयों को तत्काल लागू करने तथा इनको कड़ा बनाने की आवश्यकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : उपनिवेशवादी शक्ति का नाम बताएं, वह कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : वह स्पष्ट है ।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : संयुक्त राष्ट्र संघ के संगत संकल्पों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा जिम्बाबवे में हुये गैर-कानूनी चुनावों के परिणामस्वरूप बनी सरकार को मान्यता बिल्कुल नहीं देनी चाहिये । इस बात के आसार पहले ही नजर आ रहे हैं जिनसे यह पता चलता है कि कुछ देश तथाकथित चुनावों का बहाना लेकर रोडेशिया के विरुद्ध निर्णय को हटाने को उचित ठहरायेंगे । जैसाकि मैंने पहले कहा हमारा यह विचार है कि अब जाकर यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रोडेशिया में गैर-कानूनी शासन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में कानूनी तौर से किये गये निर्णयों की प्रभावी क्रियान्विति के लिये तत्काल कदम उठायें और जिम्बाबवे में वास्तविक स्वतंत्रता लाने और बहुसंख्यक शासन की स्थापना की दिशा में प्रयास किये जाएं ।

(तीन) विल्लीपुरम में 1978 में सवर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों के बीच हुए झगड़ों की न्यायिक जांच

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर वक्तव्य देता हूँ :

सरकार 1978 में विल्लीपुरम में उस घटना से परिचित है, जिसमें 12 हरिजनों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गयी थी । अध्यक्ष महोदय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों संबंधी समिति को घटनास्थल का दौरा करने, स्थिति का जायजा लेने तथा अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही के लिए केन्द्रीय सरकार को आवश्यक उपाय सुझाने की अनुमति दी थी । लेकिन तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी संसदीय समिति के दौरे पर इस आधार पर आपत्ति की थी कि उन्होंने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त कर दिया है ।

अब न्यायिक आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है । उसमें कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये गये हैं जो हरिजनों के हितों में विपरित हैं । इसमें विल्लीपुरम की थीरिया कालोनी के हरिजनों को तनाव पैदा करने वाले उपद्रवी बताया गया है और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व आर०डी०ओ०, डी०आर०ओ० और डी०एस०पी० तथा सब इंसपेक्टर जैसे मातहत अधिकारियों पर डाल दिया गया है, जो हरिजन हैं और एस० पी० तथा कलक्टर को बचा दिया गया है । सचाई का जायजा लेने तथा निर्दोष हरिजनों और हरिजन अधिकारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए प्रतिवेदन पर संसद् में चर्चा किये जाने की आवश्यकता है ।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आयोग का प्रतिवेदन मंगवाये और उस पर संसद् में चर्चा की अनुमति दी जाये ।

(चार) कर्नाटक में भगवान गोमातेश्वर की प्रतिमा की स्थापना के 1000वें वर्ष का समारोह

श्री निर्मल चन्द जैन (सिवनी) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत महत्व का निम्न मामला उठाना चाहता हूं :

श्रवणबेनगोला (कर्नाटक राज्य) में भगवान गोमातेश्वर की मूर्ति सन् 981 में स्थापित की गयी थी। 1981 में इसकी स्थापना के 1000 वर्ष पूरे हो जायेंगे। यह विश्व के आनचर्यों में से एक है। इसकी भव्यता, माहात्मय, सौंदर्य और मूर्तिकला वर्णनातीत है।

1981 में सहस्त्राब्दी प्रतिस्थापना महामास्तिकुभिशेर के रूप में श्रवणबेनगोला में बड़े समारोह किये जायेंगे। उस अवसर पर वहां पूरे भारत से लाखों लोगों और विदेशों से हजारों लोगों के आने की संभावना है। कर्नाटक राज्य ने राज्य स्तर की एक समिति का गठन किया है। यदि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की एक समिति भी बना दी जाये तो और भी अच्छी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : दो वकतव्य और बच गये हैं। क्या सभा इन्हें अभी निपटाना चाहती है ?

बहुत से माननीय सदस्य : हाँ।

(पांच) टैकनीशियनों के असहयोग के कारण इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब तथा उनका रद्द किया जाना

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों के रख-रखाव में वास्तव में ही कुछ खराबी है। यह सबको मालूम है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पर अपनी विमान सेवाएं बनाये रखने का भारी बोझ पड़ गया है, क्योंकि इसकी पांच एयर-बसों में से केवल दो एयरबस पूरी तरह से कार्य करने की स्थिति में हैं। 28-4-79 को एयरबस फ्लाइट आई० सी० 403, जो दिल्ली से बंगलौर के लिए 10 बजे सुबह खाना होनी थी, चार घंटे लेट हो गयी।

1 मई, 1979 को एयरबस फ्लाइट आई सी 401 में कुछ खराबी हो गयी। जो यात्री उसमें सवार हो चुके थे, उन्हें उतारना पड़ा। शाम को एक दूसरी एयरबस के किसी पक्षी से टकरा जाने से उसे काफी नुकसान हुआ। गत सप्ताह मद्रास में बोइंग 737 उतरते हुए भूमि से टकरा गया। एक एयरबस को भारी रख-रखाव कार्य के लिए कुछ समय के लिये जमीन पर रखना पड़ा। उड़ानों को अचानक रद्द करके यात्रियों को आश्चर्य में डाल दिया जाता है। उन्हें एक दिन में चार बार हवाई अड्डे की ओर दौड़ना पड़ता है और होटल तथा खाने पर हुए व्यय के अलावा टैक्सियों पर 150 रुपया खर्च करना पड़ता है।

उड़ानों की अनिश्चितता के इस वातावरण में 1 मई, 1979 को इंडियन एयरलाइन्स के और एयरइंडिया के विमान मिस्त्रियों ने अपना "असहयोग" आंदोलन शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप सुबह को दिल्ली-कलकत्ता एयरबस उड़ान रद्द कर दी गयी। इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसियेशन, दिल्ली क्षेत्र ने केन्द्रीय कार्यालय को हाल ही में यह अधिकार दिया है कि वह मांगपत्र, जिसमें बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता, टूल किट, अवकाश के समय कोई काम नहीं, साप्ताहिक अवकाश में कोई काम नहीं, अनुसूची के अलावा कोई काम नहीं इत्यादि शामिल हैं, पर जल्दी निर्णय कराने के लिये हड़ताल सहित कोई भी उचित कार्य कर सकता है। बम्बई के श्रम आयुक्त को एयरक्राफ्ट टैक्नीशियन्स की मांगों से अवगत करा दिया गया है।

इस असहयोग आन्दोलन से उड़ानों में पांच से छः घंटे का विलम्ब हो रहा है। एशोसियेशन की अगली बैठक 23 मई के लिए निश्चित की गयी है। इस स्थिति को जारी रहने देने

की बजाय यह अच्छा है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन देश में अपना कार्य ही बंद कर दे। नागर विमानन मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस विषय में एक विस्तृत वक्तव्य दें।

(छः) बंगलादेश को खाद्यान्नों की सप्लाई

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई की हाल की ढाका यात्रा के दौरान बंगलादेश को 2 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई करने का वचन दिया गया था।

बंगलादेश में व्यापक रूप से सूखा पड़ा हुआ है और अकाल की स्थिति भी तेजी से नजदीक आ रही है। हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य और दायित्व है कि संकट की इस स्थिति में हम बंगलादेश के लोगों की भरसक मदद करें, विशेष रूप से जब कि हमारे पास खाद्यान्न का बफ़र स्टाक है और फसल बहुत अच्छी हुई है। वास्तव में इस वर्ष फसल इतनी अच्छी हुई है कि बहुत से स्थानों पर तो अनाज रखने के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं हैं।

बंगलादेश के राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने प्रधान मंत्री को पुनः एक संदेश भेजा है कि वहां खाद्यान्न शीघ्र भेजा जाये ताकि वे खाद्यान्न की भीषण कमी का सामना कर सकें। मुझे यह भी पता चला है कि बंगलादेश के खाद्य मंत्री, श्री अब्दुल मोमिन खान, जो कल यहां पहुंचे थे, ने प्रधान मंत्री को यह संदेश दिया है। इस संदर्भ में वह अनुवर्ती उपायों पर चर्चा करना भी चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभा इस बात के लिए मेरा समर्थन करेगी कि हम उन्हें खाद्यान्न उपहार में दें या मामूली कीमत पर दें, क्योंकि विभिन्न कारणों से वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है।

मुझे ऐसी भी आशंका है कि हमारे बीच अच्छे सम्बन्धों को खराब करने के लिए कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है। कुछ पश्चिमी राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं और अपना खाद्यान्न भेजना चाहते हैं। यदि हम संकट के इस समय में उनकी मदद नहीं कर सके, तो यह न केवल बहुत अनुचित होगा, बल्कि इससे हमारा बहुत नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दोपहर के भोजन के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे पुनः समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विशेष न्यायालय विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विशेष न्यायालय विधेयक में संशोधनों पर विचार आरंभ करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कल मैं व्यवस्था के प्रश्न के लिए खड़ा हुआ था (**व्यवधान**)। मैंने प्रक्रिया नियमों के नियम 100, 101 तथा 102 के साथ पठित अनुच्छेद 143 और 108 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। व्यवस्था के इस प्रश्न को उठाने का मेरा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि यह महत्वपूर्ण विधान, हमारे देश के

प्रजातंत्र के लिए आवश्यक विधान, शीघ्र पास हो जाये, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि स्वतंत्र भारत के सर्वाधिक काले दिवस, 25 जून से बहुत पहले, जल्दी से जल्दी विशेष न्यायालय स्थापित हो जाये और यदि विशेष न्यायालय 25 जून, 1979, अगले महीने के अन्त तक स्थापित कर दिये जायें तो वह स्वर्गिक न्याय का कार्य होगा। मुझे विश्वास है कि जिन युवकों, इतने युवा नहीं, को जांच आयोग, शाह आयोग और अन्य आयोग, ने दोषी पाया है और जिनके मन में आपातकाल के दौरान की गयी ज्यादतियों को लेकर अपराध-भावना है, उन्होंने नयी दिल्ली में, नयी दिल्ली के कुछ भागों में फिर हिंसात्मक कार्यवाही की है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं उसकी व्याख्या नहीं करता, कल ही इस पर चर्चा की गयी थी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मैंने गृह मंत्री महोदय द्वारा प्रस्ताव को विचार के लिए प्रस्तुत किये जाने की प्रतीक्षा की। इसके पहले भी मेरे मन में व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का विचार था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की प्रतीक्षा करूंगा क्योंकि राज्य सभा द्वारा पास किये गये और इस सभा द्वारा विचार के लिए अनुशंसित किये गये इन संशोधनों के बारे में सरकार की धारणा का अब मुझे संकेत मिल गया है।

अब तक हमने यह कार्यवाही की है। लोक सभा ने यह विधेयक 9 मार्च को पास किया और इसमें दूसरी सभा को भेज दिया। ग्रीष्मकालीन अवकाश, पता नहीं आप उसे क्या कहते हैं, या बसन्त अवकाश के लिए स्थगित होने से पहले उन्होंने इस विधेयक को पास कर दिया और कुछ संशोधनों सहित विधेयक हमारे पास लाया गया। अब सभा के सामने यह प्रश्न है कि वह किस दिशा में जायें और कैसे जायें?

मुझे आशंका है कि राज्य सभा द्वारा स्वीकृत और अब गृह मंत्री द्वारा इस सभा में विचार के लिए प्रस्तुत किये गये संशोधन यदि पूरी तरह स्वीकार कर लिए गये, तो इस सभा या संसद् द्वारा शरारती तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों, प्रजातंत्र विरोधी तत्वों को राज्य सभा द्वारा संशोधित इस विधेयक की वैधता को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक बार जाने का अवसर मिल जायेगा। मैं यह क्यों कह रहा हूं?

भारत के संविधान के खण्ड (1), अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सरकार ने विशेष न्यायालय विधेयक के सम्बन्ध में 1978 का संदर्भ व संख्या 1 सर्वोच्च न्यायालय को भेजा—मैं सलाहकारी अभिमत के पाठ से उद्धरण दे रहा हूं, जो मेरे पास है। सरकार ने उसे सर्वोच्च न्यायालय को पिछले वर्ष भेजा था और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सलाहकारी अभिमत 1 दिसम्बर, 1978 को दिया। निर्णय को विस्तार में पढ़कर मैं सभा के धैर्य को समाप्त करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सलाहकारी अभिमत का अन्तिम पृष्ठ, अन्तिम पैरा, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसकी दृष्टि से बहुत प्रासंगिक, बहुत महत्वपूर्ण और उचित है।

सलाहकारी अभिमत के अन्तिम अंश में यह कहा गया है:

"विधेयक के खण्ड 4, उपखण्ड (2) में दिया गया वर्गीकरण · · ·।"

—जैसाकि यह उस समय था। विधेयक जब सभा के सामने आया तो वह खण्ड-5 बन गया। जिस रूप में वह खण्ड सभा के सामने आया और राज्य सभा में भी गया उसे मैं पढ़ रहा हूं। इसमें अब राज्य सभा ने संशोधन कर दिया है।

खण्ड 5(1) का पाठ इस प्रकार है :

"यदि केन्द्रीय की यह राय है कि · · ·

—इस विधेयक की—

"उद्देश्यिता में उल्लिखित अवधि के दौरान भारत में किसी ऊंचे सार्वजनिक या राजनैतिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा किये गए अभिकथित किसी अपराध के किये जाने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है और इसकी उद्देश्यिका में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार उक्त अपराध को इस अधिनियम के अधीन निपटाया जाना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें उसकी ऐसी राय है, इस भाव की घोषणा करेगी।"

इस खण्ड के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसे मैं उद्धृत करता हूं :–

"विधेयक के खण्ड 4, उपखण्ड (1) में जिस वर्गीकरण की व्यवस्था की है, उस सीमा तक वह वैध हैं— वैध है शब्दों की ओर ध्यान दें— · · · ·।"

—में जानबूझ कर और एक निश्चित उद्देश्य से धीरे-धीरे पढ़ रहा हूं ताकि जो लोग सुनना चाहते हैं, वे ध्यान से सुन सकें—

"भारत में किसी ऊंचे सार्वजनिक या राजनैनिक पद को धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा आपातकाल के दौरान किये गये अभिकथित अपराधों के बारे में घोषणा करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है · · · ·।"

—अब उस अभिमत का सार और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश आता—

" · · · आपातस्थिति की घोषणा के पूर्व जिन व्यक्तियों ने तथाकथित अपराध किये हैं, उन्हें नहीं · · ·।"

—मैं दोहराता हूँ, उन्हें नहीं—

" · · · वैधता उन व्यक्तियों के लिए रहेगी, जिन्होंने आपातकाल के दौरान तथाकथित अपराध किये हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों ने 27 फरवरी, 1975 से जून, 1975 के बीच तथाकथित अपराध किये हैं उनके बारे में केन्द्रीय सरकार विधेयक के खण्ड 4, उपखण्ड (1) के अधीन घोषणा करने में सक्षम नहीं है।"

उस थोड़ी अवधि अर्थात् 27 फरवरी, 1975 से जून, 1975 की अवधि, जो मेरे माननीय मित्र और साथी के विधेयक में उल्लिखित की गई है, मैं जिन लोगों ने अपराध किये हैं, उन पर इस विधेयक, जो विधेयक सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया, के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने यह कहा कि इस विधेयक के अन्तर्गत केवल उन लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिन्होंने आपातकाल अर्थात् जून 1975 से उस समय तक जब तक आपात स्थिति रही, के बीच अयराध किये।

राज्य सभा ने क्या किया है ? दुर्भाग्य से राज्य सभा ने क्या किया है ? राज्य सभा की विशेष बनावट की वजह से हमें हर बार उसके सामने झुकना पड़ता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : क्या विशेष स्थिति है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अनादर के अर्थ में ऐसा नहीं कह रहा हूँ। युवा व्यक्ति होने के नाते उन्होंने पहले शब्द को पकड़ लिया। मेरा आशय उसकी उपयुक्तता या संविधानसम्मतता से नहीं है।

महोदय आपको यह याद होगा कि गतवर्ष इस सभा को राज्य सभा के सामने झुकना पड़ा और संविधान संशोधन विधेयक जिस रूप में राज्य सभा से आया, उसे उस रूप में पास करना पड़ा। अब दूसरी बार हमारे सामने वही स्थिति आ गई है। मुझे डर है कि यदि ये संशोधन इस सभा द्वारा स्वीकार कर लिये गये तो सरकार विपत्तियों और संवैधानिक उलझन में पड़ जायेगी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अभिमत सपष्ट और निश्चित है और उनमें कोई संदिग्धता नहीं है। राज्य सभा ने जो पांच संशोधन किये हैं, मैं उनमें से दो का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा—उद्देशिका में संशोधन संख्या-1, और संशोधन संख्या-4।

संशोधन संख्या–1 का पाठ क्या है ?

"और जबकि सभी अधिकार एक न्यास हैं, और ऊंचे सार्वजनिक या राजनैतिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए उन सभी मामलों में जवाबदेह हैं जहां जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जांच आयोग नियुक्त किया गया है अथवा सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से की गई जांच से उन धारकों द्वारा किये गये अपराध प्रकट होते हों।"

इसके पीछे जो भावना है, मैं उसके विपरीत नहीं हूं। लेकिन इस सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार या यही प्रश्न उठाया था कि उसे इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, माननीय गृह मंत्री ने यह कहते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया, "यह विधेयक के क्षेत्र के बाहर है। इसे विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए है, आपातकालीन अपराधों के लिए है। इसे हम इस विधेयक में सम्मिलित नहीं कर सकते।" यदि मेरी यादाश्त सही है, तो उन्होंने यही कहा था।

अब सरकार ने राज्य सभा के संशोधन को स्वीकार कर लिया है, उसके कारण उनको ही मालूम हैं। लोक सभा में स्थिति को स्पष्ट करने के बाद सरकार ने राज्य सभा में संशोधन को स्वीकार कर लिया। संशोधन की शब्दावली को आपने देखा। यह संशोधन सर्वकालिक है। इसमें भूतकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है— "अपराध प्रकट करते हैं।" मूल विधेयक में "अपराध प्रकट किये हों" शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसका मतलब है "अतीतकाल में"। राज्यसभा द्वारा स्वीकार किये गये संशोधन में "अपराध प्रकट करते हों" कहा गया है। पता नहीं यह वर्तमान समय के लिये है या भविष्य के लिए, अतीत के लिए नहीं है। इसमें "प्रकट करते हों" कहा गया है "प्रकट किये गये हों" नहीं। उस सीमा तक यह अस्पष्ट है। पता नहीं मेरे माननीय मित्र का क्या आशय है ? मंत्री महोदय ने राज्य सभा में इस विधेयक को स्वीकार कर लिया। वह इसको सपष्ट करें।

मैं विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों को मनोनीत करने से सम्बन्धित दो संशोधनों के विरुद्ध नहीं हूं। वे इसे नहीं बदलते। इसके अलावा संशोधन संख्या 3 है जो बहुत गंभीर संशोधन है जो वर्तमान विधेयक के लिए अधिक अहितकर है। उसमें कहा गया है :

"कि पृष्ट 2, पंक्ति 34, पर "उद्देशियका में उल्लिखित अवधि के दौरान" शब्दों को निकाल दिया जाए।"

यदि इसे विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया तो पूरा विधेयक गड्ड-मड्ड हो जाएगा, क्योंकि उद्देशिका के पहले पैरा में एक विशेष अवधि का ही उल्लेख किया गया है। वह अप्रभावित है। इसके बाद अचानक यह बात ले आई गयी है। उद्देशिका में एक संशोधन किया गया है। चौथे पैरा के बाद जांच आयोगों के बारे में एक सार्वजिक संशोधन किया है जो संभवतः भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में है। लेकिन इससे भी अधिक गंभीर संशोधन जिसके विषय में हम सबको चिन्तित होना चाहिए वह खण्ड 5 में संशोधन है। वर्तमान रूप में खण्ड 5 का पाठ इस प्रकार है :

> "यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उद्देशिका में उल्लिखित अवधि के दौरान ······ किसी व्यक्ति द्वारा किये गये अभिकथित अपराध के किये जाने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है ······ ।"

संशोधन में यह कहा गया है कि "उद्द्शियका में उल्लिखित अवधि के दौरान" शब्दों को निकाल दिया जाए। इसे स्वीकार करने से हमारी क्या स्थिति होगी? खण्ड में कहा गया है "ऊंचे सार्वजनिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा ·······।" कब, कहां और कैसे? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य में किसी भी समय।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उद्देशियका अभी भी हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : लेकिन यहां हम क्या करें? क्या उसे भी निकाल दिया गया है? उसे नहीं निकाला गया। उद्देशियका रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी यह कहा, उद्देशिका रहेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, आप मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं आपके हस्तक्षेप के लिए आभारी हूँ। वही उद्द्शियका रहेगी जिसमें आपातकाल की अवधि के लिए सरकार की कार्य-वाही को सीमित किया गया है। क्या एसा नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में इस वाक्य के निकाल देने से क्या विधेयक पर असर पड़ा है!

श्री हरि विष्णु कामत : हां, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अभिमत के कारण वह सक्षम नहीं है। कोई व्यक्ति इस विधेयक की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है— मैं "दे सकता है" कह रहा हूँ, 'देगा' नहीं कह रहा हूं। इन दो संशोधनों ने विधेयक के चरित्र, स्वरूप और आशय को ही नया अर्थ दे दिया है। इसलिए यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किये विधेयक से भिन्न है। राज्य सभा द्वारा संशोधित किया गया यह विधेयक सभा में लाये गये पहले विधेयक से भिन्न है · · ·

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : सभा को इस विधान को पास करने का अधिकार है।

श्री हरि विष्णु कामत : सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सभा को इस विधान को पास करने का अधिकार है।

कानून तथा संविधान के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है। लेकिन, फिर भी मुझे आशंका है कि यदि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया—मै ले जाया जा सकता है

कह रहा हूँ, ले जाया जायेगा नहीं—तो वह उसे अवैध ठहरा सकता है और वह लम्बी कार्यवाही के कारण महीनों तक पड़ा रहेगा···(**व्यवधान**) इसलिए, मैं सरकार और इस सभा—दायें, बांये, केन्द्र से— आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें।

राज्य सभा द्वारा स्वीकार किये गये संशोधनों को यदि हम स्वीकार न करें तो हमारी क्या स्थिति होगी ? इस स्थान पर नियम 100, 101 और 102 लागू होते है···

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें आप इस विधेयक पर बोलते समय कह सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बारे में पहले निर्णय कर लिया जाना चाहिए। सरकार सभा में यह स्पष्ट करे कि क्या वह इन संशोधनों को सभा द्वारा स्वीकार किये जाने पर जोर देती है क्योंकि कुछ सदस्यों, लगभग हम सभी सदस्यों का मतदान सरकार के रवैये पर निर्भर रहेगा।

संविधान संशोधन विधेयक के विपरीत संविधान के अनुच्छेद 108 के अन्तर्गत लोक सभा राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। पिछले वर्ष संविधान संशोधन विधेयक को हमें चाहे-अनचाहे स्वीकार करना पड़ा—अनचाहे रूप में ही ज्यादा। अन्यथा वह चवालीसवां संविधान संशोधन विधेयक गिर जाता। विधि मंत्री यहाँ हैं, वह भी उस पर अप्रसन्न थे। लेकिन हमें उसे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन सामान्य विधेयक के मामले में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है। यहां नियम 100, 101 और 102 लागू होते हैं। इन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि आप एक संशोधन या संशोधनों को स्वीकार कर सकते हैं। कृपया नियम पढ़िए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही पढ़ चुका हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें अलग-अलग या इकट्ठा करके प्रयोग किया जा सकता है : नियम 100 में यह कहा गया है :

"(1) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधन पर विचार किया जाये, स्वीकृत हो जाये, तो अध्यक्ष ऐसे संशोधन को सभा के सामने ऐसी रीति से रखेगा जिसे वह उस पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझे।

(2) राज्य सभा द्वारा किये गए संशोधन के विषय से संगत कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किये गये किसी संशोधन से अनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।"

नियम 101 का पाठ इस प्रकार है :

"सभा, यदि वह राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन से सहमत हो, तो राज्य सभा को उस संबन्ध का संशोधन भेजेगी, किन्तु यदि वह तुरत संशोधन से असहमत हो या कोई अग्रेतर संशोधन अथवा वैकल्पिक संशोधन प्रस्थापित करे तो सभा विधेयक को या अग्रेतर संशोधित रूप में विधेयक को इस आशय के एक संदेश के साथ राज्य सभा को लौटा देगी।"

अन्तिम बहुत महत्वपूर्ण है । नियम 102 का पाठ इस प्रकार है :

> "यदि विधेयक सभा को इस संदेश के साथ लौटा दिया जाये कि राज्य सभा उस संशोधन या उन संशोधनों पर आग्रह करती है..."

क्योंकि यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम दो संशोधनों को स्वीकार कर लें और अन्य दो संशोधनों को स्वीकार न करें ।

> "...इस संदेश के साथ लौटा दिया जाये कि राज्य सभा उस संशोधन या उन संशोधनों पर आग्रह करती है, जिनसे सभा असहमत है, तो यह समझा जायेगा कि संशोधन या संशोधनों के बारे में दोनों सदन, अन्तिम रूप से असहमत हो गये हैं ।"

इस अवस्था में अनुच्छेद 108 लागू होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त अधिवेशन । लेकिन व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को ही स्पष्ट कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह चाहता हूँ कि यह स्पष्ट किया जाये कि यह विधेयक सभा द्वारा स्वीकार किये गये विधेयक से भिन्न है । मैं चाहता हूँ कि यह स्पष्ट किया जाये कि राज्य सभा के संशोधनों सहित लाया गया यह विधेयक मार्च में सभा द्वारा पास किये गये विधेयक से भिन्न है । यदि ऐसा है तो क्या सरकार विधेयक को पास कराने के लिए सभाओं की संयुक्त बैठक के विरुद्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात बाद में आती है । यह केवल प्रक्रिया का मामला है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हम यह जानना चाहते हैं कि यह संशोधित विधेयक है या नया विधेयक है ।

श्री हरि विष्णु कामत : संयुक्त बैठक के मामले को बाद में लिया जा सकता है ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : होशंगाबाद के माननीय सदस्य ने वर्तमान विधेयक में दूसरी सभा द्वारा किये दो संशोधनों की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित किया है—अर्थात् संशोधन संख्या 1 और संशोधन संख्या 3 । एक संशोधन द्वारा उद्देशिका में परिवर्तन किया गया है और दूसरे के द्वारा खण्ड 5 में से एक खण्ड विशेष को निकाल दिया गया है अर्थात् उद्देशिका में उल्लिखित अवधि के दौरान अर्थात् आपातकालीन अवधि । माननीय सदस्य ने यह संदेह भी व्यक्त किया है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस विधेयक को ठीक बताया था जिस पर उसने विचार किया था, और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस विधेयक का अनुमोदन किया था और यह परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसलिए इस विधेयक की वैधता और संविधान सम्मतता संदिग्ध रहेगी । इन दो संशोधनों को लेकर सरकार के रवैये के बारे में भी उन्होंने पूछा है ।

सरकार के रवैये का जहां तक संबंध है, ये दो संशोधन विशेष सरकार ने दूसरी सभा में स्वीकार कर लिए हैं । इसलिए दूसरी सभा में सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उसे ध्यान में रखते हुए, सरकार अपने रवैये पर कायम रहेगी और अब इस सभा में भी इन संशोधनों को स्वीकार करेगी और इन दो संशोधनों को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलायेगी ।

होशंगाबाद के माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये संदेहों का जहां तक संबंध है, मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन से विधेयक में सुधार हुआ है और वह इस रूप में कि बहुमत ने यद्यपि वर्गीकरण को स्वीकार किया है, यहां तक कि ऊंचे सार्वजनिक पदों पर आसीन अपराधियों को दो उपखण्डों में भी वर्गीकृत किया है अर्थात् जिन्होंने आपातकालीन अवधि में अपराध किये और उच्च पदों पर आसीन वे व्यक्ति जिन्होंने आपातकालीन अवधि से अलग किसी अन्य अवधि में अपराध किये हों, लेकिन उन्होंने इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि अलग-अलग वर्ग हैं। पहला वर्गीकरण उन लोगों को लेकर है जो उच्च पदों पर होते हैं और अपराध करते हैं और दूसरे वे जो उच्च पदों पर नहीं हैं और अपराध करते हैं। इस वर्गीकरण का जहां तक संबंध है, इसकी युक्तियुक्तता को न केवल सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, बल्कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने भी स्वीकार किया है। वास्तव में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस आशय के कुछ विचार व्यक्त किये हैं कि यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है अर्थात् इसमें संदेह है कि और आगे वर्गीकरण संवैधानिक दृष्टि से मान्य है या नहीं क्योंकि ऐसा उन्होंने अपने अभिमत के पृष्ठ 7 और 8 पर विशेष रूप से कहा है। उन्होंने यह कहा है कि उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति आपातकालीन अवधि में अपराध करते हैं या आपातकालीन अवधि से अलग किसी दूसरी अवधि में अपराध करते हैं, इससे क्या अन्तर पड़ता है। . . . (**व्यवधान**) व्यक्तियों का वर्ग स्थापित करने के बाद—ऊंचे सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह मत व्यक्त किया कि हो सकता है कि और आगे उपवर्गीकरण वांछित, उचित और यहां तक कि संविधानसम्मत न हो और कहा कि हो सकता है कि यह असंवैधानिकता के बहुत समीप हो। इसलिए उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि आपातकालीन अवधि में और आपातकालीन अवधि के बाद उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों के मामले में विशेष न्यायालय की वही तीव्र प्रक्रिया मान्य होनी चाहिए और लागू होनी चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्हें बाद में विचार करने आदि पर संदेह है, तो भी उन्होंने अनुभव किया कि उपवर्गीकरण का भी औचित्य हो सकता है और इस आधार पर उपवर्गीकरण को अवैध नहीं ठहरायेंगे।

ऐसा लगता है कि जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया, उन्हें यह सूत्र न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के निर्णय से मिला और कहा "ठीक है। एक जैसे अधिकार प्राप्त, उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा आपातकाल या आपातकाल के पश्चात किये गये अपराधों के लिए समान प्रक्रिया क्यों न लागू की जाये।" इसे स्वीकार कर लिया गया। ऐसा उद्देश्यिका में संशोधन में कुछ जोड़ कर और इसके बाद "उद्देश्यिका में उल्लिखित अवधि के दौरान" शब्दों को निकाल कर किया गया। सरकार ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया और कहा, "ठीक है, विशेष न्यायालय संबंधी इस विधेयक की परिधि को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी सभा में यह रवैया अपनाने के बाद सरकार उससे पीछे नहीं हट रही है और उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह अलग बात है कि इस अतिरिक्त उद्देशियका के जोड़े जाने और इन शब्दों के निकाल दिये जाने की व्याख्या का यह निष्कर्ष निकलेगा ही या सारांश में विधेयक अछूता रहेगा। इस बारे में विवाद हो सकता है। यदि एक विचार रखा जाये, तो खण्ड 5 में से शब्दों के निकाले जाने और एक अन्य उद्देश्यिका के जोड़े जाने के बाद भी पुरानी स्थिति बनी रहती है। उस उद्देश्यिका में इस प्रकार का उल्लेख अभी भी है। उद्देश्यिका में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार खण्ड 5 में से इन शब्दों के निकाल दिये जाने के बाद यह स्थिति रहती है कि इसमें आपातकाल के दौरान किये गये अपराधों की बात कही गयी है। यह संभव विचार हो

सकता है। यदि यह विचार लिया जाये, तो मूल विधेयक बना रहता है। दूसरी ओर इस संशोधन के बाद यदि यह विचार बनाया जाता है कि आपातकाल के दौरान उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों तक सीमित नहीं है, तो यह उन अपराधों पर भी लागू होंगे जो आपातकाल से अलग किसी दूसरी अवधि के दौरान किये गये हैं और इस प्रकार विशेष न्यायलयों की प्रक्रिया फिर भी लागू होगी। कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहां तक इस वर्गीकरण का संबंध है · · · · **(व्यवधान)**

श्री हरि विष्णु कामत : इस बारे में आप क्या करेंगे ? सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह सक्षम नहीं है---सरकार सक्षम नहीं है।

श्री शांति भूषण : नहीं, नहीं। ऐसी भाषा है। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है। मान लीजिए सब के द्वारा किये गये अपराधों के लिए विशेष न्यायालय वही प्रक्रिया अपनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यह नहीं कहता कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इस मामले में कोई वर्गीकरण नहीं होता और बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यहां तक कि इस अवधि के बाहर सामान्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराध सामान्य न्यायालयों में जायेंगे। लेकिन उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों को विशेष न्यायालयों में न ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उच्च पदों पर आसीन लोगों की शीघ्र विचारण की आवश्यकता है। उस मामले में इस वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया गया है। यह इसकी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपवर्गीकरण को भी स्वीकार कर लिया है अर्थात् उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों में से वे व्यक्ति जिन्होंने आपातकाल के दौरान अपराध किये हैं और दूसरे वे जिन्होंने आपातकाल से अलग किसी दूसरी अवधि में अपराध किये। वे इस वर्गीकरण को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन संविधान इस वर्गीकरण को आवश्यक नहीं बताता। विभिन्न खण्डों को आप एक जैसा मान सकते हैं और उसी प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह कह कर इस उपवर्गीकरण पर आपत्ति की है "उच्च सार्वजनिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति आपातकाल के दौरान किसी की हत्या करता है या आपातकाल से अलग किसी दूसरी अवधि में हत्या करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। दोनों ही मामलों में जिस बात का महत्व है, वह है शीघ्र मुकदमा। मेरे विचार में न्यायालय द्वारा यह कहे जाने का तनक भी जोखिम नहीं हैं कि चुंकि हम दोनों खण्डों को हम एक ही प्रक्रिया में ले आये हैं, इसलिए इसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी असंवैधानिकता निहित नहीं है। इसलिए सरकार का रवैया यह है कि दूसरी सभा में इन संशोधनों को स्वीकार कर लेने के बाद, सरकार ने इन संशोधनों को यहां स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत और विधि मंत्री को सुन लेने के बाद मेरा यह विचार बनता है कि श्री कामत कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे, और यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से उसका पूरा स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, उद्देश्यिका में यह आपातकालीन अवधि से आंरभ होता है और खण्ड 5 में, उन्होंने उन शब्दों को निकाल दिया है। लेकिन उद्देश्यिका में भी आपातकालीन अवधि है। इसलिए मेरे विचार से सरकार उद्देश्यिका से शासित होगी। वह उससे बच नहीं सकती।

इस प्रकार मेरे विचार में संशोधन में बहुत अन्तर नहीं है, उन्होंने विधेयक में किसी रूप में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए हम विधेयक पर आगे कार्यवाही शुरू करें।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे आपका अभिमत मिल गया है। अगर मुझे सही स्मरण भारती के मामले में, जब उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया, तो न्यायालय आता है, तो केशवानन्द ने यह मत व्यक्त किया था—विधि मंत्री मेरे वक्तव्य में संशोधन कर सकते हैं—कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह बात न्यायालय पर ही छोड़ देनी चाहिये। अब, मैं श्री पी० शिवशंकर से भाषण देने के लिये कहता हूं।

श्री पी० शिव शंकर (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विशिष्ट विधेयक का प्रारूप सर्वाधिक गलत तरीके से तैयार किया गया है और संशोधनों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है।

विधि मंत्री ने अभी-अभी सदन में निवेदन किया कि दूसरे सदन में संशोधन पेश करने वाले व्यक्तियों की इच्छा यह थी कि अपराधियों की अवधि केवल आपातस्थिति तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, परन्तु उसमें उससे पहले की अवधि भी शामिल की जानी चाहिए और इस स्थिति को सरकार ने स्वीकार कर लिया। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने बहुत उचित रूप में इसे स्वीकार किया है। अगर ऐसा है, तो क्या सरकार के लिए यह उचित नहीं था कि अगर संशोधन की शब्दावली कुछ अनुचित थी, तो उसे किसी अन्य संशोधन या कुछ अन्य शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय जिससे आशय स्पष्ट हो सके। जब कि विधि मंत्री ने बहुत उचित रूप में बताया कि आशय केवल आपातकालीन अपराधों को ही शामिल करने का नहीं था, बल्कि पहले के अपराधों को भी शामिल करने का था। जब उसकी शब्दावली और वाक्य गठन का प्रश्न आता है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि संदेह के लिए गुंजाइश है और मेरे विचार में, यह स्पष्ट दिखाई देता है मानो अपराध केवल आपातस्थिति तक ही समिति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही वजह है कि मैंने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : यही कारण है कि मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार का व्यवहार बहुत ही अनुचित रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर उन सदस्यों को जो दूसरे सदन में संशोधन करना चाहते थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

श्री पी० शिव शंकर : वह एक अलग मुद्दा है। हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

संशोधन के कारण खण्ड 5 में यह व्यवस्था है कि "अब तक प्रस्तावना में उल्लिखित अवधि के दौरान" शब्दों को हटा दिया जाय। सम्भवतः यह सोचा गया था कि अवधि के बारे में इस विशिष्ट शब्द-समूह को हटाने से लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। अब, मैं शब्द-समूह को बिना हटाये खण्ड को पढ़ रहा हूं और अपना निवेदन करता हूं :

> "अगर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्रस्तावना में उल्लिखित अवधि के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किये जाने के लिये प्रथमदृष्टया साक्ष्य हो, जो भारत में उच्च सार्वजनिक या राजनैतिक पद पर रहा हो और यह कि प्रस्तावना में उल्लिखित मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार · · ·"

पुनः, अब तक की प्रस्तावना में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में उल्लेख है, कथित अपराध के बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर आप मार्गदर्शी सिद्धान्तों की ओर देखें, तो सबसे पहला मार्गदर्शी सिद्धान्त आपातकालीन स्थिति के बारे में है। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि स्थिति यह है कि सरकार ने, अफसोस की बात है कि राज्य सभा को गुमराह किया है और यह कहकर इस सदन को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

इसलिये, इसे अधिक विवाद-ग्रस्त क्यों बनाया जाय। क्या यह सदन का दायित्व नहीं है कि अगर इसे अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता है, तो इसे स्पष्ट किया जाय? जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह मेरा निवेदन है। अगर आप विधेयक का अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है। हालांकि विधि मन्त्री और गृह मन्त्री ने अपना आशय स्पष्ट कर दिया है कि संशोधन के कारण आपातस्थिति से पहले के अपराध भी क्षेत्राधिकार में आ गये हैं, परन्तु इस आशय को विधेयक में कतई स्पष्ट नहीं किया गया है। सारे विधेयक बुरे विधेयक के रूप में अस्वीकार किया जाना है। अन्य संशोधन, जो महत्वपूर्ण है वह यह है। खण्ड (1) प्रस्तावना के संशोधन के बारे में है। दूसरा संशोधन खण्ड 5 में शब्दों को हटाने के बारे में है। अन्य संशोधन, जो महत्वपूर्ण है, विधेयक के खण्ड 3 के बारे में है, जो सेवारत न्यायाधीश के बारे में है। इसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायाधीश को मनोनीति करेगा और ऐसा न्यायाधीश सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। यहां, विशेष न्यायालय विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अधीन अपनी राय देते हुए न्यायाधीश श्री शिंगल ने जो कुछ कहा, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा है और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "अगर, यह उचित अथवा स्वीकार्य नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के एक पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय, जिसका स्तर उच्च न्यायालय से कम है।
>
> इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि उच्च न्यायालयों के "सेवारत" न्यायाधीश विशेष न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीशों के रूप में काम करने से इंकार कर देंगे और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा सके या आदेश दिया जा सके।
>
> ऐसी सम्भावना विधेयक के उपबन्धों को निष्क्रिय कर देगी—अगर तर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि अन्यथा वे वैध और संवैधानिक हैं।
>
> कुछ भी हो, इस बात की वास्तविक सम्भावना है कि उच्च न्यायालय का "सेवारत" न्यायाधीश विशेष न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत न हों और उनकी अस्वीकृति से न्यायिक प्रशासन परेशानी में पड़ जायेगा और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी घट जायेगी।"

मैंने केवल यह दर्शाने के लिए इसे पढ़ा है कि विधेयक के अधीन विशेष न्यायालयों को उच्च न्यायालय के समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता और इसी संदर्भ में न्यायालयों के

संवैधानिक ढांचे का अध्ययन करते हुए न्यायाधीश श्री शिंगल ने विशेष न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में अपनी स्वीकृति देने के संदर्भ में अपना मत व्यक्त किया था। अब, वस्तुतः, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह स्थिति है और अगर एक या दो या कुछ न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पद स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो अफसोस की बात है कि यह होता है। दुर्भाग्य की बात है कि इससे यह धारणा बनती है, जिसके बारे में कल विपक्षी नेता ने आशंका व्यक्त की थी। मैं उन अभिमतों को दुहराना नहीं चाहूंगा, जिन्हें उन्होंने कल बाध्य होकर व्यक्त किया था; इससे निश्चित रूप से न्यायपालिका का उच्च स्तर नीचे आता है। अफसोस की बात है कि यह धारणा इस खण्ड के बारे में बनती है। अब हम एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न केवल एक भिन्न स्तर पर रखती है, बल्कि उससे यह धारणा भी बनती है कि ऐसे पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित होती है। मेरी यह बहुत इच्छा थी कि गृह मन्त्री और विधि मन्त्री, जो एक उत्सुक पाठक हैं श्री खिर्चेमेर द्वारा लिखित पुस्तक "पालिटिकल जस्टिस" नामक पुस्तक पढ़ें। "मैं ट्रायल बाइ फिएट आफ एसक्सेसर रिजाइम" नामक अध्याय आठ से एक छोटे से गद्यांश को उद्धृत करना चाहूंगा।

वह कहते है :—

> "ऐसी कुभियोजन कार्यवाही प्रायः ऐसे महत्वपूर्ण समय पर होती है, जबकि पुराना शासन बदल जाता है और आने वाला शासन उस पर निर्णय करता हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण न्यायालय प्रणाली को पुर्नगठित किया जा सकता है। शासन अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कानूनी पदों पर तैनात करके अपने राजनैतिक बल के विरुद्ध न्यायिक बचाव की अपनी व्यवस्था निर्धारित करती है।"

यह धारणा, जिसे आधार मिलता है, कल विपक्षी नेता द्वारा स्पष्ट की गई थी और मंत्री द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह धारणा स्पष्ट हुई और कम से कम हमें अपने देश की न्यायिक व्यवस्था का स्तर नहीं गिराना चाहिए, जिसकी अपनी एक शानदार प्रतिष्ठा है। मैं इस पहलू का और आगे व्यापक उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश उन दो संशोधनों के कारण स्थिति दुस्ह हो गई है और इनकी वजह से शंका की कुछ गुंजाइश रहती है। इसे पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। मैं विधेयक के बारे में अपना निवेदन करना गाहूंगा। मुझे दुख है कि सरकार ने कानून बनाने के लिए एसा विधेयक प्रस्तुत किया है, जिससे जनता में एक अजीब धारणा बन गई है। अब, जैसा कि बताया गया है, इस विधेयक का पहला उद्देश्य न्यायालयों में काम की भीड़-भाड़ को समाप्त करना है। अब, मेरा यह निवेदन है कि न्यायालयों में जो विलम्ब हो रहा है, उस पर यह पुरस्कार है।

अब दूसरे, यह बताया गया है कि प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप शीघ्र न्याय प्राप्त हो सकेगा। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा सम्भव हो सकेगा ? अब, अगर विधेयक का यह दुहरा उद्देश्य है, तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि विधेयक इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका कारण यह है कि जहां तक काम की भीड़-भाड़ का सम्बन्ध है, इसकी वजह से विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए जाने हैं।

अगर काम की भीड़-भाड़ की बात है तो आप काम की भीड़-भाड़ को समाप्त करने की दृष्टि से कुछ अधिक संख्या में न्यायाधीशों की भर्ती कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समझने की दृष्टि से विधेयक का थोड़ा गहन अध्ययन करना होगा।

अब, स्थिति यह है कि फौजदारी मामले को वापस लेने का और स्वयं ही मुकद्दमे की कार्यवाही चलाने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। अब, जो कुछ हो रहा है वह यह है कि उपबन्धों अर्थात् खण्ड 1 के कारण सभी आदेशों और निर्णय के विरुद्ध कानून और तथ्यों दोनों की वजह से अपील करने की व्यवस्था है। अब, अगर ऐसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु उसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि कोई अन्तवर्ती आदेश पारित किया जाता है तो मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। फिर मामले में विवाद हो सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को तथ्यों का अध्ययन करना होता है। सामान्य रूप में अगर अन्तवर्ती आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएं दी जाती हैं, तो उन्हें प्रवेश स्तर पर ही रद्द किया जा सकता है परन्तु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं होगा। मैं उस प्रश्न का अध्ययन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे विचार में, मामलों के निपटान के लिए इससे अधिक स्वतंत्रता मिलती है, सम्भवतः आवश्यकता से भी अधिक।

इस विधेयक का अभिशाप खण्ड 5 है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण एंग्लो-सैक्सन न्याय-शास्त्र में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जिसमें उप-खण्ड (2) जैसा प्रावधान हो। पहले भी विभिन्न न्यायालय अधिनियम लाये गये थे। मैं उससे इंकार नहीं करता। यह अनवर अली सरकार मामले से ही है। परन्तु अगर आप खण्ड 5 को देखें, तो उससे पता चलता है कि किसी विशिष्ट मामले में घोषणा की जाय या नहीं, इस बारे में राय बनाने का पूर्ण विकल्प केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। यही सारे मामले का अभिशाप है, इसी की वजह से इसे काला कानून कहा जाता है। अगर हमें यह कहना हो, देखिए यह अपराध है और अगर यह अपराध किया जाता है तो इसे सीधे ही इस न्यायालय को सौंप दिया जाएगा, तब तो यह पूर्णतः ठीक है। परन्तु जब मामला निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है और घोषणा करने से पूर्व सरकार की राय बननी जरूरी है, तो मामला संदेहास्पद हो जाता है। अब, दो मामले हो सकते हैं; एक मामले में उच्च सार्वजनिक और राजनैतिक पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक मामूली सा अपराध किया गया है और एक अन्य मामले में उसी हैसियत के एक अन्य व्यक्ति द्वारा बड़ा अपराध किया जा सकता है। यह घोषित करना और यह निर्णय करना केन्द्रीय सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि कौन से मामले को न्यायालय को भेजा जाये। ऐसा हो सकता है कि वे उस मामले को न्यायालय को सौंप सकते हैं, जिसमें मामूली अपराध किया गया है और उस मामले को वे न सौंपे, जिसमें बड़ा अपराध किया गया है। यह बात सम्पूर्ण विधेयक का अभिशाप है। इस प्रकार एक ऐसी धारणा बन रही है कि यह एक ऐसा मामला है जिसे कोई भी व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों के राजनैतिक उन्मूलन की संज्ञा दे सकता है। यही बात है, जो सम्भवतः पाकिस्तान में हुई है और यही सब कुछ श्रीलंका में हो रहा है। यह धारणा मजबूत होती जा रही है और यही बात है जिसकी वजह से मैं यह कह रहा हूँ कि यह एक काला कानून है।

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, विशेष न्यायालय विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गए परिवर्तन सर्वाधिक स्वागतयोग्य हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने पहले यहां उनका स्वागत क्यों नहीं किया ?

श्री जगन्नाथ शर्मा : ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके साथ ही उनके दूरगामी परिणाम होंगे। संशोधनों की वजह से विधेयक एक तदर्थ कानून के बजाय एक स्थायी कानून बन गया है। वे व्यक्ति जिनकी यह गलत धारणा थी कि यह विधेयक उन व्यक्तियों के विरुद्ध बदले का एक माध्यम हो सकता है, जो उच्च पदों पर आसीन थे, श्रीमती इन्दिरा गान्धी भी इसका स्वागत करेंगी। विधेयक के क्षेत्राधिकार को व्यापक बना दिया गया है और अब यह उन सभी अपराधों पर लागू होता है, जो आपातस्थिति के पहले या आपातस्थिति के बाद किये गए हों।

मेरे विद्वान मित्र, जो मुझ से पहले अभी-अभी बोले थे, यह कहा था कि विधेयक के दायरे को अब पुनः उसी रूप में संकुचित हो गया है, जिस रूप में इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। अगर यह सच भी हो, तो भी विधेयक के उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राय के बावजूद, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को उच्चतम न्यायालय जाने से नहीं रोक सकता। प्रत्येक मामले में उद्देश्य की पूर्ति होगी।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस विधेयक में किया गया है, न्यायाधीश के चयन के बारे में है। जिस उच्च न्यायालय में मामला दायर किया जाना होता था, उसके मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, पहले भी निश्चित रूप से, भारत सरकार द्वारा चयन किया जाता था। अब विशेष न्यायालय का न्यायाधीश उच्च-न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किया जायेगा

मैंने सोचा था कि इन संशोधनों से संभावित आपत्तियों का समाधान हो जायगा; परन्तु कल विपक्षी नेता के भाषण को सुनकर मुझे दुख हुआ—वह एक प्रसिद्ध वकील हैं, और एक योग्य सांसद हैं, परन्तु अफसोस की बात है कि वह इस समय संसद् में नहीं हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप विपक्षी नेता के बारे में और उस मुद्दे के बारे में सोमवार को चर्चा कर सकते हैं, जबकि हम इस विधेयक पर आगे बहस जारी रखेंगे।

अब हम गैर-सरकारी सदस्यों को कार्य को लेते हैं। श्री विनोद भाई सेठ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

33वां प्रतिवेदन

श्री विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूँ। सदन के समक्ष प्रस्ताव यह है " कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।" इस प्रतिवेदन का सार (कर्नेल-गिरी) क्या है ? इस प्रतिवेदन का मुख्य सारांश यह है। (**व्यवधान**) मैं छिलका नहीं लेता। मेरे पास तेतीसवां प्रतिवेदन है । इसमें कहा गया है :

> "समिति नोट करती है कि श्रेणी 'क' के 14 विधेयक पहले ही विचार के लिए अनिर्णीत पड़े हैं।"

मैंने अपने विधेयक के श्रेणी-निर्धारण के लिए समिति से अनुरोध किया था और उन्होंने इसे करों का अस्थायी समाहरण (संशोधन) विधेयक, 1979 नाम दिया है । मैं इसे संक्षेप में मुखबन्ध विरोधी विधेयक कहूँगा और मैंने समिति से इसे श्रेणी 'क' के रूप में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया था। परन्तु, समिति · · · (**व्यवधान**) मैं किसी पर भी दबाव नहीं डाल रहा। मैं समिति से अनुरोध कर रहा हूँ। मैं राजी करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं राजी करने में सफल नहीं रहता, तो मुझे दुःख होगा। ईश्वर मेरी मदद करे। मैंने समिति से अनुरोध किया था कि मेरे विधेयक को श्रेणी 'क' के विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने के प्रश्न पर समिति विचार करे। क्यों ? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सतीश अग्रवाल ने वित्त विधेयक पर बहस के दौरान और पहले यह अभिमत व्यक्त किये हैं, जैसे ही इस पर भयावह मुखबन्ध नजदीक आता है। मैं लोक सभा वाद-विवाद से उद्धरण दे रहा हूं। मुखबन्ध के विरुद्ध यह संघर्ष 8 मार्च को प्रारम्भ हुआ था—सर्वाधिक दूषित और बुरा मुखबन्ध है जो सदन को मजाक का एक पात्र बना देता है। अनेक मंत्रालयों के बारे में मुखबन्ध अपनाया गया है। मंत्री प्रसन्न हैं; परन्तु हम कतई प्रसुन्न नहीं हैं। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था, तो अध्यक्ष महोदय ने 8 मार्च को इस पर निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया था :

> "जब तक अधिनियम (अर्थात् करों का अस्थायी समाहरण अधिनियम, 1939, जिसे 1964 में संशोधित किया गया था) में संशोधन नहीं होता, आप अवधि को 75 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन नहीं कर सकते।"

अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई और 19 मार्च को मैंने विधेयक का नोटिस दिया और इसे 20 अप्रैल को कुछ सप्ताह पहले ही सदन में पुरःस्थापित किया। इसे करों का अस्थायी समाहरण (संशोधन) विधेयक, 1978 कहते हैं · · · (**व्यवधान**) सदन के और संविधान के कार्यकरण के लिए यह महत्वपूर्ण है। अन्यथा सदन अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में असफल रहेगा; और उस सीमा तक सदन अपने दायित्व की गम्भीर अवहेलना का दोषी रहेगा। यही कारण है कि मैंने विधेयक को पुरःस्थापित किया। विधेयक को पुरःस्थापित करने के अगले दिन मैंने समिति को, आपको पत्र लिखा कि इसे श्रेणी 'क' में रखने की कृपा करें, क्योंकि मेरे द्वारा विधेयक पुरःस्थापित कर दिये जाने के बाद सदन में वित्त

विधेयक पर बहस हुई और वरिष्ठ उप प्रधान मंत्री की ओर से श्री सतीश अग्रवाल सदन में वित्त विधेयक का संचालन कर रहे थे। उस समय, मैंने निम्नलिखित बात कही थी :

> "वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करने और वित्त विधेयक को पारित करने की बीच की अवधि 75 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर देनी चाहिए, जिससे सदन में पूरी तरह चर्चा हो सके।"

मैं बाकी भाषण को पढ़ना नहीं चाहता। मैंने यह कहा था कि इसे वर्तमान 75 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया जाना चाहिए। और श्री सतीश अग्रवाल ने यह कहा था :

> "मैं आपसे सहमत हूं।"

और पहले के अवसर पर भी श्री सतीश अग्रवाल ने यह कहा था कि "मैं अन्य बातों पर चर्चा करने के माननीय सदस्यों के अधिकार के बारे में विवाद नहीं उठाना चाहता।" उन्होंने काफी व्यापक अभिमत व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था "यह काफी संगत बात है, क्योंकि 75 दिन का प्रावधान है।" इसलिए आपको मांगों के बारे में मुखबन्ध अपनाना होगा। "अगर उस विशिष्ट समय तक इसे पास नहीं किया जाता है, तो करों की सारी वसूली गैर-कानूनी हो जायेगी।" माननीय सदस्य ने एक गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किया है। वह मेरे बारे में उल्लेख कर रहे हैं। वह अवधि को 75 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करना चाहते हैं। परन्तु जक तक तो इसे 75 दिनों में पारित करना है, स्वाभाविक तौर पर सारा कार्य समाप्त किया जाना है।" अब विधेयक को पुरःस्थापित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था और है कि कम से कम अगले वर्ष तो ऐसा हो ही जाये, जबकि जनता पार्टी का आधा समय पूरा हो जायेगा। अभी आधा समय हुआ है अर्थात् तीसरा साल है—हमें यथासम्भव कम से कम मांगों के बारे में मुखबन्ध अपनाना चाहिए। समिति ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार—आप समिति के पीठासीन अधिकारी थे—इसे श्रेणी 'क' न देने के बारे में निर्णय किया। इस बारे में निर्णय उसी बैठक में किया गया था। मैं समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

> "समिति नोट करती है कि श्रेणी 'क' के 14 विधेयक पहले से ही विचार के लिए अनिर्णीत पड़े हैं। उसे ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि सभी चारों विधेयकों को—मेरे विधेयक को और परिशिष्ट में उल्लिखित तीन अन्य विधेयकों को, श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत रखा जाता है।"

श्रेणी 'ख' का अर्थ यह है कि उसका क्रम आयेगा ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। श्रेणी 'ख' अपने आप होने वाली बात नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे कभी भी श्रेणी 'क' नहीं दी जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बेलट के माध्यम से आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि श्रेणी 'ख' उन सभी विधेयकों को दी जाती है, जो स्वतः पुरःस्थापित होते हैं। एक बार जब यह निर्णय हो जाता है कि श्रेणी 'क' नहीं दी गई है, तो वे विधेयक अपने आप श्रेणी 'ख' के विधेयक बन जाते हैं। परन्तु इससे श्रेणी 'ख' के बिधेयकों का श्रेणी 'क' के विधेयकों के रूप में पुनर्वर्गीकरण करने पर रोक नहीं लगती।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे माननीय मित्र और साथी के विधेयक के बारे में जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, समिति ने सही निर्णय किया। सोलहवें प्रतिवेदन में पहले इसे श्रेणी 'ख' दी गई थी। परन्तु समिति के पिछले प्रतिवेदन में, आपने इसे श्रेणी 'क' दी थी। मैं आभारी और प्रसन्न होता अगर उसी बैठक में उनके विधेयक का दर्जा श्रेणी 'ख' से बढ़ाकर श्रेणी 'क' कर दिया जाता। उसी बैठक में आपने मेरे विधेयक को श्रेणी 'ख' दी थी। परन्तु, मैं उत्सुकतापूर्वक इस बात की आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि समिति की अगली बैठक में, अगले सत्र में, पहली बैठक में ही समिति बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय करके मेरे विधेयक को श्रेणी 'क' प्रदान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप निर्णय पढ़ें, तो यह बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है "अगले सत्र में सबसे पहली बैठक में समिति सबसे पहला काम जो करेगी, वह यह है कि वह उनका पुनर्वर्गीकरण करेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : पुनर्विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां; क्योंकि अगली बैठक का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे अगले सत्र के बारे में पता है। मैंने कहा, अगला सत्र। इसे अगले वर्ष दिसम्बर तक पारित किया जाना है। कोई भी मुखबन्ध नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का सम्बन्ध है, कोई भी मुखबन्ध नहीं अपनाया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अगले वर्ष की मांगों के मुखबन्ध की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उससे काफी पहले हो जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : दुबारा मुखबन्ध अपनाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी एक वर्ष है और उससे काफी पहले यह आ जायेगा।

श्री विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : अब हमारी अन्तिम बैठक है। आपका बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। कुछ भी हो, हमारे मन में इसका काफी महत्व है, क्योंकि आप नहीं देखना चाहेंगे कि हमारी मांगों के बारे में मुखबन्ध अपनाया जाय। परन्तु आपने यह उल्लेख किया कि एक विधेयक को श्रेणी 'क' में रखा गया था और हम उसके महत्व की परख कर रहे हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रीय महत्व के हैं और आपका विधेयक वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुनर्वर्गीकरण के लिए सभापति को लिख कर दे दें और अगली बैठक में इसे प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जायेगा। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित

कतिपय आर्थिक विधियों के अधीन न्यायिक कृत्य तथा शक्तियां विधेयक

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन न्यायिक कृत्यों को करने और न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन न्यायिक कृत्यों को करने और न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मनोहर लाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

गोवा, दमन और दीव राज्य विधेयक

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मार्मागोआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोवा, दमन और दीव राज्य की स्थापना और उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमन और दीव राज्य की स्थापना और उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्रीमान्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(आदेश 5 का संशोधन)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सरकारी सेवा (आयु सीमा) तथा बेरोजगारी भत्ता विधेयक

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी सेवा में प्रवेश की वर्तमान अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने तथा बेरोजगारी भत्ते के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी सेवा में प्रवेश की वर्तमान अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने तथा बेरोजगारी भत्ते के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

हिंसात्मक बन्ध, मोर्चा, हड़ताल और तालाबन्दी निवारण विधेयक

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्र नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिंसात्मक बन्ध, मोर्चा, हड़ताल और तालाबन्दी निवारण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"कि हिंसात्मक बन्ध, मोर्चा, हड़ताल और तालाबन्दी निवारण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० आर० के० अमीन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

यान अपहरण निवारण विधेयक

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूमि पर, आकाश में और समुद्र पर यान अपहरण करने के दोषी व्यक्तियों के बारे में सांक्षेप्त विचारण करने और उन्हें मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि पर, आकाश में और समुद्र पर यान अपहरण करने के दोषी व्यक्तियों के बारे में सांक्षेप्त विचारण करने और उन्हें मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : श्रीमान्, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 109 और 110 का लोप)

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 341 का प्रतिस्थापन)

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 तथा 5 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 6 अप्रैल, 1979 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं :—

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किया जाये।"

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार हुआ था और हमने इसे पारित किया है। श्री बनातवाला ने ये ही आपत्तियां उठायी थीं। इनमें से बहुत सी पुरानी हैं। मैं नियम 338 पढ़ता हूं—

"किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान रूप से इस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।"

क्योंकि कल निर्णय दिया गया है, इसलिये इस पर अब विचार नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, क्या आपको इस विषय पर कुछ कहना है।

श्री शांति भूषण : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है क्या मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें बोलने दीजिये।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अपनी अन्तर्तातमा के प्रति सच्चाई से बोलूंगा। नियम 338 को पढ़ने से पता चलता है कि, यह दुर्भाग्य की बात है, कि नियम 338 इस विधेयक पर लागू होता है। मैं चाहता हूँ कि विधेयक पर विचार हो इसीलिये मैं तर्क देने के लिये लालायित हूं परन्तु अपने विश्वास के कारण मैं बहुत भारी हृदय से खड़ा हुआ हूं और मैं इस तथ्य का समर्थक हूं कि जहां तक नियम 338 के अध्ययन का सम्बन्ध है, नियम 338 में कहा गया है कि :

"किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।"

मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे वर्तमान गैर-सरकारी विधेयक से जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के बारे में है। इसमें एक खेद और भी है। परन्तु मेरे गैर-सरकारी विधेयक से यही एक मुख्य बात उठी है। अतः मुझे भारी हृदय से व्यवस्था के प्रश्न से सहमत होना पड़ रहा है। फिर भी, मुझे प्रसन्नता होगी यदि सदन के कोई माननीय सदस्य कोई और उपाय खोज पाते हैं जिससे इस विधेयक पर विचार किया जा सकें जो मुसलमानों की आशाओं, अकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतीक है।

कल से करोड़ों मुसलमानों की आशाओं पर दुसारापात हुआ है। इस बारे में मैं आगे नहीं जाना चाहता। जो मुद्दा उठाया गया है उस पर मुझे एक दो बात कहनी हैं। कम से कम मुझे यह तो प्रसन्नता है कि मेरे इस गैर-सरकारी विधेयक का बहुत प्रभाव हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्याय अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकारी विधेयक एक वर्ष पूर्व 12 मइ,

1978 को लाया गया था। जब भी सरकार अपने कार्य के बारे में घोषणा करती है तब मैंने यह पूछने के लिये बार-बार खड़ा हुआ हूं कि सरकारी विधेयक चर्चा के लिये शीघ्र ही लाया जाना चाहिये। एक वर्ष व्यतीत हो गया है। राज्य सभा ने गैर-सरकारी विधेयक पारित भी कर दिया। मैंने इसे यहां उठाया और तब 6 अप्रैल को मेरे विधेयक पर चर्चा हुई। इसके पश्चात् चर्चा 20 अप्रैल को फिर आरम्भ हुई। सरकार ने महसूस किया कि गैर-सरकारी विधेयक से बचने के लिये कुछ किया जाना चाहिये। सरकार अपने विधेयक को शीघ्र ही लाने से घबराती है ताकि उस पर भी चर्चा हो सके। फिर भी इतना कार्य तो हुआ ही है यद्यपि मुख्य मांग स्वीकार नहीं की गई है। जैसाकि मैंने कहा है मैं सदन में बिना विश्वास के खड़ा नहीं होता हूँ। मैं मानता हूं कि नियम 338 लागू होता है। सरकार ने इस विधेयक पर हुई कार्यवाही को बड़े अस्पष्ट तरीके से पूरा किया है। जिस समय गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा चल रही थी उस समय सरकारी विधेयक लाया गया और मेरे विधेयक के नियम 338 के अधीन ला दिया। मैं इस अस्पष्ट प्रक्रिया का शिकार हूँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के बारे में, जो भारत में करोड़ों मुसलमानों की आशा है, अपनाइ गई। जब सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब मैंने अपने गैर-सरकारी विधेयक की स्थिति के बारे में एक प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय ने उस समय यह निर्णय दिया था कि दो विधेयक एक जैसे नहीं हैं। इसी आधार पर मामले को आगे बढ़ाया गया। मेरे विश्वास की बात छोड़िये अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसा अनुरोध मैं आपसे अवश्य करूंगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक गैर-सरकारी विधेयक के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाये। मेरे गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा चल रही थी कि बीच में सरकारी विधेयक आ गया और अध्यक्षपीठ ने यह व्यवस्था दी कि दो विधेयक एक जैसे नहीं हैं। सरकारी विधेयक पर चर्चा पूरी हो गई और गैर-सरकारी विधेयक पर प्रहार करने का प्रयास किया जाता है। आप इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकार करेंगे कि इस तरीके से एक बहुत ही अस्वस्थ परम्परा कायम की जाती है। अतः मेरा अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय के निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिये। अन्यथा एक अनुरोध और है जिसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान लीजिये आज भी मुझे इन राजनैतिक जोड़-तोड़ों का शिकार बनना पड़ता है, तब मैं एक सुरक्षा चाहता हूं। यदि आप नियम 338 लागू करना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध कि आप समस्त चर्चा को अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दें और अगले सत्र में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। हम इस सम्पूर्ण मामले को इस प्रकार से नहीं ले सकते। इसे विधेयकपंजी से नहीं निकाला जा सकता, इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है। विधेयकों को विधेयकपंजी से निकालने का मामला नियम 112 तथा 113 के अधीन है। नियम 112 तथा 113 का कोई उपबन्ध यहां लागू नहीं होता है। अतः आपने अध्यक्षपीठ के निर्णय को, जो पहले ही दिया जा चुका है स्वीकार करने के लिये कोई उपाय सोचा होगा। परन्तु यदि आप इस विधेयक पर नियम 338 लागू करना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि नियम 89 लागू किया जाये जिसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे चर्चा को स्थगित कर सकता है। अतः प्रश्न न पूछे जायें और अगले सत्र में उसी स्थान से चर्चा आरम्भ की जाये जहां से हमने उसे छोड़ा है। ऐसा मैं इस आशा से कह रहा हूं कि अन्तर्सत्रावधि में सरकार को बुद्धि प्राप्त हो और वे भी विधेयक का समर्थन करने तथा विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाये रखने के लिये सहमत हो।

सरकार ने जिस अस्पष्ट तरीके से इस विधेयक पर कार्यवाही की है उस पर मुझे खेद है।

मुझे आशा है कि सरकार कोई मार्ग निकालेगी। यदि कोई मार्ग नहीं निकल पाता तो मेरा अनुरोध है कि समस्त मामले को अगले सत्र के लिये स्थगित कर दिया जाये। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। राज्य सभा ने विधेयक पारित कर दिया है। यह अत्यधिक महत्व रखता है। विधेयक पर विचार के दौरान जो सदस्य बोले हैं उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिये। अतः मुझे आशा है कि मुझे राजनैतिक जोड़-तोड़ का शिकार न बनाया जाये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय विधेयक के गुण दोषों के बारे में कुछ कहने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं आपके तथा सदन के विचारार्थ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे मित्र श्री बनातवाला ने बताया है, नियम 338 एक प्रकार से आकर्षित होता है। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि यह दो बातों से लागू नहीं होता है। मेरे पास 30 अप्रैल, सोमवार की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध है। इस बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी एक लम्बे व्यवस्था के प्रश्न के बाद, सभापति ने यह व्यवस्था दी थी कि दो विधेयक एक समान नहीं हैं और केवल इसी आधार पर चर्चा आरम्भ हुई थी।

दूसरे, सरकार के लिये भी यह अच्छी बात नहीं है कि वे इस प्रकार से अपनी बात स्वीकार करायें कि गैर-सरकारी सदस्य के अधिकार, जो पहले से ही सीमित हैं—एक शुक्रवार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और दूसरे शुक्रवार को संकल्प—उन्हें, बहुत समय पहले पेश किये गये अपने विधेयक पर फिर से चर्चा आरम्भ कराके पारित कराके तथा यह तर्क देकर कि अब गैर सरकारी विधेयक नहीं लिये जा सकते, और सिमित किया जा रहा है।

कल, समस्त चर्चा में डा० चन्दर यही तर्क देते रहे कि अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रश्न चर्चा में आता ही नहीं है। वास्तव में वह यह सुझाव दे रहे थे कि अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रश्न एक भिन्न चीज है और इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा है तो ये दोनों विधेयक एक जैसे किस प्रकार हो सकते हैं।

एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का प्रयास गैर-सरकारी सदस्यों को उनके विधेयक पेश-कराके, उन पर चर्चा कराके और यदि संभव हो तो उनको पारित कराके प्रोत्साहन देना होना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है परन्तु ऐसा होना चाहिए। इसके बजाए यहां एक ऐसी सरकार है जो बहुमत के पश्चात चुपके से अपना विधेयक लाती है, इसे पारित कराती है और फिर कहती है कि नियम 338 लागू होता है।

मैं गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से इसलिये तर्क कर रहा हूं कि आप इस प्रकार से मार्ग निर्देशन करें कि गैर-सरकारी सदस्यों के अधिकार, जो पहले ही सीमित है, श्री निर्मल चन्द जैन द्वारा सभापटल पर लाई गई लटकती तलवार जैसी किसी चीज से और सीमित न हों। यद्यपि यह तकनीकी रूप से ठीक है फिर भी क्या इससे इसके पीछे निहित भावना का हनन सही होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला ने जो यह बात कही है कि गैर-सरकारी विधेयक से सरकार घबराई और इसी कारण वे सरकारी विधेयक लाये तथा इसे पारित कराया, यही उनकी सफलता है। यदि आप इस दृष्टि से मामले पर देखें तो मेरे विचार से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वास्तव में गैर-सरकारी विधेयक से बाध्य होकर ही सरकार को अपना विधेयक लाना पड़ा। परन्तु जहां तक श्री बनातवाला के विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे सामने कठिनाई है, मेरा विचार है कि

दोनों विधेयक काफी सीमा तक एक जैसे हैं यद्यपि पूर्णतथा एक जैसे नहीं हैं परन्तु सार की दृष्टि से एक जैसे हैं। परन्तु साथ ही मैं यह भी सोचता हूं कि श्री बनातवाला को चर्चा जारी रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं सदन से इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित करने के लिये पूछता हूं। नियम भंग न करने का उद्देश्य भी इससे पूरा हो जायेगा। यदि इसके लिये कोई प्रस्ताव आता है तो हम ऐसा कर सकते है।

चौ० बलबीर सिंह (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अगले सेशन में जाने का सवाल नहीं है। एक बिल पास हो चुका है। अगर वह लाना चाहते हैं, तो एमेंडमेंट टु दैट बिल आ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है। विधेयक भिन्न-भिन्न हैं। साथ ही विषय वस्तु एक समान है। मेरे विचार से कोई भ्रम है। अतः मैं इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दूंगा। क्या कोई प्रस्ताव पेश कर रहा है?

चौ० बलबीर सिंह : एक बिल पास हो चुका है। अगर इस बिल को पोस्टपोन कर के अगले सेशन में ले जायेंगे, तो इस बिल की शकल बदल जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ने विचार व्यक्त भी किया है कि दो विधेयक एक जैसे नहीं है . . . **व्यवधान**। मुझे खेद है मैंने यही विचार बनाया है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : इस पाइंट पर कल हाऊस में डिविज़न हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं इसे स्थगित कर रहा हूं। अन्यथा मैं सदस्य से आगे बढ़ने के लिये कहता।

श्री सौगत राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में आगे चर्चा अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों, के लिये आबंटित पहले दिन के लिये स्थगित की जाये।"

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित की जाती है तो यह गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये आबंटित पहले दिन आरम्भ होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है। अतः इसे सामान्य रूप से ही प्राथमिकता मिलेगी। मैं प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

चौ० बलबीर सिंह : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर बल दे रहे हैं। तब मैं अध्यक्षपीठ की हैसियत से नियय 89 के अधीन निर्देश दूंगा। मैं ऐसा करूंगा और विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दूंगा। मैं सभा से अभी भी अनुरोध करता हूं कि वे स्वीकार करें। प्रश्न यह हैं

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में आगे चर्चा अगले सत्र में, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये आबंटित पहले दिन के लिये स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चौ० बलबीर सिंह : प्रस्ताव विपक्ष में मत देने वालों के पक्ष में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विरुद्ध हैं वे अपने हाथ खड़े कर सकते हैं ।

चौ० बलबीर सिंह : हैंड्ज का सवाल नहीं है । आई क्लेम डिवीज़न । आप घंटी बजा कर सब मैम्बरों को बुलाइये ।

———

संविधान संशोधन विधेयक

अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जो संविधान (संशोधन) विधेयक मैं लाया हूँ, उसका उद्देश्य स्पष्ट है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में मैंने कहा है : वर्णाश्रम और द्विजवाद पर आधारित भारतीय समाज के वर्तमान गठन से आबादी की बहुसंख्यक तादाद मानसिक और शारीरिक तौर पर लुंज बन गई है । इसके फलस्वरूप आबादी के सिर्फ 10 प्रतिशत समुदाय ने सरकारी-अर्द्धसरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं की 90 प्रतिशत जगहों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है । फलतः आये दिन कमज़ोर वर्गों पर हमला, कत्लेआम और आगजनी की घटना बढ़ती जा रही है । इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त एकाधिकार को समाप्त करना और समाज तथा प्रशासन में व्याप्त असंतुलन को दुर करना है ।

हमारा जो संविधान है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप देखें और आर्टिकल 16 (4) को आप बढ़ें तो उसमें यह स्पष्ट है

"इस अनुच्छेद का किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्यधीन सेवाओं में प्रर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

यह प्रावधान संविधान में पहले से है। लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान को लागू हुए 30-31 साल हो गए । इस 30-31 साल में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो एक एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड समाज है, उनकी स्थिति और बिगड़ी है । उनका रेप्रेजेन्टेशन सर्विसेज़ में इनएड्डीकेट को कौन कहे, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि इनएडीकेट रेप्रेजेन्टेशन है तो स्टेट को कानून बनाकर उन को उनकी आबादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में जगह देनी चाहिए, यह प्रावधान रहते हुए भी गत तीस सालों में स्थिति यह हो गई है कि इनएडीकेसी को कौन पूछे, इन का रेप्रेजेन्टेशन बिलकुल नगण्य हो गया है, कोई रेप्रेजेन्टेशन ही नहीं है । अंग्रेज़ी हुकूमत में जियना था उस से भी घट गया है । इसका कारण है कि आजादी के बाद एक सिद्धांत चलाया गया "ईक्वैलिटी आफ अपार्च्युनिटी" का, समान अवसर का सिद्धांत चलाया गया कि हर एक नागरिक को हर अपार्च्युनिटी समान रूप से मिलेगी और किसी के साथ जाति वगैरह का भेदभाव नहीं किया जायगा । यह एक सिद्धांत गढ़ा गया । मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा धौखाधड़ी का सिद्धांत कोई दूसरा नहीं चलाया गया । फर्ज़ कीजिए कि आप एक साइकिल का रेस करवाना चाहते हैं। जब रेस शुरू

होता है तो कुछ लोगों को दौड़ने देते हैं और 15 मिनट के बाद फिर एक जत्थे को कहते हैं कि दौड़ो और कहते हैं कि जो पन्द्रह मिनट पहले दौड़ा है उससे तुम कमपीट करो, तो क्या यह कभी संभव है कि वह उस को कम्पीट कर सके ? यहां तो भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग 3 हजार वर्ष पीछे छूट गया। कैसे बराबरी कर सकेगा ?

अभी हिन्दुस्तान के समाज की क्या स्थिति है ? समाज का अधिकांश समुदाय लुंज बन गया है। वह किसी काम का नहीं रहा और उसका सरकारी नौकरियों में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे यहां हजारों बर्ष से यह सिद्धांत था, एक मनु भगवान की व्यवस्था थी वर्णाश्रम धर्म और द्विजवाद की कि फलां जाति और फलां वर्ग ही विद्या पढ़ सकता है। मनुस्मृति को आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो शूद्र है या जो वैश्य है उसको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहां तक लिखा हुआ है कि यदि शूद्र के कान में वेद वाक्य चला जाए या ज्ञान की बात चली जाए तो उसके कान में गरम सीसा घोल कर डाल दिया जाए। यह है मनुस्मृति की व्यवस्था और उसके अनुसार लगभग तीन चार हजार वर्ष तक इस देश का शासन चला। इसी का नतीजा हुआ कि 90 प्रतिशत या 80 प्रतिशत लोग सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड हो गए, उनको पढ़ने की अपार्च्युनिटी नहीं दी गई, उनको ज्ञान की कोई बात नहीं सुनने दी गई। इसी का नतीजा यह हुआ है कि अधिकांश आबादी सरकारी नौकरियों से, इज्जत की जगह से महरूम कर दी गई और मुट्ठी भर, दस प्रतिशत आबादी का हिस्सा जो द्विज है उसी का वर्चस्व हो गया, उसी की मोनोपली हो गई। सरकारी नौकरी में इज्जत की जगहों में और समाज के हर क्षेत्र में अन्य लोगों को पीछे धकेल कर वे अगुवा बन गये। और जो संविधान बनाने वाले थे—चाहे अम्बेदकर साहब हों, डा० राजेन्द्र प्रसाद हों या दूसरे लोग हों— उन्होंने इस असंतुलन को समझा और इसीलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 16(4) का प्रावधान किया ताकि असंतुलन को समाप्त किया जाए। लेकिन देश आजाद होने के बाद तीस साल तक कांग्रेस की हुकूमत चली फिर भी आज तक इस असंतुलन को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई बल्कि इस अन्याय और असंतुलन को बरकरार रखने के लिए "समान अवसर" के सिद्धांत को गढ़ लिया गया।

जहां तक हरिजन आदिवासियों का सवाल है, आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनके लिए 30-31 साल से रिजर्वेशन है लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। केवल 3-4 प्रतिशत लोग ही नौकरियों में आ सके हैं। इस सम्बन्ध में संविधान में अनुच्छेद 335 का प्रावधान हैं :

> "संघ या राज्य के कामों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के दलों का ध्यान रखा जाएगा।"

हरिजन आदिवासियों के लिए संविधान में प्रावधान है इसलिए कानून बनाया गया कि सरकारी नौकरियों में इतनी जगहें उनको मिलनी चाहिए लेकिन पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसका नतीजा यह है कि सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेन्टेशन उनकी आबादी के हिसाब से तो कहना ही क्या, एक प्रकार से उनका रिप्रेजेन्टेशन नगण्य है। विगत तीस सालों में हरिजन अदिवासी आदि की नौकरियों में बहाली की गई है लेकिन जो मुसलमान समुदाय है उसकी हरिजनों से भी बुरी हालत बना दी गई है। यदि यही व्यवस्था

चलती रही तो मैं समझता हूं 5-10 साल के बाद इस देश में कोई भी मुसलमान दरोगा नहीं मिलेगा, कोई मुसलमान मैजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा—ग्राई० ए० एस० ग्रौर ग्राई० पी० एस० को तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके चलते मुसलमानों की हालत हरिजन, ग्रादिवासी तथा पिछड़ी जाति के लोगों से भी बुरी हो जाएगी।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रख कर मैंने एक मौजूदा संविधान (संशोधन) बिल प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि मौजूदा ग्रनुच्छेद (16) को बदल कर, जैसा मैंने संशोधन बिल प्रस्तुत किया है वैसा रख दिया जाए। इसके द्वारा ग्रभी जो सरकारी नौकरियों में ग्रसंतुलन है, जो ग्रव्यवस्था है ग्रौर जो ग्रन्याय है वह समाप्त हो जाएगा तथा समूचे देश का विकास सम्भव होगा। जब तक प्रशासन में पूरे समाज की भागीदारी नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकेगा।

एक बात मैं ग्रौर कहना चाहता हूं। संविधान के ग्रनुच्छेद (340) में है कि सोशली, एजूकेशनली पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा ग्रौर उसकी रिपोर्ट ग्राने के बाद उनके सरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आप जानते हैं कि 1953-54 में काका कालेलकर कमीशन गठित किया गया था जिसने ग्रपनी रिपोर्ट भी दी लेकिन ग्राज तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई विचार नहीं किया गया। ग्रब एक कांट्रोवर्सी ग्रलग से शुरू कर दी गई है कि पिछड़ी जाति का क्राइटीरिया क्या हो सकता है—ग्रार्थिक क्राइटीरिया होगा या सामाजिक क्राइटीरिया होगा? जहां तक संविधान का सवाल है, उसमें सपष्ट है कि जो सामाजिक रूप से, जाति के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से पिछड़े हुए हैं वही पिछड़ी जाति के समझे जायेंगे लेकिन फिर भी एक कांट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। मैं समझता हूं मेरे इस बिल पर विचार करने ग्रौर पास करने के बाद जो एनामली है, जो ग्रन्याय फैला हुग्रा है वह समाप्त किया जा सकेगा। ग्रभी सैंकड़े में दस प्रतिशत की ग्राबादी वाले समुदाय ने 90 प्रतिशत जगहों पर दखल कर रखा है। ग्रौर जो 80 प्रतिशत ग्राबादी है, उस को 5 परसेन्ट, ग्रौर यहां तक कि 3 परसेन्ट भी जगहें न दी जाएं, तो यह समाज चल नहीं सकता है ग्रौर यह देश टूट जाएगा यदि इस चीज को खत्म नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस उद्देश्य से यह मौजूदा संविधान (संशोधन) विधेयक, ग्राप के जरिये इस सदन के विचार के लिए मैंने प्रस्तुत किया है ग्रौर मैं समझता हूं कि इस पर सदन ग्रच्छी तरह से विचार करेगा ग्रौर फिर इसको पास करेगा।

इतना कह कर मैं बैठता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बुनियादी बात क्या है?

श्री विनायक प्रसाद यादव : बुनियादी बात तह है कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो सोशली ग्रौर एजूकेशनली बैकवर्ड डिफाइन्ड हैं ग्रापके संविधान में, उनको जैसा संविधान में लिखा हुग्रा है, उसके ग्रनुसार सरकारी नौकरियां दी जाएं। यदि कोई स्टेट यह समझती है कि किसी समुदाय का सरकारी नौकरियों में इनएडीकेट रेप्रेजेन्टेशन है, तो इसके लिए कानून बना कर उनकी ग्राबादी के ग्रनुसार सरकारी नौकरियों में जगह दी जाए। यह संविधान में भी लिखा हुग्रा है लेकिन ग्राज से 30–31 साल पहले संविधान में लिखे जाने पर भी इस बात को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए हमारे इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि पवित्र संविधान में जो वाजिब चीज लिखी हुई है, उस को करने के लिए अगर संविधान में कोई खामी है, तो उसको दूर करने

की व्यवस्था की जाए और इस देश में जितने लोग हैं, उनको उनकी आबादी के अनुसार उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। जैसे आपको जमीन के बंटवारे की बात बहुत ज्यादा पसंद होती है, उसी तरह से आपको सहानुभूतिपूर्वक इस पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि यदि कुछ लोगों को जमीन के जरिये से जीविका मिलती है, उसी तरह से कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों के जरिये से जीविका के साधन मिलने चाहिए। जैसे पेट भरने के लिए जमीन का बंटवारा आवश्यक है, उसी तरह से इस देश में कुर्सी का बंटवारा जब तक आबादी के अनुपात में नहीं होगा, तब तक समानता का समाज कायम नहीं हो सकता है और आप चित्त बसु साहब समाज में समानता लाने के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारे दर्द को भी आप समझें। फी सैंकड़ा में 80 आदमी अगर कुर्सी से अलग कर दिये जाएं, तो समानता का समाज नहीं बन सकता चाहे वह बिहार हो, चाहे बंगाल हो और चाहे वह हरियाणा हो या कश्मीर हो। इस बात को आप समझिये। तभी समाज में समानता स्थापित होगी और हम यह समझते हैं कि जैसा हमारा भाषण हुआ, वैसे ही आप भी तर्कपूर्ण और जोशीला भाषण देंगे और इसमें आप सब हमारा साथ देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक पेश करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सम्पूर्ण विधेयक का अध्ययन किया है। विधेयक में जो उपबन्ध हैं मैं उन सभी से सहमत नहीं हूं क्योंकि कुछ उपबन्धों से कानूनी जटिलताएं तथा विवाद पैदा होंगे। मेरे माननीय मित्र ने समाजवादी उद्देश्य से यह विचार रखा है। विधेयक के उदेश्यों में बताया गया है :—

> "जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित वर्तमान भारतीय सामाजिक ढांचे ने हमारी अधिकांश जनसंख्या को मानसिक तथा शारीरिक रूप से पंगु बना दिया है।"

हमें इस विधेयक पर चर्चा करते समय किसी जाति विशेष पर प्रहार न करके सम्पूर्ण जाति-प्रथा पर ही प्रहार करना चाहिए। ब्राह्मण अथवा राजपूत अथवा जाट अथवा आम किसी सम्प्रदाय में प्रभुत्व जैसी कोई चीज नहीं है। हमें जातिवाद का, कहीं भी मत व्याप्त है, विरोध करना चाहिए। हमने अपने संविधान में समाज का जो ढांचा स्वीकार किया है उसी के अधीन हमें अपने देश में प्रजातांत्रिक ढंग से संरचनात्मक तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने चाहिएं। बहुत से परिवर्तन आवश्यक हैं। यद्यपि हमारे संविधान में समाजवादी प्रणाली की कल्पना की गई है फिर भी हमें अभी तक यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा हम चाहते हैं उतना तीव्र गति से विकास हमारे समाज ने नहीं किया है। संसद् के पक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्य लोगों को उनके अधिकार और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं।

विधेयक लाने वाले मेरे माननीय मित्र बिहार से आए हैं। बिहार में जाति भावना बहुत अधिक व्याप्त है। प्रत्येक राज्य में जातिवाद मौजूद है। जातिवाद पर नियन्त्रण किया

जा सकता है बशर्तेकि राजनैतिक इच्छा और शक्ति से इस पर नियन्त्रण किया जाए। इसके अतिरिक्त आर्थिक शक्ति है, कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण है। अतः समाज का पुर्नगठन आवश्यक है। केवल संवैधानिक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। यह बहुत आवश्यक है कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को राज्य की राजनैतिक इच्छा और राजनैतिक शक्ति का समर्थन प्राप्त हो।

यह ठीक ही कहा गया है कि राजनैतिक सजा का एकाधिकार जातिभेद वाले समाज के हाथों में अथवा जाति के लोगों के एक ग्रुप के हाथों में अथवा बिड़ला, टाटा जैसे चन्द लोगों के हाथों में जो आर्थिक स्थिति पर नियन्त्रण रखते हैं। यद्यपि वे अल्पसंख्यक हैं, यद्यपि बिड़ला, टाटा जैसे उद्योगपति थोड़े से हैं, परन्तु आर्थिक शक्ति उनके हाथों में है। कुछ लोगों के ही हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित है। वे इस देश के आर्थिक विकास पर ही नियन्त्रण नहीं रखते हैं अपितु लाभप्रद रोजगार पर भी उनका ही नियन्त्रण है।

उदाहरण के लिए आज बिड़ला बन्धुओं को देखिए। बिड़ला ग्रुप के औद्योगिक गृह उद्योग आरम्भ करते हैं और वे सम्पूर्ण सरकारी तंत्र पर अपना नियन्त्रण कर लेते हैं जिससे कि वे रोजगार के अवसर बनाते हैं और पदों पर अपने सम्बन्धियों को फैलाते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान मोटर्स को लीजिए। वहां बिड़ला परिवार के 4000 लोगों को रोजगार प्राप्त है। ऐसा कुछ हो रहा है। सहायक उद्योगों में भी ऐसी ही स्थिति है। मैंने समाचारपत्र में एक लेख पढ़ा जिसमें बताया गया था कि बिड़ला ग्रुप के 400 परिवार बड़े उद्योगों से सम्बद्ध सहायक उद्योगों पर कच्चे माल पर नियन्त्रण रखे हुए हैं। चपरासी के स्तर से लेकर ऊंचे से ऊंचे स्तर तक के सभी पदों पर अपने परिवार के लोगों को नियुक्त किया हुआ है। अनुच्छेद 16 अथवा संविधान के उपबन्धों के अधीन ऐसी गारण्टी कहां है कि देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त होगा ?

आज रोजगार समस्या विस्फोटक स्थिति में है और यह समस्या बढ़ती जा रही है। पिछली बार मैं रोजगार गारण्टी योजना के बारे में एक विधेयक लाया था ताकि युवा वर्ग के मस्तिष्क में विश्वास पैदा हो सके। परन्तु श्रम मन्त्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने यह उत्तर दिया था कि रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में भी शिक्षित और अशिक्षित, दक्ष और अदक्ष, स्नातक अथवा उनसे कम शिक्षा वाले बेरोजगार लोगों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आज देश में ऐसी स्थिति व्याप्त है।

कुछ सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन बहुत आवश्यक हैं। पता नहीं वर्तमान सरकार सारयुक्त परिवर्तन लाने में समक्ष है कि नहीं। हाल ही में मेरे माननीय मित्र उद्योग मन्त्री श्री जार्ज फर्नानडीज ने कुछ आंकड़े दिये। पता नहीं ये आंकड़े किस प्रकार तैयार किये गए। उन्होंने कहा है कि उद्योग में विकास दर 8 % है। परन्तु मुझे इस देश में कोई परिवर्तन आया प्रतीत नहीं होता है। गत दो वर्षों में मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा है। वर्तमान सरकार से ऐसे परिवर्तन करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता। मैं नहीं जानता माननीय सदस्य जनता पार्टी में किस दल के, जनसंघ के, स्वतन्त्र पार्टी के अथवा किसी अन्य दल के सदस्य हैं। क्या वह सम्पूर्ण दल पर सरकार द्वारा सारयुक्त परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालेंगे ? परन्तु मुझे पता है कि जनता सरकार को ऐसा कोई परिवर्तन समाज में नहीं लाना है, उन्हें एकाधिकारवादी गृहों का एकाधिकार समाप्त नहीं करना है। वे पश्चिम-जर्मनी तथा अन्य देशों से

बहुराष्ट्रिक कम्पनियां ला रहे हैं और उनका पुनर्वर्गीकरण कर रहे हैं। वे उनके लिए दूध देने वाली गाय हैं। फिर वर्तमान सरकार से परिवर्तन की आशा किस प्रकार रखी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र अपने दल में विद्रोह करें। गत दो वर्षों में क्या हुआ है? क्या वे कोई परिवर्तन समाज में लाए हैं? क्या पिछड़ी जातियों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उन्होंने कोई क्रांतिकारी कदम उठाये हैं ताकि वे अपने को सुरक्षित समझ सकें? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आपकी विचारधारा क्या है?

श्री के० लकप्पा : मैं आपकी विचारधारा जानना चाहता हूं। क्या आप इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं? कर्नाटक में हमने सार्थक परिवर्तन किए हैं, हमने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया है। हमने बहुत से परिवर्तन किए हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमने पिछड़ी जातियों को जागरूक बनाया है। सामाजिक पद्धति में भी हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 4000 है उसे केवल भूमि ही नहीं मिलेगी अपितु, ब्याजरहित ऋण भी मिलेंगे। जिन लोगों की वार्षिक आय 4000 से कम है उन्हें ऋणदाताओं का रुपया लौटाने की आवश्यता नहीं है। सूदखोरों को कमजोर बनाने के लिए हमने यह उपाय किया है। हमने बन्धुआ-मजूरी प्रथा भी समाप्त कर दी है। **(व्यवधान)** पश्चिम बंगाल में आपकी क्या नीति है? क्या साम्यवादियों ने, प्रगतिशील लोगों ने वहां कोई परिवर्तन किए हैं? हमने कर्नाटक में भूमिसुधार लागू किए हैं। हो सकता है ये शत प्रतिशत न हों। परन्तु आपने तो आरम्भ भी नहीं किए हैं। आपने एक प्रतिशत कार्य भी इस दिशा में नहीं किया है। आप केवल नारों में विश्वास रखते हैं। आप निरीह लोगों को पकड़ते हैं और गलियों में उनकी परेड कराते हैं। क्या इससे समाजवाद लाया जा सकता है? आप श्री सौगत राय से पूछिए। क्या पश्चिम बंगाल में कोई परिवर्तन लाया गया है? जिन लोगों ने विभिन्न परिवर्तनों की मांग को लेकर आंदोलन किया था, उन्हें बन्द कर दिया गया। आप कर्नाटक को चुनौती देते हैं। हमने कर्नाटक में कुछ न कुछ किया ही है। आप हमारी नकल करने का ही प्रयास करें। श्री ज्योतिर्मय बसु से कहिए कि वह कर्नाटक आएं और देखें। आपको समाज में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए; किसी सम्प्रदाय की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है। आपको जातिवाद समाप्त करना चाहिए और सार्थक समाजसुधार उपाय किए जाने चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु कुछ उपबन्धों में संशोधन होना चाहिए। पता नही विधेयक कानूनी परीक्षा में कैसा उतरेगा। फिर भी विधेयक में जो विचार है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि समाज में भी परिवर्तन लाया जाना चाहिए। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन बहुत आवश्यक हैं। जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, वर्तमान सरकार इस दिशा में गत दो वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं ला सकी है। हम जानते हैं कि दूसरी ओर बैठे लोग समाज में परिवर्तनों की आवश्यकता के प्रति सजग हैं, वे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों में विश्वास रखते हैं। बेरोजगार युवकों को आपके द्वारा रोजगार की गारण्टी दी जानी चाहिए अन्यथा वे लोग वर्तमान सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और यदि कोई समाज सार्थक परिवर्तनों के बारे में कोई विधेयक लायेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे।

मैं माननीय सदस्य के विधेयक का स्वागत करता हूं।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विनायक प्रसाद यादव ने जो संशोधन विधेयक उपस्थित किया है, उसकी भावना बहुत ही उदात्त है। सचमुच में भारतवर्ष और खासकर हिन्दू समाज का अगर सबसे बड़ा दोष है तो वह जाति व्यवस्था है। यह ठीक है कि जिस जाति व्यवस्था को हम इतना दोष देते हैं, उसके मूल में वर्ण-व्यवस्था है और जैसा वेद में बताया गया है:—

ब्राह्मणोडस्य मुखं ग्रासीत्,
बाहू राजन्य: कृत:
तद्उरुवैश्यं
पद्भ्यां शूद्रोग्रजायत् ।।

वेद में जो वर्ण-व्यवस्था कही गई है, उसमें जाति व्यवस्था कहीं नहीं है। इसलिए गीता में भी जब भगवान ने कहा है:—

चातुवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:
तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारं वयं ।।

हिन्दू समाज का जो तीसरा बड़ा ग्रन्थ है प्रामाणिक मनु-स्मृति, उसमें भी जाति व्यवस्था नहीं है, वहां भी क्षत्रिय के कर्म हैं, ब्राह्मण के कर्म हैं, तो कर्मणा जाति, लेकिन यहां तो जन्मना जाति है। इसलिए यह वर्ण-व्यवस्था भारतवर्ष में नहीं है, अभी वर्ण-अव्यवस्था है। इसलिए इस वर्ण-अव्यवस्था को जितना शीघ्र हम समाप्त कर सकें, वह अच्छा होगा।

1603

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए।]

यह बात ठीक है कि आज हमें इसके सम्बन्ध में जब सोचना चाहिए कि कैसे समाज को उठा सकते हैं तो बाइबल की एक कहानी है :—

अन्टू दी लास्ट।

जो पीछे है, उसको ऊपर उठाना चाहिए। गांधी जी ने भी अन्त्योदय से सर्वोदय की शुरुआत करने के लिए कहा। यह सही बात है कि भारत का जब संविधान बनने लगा था, तो हरिजन आदिवासियों को संरक्षण दिया गया था। लोग कहते हैं कुछ दिन बाद पिछड़ी जाति के लोगों को भी संरक्षण देने की बात चली और करीब 9 प्रान्तों में तो उन्हें संरक्षण दिया गया है। लोग इससे उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह संरक्षण क्यों, क्या यह समाज-वाद के खिलाफ नहीं है ?

हमारे श्री जेठमलानी जी संविधान के ज्ञाता हैं, वह तुरन्त कह सकते हैं कि भारत के संविधान की धारा 14, जिसमें सबको समान अवसर है, इसके खिलाफ है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि सचमुच में समाजवाद और समान अवसर किस के लिए ? प्रो० हेराल्ड लास्की ने कहा था:—

"असमान लोगों के बीच समानता की बात करना न्यायोचित नहीं है।"

इसलिए समाज में जो असमान हैं, उनके लिए समान अवसर की बात करना गलत होगा। इस समाज पर, द्विज समाज पर, माननीय सदस्य, श्री यादव, का इतना आक्रोश है। मैं समझता हूं कि वह आक्रोश हमें सहना चाहिए।

आज रिज़र्वेशन की बात चल रही है, लेकिन भारतवर्ष में पांच हज़ार वर्ष से निज़र्वेशन रहा है। यह अलग बात है कि वह रिज़र्वेशन कुछ खास वर्गों के लिए था। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मण मंत्री और क्षत्रिय राजा हुआ करता था। एक दो अपवादों को छोड़ कर—जैसे, चन्द्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ कर—यही व्यवस्था रही। आक्रोश करने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे पिछड़े हुए और अयोग्य लोगों को अधिकार दे देते हैं, तो शायद वे सब कुछ नष्ट कर देंगे। लेकिन चन्द्रगुप्त को अवसर मिला, और यह सिद्ध हो गया कि भारतवर्ष के इतिहास में इतना कुशल शासक कोई नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके राज्याभिषेक के अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला। उन्हें समर्थ रामदास से आशीर्वाद मिला। इतिहास में उनका अपूर्व स्थान है।

जब ब्रिटिश वाइसराय ने डा० भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों नहीं छोटी-छोटी नौकरियां लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप हमारे लोगों को शीर्षस्थ स्थान देंगे, तो वे हमारे लोगों पर होने वाले अन्याय को रोक सकेंगे। इसीलिए डा० अम्बेडकर जिस स्थान पर थे, अगर वह वहां पर न रहते, तो शायद हरिजन और आदिवासी उतना न बढ़ सकते, जितना कि वे बढ़ अके हैं।

जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है, अगर हम आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विचार करें, तो अन्त्योदय से ही सर्वोदय का प्रारम्भ होता है। अभी मैंने बाइबल का वचन बताया है: **अनटूदी लास्ट**। अगर हम समाजवाद के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि **दि टाक आफ ईक्वैलिटी बिटवीन अनईक्वल्ज इज अनजस्ट**। इसीलिए डा० राम मनोहर लोहिया ने स्पष्ट कहा था कि जो समाज में दबे हुए और पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष अवसर का सिद्धान्त होना चाहिए।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े हुए हैं, जो सोशली एंड एजूकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाये, और इस बात की जांच होनी चाहिए कि कौन लोग सोशली एंड एजूकेशनली बैकवर्ड हैं। इसके फलस्वरूप काका कालेलकर की अध्यक्षता में बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन बना था। जब बिहार में फारवर्ड और बैकवर्ड की अग्नि-शिखा जली, तो मैंने उनसे मिल कर पूछा कि बिहार अग्नि में जल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने बड़े दर्द से कहा कि मैंने बीस वर्ष पहले जो रिपोर्ट दी थी, उसको आप लोगों ने कार्यान्वित नहीं किया; अगर उसका कार्यान्वयन कर लिया होता तो इन बातों की आवश्यकता न पड़ती; लेकिन मैं किसको दोष दूं, किसको न दूं ?

उस बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन की रिपोर्ट पर संसद में शायद् बहस हुई, लेकिन उसकी किसी भी सिफारिश का कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसलिए पिछड़े हुए और दबे हुए लोगों के दिलों में जो भावना है कि उन्हें न्याय नहीं दिया गया है, वह सही भावना है।

आज हम केवल नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करते हैं। नौकरी कितने परसेंट लोगों को मिलती है ? काका साहब कालेलकर ने दो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी रिकमेन्डेशन्ज दी थीं। उन्होंने कहा था कि हमें देखना चाहिए कि जो दबी, उत्पीड़ित पद-दलित मानवता है, हम उसको हर एक क्षेत्र में—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में—कैसे उठा सकें।

लेकिन हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज केवल सर्विसेज़ की बात होती है। सर्विसेज के बाद में उन्होंने समीक्षात्मक रूप से भी विचार किया था और कहा था कि यह सिद्धान्त गलत है।

> "सरकारी सेवा में किसी भी सम्प्रदाय के लिय आरक्षण के मैं निश्चित रूप से इसलिए विरुद्ध हूं कि सेवायें सेवकों के लिए नहीं हैं अपितु सेवाएं समग्र समाज की सेवा के लिए हैं। प्रशासन को देश में उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्तियों को सेवा में लेना चाहिए और ये सर्वोत्तम व्यक्ति सभी सम्प्रदायों में पाए जाने चाहिए। कुछ पिछड़े सम्प्रदायों के लिए पदों का आरक्षण उतना ही अजीब प्रतीत होता है जितना कि एक डाक्टर विशेष के लिये मरीजों का आरक्षण। डाक्टरों की योग्यताएं चाहे जो भी हो मरीजों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे डाक्टरों को पर्याप्त या अनुपातिक संख्या में मरीज़ देंगे।"

लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सारी अनुशंसा की है और कहा है कि 49 प्रतिशत तक हो सकता है। केवल नौकरियों की ही बात नहीं है। हम तो केवल एक पक्ष लेते हैं। उन्होंने जब यह कहा कि कौन बैकवर्ड और कौन फारवर्ड है, इसका क्राइटीरिया क्या है, तो उसके उन्होंने 15 मापदण्ड बनाये हैं। लोग कह देंगे कि यह तो बैकवर्ड क्लास की बात है। वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने दिया है कि पिछड़ा कौन है? सचमुच में आज शेड्यूल्डकास्ट में और बैकवर्ड क्लास में कोई अगर बड़ा समृद्ध शिक्षा और अर्थ में हो गया है और वह अगर संरक्षण मांगता है तो समाजवाद के सारे सिद्धान्त का वह हनन करता है। ये पन्द्रह मापदण्ड उन्होंने बताये हैं— बैकवर्ड कौन है— वीमेन, औरत बैकवर्ड है और पुरुष फारवर्ड है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है वह बैकवर्ड और शहरी क्षेत्र में जो है वह फारवर्ड। अपने हाथ से काम करने वाले बैकवर्ड और केवल सुपरवाइज करने वाले जो हैं वह हैं फारवर्ड। जो धूप और खुले में कार्य करते हैं वे ही पिछड़े हैं। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। इस तरह से 15 क्राइटीरिया उन्होंने बताए हैं। ये पन्द्रह जो मापदण्ड हैं इनकी कसौटी पर डाल कर के उन्होंने निर्णय लिया था। इसलिये उनके सिद्धान्त को, उनकी अनुशंसाओं को अगर हमारी पिछली सरकार ने नहीं माना है तो यह बड़ा दोष है। सचमुच में कोई सनातन काल के लिए इस संरक्षण की मांग नहीं की गई थी। यानी जो दबे हुए हैं, उनको थोड़ी दूर तक हम सहारा देकर उठा देते हैं ताकि सबके बराबर आ जाएं, तब आर्टकिल 14 जो इक्वल अपार्च्युनिटी का सिद्धान्त है वह चलेगा। जब तक वह दबे हुए हैं तब तक विशेष अवसर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना यही समाजवाद का और जनतन्त्र का लक्ष्य है। यही कारण है कि उस समय जब यह शुरू हुआ था तो दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आन्ध्र में, और महाराष्ट्र में भी यह सब रिजर्वेशन उसी समय से है। हमारा एक लड़का है दीनेन भट्टाचार्य जी की पार्टी में। नम्बूद्रीपाद जी जब बिहार में आए थे तो उसने कहा कि रिजर्वेशन के पक्ष में आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि यह जो रिजर्वेशन के खिलाफ हल्ला हो रहा है यह सामूहिक हिस्टीरिया है। न इसे आप रोक सकते हैं और न मैं। बीस वर्ष पहले मैंने केरल में ऐसा किया परन्तु इससे बेरोजगारी की समस्या का एक प्रतिशत समाधान भी नहीं होता। और इसीलिए आज मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिजर्वेशन की बात आज हम करते हैं, लेकिन जिस देश में 70 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं और 13 करोड़ आदमी जहां बेकार हैं वहां आज डिमांड होनी चाहिए राइट टु वर्क की और

जब इस तरह की बात होगी तो यह भी बात हो जायगी। बिहार की सरकार चार हजार नौकरियां साल में देगी, उससे चार हजार लोग आगे आ जाएंगे। हमें तो यह पागलपन लगता है क्योंकि सचमुच में आज अगर जो फारवर्ड हैं वह यह समझते हैं कि पांच हजार वर्षों की हमारी सम्पत्ति खत्म हो रही है और बैकवर्ड समझते हैं कि कुबेर का सारा खजाना और लक्ष्मी और विष्णु का सारा वैभव हमें मिलने वाला है तो यह ठीक नहीं है। सचमुच में मांग करनी हो तो यह ठीक है समाजवाद के दृष्टिकोण से और जनतन्त्र के दृष्टिकोण से कि पिछड़े लोगों को विशेष अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इसके नीचे यह मांग होनी चाहिए कि हमको राइट टु वर्क दिया जाए ताकि गरीबी और बेरोजगारी मिट सके।

जहां तक कुछ लोगों को नौकरी दे देने की बात है, उस दिन जब सारी बातें हो रही थीं तो अटलजी ने जो कहा था, कविता के ढंग में, वह बड़ा मार्मिक लगा—उन्होंने कहा कि मेरा डिप्टी सेक्रेटरी पिछड़ी जाति का है, तीन हजार रुपये कमाता है, उसके लड़के को तो रिजर्वेशन मिल जायगा लेकिन मेरा चपरासी जो कि ब्राह्मण है उसके लड़के को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। **(व्यवधान)**

श्री मही लाल (बिजनौर) : डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने चपरासी के लड़के के पैर छुए थे और दक्षिणा भी दी थी। (**व्यवधान**)

डा० रामजी सिंह : यही कारण है कि महाराष्ट्र में श्री एस० एम० जोशी के बात करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक क्राइटीरिया रखा। इस देश में तथाकथित पिछड़ी जाति के कहलाने वालों में भी सुखी, सम्पन्न और समृद्ध लोग भी हैं और दूसरी ओर दबे, कुचले और गरीब लोग भी हैं जो कि इससे वंचित रह जायेंगे। (**व्यवधान**)

इसलिए हमें इस बात पर काफी शांति से विचार करना चाहिए। हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जहां काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लोगों ने रद्दी की टोकरी में फेंक कर दिलों को दुखी किया था, आपने नया बैकवर्ड क्लासेज कमीशन का गठन किया क्योंकि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि कुछ वर्षों के बाद इसकी जांच होनी चाहिए कि स्थिति में क्या सुधार हुआ है, क्या बदलाव आया है। यह जांच कमीशन जांच करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। मुझे विश्वास है कि जो कमीशन बनाया गया है वह काका कालेलकर कमीशन की मेहनत का लाभ उठायेगा और बदली हुई परिस्थितियों में लोगों की जो आपत्तियां और कठिनाइयां हैं उन पर भी ध्यान देगा।

अभी बिहार में जो रिजर्वेशन की बात हुई, एक नए विचार से जो कुछ हुआ, वहां के मुख्य मंत्री अब तो मुख्य मंत्री नहीं रहे, वहां पर लोगों ने बड़ा आक्रोश किया। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रैशनेल ढंग से बिहार में किया गया, अनेग्ज़र वन और अनेग्ज़र टू में भेद किया गया है, जो बढ़े हुए हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए और जो ज्यादा दबे हुए हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। 12 परसेंट अनेग्ज़र टू के लिए है और 8 परसेंट अनेग्ज़र वन के लिये है। इसके साथ ही जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, उनमें जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी 3 परसेंट है और महिलाओं के लिए भी है। जहां तक समाजवाद की बात है, और किसी के लिए कुछ कहा जा सकता है लेकिन डा० लोहिया के समाजवाद की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। डा० लोहिया ने 60 और 40 परसेंट की बात कही थी जिसमें उन्होंने हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति, गरीब मुसलमान, सभी को रखा था। कुछ लोगों ने कहा

कि आप 60 परसेंट दे रहे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि देना तो चाहिए 90 परसेंट, अभी तो मैं 60 परसेंट की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस प्रस्ताव की भावना के बिलकुल साथ हूँ और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित होकर आए और उस न वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, नई जानकारी के आलोक में हम एक सिफारिश दें और केवल एक सिफारिश ही न दें, बल्कि उसको हम कार्यान्वित भी करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं श्री यादव द्वारा पुरः-स्थापित किये गये संविधान संशोधन विधेयक जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि विधेयक पर चर्चा करते समय हमें देश में व्याप्त सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करनी है क्योंकि इसके बिना चर्चा अर्थहीन होगी। हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर देखें, तो हमें पता चलेगा कि भूमि का स्वामित्व कुछ ही हाथों में सीमित है, औद्योगिक क्षेत्रों में, कुछ परिवारों द्वारा चलाये जाने वाले कुछ एकाधिकार गृहों का औद्योगिक उत्पादन के साधनों पर कब्जा है तथा हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है तथा इसके कारण, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान आर्थिक ढांचे में, लगभग 60% से 70% तक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है, एक वर्ग के लोगों और दूसरे वर्ग के लोगों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ रही है तथा इसके साथ-साथ आय में असमानता भी बढ़ रही है। महोदय, इन असमानताओं का कुल मिलाकर प्रभाव यह हुआ है कि देश में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। हम सभी जानते हैं कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण की संविधान में व्यवस्था की गई है। किन्तु केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्वभर में पूंजीवाद अर्थ-व्यवस्था ने इस प्रकार की असमतायें उत्पन्न कीं कि समाज के निम्न स्तर के लोगों की समस्यायें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तथा यह स्वाभाविक ही है कि आप अल्पसंख्यक मुसलमानों की भी यही शिकायत है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से ईसाई भी यह कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों के लिए उचित आरक्षण निर्धारित करने के लिए मांग की जा रही हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिससे तुरन्त निपटना चाहिए किन्तु ऐसा करने के लिए हमें समस्या के मूल में जाना होगा तथा इसे मूल से उखाड़ने के लिए प्रयास करना होगा अन्यथा कोई भी तदर्थ अथवा सरसरे प्रयास से समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकता है। महोदय, जनता पार्टी ने राष्ट्र को वचन दिया है कि खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों, जिनका हम समर्थन करते हैं, के माध्यम से वे आगामी दस वर्षों में इस देश से बेरोजगारी दूर कर सकेंगे। किन्तु जब तक समाज का पूंजीवादी ढांचा रहेगा, जब तक निहित स्वार्थ वाले समाज को वर्गों में बांटे रहेंगे, गांवों और शहरों में लोगों का शोषण होता रहेगा तथा वे शिकार बनते रहेंगे तथा जनता पार्टी की मात्र पवित्र कामनायें देश के लाखों पीड़ित एवं शोषित लोगों की किसी प्रकार से सहायता न कर सकेंगी। वास्तव में जो जरूरी है वह है समाज के ढांचे में परिवर्तन, जब तक यह नहीं किया जाता, हम अपने लक्ष्य के समीप कभी नहीं पहूंच सकते और जैसा कि मैंने पिछली लोक सभा में, तथा इस लोक सभा के दौरान भी कहा है तथा जैसा कि डा० रामजी सिंह ने

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

सुझाया है, राष्ट्र के प्रत्येक युवक को काम करने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक युवक को, जो काम करना चाहता है काम दिया जाना चाहिए तथा इसे केवल संविधान में संशोधन करके काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाकर ही किया जा सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, समस्या बढ़ेगी और जटिल बनेगी तथा दिन पर दिन और भी ज्यादा जटिल होगी। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मांगें उठाई जाएंगी और यदि इसे मुख्य रूप से सम्भाला नहीं गया, तो मुझे भय है कि राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी। अतः मैं सदन को सचेत करना चाहता हूं तथा सदस्यों से अपील करना चाहता हूं, विशेष रूप से सरकार से, कि उसे अब और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। डा० रामजी सिंह सम्पूर्ण क्रांति के लिए स्वीकृति दें, किन्तु जब तक समाज का पूंजीवादी ढांचा चलता रहेगा, जब तक उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण कुछ पूंजीपतियों के हाथों में रहेगा, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का ज्यादा हिस्सा रहेगा, तथा उसका लाभ विदेशों को भेजा जाता रहेगा, हम इस बुराई को जिसे वर्तमान विधेयक दूर करना चाहता है, कभी भी दूर नहीं कर सकेंगे। अतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि हमें वर्तमान पूंजीवादी आर्थिक ढांचे को बदलने तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे समाज की रचना करने के कार्य में लग जाना चाहिए जिसमें चन्द अमीर लोगों के कल्याण की अपेक्षा आम जनता तथा करोड़ों शोषित लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाये। दूसरे, मैं यह सलाह दूंगा कि उत्पादन के साधनों का सामाजीकरण कर दिया जाए। इससे निजी पूंजी का निर्माण तथा कुछ लोगों द्वारा लाखों लोगों का शोषण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरे, यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्तिगत लाभ की धारणा दूर की जानी चाहिए। एक बार ऐसा कर दिया जाए, तो जो भी पैदा होगा वह समाज तथा इसके लोगों का होगा। सभी लाभों का निवेश कुछ अमीर परिवारों तथा वर्गों के कल्याण और समृद्धि के लिए नहीं होगा अपितु निर्धनों में समान रूप से बांटा जाएगा जो इस समय धन उत्पन्न करते हैं किन्तु लाभ में उनका उचित हिस्सा नहीं है। जैसे ही उत्पादन के साधनों का सामाजीकरण कर दिया जायेगा, लाभ को विकास के कार्य में लगाया जाएगा, तथा इससे और ज्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य उद्योग संचालित होंगे और इस प्रकार से हमारे देश से बेरोजगारी का विष दूर होगा। अतः हमें बुराई की जड़ को खोजना है, तथा ऐसा करने में हम यथेष्ट शक्तिशाली एवं यथेष्ट साहसी नहीं होंगे, तो हम बिना इससे बाहर आए, दुष्चक्र में घूमते रहेंगे। मैं समझता हूं कि समस्या को थोड़ा-थोड़ा हल करने की पद्धति से कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता। महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी सी०पी०आई०(एम) समाज के शोषित-प्रताड़ित वर्गों की न्यायोचित मांगों का तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की मांगों का, मुसलमानों, इसाईयों तथा देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों का समर्थन करती है और समर्थन करती रहेगी, किन्तु मैं उन सबको बता दूं कि हमें संकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। यदि हम यह सोचें कि हम समस्या को कभी हल नहीं कर सकते, तो हम मूर्ख होंगे। अतः देश के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी लोगों का आह्वान करता हूं और कहता हूं – हम एक हों – आइये अपने पूंजीवाद समाज में सम्पूर्ण शोषण का अन्त करें, आइये हम एक होने के लिए एक साथ काम करें तथा सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की दौड़ में जो बहुत पीछे रह गये हैं, उन्हें संगठित करें, आइये हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो शोषण एवं दमन से रहित हो। हमारा देश कृषिप्रधान देश है तथा कृषि का विकास सम्भवतः प्रत्येक योजना का महत्वपूर्ण अंग होगा जिससे गरीबों को

सहायता मिलेगी। कृषि का यथेष्ट विकास भूमिहीनों में भूमि के उचित वितरण तथा कुछेक हाथों में भूमि के सीमित होने की परिसमाप्ति पर निर्भर करता है। अतः हमें विधान बनाना होगा तथा एक उचित भूमि सुधार पद्धति लागू करनी होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्ती शोषण का अन्त कर सकेगी। इससे—निर्धन लोगों की क्रय क्षमता में और वृद्धि होगी, ज्यादा से ज्यादा कुटीर और उद्योग दोनों ही उद्योगों का जन्म होगा—तथा इससे लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। यदि हम ऐसा करने में समर्थ हो सके तो हम एक नये समाज की रचना कर सकेंगे, वर्तमान से बिल्कुल भिन्न समाज—जहां शोषण शब्द को लोग भूल चुके होंगे, जहां एक वर्ग को दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचा कर लाभ नहीं उठाने दिया जायेगा। जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पशुओं से भी हीन नहीं समझा जाएगा तथा जहां मुसलमानों एवं ईसाई लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक का सा दुःखद व्यवहार महसूस नहीं करेंगे। हमें वर्ग संघर्ष शुरू कराना है जो इस पथ के जरिए सम्पूर्ण क्रांति का वातावरण बना सकेंगे तथा निःसन्देह हम अपने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे जो शोषण को संरक्षण नहीं देगा, जो उत्पादन के साधनों के सामाजीकरण के जरिये धन पैदा करेगा, सभी के लिए प्रसन्नता एवं खुशहाली का युग लायेगा। यह एक ऐसा समाज होगा जहां सभी को शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी तथा काम चाहने वालों को काम की गारन्टी दी जाएगी। इसे हम केवल एकता तथा एकीकृत प्रयास से कर सकेंगे, जिसमें संकीर्ण साम्प्रदायिकता की भावना को दूर रखना होगा तथा शोषितों एवं निर्धनों को संगठित करना होगा। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो हमारा राष्ट्र विश्व के सभी राष्ट्रों से अधिक शक्तिशाली और बलवान होगा। महोदय, आपने इस मामले पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

चौ० बलबीर सिंह (होशियारपुर): रिजर्वेशन का बड़ा नाजुक मसला है। रिजर्वेशन से जिन लोगों ने फायदा उठाया है वे उस फायदे के मुस्तहिक नहीं थे। आज उन लोगों को रिजर्वेशन से फायदा पहुंच रहा है जिनकी हालत अच्छी है, जो खुद आई०ए०एस० में हैं। उनके बेटे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनके पास पूरे पैसे हैं और हर किस्म की उनको सुविधाएं मिली हुई हैं। इससे मैं समझता हूँ कि संरक्षण का, रिजर्वेशन का जो मक्सद था वह सारे का सारा खत्म हो जाता है और हो गया है। संरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनके पास साधन नहीं हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई-लिखाई के मामले में पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। जो अच्छे-अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं उनको आरक्षण का लाभ क्यों मिले? फायदा इसका उनको पहुंचना चाहिये जो इसके मुस्तहिक हैं, जिनको इसकी जरूरत है जिनका समाज में मकाम ठीक नहीं है। जिनके लिए रिजर्वेशन रखा गया था उनको इससे फायदा नहीं पहुंच रहा है। वे बेचारे उसी तरह से बैठे हुए हैं। कोई वक्त था जब समाज में उनको कम्पीटीशन करने का मौका नहीं मिलता था, उनको हक नहीं था कि वे या औरतें पढ़ लिख सकें, समाज में बहुत से लोग थे जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्वामी दयानन्द ने और आर्य समाज ने इसके बारे में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा है कि हर आदमी को हक है कि वह बढ़ सके, उसे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। महाभारत का किस्सा आपके सामने है। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि मुझे शिक्षा दो, तो उन्होंने कहा कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपको शस्त्र और अस्त्र विद्या सीखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उस जाति से हैं जिनको मैं पढ़ा नहीं सकता हूं। तो उस समय समाज में एक व्यवस्था

थी, कुछ लोगों के लिए बंदिश थी। वह समाज में कुछ लोगों के मुकाबले में नहीं आ सकते थे। आज जरूरत है इस बात की कि जिनके लिए साधन नहीं हैं उन्हें सुविधाएं दी जाएं।

एक गांव में गरीब आदमी काम करता है, चाहे वह हरिजन है या किसान है। उसके पास साधन नहीं हैं। जब लड़का स्कूल से घर आता है तो घर पर मां-बाप कहते हैं कि बैल ले जाओ, इन्हें पानी पिला लाओ और इनके लिए घास काटकर ले आओ। दूसरी तरफ जब हरिजन का बच्चा आता है तो उसके घरवाले उस बच्चे को अपने साथ काम के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो खुद पढ़े हुए हैं, घर में बीवी पढ़ी हुई है और उनका बच्चा भी अच्छे कांवेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। जब वह बच्चा घर आता है तो उसे हर किस्म की सुविधाएं और साधन मिलते हैं। तो इन अच्छे साधन-सुलभ बच्चों के मुकाबले में वह बच्चे नहीं आ सकते हैं, जिनके पास कोई सुविधा या साधन उपलब्ध नहीं हैं। उन लोगों के लिये आज जरूरत है कि हम उनके लिए कोई आरक्षण दें। हम उन लोगों के लिए इस किस्म की सहूलियतें दें कि वह उनके मुकाबले में आ सकें जिनको सारी सहूलियतें मिली हुई हैं। उनका वह बच्चे किसी भी जगह मुकाबला कर सकें। लेकिन आज इसके उलट बात होती है। आज जिनके लिए हमने यह रिजर्वेशन रखी है, उनको तो फायदा नहीं पहुंचता। अब एक क्लास पैदा हो गई है, चाहे वह हरिजन है या बैकवर्ड क्लास है या दूसरी आदिवासी जाति के हैं, वह एक क्लास है और सिर्फ उस क्लास के लोगों को फायदा है, उन्हीं को फायदा पहुंच रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम यह देखें कि जिनको साधन नहीं मिले हैं, समाज में लगातार पिछड़े रहे हैं, जिनका शोषण किया गया है उनको मदद दें। नौकरियों वगैरा की बात खत्म हो जाती है, अगर हम हर हाथ को काम दें।

जो विधेयक इन्होंने पेश किया है, वह एक महदूद दायरे में है। अगर हम हर हाथ को काम दें, तो उसके लिए रैज्यूलूशन लाना चाहिए, अपने विधान में संशोधन करें कि हर आदमी को काम मिले और उसमें इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी न हो। हम कम-से-कम और ज्यादा-से-ज्यादा जहां तक हो मुकर्रर कर दें कि इतना मिलेगा। आज जो नौकरियों के लिए दौड़ है उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो डेढ़ सौ और 200 रुपये मिलते हैं और दूसरी तरफ हजारों और लाखों रुपये मिल रहे हैं। तो इस डिस्पैरिटी के कारण भी लड़ाई है।

बाहर के देशों में जो जाने वाले हैं, वह जानते हैं कि वहां जो हाथ से मेहनत का काम करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। जो ह्वाइट कालर लोग हैं, उनको वहां कम पैसा मिलता है। लेकिन जो भट्टी के आगे खड़े होकर काम करते हैं, उनको ज्यादा मिलता है। जो दफ्तर में एयर-कंडीशन्ड में जाकर बैठते हैं कागज का काम करते हैं, उन्हें कम मिलता है और जो बाहर काम करते हैं उनको ज्यादा मिलता है। आज जो पूंजीपति देश हैं, वहां दूसरी व्यवस्था है। वहां हाथ से मेहनत करने वाले की इज्जत है, लेकिन यहां हाथ से मेहनत करने वाले की इज्जत नहीं है। जो सफाई का काम करता है, उसे पैसा भी कम है, समाज में सम्मान भी कम है। जो आदमी कोई काम नहीं करता, दफ्तर में पंखे के नीचे बैठा कागज देखता रहता है, उसे यहां ज्यादा पैसा मिलता है और मान भी ज्यादा है। जैसा डा० रामजी सिंह ने कहा है, आज सारे समाज के ढांचे को बदलने की जरूरत है। हमें ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि काम करने वाले और मेहनत करने वाले के लिए समाज में इज्जत हो, उसको पेट भर रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मिल सके। हर एक आदमी को

काम मिले, और अगर सरकार किसी को काम न दे सके, तो उसे बेकारी एलाउंस दिया जाये। जिन देशों को पूंजीवाद देश कहा जाता है, अगर वहां पर हिन्दुस्तान से गये किसी आदमी को इमीग्रेशन का पर्चा मिल जाये और वहां ठहरने का हक मिल जाये, और अगर वह आदमी, जिसका वहां की धरती और वहां के समाज से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका रंग और नस्ल वहां के लोगों से अलग है, वहां एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाता है, तो 48 घंटों में कोई काम न मिलने पर सरकार उसे बेकारी एलाउंस देती है। जिस आदमी का उस देश से कोई ताल्लुक नहीं है, जो उस देश का ही नहीं है, लेकिन अगर उसे एक पर्चा मिल जाये कि वह उस देश में ठहर सकता है, तो उसे काम करने का हक मिल जाता है।

अगर हमारे देश में भी हर हाथ को काम मिले, तो यह रिज़र्वेशन वगैरह का सब चक्कर खत्म हो जाता है। जनता पार्टी के मैनिफ़ैस्टो में भी हमने कहा था कि हम हर हाथ को काम देंगे।

इस देश की धरती में हर एक चीज मौजूद है। यहां पानी है, जमीन अच्छी है, हर किस्म का मौसम है, हर चीज पैदा होती है। जब यहां पर काम करने वाले हाथ हैं, काम करने वाले दिमाग मौजूद हैं और दौलत देने वाली धरती है, तो फिर हमारे देश में कमी क्या है ?—कमी है हिर्फ आर्गनाइज़ेशन की, तरतीब की और हमारे संकल्प की। अगर हमारा संकल्प हो, तो हम हर आदमी को काम दे सकते हैं और हर आदमी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दे सकते हैं। इस तरह हमारा हर आदमी देश की तामीर में जुट जायेगा।

जहां तक रिज़र्वेशन का सवाल है, बहुत से लोगों को उसकी वजह से बिला-वजह फायदा हो रहा है। सरकार यह तय कर दे कि जिन लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक—इकानौमिक, सोशल और एजूकेशनल—हालात अच्छे हो चुके हैं, वे लोग इससे फ़ायदा न उठा सकें और जिन लोगों के पास ये सब सुविधायें नहीं हैं, उनको इससे फ़ायदा मिल सके। अगर ऐसा इन्तजाम हो जाये, तो हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, देश तरक्की कर सकेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं एक कहानी से अपना भाषण शुरू करता हूं। हमारे धर्म-ग्रन्थों में कथा है कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था, तब समुद्र-मन्थन किया गया था। उसके लिए पहाड़ को मथानी और नाग को रस्सी बनाया गया था। सवाल यह उठा कि नाग का मुंह कौन पकड़े—देवता पकड़ें या दानव पकड़ें। देवताओं ने कहा कि हम लोग नाग का मुंह पकड़ने वाले नहीं हैं, हम तो उसकी पूंछ पकड़ेंगे। तब दानवों ने नाग का मुंह पकड़ा और समुद्र-मन्थन हुआ। समुद्र में से हीरे, जवाहरात और नव-रत्न निकले, और एक अमृत का घड़ा भी निकला। तब यह विवाद होने लगा कि अमृत कौन पियेगा। दानवों ने कहा कि कमाने वाला खायेगा, हम लोगों ने नाग का मुंह पकड़ा है, अमृत का घड़ा हमें मिलना चाहिए। देवता यह नहीं चाहते थे, लेकिन वे यह बात सीधे कैसे कहें ? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पंच-निर्णय कराया जाये। भगवान् विष्णु ने मोहनी, सुन्दरी, का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि मैं जो बात कहूंगी, वह सब को माननी पड़ेगी। दानवों और देवताओं ने कहा कि ठीक है। मोहनी मुस्कराती तो थी दानवों की तरफ़ देख कर, मगर अमृत का घड़ा बढ़ाती थी देवताओं की तरफ़। घड़ा इस तरह बढ़ते-बढ़ते जब देवताओं की तरफ चला जा रहा था तो उसमें एक दानव होश्यार था—राहु। राहु ने देखा कि यह तो सब घड़ा उधर ही बढ़ जायगा तो उसने क्या किया कि भेष बदल कर और देवता का रूप धारण कर देवताओं की श्रेणी में जा कर बैठ

गया। जब वहां जाकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया। उसने अमृत पी लिया तो वह तो अमर हो गया। देवताओं ने देखा कि दानव ने अमृत पी लिया है तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि यह तो दानव है, इसने अमृत पी लिया। तब विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गये चक्र लिए हुए और चक्र से उस दानव की गर्दन उन्होंने काट दी। तो उसके दो हिस्से हो गए जो राहु और केतु के नाम से आज तक चले आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग राहू और केतु के नाम से विख्यात हैं। आज पांच हजार वर्षों से और पिछले तीस वर्षों की कांग्रेस हुकूमत में यही स्थिति रही कि मोहिनी रूपी सरकार मुस्कराती तो है गरीबों की तरफ देखकर और उसका अमृत वाला घड़ा खुला हुआ है बड़े-बड़े लोगों के लिए, टाटा बिरला के लिये। यह बात अभी भी हम लोगों के दिमाग में न आवे, हमारी समझ में न आवे तो आश्चर्य की बात है।

हमारे नेता बलबीर सिंह जी बैठे हुए हैं। वह जानते हैं, हम लोग जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं उसमें हमेशा हमें यही पढ़ाया गया है कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ। इसके पहले रूपनाथ सिंह यादव जी का रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज़ का बिल आया था। इन्होंने तो हूबहू उसी लाइन पर अपना बिल रखा है कि 60 प्रतिशत स्थान पिछड़े लोगों के लिए आप सुरक्षित कीजिए। मैं आपको संविधान की तरफ अब ले चलता हूं और मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी पाटिल साहब स्वयं विद्वान और एक बहुत बड़े वकील हैं, वह जानते हैं, इस में कहीं इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। आप देखिये कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 15 (4) को, उसमें लिखा हुआ है :—

15 (4) : "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

फिर आप आर्टिकल 16 (4) को देखिये, उसमें लिखा हुआ है :—

16 (4) : "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

यह बिलकुल स्पष्ट रूप से उस में दिया है। इसलिए यह जो तर्क दिया जाता है कि यह नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है। इसमें दो चीजें सामने आती हैं। अभी काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट की बात की गई। डाक्टर साहब ने उसके बारे में कहा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझको कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जानवर के दो मुंह होते हैं या सांप की दो जीभ होती है लेकिन आदमी की भी दो जीभ हो जाएं, यह पहलो बार इस सदन में आने के बाद देख रहा हूं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हरिजनों के लिए रोज आंसू बहाती हैं लेकिन बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने कहा कि हम हरिजनों को हथियार देंगे, यह बेमेल लड़ाई नहीं चलने वाली है कि एक तरफ रायफल और बन्दूक हों और दूसरी तरफ निहत्थे परिजन हों, यह हम नहीं चलने देंगे और बेमेल लड़ाई नहीं होगी, या तो दोनों को हथियार मिलेगा और नहीं तो दोनों के हथियार छीन लिए जायेंगे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरे दिन अखबारों में बयान आ गया कि हरिजनों को हथियार देना गलत है—श्रीमती इंदिरा गांधी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : दो मुंह से बोलती हैं न ।

श्री राम विलास पासवान : दो जीभ से ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ । 1953 में 21 जनवरी को डा० राजेन्द्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने काका कालेलकर की अध्यक्षया में एक आयोग की स्थापना की । 1955 में काका कालेलकर आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 1979 में हम लोग उस पर विचार करने के लिए बैठे हुए हैं । 55 में रिपोर्ट दी गई और 24 वर्ष बाद हम लोग फिर बैठे हैं उस पर विचार करने के लिए । और फिर प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि हम दूसरा आयोग गठित करते हैं । अब दूसरे आयोग के अध्यक्ष हैं श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मण्डल । 24 वर्ष तक इनका कार्यकाल चलेगा । दो वर्ष बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुते कर देंगे और उस रिपोर्ट को खटाई में डाल दिया जाएगा । 24 वर्ष बाद तीसरे प्रधान मंत्री आयेंगे, वह कह देंगे कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया है, इसलिए हम एक तीसरा आयोग गठित करते हैं । तो आप कमीशन के ऊपर पैसा खर्च कीजिए, और चीजों पर खर्च कीजिए, लेकिन आपकी नीयत कहीं साफ नहीं है । इसलिए मैंने कहा कि जब तक नीति और नीयत—दोनों साफ नहीं होंगी शासक की तब तक देश का भला नहीं होगा । डाक्टर साहब ने जो बात कही वह ठीक कही । जब जब इस देश का राजा उच्च जाति का रहा, मंत्री ब्राह्मण रहा तो वह स्वर्ण काल नहीं कहलाया । स्वर्ण काल तभी कहलाया जब चन्द्रगुप्त राजा हुए । छत्रपति शिवाजी का शासन सबसे अच्छा माना गया । इसलिए यह कहना कि चूंकि यह पिछड़े लोग हैं, इनको कोई पोस्ट देंगे तो सम्हाल नहीं पायेंगे—यह बिल्कुल गलत है । वर्तमान शासन की नीयत बिल्कुल साफ हैं इसलिए वह अपनी नीति को भी स्पष्ट कर दे ।

यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है । मैं जनता पार्टी के मेनिफेस्टो का हवाला देना चाहता हूं । दो साल से अधिक हो गये हैं, अगर यह सम्भव नहीं था तो आपने जनता के बीच में क्यों इनको प्रचारित किया ? मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक रिज़र्वेशन में विश्वास रखने की बात है, अभी भी मधु लिमेय जी हैं, राज नारायण जी हैं, मामा बालेश्वर दयाल हैं, श्यामनन्दन जी मिश्र हैं, जेठमलानी जी हैं—इस मामले में कहीं दो राय नहीं हैं । इस देश का सोभाग्य रहा है कि पिछड़े लोगों की लड़ाई को ऊंचे कुल के लोगों ने ही लड़ी है । यहां पर काका कालेलकर की बहुत चर्चा की जाती है, वे पंडित थे, ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट बड़े स्पष्ट रूप से पेश की थी ।

जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में लिखा है :

> "जनता पार्टी का मत है कि समाज के इन पिछड़े वर्गों तथा शिक्षा और सम्पन्नता की दृष्टि से उन्नत वर्गों के बीच जो खाई है उसको शीघ्रता से तभी पाटा जा सकता है जबकि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवहार की नीति अपनाई जाए । अतएव पार्टी इन वर्गों को शिक्षा और रोजगार के विशेष सुयोग देगी । कालेलकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 25 से लेकर 33 प्रतिशत तक नौकरियां सुरक्षित की जाएंगी । हरिजनों को मकान बनाने के लिए जमीन दी जायेगी ।"

अब सवाल उठता है क्या सरकार को यह पावर है कि वह 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कर सके ? मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन जैसा मैंने संविधान को पढ़ा और

समझा है, उसके मुताबिक संविधानिक दृष्टिकोण से इस पर कोई रोक नहीं है। आप देखें कि 1971 की एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में, ए आई आर, पेज 1710 पर आप देखें :

> "कि कमजोर तथा शक्तिशाली—दोनों वर्गों के दावों को समायोजित करने के लिए कमजोर वर्ग के लिए सामान्यतः50 % आरक्षण होना चाहिए, यद्यपि कोई परिवर्तनशील प्रतिशत निश्चित नहीं किया जा तका तथा वास्तविक आरक्षण प्रत्येक मामले में उपस्थित संबंधित परिस्थितिओं पर निर्भर करते हैं।"

इसमें भी कहीं रोक नहीं लगी है कि आप 50 परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसीलिये मैंने दो बातें कही हैं। आज इस देश में ऐसा मौका आ गया है जब कि आप पिछड़े लोगों को बहुत दिनों तक दबाए नहीं रख सकते हैं। पिछड़े लोगों का एक बवण्डर पूरे देश में जो चला है उसको सम्हालने के दो ही रास्ते हैं। आज हरिजनों को कत्ल करने की बातें सामने आती हैं, हरिजनों पर ऐट्रासिटीज़ होती हैं—इसको आप रोक नहीं सकते हैं। कल तक हमारे बाप दादा को कोई लप्पड़ मार देता था तो हमारे बाप दादा उसको सह लेते थे लेकिन आज हम इस पोज़ीशन में हैं कि अगर कोई भी हमको आंख दिखलायेगा तो हम भी उसकी आखें बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष होगा ही और इसको कोई रोक नहीं सकता है।

जहां तक मनुस्मृति की बात है—मैंने तो उसे देखा नहीं है और न पढ़ा है—लेकिन यह आम किवदन्ती है कि अगर कोई अछूत खटिया पर बैठ जाए तो उसके चूतर काट लो, अगर किसी के कान में वेद का उच्चारण हो जाए तो उसके कान में सीसा डाल दो, कोई वेद का उच्चारण कर दे तो उसकी जीभ काट लो। इस तरह की भावना पहले से बनी हुई है। आज मैं भी अपने से नीचे वाले को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं समझता हूँ मैं ऊंची जाति का हूँ। इसी तरह से विनायक बाबू जब मुझे देखते हैं तो उनको भी खुशी होती है लेकिन जब उनके ऊपर किसी ठाकुर की लात पड़ती है तो उनको भी गुस्सा आता है। इस तरह की जो भावना है उसको दबाने के दो ही तरिके हैं। ज़मीन के गर्भ में जो गरम पत्थर हैं वह धीरे-धीरे निकल जाये वरना ज्वालामुखी फूटेंगे और बवन्डर आयेंगे। तो मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान में उस तरह का ज्वालामुखी नहीं फूटेगा और इसके लिये मैं अपनी सरकार से और जनता पार्टी की जो हुकूमत है उससे, और अपने मंत्री श्री पाटिल साहब से आग्रह करूंगा कि पाटिल साहब आज इस बात को कबूल कीजिए कि समाज में जो जनरल रूल है, उसके अपवाद में श्री जगजीवन राम हैं। जगजीवन राम जी सब नहीं हैं और पिछड़ी जातियों में सब लोग ही एजूकेशनली और सोशली आगे नहीं हैं, उनमें बहुत से लोग इस मामले में बहुत बेकवर्ड हैं।

इन्होंने डा० राजेन्द्र प्रसाद की बात कही। डा० राजेन्द्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे, तब उनको अपने चपरासी के पांव छूने पड़े क्योंकि वह ब्राह्मण थे। जगजीवन राम जी की आप बात करते हैं। वाराणसी में उनके साथ क्या हुआ ? श्री जगजीवन राम जी ने जिस मूर्ति का अनावरण किया, उसको धोया गया। तो कैसे इस बात को हम नज़रान्दाज कर सकते हैं। समाज में जो ऐसी बातें होती हैं, उनको हम नज़रान्दाज न करें और इसलिए मैं आप से कहता हूँ और पहले भी मैंने कहा था कि एक व्यक्ति एक रोजगार। एक परिवार में एक रोजगार आप कर दें लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि एक परिवार है, उसमें एक भाई कल-कारखाने का मालिक है, दूसरा भाई 4 हज़ार बीघा जमीन का मालिक है, तीसरा भाई आई०ए०एस० बनने के बाद सेक्रेटरी

हो कर राज्य चलाएगा और चौथा भाई राजनीति में मंत्री बन कर राज्य चलाएगा यानी एक परिवार का चारों तरफ वर्चस्व है। उसको हम खत्म नहीं करते हैं। अभी इस हाऊस में एक बिल आया था, यमुना प्रसाद जी का एक बिल आया था कि राइट टू जोब होना चाहिए, जिसको सरकार ने नहीं माना। सरकार जब राइट टू जोब नहीं मान सकती है, सरकार जब एम्पलायमेंट एलाऊन्स नहीं दे सकती है. तो हमने भी एक बिल उम्र की सीमा के बारे में यहां पर मूव किया हैं कि 25 साल की बजाए 50 साल नौकरी के लिये उम्र की सीमा हो और उस उम्र में जब नौकरी मिलेगी, तो दो, तीन साल नौकरी में रहेंगे। जब आप कुछ नहीं कर सकते, तो शोषित, पीड़ित लोगों के मन में आक्रोश का होना स्वाभाविक है और मैं समझता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों में श्री विनायक प्रसाद जी का जो विधेयक है, वह सही है। पहले यह नारा लगाया जाता है "संसोपा ने बांधी गांठें"--अब जनता पार्टी बन गई है, तो यह नारा लगाना चाहिए "जनता पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ"। जो तमाम पिछड़ा वर्ग है, दलित और पीड़ित लोग हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह बात नहीं है कि जो हमारा रिजर्वेशन है, इससे हमारी आर्थिक समस्या का निदान हो जाएगा। यह बात सही है कि इससे हमारी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। यदि सरकारी अफ़सर ईमानदारीपूर्वक रहें, तो मरने के समय उनके पास एक पैसा भी नहीं रहता है। यह भी आप देखिये कि यदि एक गरीब घर का लड़का है या हरिजन का लड़का है और वह करोड़पति है, तो उस को भी सलामी करनी पड़ती है जातिगत व्यवस्था के आधार पर लेकिन उसी हरिजन का लड़का अगर डी०एस०पी० या एस०पी० बन जाता है, तो कोई भी जाति के लोग हों, कुर्सी के डर से उनको उस की सलामी करनी पड़ती है। इसमें सामाजिक न्याय की बात है और इसमें और कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल को सहज स्वीकार कर लें जिस से कम-से-कम आगे आने वाला इतिहास, आगे आने वाला समय यह बतला सके कि जनता पार्टी की जब हुकूमत थी, तो उसने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ काम किया।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

16.58

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : सभापति महोदय, वास्तव में यह जो आज विधेयक आया है, इस की भावना का तो मैं आदर करता हूं परन्तु यह विधेयक अपनी सीमाओं को लांघ गया है। इसलिए मुझे खेद के साथ इस का विरोध करना पड़ रहा है।

मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता लेकिन इसके पहले एक शब्द पर ही मुझे आपत्ति है। इसमें 'वर्ण' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि 'वर्ण' और 'जाति' में अन्तर होता है। वर्ण-व्यवस्था का आधार जन्म नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव है। दुर्भाग्यवश, वह आधार समाप्त हो गया है और जन्म ने उसका रूप ले लिया है अन्यथा गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर कोई भी योग्यता प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है और वैश्य बन सकता है और कर्म से वह ऐसा हो सकता है। तो यह जो व्यवस्था है इसने जन्म का रूप ले लिया है, जोकि एक विकृत रूप है और जिस के खिलाफ़ रेवोलूशन होना

चाहिये। चाहिये तो यह था कि वर्तमान जन्मगत जातियों को तोड़ने के लिए आज एक विधेयक आता और कोई रेवोलूशन होता। श्रद्धेय जय प्रकाश नारायण जी ने इसी सामयिक रेवोलूशन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था और समग्र क्रन्ति का यही अर्थ था कि जन्म पर आधारित मोनोपली को तोड़ा जाए। आप ने आरक्षण की बात कही है। नौकरियों में आरक्षण, मैं समझता हूं, संसार के किसी भी देश में, जहां पर प्रजातन्त्र के आधार पर शासन चलता है, आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां हमारे संविधान के बनाने वालों ने इस देश की परिस्थितियों का ध्यान करके आरक्षण लागू किया। क्योंकि शताब्दियों से कुछ वर्गों को जानवरों से भी बुरी हालत में फेंक दिया गया था। उन्हें कूओं हर चढ़ने नहीं दिया जाता, घरों में आने नहीं दिया जाता, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। उन्हें एक प्रकार से नगरों से दूर फेंक दिया गया। ऐसी स्थिति में वे हर दृष्टिकोण से पिछड़ गये। इसीलिए आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने उन्हें संरक्षण देना आवश्यक समझा। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बुद्धिमानी का काम किया। अगर वे यह नहीं करते, इस प्रकार से उन्हें आरक्षण नहीं देते तो वे इस देश के प्रति भी अन्याय करते और इन वर्गों के प्रति भी अन्याय करते। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक ढांचा सभी कुछ लड़खड़ा जाता। उन्होंने यह किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

लेकिन उन्होंने इसके लिए आधार बनाया कि जो देश में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि-कोण से पिछड़े हुए हैं और विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं उनको विशेष सुविधाएं जी जाएं। उन्होंने प्रारम्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के वर्गों को इसमें रखा जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। लेकिन इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विशेष कानून बनाया गया वह केवल आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ों के लिए नहीं था बल्कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए थे उनके लिये था। उस समय के कानून बनाने वालों ने इसलिए यह भी कानून लबाया कि अगर कोई हरिजन या अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में जिसे कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता है चला जाता है तो उसे मिलने वाली सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। इस बात की व्यवस्था हमारे संविधान में है।

सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े हुए हैं और जिनको अभी आरक्षण के लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं उनका अधिकार है कि वे आरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। लेकिन इस मामले में मैं यह समझता हूं कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत हो गये हैं और जो अभी अनुसूचित जातियों की कोटि में हैं उनके बारे मे गवर्नमेंट को अपनी पालिसी में परिवर्तन करना चाहिए। और उनको आरक्षण से प्राप्त होने वाली सुविधाएं बंद कर देनी चाहिएं। आगे से आरक्षण का लाभ और सुविधाएं उनको ही मिलनी चाहिएं जो कि अभी भी सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश हो यह रहा है कि जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण दोनों से उन्नत बन गये हैं और जिन्होंने इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर लिया है वे ही इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में इन सुविधाओं का लाभ और आरक्षण का लाभ अब उन लोगों को मिलना चाहिए जिन तक यह लाभ अब तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी पालिसी में परिवर्तन करना चाहिए ताकि वास्तव में जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वे उठ कर खड़े हो जाएं और उन्नत

समाज का अंग बन जाएं। जब तक वे यह नहीं बन पाते हैं तब तक उनके लिए आरक्षण चालू रखना चाहिए।

इस संविधान विधेयक में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दें। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग आखिर कौन है ? पिछड़े वर्ग का आधार क्या है ? दुर्भाग्यवश इस देश में पहली सरकार द्वारा और इस सरकार द्वारा भी एक बहुत भारी भूल की जाती रही है जिसको कि अगर सुधारा नहीं गया तो इस देश में संकीर्ण साम्प्रदायिकता, जातिवाद और वर्गभेद कभी समाप्त नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि पिछड़ा वर्ग कौन है ? अल्पसंख्यक कौन है ? बहुसंख्यक कौन है ? क्या जन्म के आधार पर जो इस वर्ग में आते हैं, क्या उन सभी को देश के हित के दृष्टिकोण से संरक्षण मिलना चाहिए ? क्या अपने-अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए संरक्षण मिलना चाहिए ? परन्तु सरकार को संरक्षण धर्म या जन्म के अधार पर नहीं देना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को सहायता मिलनी चाहिये। ऐसे लोग जो शैक्षणिक दृष्टिकोश से पिछड़े हुए हैं उनको भी विशेष संरक्षण मिलना चाहिये। मेरी दृष्टि से सरकार को उनको संरक्षण इस रूप में प्रदान करना चाहिये कि उनके बच्चों की स्कूलों में फीस माफ हो और वे चाहे जहां तक पढ़ना चाहें, पढ़ सकें बिना फीस के, पूरा उनको स्कालरशिप मिले, उनको बाहर जाने के लिए स्कालरशिप मिले, उनके लिए एज की कोई लिमिट न हो। कम्पटीशंज़ में जो बैठना चाहें उनके लिए विशेष क्लासिस लगाई जाएं ताकि वे योग्यता प्राप्त कर सकें और कम्पटीशंज़ में आ सकें।

वर्तमान सूची जो पिछड़े वर्गों की है उसको आप देखें। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऐसा कहने से किसी की भावना को ठेस पहुंच सकती है। मैं अपने गांव में देखता हूँ। वहां पर कुछ लोगों ने बाकायदा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। उनके पास चार पांच हजार एकड़ जमीन है, बड़े-बड़े महल हैं। कल परसों मैं हरियाणा गया हुआ था। कुम्हार जो पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल है, मैं देख कर हैरान हो गया कि उसका एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। चूंकि किसी ने पिछड़े वर्ग में जन्म लिया है, इसलिए वह अर्थिक सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है इसके बारे में सरकार को फिर से सोचना होगा, विशेष सुविधा कहां आप दें, कहां न दें इसको आपको देखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं उनको आप विशेष सुविधाएं दें। जब आप लाइसेंस बांटें, परमिट बांटें वे आप उनको दें। फैक्ट्रियों के लिए बिजनेस के लिए बैंकों से सहायता आप उनको दिलाएं। जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको पहले सहायता मिलनी चाहिये, पहले परमिट मिलने चाहिये। दिल्ली में ही आप देख लें। पूरी मार्किट में आपको पिछड़े वर्ग के आदमी की कोई दुकान नहीं मिलेगी, किसी भी हरिजन की दुकान नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि शहर के अन्दर दुकानें बनाई जाएं तो उनको दुकानें बीच में दी जाएं उन दुकानों के और परमिट लाइसेंस ट्रेनिंग आदि देकर उनको आप बिज़िनेस और फैक्ट्रियों में प्रवेश दें, उनका आप उनमें प्रवेश कराएं।

मैं ईस्ट अफ्रीका में गया था। वहां की सरकार ने पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने की चेष्टा की है। कैनिया की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो जंगली लोग हैं अफ्रीकी लोग हैं उनको जब तक किसी भी कंसर्न में पार्टनर नहीं बना लिया जाता है, एक्टिव पार्टनर नहीं बना लिया जाता है और बिना उसकी पूंजी के उसको पार्टनर नहीं बना लिया जाता है तब तक किसी भी कंसर्न को और लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी। तीस साल हो गए हैं, अगर हमारे

देश में ऐसा काम किया गया होता और इस प्रकार का कानून बना दिया गया होता तो पिछड़े वर्ग के लोग हमारे बराबर आ कर खड़े हो सकते थे, सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन कानून बनाने वाले और शासन करने वाले ऐसे लोग थे जो इस प्रकार की बात नहीं चाहते थे। आप सीलिंग को ही लें। देश में भूमि पर सीलिंग का कानून बनाया गया। यह कहा गया कि इससे भूमिहीनों को भूमि मिलेगी। लेकिन कोई भी भूमि इस कानून से आपको नहीं मिली। आप ने कानून तो बना दिया लेकिन कुत्ता, बिल्ली, बैल तक के नामों पर भूमि करा-करा कर इस सीलिंग के कानून से लोग बच निकले और एक भी एकड़ भूमि आपको इस सीलिंग के कानून से नहीं मिल सकी। जो भूमिहीन थे वे ज्यों के त्यों भूमिहीन बने हुए हैं। कानूनों का इम्प्लेमेंटेशन जिन के हाथ में था उनके ही दिल में बेईमानी थी, उनके ही दिल में इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं थी और यह सब उसका नतीजा है। विशेष रूप से आरक्षण के लिए मै कह रहा हूं कि मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए और औरों के लिए भी जिनको इसकी आवश्यकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में जन्म और धर्म के आधार पर आरक्षण नौकरियों में नहीं होना चाहिये। केवल आर्थिक दशा सुधारना ही नहीं अपितु पूरे देश का शासन उन लोगों के हाथ में होगा जो नौकरियों में आएंगे। वे इंजीनियर डाक्टर बनेंगे और देश के कर्णधार बनेंगे। नौकरियां मैं समझता हूं योग्यता के आधार पर दी जानी चाहियें और जन्म और धर्म के नाम पर किसी को नौकरी में आरक्षण देना सिद्धान्ततः मैं गलत समझता हूं। जितनी बात स्वीकार की हुई है गवर्नमेंट ने उसको मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उनको शताब्दियों तक दबा करके रखा गया है और इस वास्ते उनके संरक्षण को हम टच न करें। लेकिन आगे जो तरक्की है और दूसरे वर्ग जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनका भी ख्याल किया जाए। उन्नत वर्ग के ऊपर लगाम लगाई जाए और पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाया जाए और ऊपर इस ढंग से उठाया जाए कि देश के प्रशासनिक ढांचे में कोई फर्क न पड़ने पाए। अगर बाड़ ही जिसको हमने संरक्षण के लिए बनाया है वह खेत को खाने लगेगी तो बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिये मुझे माफ कीजिये, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसका सिद्धान्ततः विरोध करता हूं। यह विधेयक, अच्छी भावना होते हुए भी देश के लिये हितकर नहीं हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : समाजवाद कैसे आयेगा ? आप विरोध कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : समाजवाद, आर्थिक दृष्टिकोण से लड़ाई लड़ेंगे तब आयेगा। धर्म और जन्म के नाम हर लड़कर न कभी समाजवाद आया है और न आ सकेगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, श्री विनायक प्रसाद यादव के बिल के संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि उनकी भावना वस्तुतः सही है क्योंकि आजादी को 32 साल हो चुके हैं लेकिन इतने दिनों के बाद भी इस तरह की भावना जोर पकड़ रही है कि नौकरियों में आरक्षण होना चाहिये।

कल ही हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विषय पर जब विचार चल रहा था तो यही सुना कि अल्प-संख्यकों का चरित्र उसका होना चाहिये, माइनौरिटी करैक्टर होना चाहिये। यह सब बातें हो रही हैं और इतने वर्षों से हरिजन व आदिवासी अलग-अलग आन्दोलन कर रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के अन्दर यह बताया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों की निरन्तर उन्नति की जायेगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा, ऊपर उठाया जायेगा। उनका

सामाजिक और शैक्षनिक दृष्टिकोण से इतना विकास किया जायेगा कि वह समानता के लैबल पर आ सकें। संविधान की प्रस्तावना में भी समानता, स्वतंत्रता और भाई-चारे की भावना आदि सारी बातें हैं लेकिन बराबर यह आवाज दी जाती रही है कि समाजवादी व्यवस्था लायेंगे। कभी अन्त्योदय और कभी सर्वोदय और नाना प्रकार की बातें होती रही हैं। इसके बावजूद भी स्थिति यह है कि कमजोर वर्ग दौड़ तो रहा है, इसमें दो मत नहीं हैं, उनकी स्थिति बदली तो है, लेकिन अपेक्षाकृत यह बहुत कम हुआ है। इसलिये चारों तरफ एक तरह से वर्ग-संघर्ष की स्थिति सारे देश में पैदा हो गई है। अगर संविधान में दी गई भावनाओं और प्रावधानों का अनुसरण ठीक से किया गया होता, केवल किताबों में ही जानकारी पड़ी नहीं रहती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिये जितनी भावनाएं या प्रावधान थे, उनका मनसा वाचा कर्मणा के हिसाब से हमारे प्रतिनिधियों या सरकार चलाने वालों को काम करना चाहिये था, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं था। उसी का परिणाम यह हुआ है कि आज 32 वर्ष के बाद भी इस तरह की बातें हो रही हैं जबकि संविधान में 20 वर्ष के आरक्षण की बात थी। लेकिन इस अवधि को 32 वर्षों तक चलाया गया है और आगे भी बढ़ाया जा रहा है और फिर बैंकवर्ड का कमीशन बनाया जा रहा है। आज इसकी जरूरत क्यों है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से समाज का उत्तरोत्तर विकास हो जाना चाहिये था। लेकिन यह साफ जाहिर करता है कि हमारे पीछे की जितनी सरकारें बनी हैं, सब की नियत साफ नहीं थी। भाषण में कहते रहे कि समाजवादी व्यवस्था लायेंगे समाजवाद में लगता है कि व्यक्तिवाद पहले और समाजवाद बाद में, इंडिविजुअलिज़्म फर्स्ट और सोशलिज़्म बाद में। जितने नेता हुए हैं, उनके भाषण सुन्दर और अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी बातों को कार्यान्वित करने की बात आती है तो वह बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता है। यही कारण है कि समाज में बहुत गहरी खाई बनी हुई है। अगर यह संशोधन भी हो जाता है, तब भी उस खाई को मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आती है, जब तक देश और समाज के प्रति सहानुभूति दिल में नहीं होती है, तब तक कोई भी संशोधन या कानून ज़मीन पर नहीं उतर सकता है और इसलिए हरिजन-आदिवासियों, बैंकवर्ड क्लासिज़, कमज़ोर वर्गों का विकास सम्भव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की भावना वस्तुतः ज़मीन पर है।

बिहार में आरक्षण के नाम पर सरकारें गिरीं और बनीं। यू०पी० में भी वही स्थिति हुई और यह प्रवृत्ति देश के प्रायः हरएक प्रान्त में बढ़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसलिए आज लोग अन्त्योदय की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अन्त्योदय किस का ? केवल भाषणों से अन्त्योदय नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए क्या काम किया गया है, उनका कितना विकास किया गया है और उनका स्तर कितना ऊपर उठा है। अगर भावनाओं को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाता है, अगर हमारे विचार केवल किताबों और सिद्धान्तों तक ही सीमित रह जाते हैं, तो समाज का हित कभी भी नहीं हो सकता है—32 वर्ष हो गये हैं, पचास वर्ष के बाद भी समाज जहां का तहां रह जायेगा। जो लोग बढ़ रहे हैं, वे वातावरण के प्रभाव से बढ़ रहे हैं। बहुत से उच्च विचार और भावनायें व्यक्त की जाती हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन पर नहीं उतारा जाता है।

यह सही है कि जनता सरकार के आने के बाद सम्पूर्ण क्रान्ति या समग्र क्रान्ति का एक वातावरण बहुत ज़ोरों से बना है, और समाज के पद-दलित वर्ग से ले कर अन्नत वर्ग तक में एक

भाव अंकुरित हो उठा है कि वे किस तरह आगे बढ़ें, बीसवीं सदी की वैज्ञानिक चकाचौंद में वे पीछे न रह जायें। आज इसके पीछे नये आयाम, नये विचार और नई जागृतियां काम कर रही हैं। 1977 से आज तक जनता की सरकार है। लोग अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, चाहे वे सरकार के पक्ष में हों या विरोध में।

जब बिहार में हरिजनों पर जुल्म हुआ, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी हाथी पर सवार हो कर—और हाथी की तरह ऊंची भावना ले कर— वहां गईं। लेकिन जब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि हरिजनों को आत्म-रक्षा के लिए हथियार दिये जायें, तो उन्होंने उसके विरोध में विचार व्यक्त किये। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते है। उस तरह की भावना से देश का कल्यण नहीं हो सकता है। अगर समाज का कल्याण करना है, तो उसका शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से विकास होना चाहिए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है।

आज ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य जातियों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से हरिजनों और बैकवर्ड कलासिज़ के समतुल्य हैं। उनकी भी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। अगर किसी परिवार का एक आदमी किसी क्लास वन, क्लास टू, गजेटिड या नान-गजेटिड पोस्ट, आई०ए०एस०, आई०एफ०एस० या आई०पी०एस० में नियुक्त हो जाता है, तो उस परिवार को बैकवर्ड क्लासिज़ की लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और उसे फ़ार्वर्ड क्लासिज़ की सूची में जोड़ देना चाहिए, चाहे वह परिवार किसी भी वर्ग का हो। अगर किसी हरिजन परिवार का कोई व्यक्ति रिज़र्वेशन से लाभान्वित हो जाता है, तो उसको भी बैकवर्ड क्लासिज़ की लिस्ट से निकाल देना चाहिए और फ़ार्वर्ड क्लासिज की लिस्ट में जोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरे लोगों को जो उसी बैकवर्ड हरिजन और आदिवासी में से बच जायं उनको दूसरी लिस्ट में रख कर निश्चित रूप से उनको स्थान दें। जो एक आगे बढ़ जायं वह उस लाइट में आगे बढ़ सकते हैं।

इसी तरह जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनमें भी जो गरीब तबके के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उनकी भी लिस्ट बननी चाहिए, इसके द्वारा ही इनका भी उत्थान हो सकता है। यह सरकार का विचार केवल विचार रह जाय, तो यह ठीक नहीं है और यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद जितनी नौकरियां हैं उनमें कुछ ही वर्गों के लोगों के लिए आवाज आती है कि उच्च वर्ग के लोगों की संख्या देश में 15 प्रतिशत है और नौकरियों में इस वर्ग के लोग 90 प्रतिशत हैं तथा पिछड़ें, हरिजन और आदिवासियों की संख्या 85 प्रतिशत है लेकिन नौकरियों में ये लोग 15 प्रतिशत हैं। तो यह उचित नहीं है। हम समझते हैं कि हर वर्ग के अन्दर गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कोई भी हों, उनको न्यायोचित ढंग से लिस्ट बनाकर स्थान मिलना चाहिए और जिस परिवार में जिस किसी को भी नौकरी मिल जाए उनको डिलीट करके दूसरे लोग जो बच जायं उनकी लिस्ट बना कर उनको स्थान दिया जाय ताकि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उचित स्थान मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावनाओं का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मैं श्री मही लाल को बुलाता हूं। यह अन्तिम नाम है। मेरे पास दो अन्य वक्ता भी हैं। समय सूची के अनुसार 5.33 म०प० बजे 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। तथापि, कुछ अन्य मदें भी हैं—विधेयक पुरःस्थापित किया जाना है। मैं नहीं जानता कि क्या किया जाए। माननीय सदस्यगण अपने नाम पहले नहीं देते, ताकि उचित अनुमान लगाया जा सके। होता क्या है कि विधेयक पर चर्चा शुरू होने पर, केवल दो नाम थे। इसलिये प्रथम वक्ता को

लम्बा समय दे दिया गया। अब यह कठिन होगा तथा उन माननीय सदस्यों के हितों के विरुद्ध होगा जो यहां अपने विधेयकों को पुरःस्थापित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा विचार है कि सदन को सहयोग करना चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कुछ भाषणों को सुन लेने के बाद ही सदस्यों का कुछ विचार बनता है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : सभापति महोदय, यह बहुत इम्पार्टेंट बिल है और दूसरे माननीय सदस्य का जो है वह भी महत्वपूर्ण है तो उस को भी मूव करवा दिया जाए और इसको कन्टीन्यू रखें।

सभापति महोदय : ऐसा विधान के अनुसार नहीं हो सकता।

श्री विनायक प्रसाद यादव : तो इसको चलने दिया जाये।

सभापति महोदय : केवल कुछ सदस्यों के लिये, जो देर से आये हैं और बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं यह अच्छी परम्परा नहीं है तथा ऐसा करना उचित भी नहीं होगा। यदि सदस्य गम्भीर हैं तो उन्हें अपने नाम पहले देने चाहिए जिससे कि उचित योजना बनाई जा सके कि प्रत्येक सदस्य को कितना समय देना है।

अब, श्री मही लाल —आप केवल 5 मिनट लेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मेरे पास एक विधेयक है। मेरा विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है जो देश के लाखों बीड़ी मजदूरों से सम्बन्धित है, जो सबसे ज्यादा शोषित हैं। और ऐसा लगता है कि इन लोगों का इन शोषित मजदूरों से कोई सम्बंध नहीं है।

सभापति महोदय : मुझे डर है कि इसे आज पूरा नहीं किया जा सकता।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जो भी हो, आपको बीड़ी-मजदूरों के हितों में कोई दिलचस्पी नहीं है।

सभापति महोदय : सभी की दिलचस्पी है, किन्तु हम इसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं ? मुझे बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने आपको अनुमति दे दी है।

श्री मही लाल।

श्री मही लाल (बिजनौर) : सभापति महोदय, आरक्षण की मांग सामाजिक और आर्थिक विषमता के उदर से पैदा हुई है। सामाजिक और आर्थिक विषमता से केवल अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां और पिछड़ी जातियां ही पीड़ित और दुखी हों, ऐसा नहीं है। अभी मुझे एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक सूचना मिली है। वैश्य परिवार में पैदा होने वाले एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का नाम शेर सिंह था। बलिया जिले में मान्यता है कि सिंह पर केवल क्षत्रियों के नाम हो सकते हैं। वैश्य परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति का नाम सिंह पर नहीं हो सकता। तो शेर सिंह साहब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को केवल इसलिए पीटा गया है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कि वैश्य परिवार में पैदा होते हुए उन्होंने अपना नाम शेर सिंह क्यों रखा। इस उदाहरण से आपको अनुमान हो जायेगा कि हमारा पूरा समाज सामाजिक विषमता का शिकार है, कोई कम और कोई ज्यादा। वैश्य परिवार के लोग भी सिंह का नाम होने के कारण पिट सकते हैं, जोकि सम्पन्न हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। चूंकि उनका नाम

शेर सिंह था इसलिए उनको पीटा गया और वह भी एक कलक्टर के बंगले पर। **(व्यवधान)** इस बात का मुझे पता नहीं है कि कलक्टर हरिजन था या नहीं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आरक्षण की मांग सामाजिक और आर्थिक विषमता के पेट से पैदा हुई है। अब एक सामाजिक जागृति आई है इसलिये आप इस मांग को रोक नहीं सकते है जब तक कि सामाजिक-आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो जाती। . . .

सभापति महोदय : श्री मही लाल, सिर्फ एक मिनट।

क्या मैं सदन से जान सकता हूं कि इस विधेयक के लिए कितना समय चाहिए? मंत्री महोदय को उत्तर देना है तथा उसके बाद प्रस्तावक को अपना उत्तर देना है। सदन इस विधेयक के लिए कितना और ज्यादा समय देना चाहता है—आज नहीं—अगली बार के लिए ?

अनेक माननीय सदस्य : आधा घण्टा और।

श्री के० लकप्पा : कृपया मेरा समय मत लीजिए।

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलाल गंज) : अगली बार एक घण्टा दे दिया जाए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने कहा है कि प्रारम्भ में केवल दो सदस्य थे जिन्होंने अपने नाम दिए थे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : आपने हमें बताया है कि आपके पास दो नाम और हैं। तथा उसके बाद मंत्री को उत्तर देना है। प्रस्तावक को भी उत्तर देना है। इस विधेयक के लिए केवल दो घण्टे दिए गए थे। इस प्रकार से जब-भी सदस्यों ने अपने नाम दिए आप उन्हें सूची में शामिल करते चले गए। मैं कहती हूँ कि इस विधेयक के लिए आधा घण्टे से ज्यादा का समय नहीं दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या सदन की यह इच्छा है कि आधा घण्टा समय बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ, हाँ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : सूची में और ज्यादा नाम शामिल न किये जायें।

सभापति महोदय : श्री मही लाल, आप अपना भाषण अगली बार दे सकते हैं। अगली बार केवल मंत्री महोदय एवं प्रस्तावक ही उत्तर देंगे। अब, अध्यक्ष महोदय ने श्री सौगत राय को विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी है। श्री सौगत राय।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

(धारा 275, 276 आदि का प्रतिस्थापन)

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है—

> "कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सौगत राय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : श्री राम जेठमलानी। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति दे दी है।

आपात न्यायालय विधेयक

श्री राम जेठमलानी (बम्बई–उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष वर्ग के अपराधों के विचारण के लिए आपात-न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, ऐसा करना खतरनाक है। आपने संसद् को धोखे में रखा। अब वह आपात न्यायालयों की स्थापना के पश्चात विधेयक वापस ले रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि आपने आपात न्यायालयों की स्थापना के लिए षड्यन्त्र किया है तथा प्रतिशोध दिखाया है तथा अब अपना विधेयक वापस लेकर संसद् को धोखा दिया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि श्री राम जेठमलानी को विशेष वर्ग के अपराधों के विचारण के लिए आपात न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

पारले ग्रुप की कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करते हैं। श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : सभापति महोदय, पारले कम्पनियों के समूह द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के सम्बन्ध में 14 मार्च, 1979 को अतारांकित प्रश्न 3438 के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर यह आधा घन्टे की चर्चा है। महोदय, इस मामले से तीन मंत्रालय सम्बन्धित हैं। वे हैं—वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय। मैं सम्बन्धित रिकार्ड को उद्धृत करना चाहूंगा। 2 रुपये प्रति बोतल की दर से कोकाकोला की बिक्री के सम्बन्ध में दिनांक 28-2-1979 के तारांकित प्रश्न सं० 129 के उत्तर में मैंने निश्चित प्रश्न रखा था कि क्या उद्योग मंत्रालय को मालूम है कि पारले समूह के लोग इस सदन को चोरी छिपे काम में ला रहे हैं। तब उद्योग मंत्री ने उत्तर दिया था कि यदि उन्हें पारले उद्योग समूह बम्बई के विदेशी सम्बन्धों के कोई निश्चित सबूत दिए गए तो वह कार्यवाही करेंगे। यही कारण है कि मैं दबाव डाल रहा हूं कि तीनों मंत्रालयों को उत्तर देना है, अन्यथा ये तीन मंत्रालय संकट में पढ़ जाएंगे।

पारले उद्योग समूह द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में दिनांक 16 मार्च, 1979 के प्रश्न संख्या 3438 के उत्तर उद्धृत करना चाहूंगा ; वित्त मंत्री ने बताया था कि पारले समूह की एक कम्पनी बिसलेरी इण्डिया प्राइवेट लि० बम्बई के भवन में कुछ छान-बीन की गई थी तथा बिसलेरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड बम्बई तथा इसके निदेशकों श्री रमेश चौहान तथा श्री एच० एम० गोलेवाला को 2-3-1978 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। पुनः 14-4-78 को श्री रमेश चौहान को 2 लाख रु० का ऋण प्राप्त करने तथा सम्भाव्य अधिकार को डा० सी० रोजी को भुगतान प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 5(2) (एफ) के उल्लंघन में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसी समय मंत्री महोदय ने बताया कि 14-4-78 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में श्री रमेश चौहान के विरुद्ध आरोपों को वापस ले लिया गया था। मालूम नहीं किन कारणों से पुनः श्री रमेश चौहान के विरुद्ध मामलों को छोड़ दिया गया। श्री रमेश चौहान तथा श्री गोलेवाला द्वारा स्वीकृत किए गए अपराधों की गम्भीरता की तुलना में उन पर लगाए जुर्माने की राशि बहुत कम थी। क्या मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि डा० रोजी, जो इटालियन एअर-क्राफट मामले में श्री कांति देसाई से सम्बन्धित हैं, ने श्री रमेश चौहान के विरुद्ध मामलों को छोड़ने के लिए कोई दबाव डाला गया था। राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को खतरे में डालने वाली भ्रष्ट गतिविधियों में जनता सरकार का शामिल होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 20-2-79 को तारांकित प्रश्न सं० 129 पर संसद् में हुई चर्चा का हवाला देना चाहूंगा जिसमें माननीय उद्योग मंत्री ने बताया था कि हल्का पेय बनाने वाली पारले कम्पनियों के समूह में विदेशी सहयोग नहीं है। मैं मंत्री की जानकारी में फेलीस बिसलेरी तथा एस०पी०ए० मिलानो कम्पनी तथा पारले समूह के श्री रमेश चौहान के बीच हुए दिनांक 24-9-69 के एक गुप्त समझौते की फोटोस्टेट प्रति देना चाहूंगा। यह सिद्ध करने के लिए कि किस प्रकार पारले बोटलिंग कम्पनी विदेशी ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर रही है, मैं समझौते की कुछ धारायें सुना रहा हूं। समझौते के पृष्ठ 6 पर धारा 12 बताती है "कि पारले बाटलिंग कम्पनी प्राइवेट लि० भारत में बिसलेरी नाम की मालिक होगी तथा वह यह नाम किसी अन्य पार्टी को नहीं बेचेगी।"

यदि मंत्री के लिए यह सबूत काफी नहीं हैं तो उन्हें और कौन-सा सबूत चाहिए ?

दिनांक 24 सितम्बर, 1969 के इस समझौते के अन्तर्गत, श्री रमेश चौहान, प्रबन्ध निदेशक, पारले एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, उस समय उसका नाम पारले बोटलिंग क० प्रा० लि० था, ने 980 इक्विटी शेयर (500/– रु० प्रति शेयर के सममूल्य पर) 1/– रु० प्रति शेयर के हिसाब से, पारले बोटलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लिये। देखिये समझौते की अनुसूची 'ए'।

उन्होंने भारतीय बैंक तथा विदेशियों पर शेष 22,37,720 रु० के ऋण का दायित्व भी लिया। देखिये समझौते की सूची 'बी'।

समझौते की धारा 3 के अनुसार फेलीस बिसलेरी एण्ड कं०, एस०पी०ए० मिलानो, इटली में पंजीकृत एक विदेशी कम्पनी द्वारा 6,20,000 रु० के ऋण में से 3,15,424 रु० बट्टे खाते में डाल जाते थे।

उपरोक्त राशि को बट्टे खाते में डालने की बजाय 6,00,000 रु० अगले तीन वर्षों में विदेशी कम्पनी को दे दिए गए। इसमें गैर-कानूनी ढंग से दिए गए 3,15,424 रु० शामिल हैं जिन्हें विदेशी कम्पनी के खातों में नहीं दिखाया गया, बल्कि और कहीं मोड़ दिया गया।

इनका निम्नलिखित ढंग से पता लगाया जा सकता है :

(1) सबसे पहले दिनांक 24 सितम्बर 1969 के मूल गुप्त समझौते का पैरा 3 राशि का बट्टे खाते में डाला जाना दर्शाता है।

(2) इण्डियन कम्पनी के 1969 से 1974 के वर्षों के तुलन-पत्र यह दर्शायेंगे कि इस राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया अपितु भेजा गया।

(3) इण्डियन बैंक के जरिये इटालियन बैंक को भेजी गई राशि दर्शाती है कि 3,15,424/- रुपये की राशि इटालियन कम्पनी को नहीं भेजी गई अपितु कहीं और मोड़ दी गई।

(4) इटालियन राजस्व प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस राशि को इंडियन कम्पनी ने बट्टे खाते में डाला है।

(5) संयोगवश, इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि 3,15,424 रुपये के ऋण दायित्व को बट्टे खाते में न डालकर इंडियन कम्पनी ने आगे लाई गई हानि की राशि का दावा करके धोखा दिया है। इंडियन कम्पनी के अधिग्रहण के समय उसकी कुल हानि 14,51,450 रुपये की थी। यदि उक्त 3,15,424 रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई होती तो इंडियन कम्पनी आगे लायी गई हानि की उस राशि का दावा करने में असमर्थ होती।

1969-70 में पारले एक्सपोर्टस 'गोल्ड स्पाट' को कुवैत में किसी स्थानीय पार्टी के बिनामी नाम से बना रहे थे तथा बेच रहे थे। आप हवाला दे सकते हैं। आप इस बात का सत्यापन कर सकते हैं कि क्या उनकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कोई सहायक कम्पनी है, क्या उनके कुवैत, इटली तथा दक्षिण पूर्व एशिया और अन्यत्र ऐसे सम्बन्ध हैं। मैं समझता हूं कि आप इन बातों का सत्यापन भी कर सकते हैं। कुवैत की पार्टी ने डा० सी० रोजी, एक इटालियन नागरिक नौन-रेजिडेन्ट की गारण्टी पर 20 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया था।

श्री विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : ये 20 लाख नहीं हैं अपितु 2 लाख हैं . . .

श्री के० लकप्पा : क्या आप पारले कम्पनी के लिए बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : श्री लकप्पा, अपना समय नष्ट मत करो। कृपया आगे बोलो।

श्री के० लकप्पा : किंतु वह मेरा समय ले रहे हैं। कृपया आह उन्हें रोकिये। श्री रमेश चौहान के पिता श्री जे० एम० चौहान का एक पत्र है। श्री जे० एम० चौहान पारले एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड के तत्कालीन चेयरमैन थे। उपरोक्त बताये गये तथ्यों के लिए मैं 1969 के समझौते की फोटोस्टेट कापी प्रस्तुत* कर रहा हूँ। महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये। आप रिकार्ड को ध्यान से देख सकते हैं। इसे रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।

*अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा नहीं माना गया।

सभापति महोदय : आप उन्हें रिकार्ड में कैसे रख सकते हैं ? नहीं, नहीं। बिना पूर्व सूचना के मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अब आप समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया।

श्री के० लकप्पा : इस मामले पर मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आज भारत सरकार 77 बना रही है। किंतु आज हमारी सरकार 77 को प्रोत्साहन नहीं दे रही। क्यों ? आप इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे ? आप इन प्राईवेट लोगों की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष—दोनों ही तरह से मदद क्यों कर रहे हैं ? आप इन लोगों के प्रति नर्मी का रुख क्यों किए हुए हैं ? क्या यह सच नहीं है कि श्री कान्ति देसाई, जो इस रोजी एण्ड कम्पनी की लीग के साथ हैं, आपके मंत्रालय पर ही दबाव नहीं डाल रहे, उद्योग मंत्रालय पर ही, अपितु स्वास्थ्य मंत्रालय में भी दबाव डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बातों का उल्लंघन किया है। विदेशी ब्रांड नाम का जो दुरुपयोग उन्होंने किया है, उसके प्रमाण के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको संक्षेप्त में कहना होगा। 10 मिनट लगभग समाप्त हो चुके हैं।

श्री के० लकप्पा : इस निर्णय पर पहुंचने के बाद कि यह विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सलाह दी थी। उसी आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए था कि वे समाचारपत्रों में उनके उत्पादन का 'रिफ्रेशिंग कोला' के रूप में विज्ञापन करने के लिए उन्हें रोकते। ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य विनियमन अधिनियम के विपरीत होता। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन तथा रेडियो को निर्देश दिये थे कि इस पेय का व्यापारिक विज्ञापन नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि यह मंत्रालय भी शामिल है। इस प्रकार से, इसके लिए चार मंत्रालय उत्तरदायी हैं। इस कम्पनी ने सभी नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन एक व्यवस्थित एवं बड़े ढंग से किया है। वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध थे। परिणामतः, इस देश की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर आप '77' पेय को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। आज बाजार में इसकी कहीं मांग नहीं है। आपका वित्त मंत्रालय तथा कान्ति देसाई इस देश की इमारत को नष्ट कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं जानता हूं कि आप गतिशील मंत्री हैं ; आप इस प्रश्न से इस फैशन में न निपटिए। मुझे किसी व्यक्ति से शिकवा नहीं है। क्या आप कृपया करके यह विश्वास दिलायेंगे कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिससे कि इस प्रकार बात आगे न चले। उद्योग मंत्री ने भी संसद् में एक झूठा वक्तव्य दिया है कि इस सम्बन्ध में विदेशी कम्पनी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने 1969 के समझौते के बारे में तथा बाद में हुए आदान-प्रदान एवं विकास के बारे में बता दिया है जो यह दर्शाता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सही नहीं था। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। क्या आप स्वास्थ्य मंत्री से उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन करेंगे क्योंकि कम्पनी ने नियमों का उल्लंघन किया है तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी हैं। मैं पूरे मामले की विस्तृत छानबीन तथा जांच चाहता हूं तथा जब जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाए, आप संसद् में बतायें कि इस मामले में आपने क्या किया है। इन सभी प्रश्नों का पूरा उत्तर देने की जरूरत है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सभापति महोदय, श्री लकप्पा ने लोक सभा के सचिव को एक नोटिस दिया है जो इस प्रकार है :—

"लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55(2) के अन्तर्गत मैं दिनांक 16 मार्च, 1979 को अतारांकित प्रश्न सं० 3438 के उत्तर से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा उठाने के अपने इरादे की सूचना देता हूं :

(एक) दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं हैं,

(दो) पैरा (बी) तथा (सी) के उत्तर अस्पष्ट तथा अधूरे हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि चर्चा उठाने की अनुमति दी जाए .... चर्चा उठाने के कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी यहां संलग्न है।"

अब, मूल प्रश्न क्या था। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दों पर कुछ कहने से पहले मैं उठाये गये प्रश्नों को तथा दिये गये उत्तरों को पढ़ना चाहूंगा। प्रश्न यह था :—

"(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि पारले कम्पनियों के समूह (बम्बई) ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है, यदि हां, तो उसका विवरण ;

(ख) यदि प्रश्न (क) का उत्तर हां में है, तो सरकार ने पारले समूह को संयुक्त राज्य अमरीका में एक कार्यालय खोलने के लिए विदेशी मुद्रा किस आधार पर प्रदान की ; और

(ग) पारले समूह द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?"

इस प्रश्न का उत्तर मैंने निम्नलिखित दिया था :—

"(क) तथा (ग) 15-11-1977 को पारले समूह के अन्तर्गत एक कम्पनी मैसर्स बिसलेरी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों तथा इससे सम्बन्धित अन्य परिसरों में की गई खोज के परिणामस्वरूप प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत उपरोक्त कम्पनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी तथा जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किए गए :—

(एक) मैसर्स बिसलेरी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई तथा इसके निदेशकों सर्वश्री रमेश जे० चौहान तथा एच० एम० गोलवाला की £ 14,336/- की राशि का जिस उद्देश्य के लिए यह ली थी, उससे प्रथक उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किए जाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4(3) का उल्लंघन करने के लिए 2-3-1978 को जारी किया गया।

(दो) 14-4-1978 को श्री रमेश जे० चौहान को 2 लाख रु० का ऋण प्राप्त करके उसके भुगतान का आकस्मिक अधिकार डा० सी० रोजी के पक्ष में देकर— विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (एफ) का उल्लंघन करने के लिए जारी किया गया।

(तीन) श्रीमती मीनाक्षी जसदनवाला को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना 500 यू०ए०ई० दरहम की विदेशी मुद्रा प्राप्त करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(1) का उल्लंघन करने के लिए 15-12-77 को जारी किया गया।

इन मामलों को 25-9-78 तथा 20-10-78 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निपटाया गया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त (एक) कारण बताओ नोटिस के मामले में कम्पनी पर 1,50,000 रु० तथा इसके निदेशक सर्वश्री रमेश जे० चौहान तथा एच० एम० गोलवाला पर पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपरोक्त (दो) में कारण बताओ नोटिस के मामले में श्री रमेश जे० चौहान पर लगाये गये आरोप को खत्म कर दिया गया। समझा जाता है कि श्रीमती मीनाक्षी जसदनवाला की 1-1-1978 को एक वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही रोकनी पड़ी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।"

बाद में यह जानकारी सभा पटल पर रख दी गई है। अब, जहां तक उत्तर का सम्बन्ध है, उसमें क्या अस्पष्टता है और क्या अधूरापन है?

मेरे माननीय मित्र ने इस विशेष कम्पनी के बारे में विविध मुद्दे उठाये हैं। यहां मुझ से कहा गया है कि मैं अपने अपूर्ण या अस्पष्ट उत्तरों की सफाई दूं जिन उत्तरों के बारे में माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला क्योंकि वह अतारांकित प्रश्न था। अतः माननीय सदस्य ने विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंधन, कारण बताओ नोटिस और न्यायनिर्णयन कार्यवाही के बारे में जो कुछ जानकारी मांगी थी, वह मैंने अतारांकित प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से दे दी थी।

तो, जहां तक नये मुद्दों का संबंध है, मुझे यह कहना है कि इस बारे में कि सरकार '77' को बढ़ावा नहीं दे रही है। वह इस प्रश्न से कैसे संबंधित है? मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? **(व्यवधान)** एक तारांकित प्रश्न में भी माननीय सदस्य को इतना समय न मिलता जितना उन्हें यहां मिलेगा, तब तक उत्तर पूरा होगा। यदि यह तारांकित प्रश्न होता तो माननीय सदस्य को मुश्किल से 10 मिनट मिलते और वे मुझसे इससे अधिक कौन-सी जानकारी प्राप्त कर लेते? बहरहाल छानबीन की गई थी **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : यहां जानकारी का प्रश्न नहीं है। जानकारी तो आप किसी अधिकारी से प्राप्त कर सकते थे। मैं मंत्री महोदय से ऐसे सभी उल्लंघनों के विरुद्ध कदम उठाने के लिए कह रहा हूँ।

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस विशेष मामले में....

श्री सतीश अग्रवाल : मैं '77' को प्रोत्साहन न देने के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं अपमिश्रण के बारे में क्या कह सकता हूं? मैं स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आये पत्रों के बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ। **(व्यवधान)** मैं इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकता हूँ? यह प्रश्न विदेशी मुद्रा विनियम, उल्लंघन, कारण बताओ नोटिस जारी करने और न्यायनिर्णयन कार्यवाही के बारे में है।

नियम के अनुसार, यह एक अर्द्धन्यायिक कार्यवाही है। निदेशक ने इस मामले के बारे में न्यायनिर्णयन दे दिया है। उन्होंने कम्पनी के अलावा प्रत्येक निदेशक पर 1.5 लाख रुपये और 15,000 रुपये का दण्ड लगाया है ; और एक विशेष मामले में एक महिला की मृत्यु हो गई। इसलिये, स्वाभाविक है कि कार्यवाही में ढील पड़ी। श्री बनातवाला यह अच्छी तरह जानते हैं। तो, इस विशेष मामले में, कार्यवाही समाप्त करनी पड़ी। एक दूसरे मामले में जुर्माना लगाया गया। मामले की जांच हो रही है। कार्यवाही अब भी चल रही है। कुछ कारण बताओ नोटिस संबंधित पक्षों को जारी किये जायेंगे।

जहां तक इस सरकार का संबंध है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी मामला ऐसा नहीं है जहां इस देश में, अपने विभाग में किसी एक भी अधिकारी को निदेश दिया गया हो कि : "तुम नोटिस जारी करो या तुम नोटिस जारी मत करो। आप इस तरह न्यायनिर्णय दो या उस तरह न्यायनिर्णय दो"। जहां तक उसका संबंध है अधिकारियों को पूरी स्वतंत्रता है ; लेकिन यदि कोई अन्याय किया जाता है, यदि कोइ बेईमानी की कार्यवाही की जाती है, कहीं कोई सांठ-गांठ होती है, तब यदि ऐसा मामला मेरी जानकारी में आता है तो मैं कार्यवाही करता हूं। इसका प्रमाण यह है कि पिछले दो वर्षों में हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अपने सीमा शुल्क अधिकारियों सहित 38 अधिकारियों को निलंबित किया जो तस्करी में शामिल थे। हम उन पर मुकदमा चला रहे हैं और 8 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन दंडित किया गया। यह एक मामला, इस बात का प्रमाण है कि हम किसी अधिकारी की रक्षा करने या उसे बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। किन्तु जहां तक मुख्यक प्रश्न का संबंध है ये सब विषय उनसे संबंधित नहीं हैं।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि इस विशेष मामले के बारे में मेरे पास पूरा ब्यौरा है। लगभग नवम्बर 1977 में छानबीन की गई थी और सैंकड़ों फाइलें बरामद की गई थीं। वहां हज़ारों प्रलेख हैं। अभिशंसी पत्र बरामद किये गये हैं। बयान दर्ज किये गये हैं। उस आधार पर कुछ कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। मामलों के बारे में न्यायनिर्णयन दिये गये। जुर्माना लगाया गया। पक्ष विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण के पास अपील लेकर गये हैं। वे वहां विचाराधीन हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता ; और इसके बाद भी, जब भी ऐसे अन्य विनियम उल्लंघन विभाग की जानकारी में आयेंगे, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जायेंगे और संबंधित अधिकारी मामलों में विधि के अनुसार न्यायादेश देंगे, जुर्माना लगायेंगे और जो भी न्यायोचित है, करेंगे। मेरा कर्त्तव्य यह आदेश देना नहीं है कि यह जुर्माना कम है या यह जुर्माना ज़्यादा है। मान लीजिए कि किसी 2 लाख के उल्लंघन के मामले में, 1.15 लाख रुपये और प्रत्येक निदेशक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरकार उन्हें अर्द्ध-न्यायिक कार्य मानती है और उन्हें बिल्कुल न्यायिक कार्यों की तरह मानती है। हम उस विशेष प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। आप इस बात को मानेंगे कि जहां तक मूल प्रश्न का संबंध है मैंने उसे यथासामर्थ्य, उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसका उत्तर दिया है। माननीय सदस्य इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी चाहते हैं वह मैं दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस माननीय सभा से कुछ छिपाना चाहेंगे। मेरे पास जो भी जानकारी है मैं उसे आपको देने को तैयार हूँ। मैं इससे राजनैतिक लाभ नहीं उठाऊंगा। अब आप इसमें राजनीति को घसीट रहे हैं ; उनका कहना है कि डाक्टर रोसी पर

श्री कान्ति देसाई का दबाव है और श्री कान्ति देसाई विभाग पर दबाव डाल रहे हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस विभाग के कामों को दबाव में आकर करने की बजाय इस विभाग को छोड़ देना पसन्द करूंगा ।

श्री के० लकप्पा : यह नहीं कि आपने ऐसा किया है ; मैंने कहा है कि : आप पड़ताल कीजिये कि ऐसे संबंध हैं या नहीं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं इस मामले में कोई राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाना नहीं चाहता। प्रो० मावलंकर को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सरकार की जानकारी में कुछ अभिशंसी सामग्री आई है और इस विशेष मामले में एक पत्र बरामद हुआ ; यह इटालियन भाषा में लिखा हुआ था ; इसका अनुवाद करवाया गया और उसके बाद डाक्टर रोसी का बयान लिया गया । शायद आपको यह जानने में दिलचस्पी न हो, लेकिन अगर आपको जानने में दिलचस्पी हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ बहुत ही ऊंचे पदों पर आसीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ वस्तुओं के आयात के लिए रकम लेने का आरोप था ; मैंने उसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाया (**व्यवधान**) क्या आप चाहते हैं कि मैं वह बता दूं ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) **:** सभा को पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं कह रहा हूं कि उसका राजनैतिक पहलू है । विभाग ने उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जानकारी में लाना उचित समझा ; वह राजनैतिक पहलू विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता ; वैसा कोई सौदा था या नहीं, उसके पीछे क्या मंशा थी, वह सौदा किया गया अथवा नहीं, भुगतान किया गया या नहीं, चुनाव से पहले मार्च 1977 में कुछ आयात की अनुमति देने के लिये, छूट देने के बहाने कुछ भुगतान किया गया । हमने पूरी जांच करने के लिये इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है और वह मामले की जांच कर रहा है ।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) **:** आपने 77 से 79 की अवधि को शामिल नहीं किया है ? मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपते हुये आपने उसे छोड़ दिया है ?

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें । मै इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा : प्रश्न पूछने की एक प्रक्रिया है ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं भाषण नहीं दे रहा : कृपया नियमों का पालन करें ।

श्री के० लकप्पा : व्यवधानों की अनुमति है ।

श्री बी० शकंरानन्द : आप इसे रोकना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है और जिनके नाम वहां दिये गये है, वे प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं भाषण नहीं दे रहा । आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते ? अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने लिखी अवधि के अन्तर्गत कुछ आरोपों का उल्लेख किया है । 1977 से 1979 तक की अवध्रि को भी वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पड़ताल में शामिल कर रहे हैं या नहीं—मैं यही पूछ रहा हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : जो खास मामले विभाग की जानकारी में आते हैं उन्हें ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाता है। इस विशेष मामले में कुछ पत्र लिखे गये थे, वे इतालवी में थे; उनका अनुवाद किया गया और उन्हें दर्ज किया गया। यह विशेष सामग्री एक खास मामला है और उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिये सौंपा गया है। यदि माननीय सदस्य उसका आशय पूछें तो मैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक उस उत्तर दूंगा। मैं उसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। परन्तु जहां तक इस मामले की अवधि का सम्बन्ध है, इसमें 1977 से पहले के आयात संबंधित हैं। जब यह पार्टी सत्ता में आई यह सौदा नहीं किया जा सका यद्यपि सब कुछ तय हो गया था। सारी बात यही है। इन कम्पनियों द्वारा कुछ प्रमुख व्यक्तियों को अथवा सरकार के कुछ प्रमुख उच्चाधिकारियों को किये गये कथित भुगतान के विशेष पहलू की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है इस अवसर पर इससे अधिक ब्यौरे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो राजनैतिक लाभ उठायेंगे या राजनैतिक आधारों पर प्रहार करेंगे। जहां तक मूल प्रश्न का संबंध है, उसमें कोई अधूरापन या अस्पष्टता नहीं थी। वह उत्तर पूरा था। माननीय सदस्य जो अतिरिक्त सूचना देंगे, उस बारे में मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक मेरे विभाग का संबंध है और मेरे स्तर पर कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। जहां तक विभाग का सम्बन्ध है, इस पक्ष ने जो भी भ्रष्टाचार या अनियमितताएं की हैं उनकी पूरी जांच और छानबीन की जायेगी।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम उल्लघंन के मामलों की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा है या नहीं और डाक्टर रोसी और श्री चौहान के बीच क्या सम्बन्ध है ? दूसरे यह कि क्या मैं जान सकता हूं कि श्री कांति देसाई इसमें अंतर्ग्रस्त हैं या नहीं ?

श्री विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : सरकार ने मामले पर न्यायानिर्णयन दे दिया है और बहुत भारी जुर्माना लगाया जा चुका है। जब भी आय-कर अथवा केन्द्रीय राजस्व अथवा सीमाशुल्क के संदर्भ में तलाशी ली जाती है या कब्जा किया जाता है और छापा मारा जाता है तो ढील नहीं दी जाती और किसी को बख्शा नहीं जाता। श्री लकप्पा की तथ्यों और आंकड़ों में दिलचस्पी नहीं है। वह यह मालूम नहीं करना चाहते कि कितने प्रलेख ज़ब्त किये गये, आदि। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मामले के बारे में न्यायनिर्णयन देने के बाद, जितनी सामग्री आपके हाथ लगी थी उसके अलावा भी आपको कुछ मिला है।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : अत्यन्त दुख की बात है कि इस प्रतिशोधी जनता सरकार और वित्त मंत्रालय ने इस सम्माननीय सभा को 16 मार्च 1979 को बताया था कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के खंड 4(3) का उल्लघंन हुआ था। मंत्री महोदय ने स्वयं इस सम्माननीय सभा में यह स्वीकार किया था कि खंड 4(3) का उल्लघंन हुआ है। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि विदेशी मुद्रा से उनका क्या तात्पर्य है और वह कैसे अर्जित की जाती है ? किस माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ? इसका अर्थ यह है कि पारले वालों की कम्पनियों का ऐसा धांधलेबाजी का कोई न कोई कारोबार ज़रूर है जिसके माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। उस हालत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लघंन का प्रश्न उठता है। जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, किस आधार पर यह विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है, क्योंकि यह एक धोखाघड़ी करने वाली कम्पनी है जिसकी

विदेशी कम्पनियों से साँठ-गांठ है ? डाक्टर रोसी और अन्य भी इसमें अंतर्ग्रस्त हैं या नहीं, आदि; श्री लकप्पा ने बहुत सामग्री दी है । मुझे उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । एक पेय है जिसका नाम है 'थम्स अप' । वे यह झूठा विज्ञापन दे रहे हैं कि उसमें कोला का सत्व है जबकि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, वे कहते हैं कि वह एक प्रकार का कोला है । इसी तरीके से वे वित्त मंत्रालत के कर से बच सके हैं ; किस सीमा तक यह मैं नहीं जानता ।

सभापति महोदय : क्षमा कीजिये, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपको यह बता रहा हूं कि विदेशी मुद्रा कैसे अर्जित की जाती है · · · **(व्यवधान)** जहां तक विदेशी मुद्रा का संबंध है, आपके सम्मुख प्रश्न यह है · · ·

सभापति महोदय : 6.00 बज चुके हैं । क्या सभा चाहती है कि इसे समाप्त करने के लिए समय 4-5 मिनट बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

श्री मल्लिकार्जुन : प्रासंगिक प्रश्न यह है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के खंड 4 (3) का उल्लंघन सामने कैसे आया । यह कहा गया · · · ·

सभापति महोदय : कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मल्लिकार्जुन : अगला प्रश्न यह है · · ·

सभापति महोदय : आप केवल एक प्रश्न ही पूछ सकते हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : उन्होंने सभा में बताया कि 1977 में छापे मारे गये और अभिशंसी दस्तावेज जब्त किये गये । तो इस आधार पर उन्होंने जांच आगे बढ़ाई । वह अब भी कह रहे हैं कि श्री रमेश चौहान और श्री गोरेवाला के विरुद्ध मामले अभी समाप्त नहीं कर दिये हैं । क्यों ? क्या श्री रमेश चौहान और जनता सरकार के बीच कोई सांठ-गांठ है ? यह थम्स अप का झूठा प्रचार है । · · ·

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री मल्लिकार्जुन : * * **

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा । मैं उन्हें आगे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा । इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।*

श्री मल्लिकार्जुन : * * **

सभापति महोदय : मैं सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे सहयोग दें । आप उसी सवाल को बार-बार दोहराये जा रहे हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : * * **

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या आपने समय बढ़ा दिया है ?

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : हां

श्री बी० शंकरानन्द : वह किस का साथ दे रहे हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्री शंकरानन्द, अगर मैं इस बात का जवाब देने लगा कि कौन किसका साथ दे रहा है तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा · · · · (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि आपकी बहस में रुचि नहीं है तो मैं सभा स्थगित करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री नायडू ने यह प्रश्न उठाया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये इस मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन का उल्लंघन भी शामिल है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का संबंध है, उस पर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन महानिदेशालय न्याय निर्णय देता है। अतः जहां तक विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंघन का संबंध है इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई प्रश्न नहीं है। केवल कुछ प्राधिकारियों के अन्तर्ग्रस्त होने या कथित भुगतानों का मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है। जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का प्रश्न है विधि अनुसार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का विधितंत्र ही इन उल्लंघनों से निपटने के लिये पर्याप्त सक्षम है। जहां तक आपके इस प्रश्न का संबंध है कि श्री कांति देसाई मामलों में अंतर्ग्रस्त हैं या नहीं तो मेरा स्पष्ट उत्तर है 'नहीं'।

जहां तक श्री विनोदभाई सेठ के इस प्रश्न का संबंध है, कि सरकार की जानकारी में न्यायनिर्णयन आने के बाद आगे कुछ सामग्री मिली या नहीं, तो छापों के दौरान 35 फ़ाइलें मिलीं जिनमें 4000 पृष्ठ थे, सैंकड़ों दस्तावेज थे और पत्र इत्यादि थे। उन सबके बारे में पूछताछ और जांच चल रही है, कुछ मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं, कुछ मामलों में न्यायनिर्णय दिया जा चुका है और बाकी मामलों पर अभी विचार किया जा रहा है। सामग्री की अभी संवीक्षा की जा रही है और निकट भविष्य में कुछ कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संभावना है। किसी पक्ष के साथ तरफदारी नहीं की जायेगी।

जहां तक माननीय सदस्य, मेरे आदरणीय मित्र श्री मल्लिकार्जुन द्वारा उठाये गये इन मुद्दों का संबंध है कि विदेशी मुद्रा किस प्रकार अर्जित की जाती है, तो जहां तक विदेशी मुद्रा या उल्लंघन का संबंध है, आप कुछ निर्यातों को कम करके बताते हैं, फिर आपको मुआवजे के तोर पर कुछ भुगतान मिलता है—कुछ ऐसा होता है। (**व्यवधान**) आप अच्छी तरह जानते हैं। इस मामले में ऐसा उल्लेख किया गया कि कुछ · · ·

श्री पी० वेंकट सुबैया : सभापति महोदय, वह कह रहे हैं कि वह अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह माननीय मंत्री ने उन्हें भी अंतर्ग्रस्त कर लिया है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप नहीं जानते ? मेरे विचार में सब जानते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री वेंकट सुबैया अन्ततः एक माननीय सदस्य हैं इसलिये मेरा उनके विरुद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वे मेरे मित्र हैं। मैं किसी के भी विरुद्ध नहीं हूँ।

सभापति महोदय : सब जानते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : सभी जानते हैं कि किस प्रकार विदेशी मुद्रा मुआवजे के भुगतान, कम निर्यात की घोषणा करके, अधिक निर्यात की घोषणा आदि करके अर्जित की जाती है। यही सब तरीके हैं। इस विशेष मामले में विभाग की जानकारी में यह लाया गया कि कुछ भुगतानों के सिलसिले में कुवैत में ऋणों का समायोजन किया जाना था। तो, उन मामलों की जांच की जानी है। अब जहां तक मामलों को छोड़ देने का प्रश्न है, श्री रमेश जे० चौहान को अन्य अपराधों के लिये भी दंडित किया गया परन्तु जब कारण बताओ नोटिस जारी किये गये तो उन्हें विविध खंडों के अधीन जारी किया गया था। तो, यदि एक विशेष खंड के अधीन अपराध सिद्ध नहीं हो पाता, या उल्लंघन सिद्ध नहीं हो पाता, तो मामले को छोड़ दिया जाता है। किन्तु एक अन्य कारण बताओ नोटिस के अधीन श्री रमेश जे० चौहान को कम्पनी के साथ दंडित किया गया है। इसलिये, इस तरह यह पूर्णतः दोषमुक्त किये जाने का मामला नहीं है। परन्तु विविध खंडों के अधीन नोटिस जारी करने पड़े। मामलों का न्यायनिर्णय किया जाता है और यदि इस विशेष खंड के अधीन यह पाया जाता है कि उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है तब उस हालत में मामले को छोड़ दिया जाता है परन्तु दूसरे खंड के अधीन उसे दंडित किया जाता है।

जहां तक थम्स अप के मामलों का संबंध है, मुझे पूरी तरह मालूम नहीं कि पारले वालों का उससे संबंध है या नहीं, परन्तु जहां तक थम्स अप का कोका कोला के रूप में यह विज्ञापित किये जाने का प्रश्न है कि उसमें कोक कोला का अंश है, पिछले सत्र में जब यह प्रश्न उठाया गया था तो मैंने दिल्ली प्रशासन के सामने यह मामला रखा था और कहा था कि "वे इस तरह विज्ञापित कर रहे हैं और इसलिये आपको कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इस तरह से वे उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं।" परन्तु जहां तक मेरे अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न है, मैं उस असत्य विज्ञापन के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं कर सकता। मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि जहां तक विनियमों के उल्लंघनों और अपराधों का संबंध है, किसी भी राजनैतिक पक्ष की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और कम-से-कम इस बारे में तो आप आश्वस्त रहें कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मामलों के उचित न्यायनिर्णयन में हस्तक्षेप करेंगे। यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो, कानून अपने हिसाब से कार्यवाही करेगा। वह चाहे क हो या ख या ग हो, चाहे उसकी किसी से भी रिश्तेदारी हो, उसका किसी से भी संबंध हो, कानून अपने हिसाब से कार्यवाही करेगा और मेरे अधिकारियों को पूरी आज़ादी है कि वे कानून के अनुसार कोई भी कार्यवाही करें।

कार्य मंत्रणा समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

मध्याह्न पश्चात 6.11 बजे—तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 7 मई, 1979/17 वैशाख, 1901 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : सबिना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद

P.L.S.48.XXVI/50/79(N)
210

© 1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सबिना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।